









# भारतीय जेलों में पाँच साल

मेरी टाइलर

रूपान्तर : आनन्दस्वरूप वर्मा

रेखांकन : दिलीप राय



**राधाकृष्ण**

©

मेरी दाइलर, लन्दन १९७७

हिन्दी रूपान्तर

©

राधाकृष्ण, नई दिल्ली १९७७

Translation of 'My Years In An Indian Prison' by  
Mary Tyler (Victor Gollancz Ltd., London, 1977)

प्रथम संस्करण

जुलाई, १९७७

द्वितीय आवृत्ति

सितम्बर, १९७७

' मूल्य

पेपरबैक संस्करण : १४ रुपये

पुस्तकालय संस्करण : २० रुपये

आवरण सज्जा

सुकुमार शेकर

प्रकाशक

राधाकृष्ण प्रकाशन

२ अमारो रोड, दरियागज, नई दिल्ली-११०००२

मुद्रक

प्रिन्ट आफ़्मेट प्रिन्टर्स,

नई दिल्ली-११०००२

धर्तिगना, प्रकाश तथा जेल के उन तमाम प्यारे बच्चों के लिए जो, आशा है कि, एक उज्ज्वल भविष्य देखने के लिए जीवित रहेंगे। भारत तथा अन्य देशों के उन तमाम लोगों के लिए जो एक महान उद्देश्य की खातिर जेलों में बंद हैं। अंत में उन प्रियजनों के लिए जिन्होंने मेरे जेल-जीवन के सम्बन्धों के दौरान मुझ पर विश्वास किया और मेरी मदद की और जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उन सबके नामों का उल्लेख यहाँ संभव नहीं हो सका।

सन्त, मार्च १९७७

मेरी टाइलर



## अनुक्रम

हिन्दी संस्करण के लिए लेखिका का विशेष सन्देश	६
लेखिका के दो शब्द : नक्सलवादी आंदोलन	११
नक्सलवादी	१५
कैद-तनहाई	२७
एक राजनीतिक बंदी	४३
गोली काण्ड	५५
मेरे संगी-साथी	६७
खतरे के झूठे संकेत	८०
स्वदेश वापसी ?	९०
टाटा	१०४
सिपुदंगी	११७
संकट	१२८
आंदोलन	१४१
घतिगना	१५५
आखिरी बार तबादला	१६७
लंदन का टिकट	१७६

## रेखांकनों का अनुक्रम

कलकत्ता-१९७०	१९
हजारीबाग सेन्ट्रल जेल, महिला वार्ड	२८
हजारीबाग जेल में मेरी कोठरी	३०
कल्पना की और मेरी कोठरी	४५
हजारीबाग का घाच टावर	६०
अमरोहापुर जेल में नक्सलवादियों का विभाग	१०५
महिला वार्ड का भीतरी दृश्य	१३५





## हिन्दी संस्करण के लिए लेखिका का विशेष संदेश

यह सोचकर मैं गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि राधाकृष्ण ने मेरी इस पुस्तक की हिन्दी में प्रकाशित करने और इस प्रकार भारत के व्यापकतर जनसमुदाय तक पहुँचाने के योग्य समझा। इस पुस्तक में मैंने जो कुछ लिखा है वह भारतीय पाठकों को काफी हद तक जाना-पहचाना लगेगा क्योंकि इसमें मैंने महज अपने अनुभवों का लेखा-जोखा पेश किया है और वह भी खासतौर से ब्रिटिश पाठकों के लिए जिन्हें भारतीय समाज के वास्तविक स्वरूप की जो भी जानकारी है, वह ना के बराबर है।

मेरी इस पुस्तक का उद्देश्य न तो कोई राजनीतिक या सामाजिक शोध प्रस्तुत करना है और न मैं इसे अपना अधिकार या कर्तव्य समझती हूँ कि भारतीय जनता के लिए कोई ऐसे कानून अथवा विधि-उल्लेखों द्वारा मार्ग-प्रदर्शन करूँ जिसके आधार पर वे अपने देश की समस्याएँ हल करें। मैं किसी तरह की विरोपज्ञ होने का दावा नहीं करती और खुद को इस लक्ष्य नहीं समझती कि भारतीय समाज का गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत करूँ। मैंने जो कुछ लिखा है वह आपबीती घटनाओं का ब्योरा है तथा उन लोगों द्वारा बतायी गयी बातें हैं जिनके साथ भारत में मुझे रहने का तथा जिनसे मिलने का अवसर मिला।

फिर भी मुझे आशा है कि मेरी पुस्तक से यह समझने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी कि पिछली सरकार के दमन के शिकार लोगों के साथ सातवें दशक के पूर्वार्द्ध में दरअसल कैसा सुरू किया जा रहा था। सरकारी दमन के शिकार इन लोगों में केवल उन्हें ही नहीं जिन्हें 'नक्सलवादी' कहा जाता है, बल्कि भारत के गरीब किसानों और मजदूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्हे मैं बिहार की जेलों में जान सकी, जहाँ मैंने पाँच साल बिताये। इस स्थिति की विज्ञता को बढ़ा करके यदि मैं एक बेहतर, न्याय पर आधारित तथा सही अर्थों में स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए जारी संघर्ष में किसी भी तरह की मदद पहुँचा सकी तो यह मेरे लिए संतोष की बात होगी।

व्यक्तिगत तौर पर मेरे तथा पिछली सरकार द्वारा 'नक्सलवादी' कहे जाने वाले लोगों पर थोपे गये तमाम झूठे आरोपों और गाली-गलौज के बावजूद, मैंने भारत की शोषित-पीड़ित जनता की खुशहाली के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहा और न तो कभी उनके हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने खुद भी इसे महसूस किया; जेल के अंदर और जेल के बाहर भारत की साधारण जनता ने मुझे जो प्यार दिया और मेरी जितनी देखभाल की वह इस बात का सबूत है। जिनके

व्यक्तिगत स्वार्थं भारत के व्यापक बहुमत के हितों के विपरीत है, केवल वही इसे नहीं महसूस करते थे और वे आज भी इसे नहीं महसूस करना चाहते। मैं चाहूँगी कि मेरी यह पुस्तक, और खास तौर से इसका हिन्दी संस्करण, बिहार की उन बहादुर और दृढ-संकल्प स्त्रियों के प्रति एक श्रद्धांजलि, सम्मान और प्यार की अभिव्यक्ति हो जिनसे मेरा परिचय हुआ और जिन्होंने मेरे जेल-जीवन के दौरान मुझे बहुत-कुछ सिखलाया। साथ ही यह उन सभी वीर और साहसी लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने निजी स्वार्थों को तिलांजलि देकर भारत की सही मुक्ति के लिए अपने को बलिदान कर दिया। मैं अपने प्रकाशक राधाकृष्ण को धन्यवाद देती हूँ और उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति दिखलायी, मेरी सराहना की अथवा मेरी मदद करने की इच्छा व्यक्त की। उन सभी साधियों को मैं अपनी शुभकामनाएँ और संदेश भेजती हूँ जिन्होंने अत्यन्त कठिन दिनों में मेरी सहायता की। इसके साथ ही हर तरह के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रही भारतीय जनता का अभिवादन करती हूँ। अन्त में, मैं उत्पीड़न और अन्याय से मुक्ति पाने के संघर्ष में रत भारतीय जनता को अपना अनवरत समर्थन प्रस्तुत करती हूँ। ब्रिटेन के अपने उन साधियों की ओर से, जो भारत में सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के, सही अर्थों में जनतांत्रिक अधिकारों की स्थापना के तथा आपातकालीन अधिकारों और निरोधक नज़रबंदी कानूनों को पूरी तरह समाप्त करने के अभियान में सक्रिय हैं। मैं एक बार फिर उन सब भारतीयों को अपना समर्थन भेजती हूँ जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारी तरह ही क्षुब्ध हैं।

मेरी टाहसर

## लेखिका के दो शब्द नक्सलवादी आंदोलन

'नक्सलवादी' शब्द की उत्पत्ति उत्तरी बंगाल के सिलीगुडी जिले में स्थित नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई है जहाँ १९६७ के बसंत में वहाँ के बड़े जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ किसानों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का नेतृत्व भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) की जिला समिति के सदस्यों ने किया था। उन दिनों यह पार्टी पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार में प्रमुख साझेदार थी। इस विद्रोह का अंतिम लक्ष्य राजसत्ता पर कब्जा करना था। इस बात की कोशिश की गयी कि गाँवों में सत्ता के समूचे ढाँचे को नष्ट करके उसके स्थान पर किसान समितियाँ कायम की जायें। जमींदारों तथा सूदखोरों के साथ अनुचित कर्ज और गिरवी से संबंधित समझौतों के कागजात नष्ट कर दिये गये और इलाके के ७० प्रतिशत गरीब तथा भूमिहीन किसानों के बीच उस जमीन को फिर से बाँटने की दिशा में कदम उठाये गये जिस पर जोतने वालों की कोई मिल्कियत नहीं थी।

इस पुस्तक का उद्देश्य 'नक्सलवादी' आंदोलन के बारे में विस्तार से बताने या बाद के वर्षों में हुए विकास के विश्लेषण का प्रयास करना नहीं है। नक्सलबाड़ी विद्रोह के सबसे महत्त्वपूर्ण नतीजे थे—भारत के अन्य भागों में इसी तरह के किसान संघर्षों का तेजी से प्रसार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) में फूट जिसके नेतृत्व वर्ग ने नक्सलबाड़ी तरीके का जबर्दस्त विरोध किया था और १९६६ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी-लेनिनवादी) की स्थापना जिसने आंदोलन को आगे बढ़ाया हालाँकि 'नक्सलवादी' के नाम से जाने जा रहे लोगों में से अधिकांश कभी पार्टी में नहीं थे। १९७०-७१ में 'नक्सलवादियों' को भारी नुकसान उठाने पड़े जिसका कारण—मेरे खयाल से—कुछ हद तक तो विभिन्न राजनीतिक गलतियाँ हैं और कुछ हद तक वह क्रूर और जबर्दस्त अभियान है जिसे भारत सरकार ने इनके विरुद्ध निरंतर जारी रखा।

भारत में, लोगों का ऐसा कोई भी गुट नहीं है जो अपने आपको 'नक्सलवादी' कहता हो। इस शब्द का इस्तेमाल आंदोलन के समर्थकों को अपमानजनक ढंग से चित्रित करने के लिए विरोधियों द्वारा किया जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल और लोग भी उसी तरह करने लगे जिस तरह मैंने इस पुस्तक में किया है। अर्थात् इसका इस्तेमाल एक खास राजनीतिक धारा का समर्थन करने और उससे

हमदर्दी रखने वालों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा जो फिलहाल किसी एक संगठित गुट के रूप में नहीं हैं। मोटे तौर पर नक्सलवादी लोग १९४७ की आजादी को झूठी आजादी मानते हैं और सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को जमींदारों और दलाल बुर्जुवा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मानते हैं। वे मानते हैं कि भारत एक अर्द्ध-भौपनिवेशिक और अर्द्ध-सामंती देश है जिसे चीन और विपतनाम की तरह दीर्घकालिक मशस्त्र संघर्ष के जरिए ही सही आजादी मिल सकती है। उनका कहना है कि इस संघर्ष का उद्देश्य सही अर्थों में जनता की लोकशाही कायम करना है जिसका सारतत्त्व कृषि-क्रांति है और इसलिए संघर्ष का पहला चरण सामंतवाद का सफ़ाया करना है।

जहाँ तक मेरी बात है, मैं नक्सलवादी आंदोलन के बारे में किसी व्यापक जानकारी का दावा नहीं कर सकती; मैं जो कुछ जान सकी हूँ, उसका एक काफी बड़ा हिस्सा मैंने जेल में रहकर ही जाना है। जिन नक्सलवादियों के संघर्ष में मैं आयी उनकी निष्ठा और ईमानदारी ने, भारतीय जनता की खुशहाली के लिए उनकी सच्ची चिंता ने, उनकी देशभक्ति ने और आत्मबलिदान के लिए हमेशा तैयार रहने वाली प्रवृत्ति ने मुझे बेहूद प्रभावित किया। मैंने जेल के कर्मचारियों और कैदियों को समान रूप से उनकी प्रशंसा करते सुना—वे उनके साहस, व्यापक भ्रष्टाचार के प्रति उनके प्रतिरोध, निःस्वार्थता और बेहूद दलित, पीड़ित तबके के साथ भी पूरी तरह घुल-मिल जाने की उनकी क्षमता की प्रशंसा करते थे। सरकार के जबरदस्त दमन के बावजूद नक्सलवादी आंदोलन का बने रहना ही इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता की आवश्यकताओं के मंथन में इस राजनीति का कितना ज्यादा औचित्य है। भारत के संसदीय जनतंत्र को उन्होंने एक धोखा कहकर नामंजूर किया, और २६ जून १९७५ की घटनाओं ने तथा अब संसदीय प्रणाली द्वारा किसी कारणरूप में काम कर सकने में विपक्षी दलों की पूर्ण असमर्थता ने इसे साबित कर दिखाया है। 'आंतरिक आपात स्थिति' की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस सरकार ने सभी नक्सलवादी गुटों पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन वे काफी पहले से गुप्त संगठन के रूप में कार्य करने के आदी थे इसलिए वे पहले की तरह काम करते रहे। अंततः समय ही बता पायेगा कि भारत की समस्याओं के समाधान के लिए नक्सलवादी कोई राजनीतिक नेतृत्व दे सकेंगे या नहीं।

मैं इस बात पर फिर जोर देना चाहूँगी कि इस पुस्तक में प्रयुक्त 'नक्सलवादी' शब्द को किसी भी रूप में अपमानजनक अर्थ से न जोड़ा जाय।

भारत में अभी भी जो नक्सलवादी लोग सरकार की गिरफ्त में नहीं हैं उनके बचाव को ध्यान में रखकर फिलहाल कई बातें अनकही रहने दे रही हैं। इन्हीं कारणों से मैंने कुछ नामों को बदल दिया है और घटनाओं के स्थान आदि में तबदीली कर दी है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन, जब भारत आज की अपेक्षा एक बेहतर देश हो गया होगा नव समूची कहानी बनायी जा सकेगी। जिन लोगों ने मेरी मदद की और जिनका मैंने यहाँ उल्लेख नहीं किया वे जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वे मुझे क्षमा कर देंगे। मुझे आशा है कि मेरे पाठक भी मुझे क्षमा करेंगे।

भारतीय जेलों में पाँच साल





## नक्सलवादी

जून १९७०। बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल की मेरी कोठरी में एक मेज साकर रख दी गयी है। मेज के एक तरफ मैं बैठी हूँ और दूसरी तरफ ठीक मेरे सामने पुलिस के छः या सात अधिकारी सादी वर्दी में बैठे हैं। उनमें से कुछ मेरी ओर झुकते हैं और हठपूर्वक आरोप लगाना आरंभ करते हैं। उनके और मेरे चेहरे के बीच मुश्किल से एक फुट का फ़ासला है। शेष आराम से पीठ टिकाये बैठे हैं। वे ऊपर से काफी निश्चित और सदय दिख रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे अपने शिकार से संतुष्ट होकर घूब खा रहे हों; लेकिन उनकी आँखें मुझ पर लगातार टिकी हैं। इनमें जो सबसे छोटा है वह मुझसे सवाल किये जा रहा है। उसकी छोटी लाल आँखें उसके ऐयाश मांसल चेहरे में घँसी हुई हैं। चेहरे पर रूखेपन और कड़वाहट की झलक है, पर पूछताछ की प्रक्रिया में नियमित रूप से लगे होने के कारण उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभर रहे हैं।

“तुम चीनी हो।”

“नहीं, मैं ब्रिटिश हूँ।”

“मैं कहता हूँ तुम चीनी हो। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है?”

“कलकत्ता।”

“तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पास तुम्हारा पासपोर्ट है। देखोगी?”

उन लोगों ने कलकत्ता में मेरे श्वसुर के घर से मेरे रुपयों-पैसों तथा अन्य सामान के साथ पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया है। स्थल-भारंगसे आते समय मैं जिन देशों से गुजरी थी, पासपोर्ट पर उन देशों की मुहरें देखकर वे चक्कर में पड़ गये हैं।

“तुम चीन गयी थी?”



“नही !”

“अफ्रीका ?”

“नहीं !”

कुछ ही दिनों बाद भारत और ब्रिटेन के अखबारों में छपा कि मैं चीन, जापान तथा अनेक अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चुकी हूँ। खासतौर से नेपाल और पाकिस्तान की मुहरों ने पूछताछ करने वालों को घबरा दिया।

“तुम चीन से हथियारों की तस्करी करती रही हो ?”

“तुम्हें यहाँ क्रांति को संगठित करने के लिए भेजा गया है।”

एक तथाकथित राष्ट्रवादी ने तो और भी दूर की सोच ली !

“हमने ब्रिटिश राज से छुटकारा पाया। अब तुम हमारे ऊपर फिर से वही शासन लादना चाहती हो !”

बार-बार मैं उनसे अपने पिछले जीवन की एक-एक बात बताती हूँ : अपने पिता का नाम, अपना पता, जिसके यहाँ नौकरी करती थी उसका नाम-पता, अपनी यात्रा का विवरण, छ महीने पहले इंग्लैण्ड से खाना होने के बाद रास्ते में पड़े उन सारे होटलों का नाम जहाँ मैं ठहरी थी। इसके बाद फिर राजनीतिक पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है।

“तुम चीन के बारे में क्या सोचती हो ?”

“मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ।”

“चीन हमारा दुश्मन है। क्या तुम उत्तर वियतनाम का समर्थन करती हो ?”

“वियतनामी जनता को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का पूरा अधिकार है।”

“उत्तर कोरिया के बारे में क्या विचार है ?”

“इसके बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ।”

समाचारपत्रों को उन्होंने बताया कि मैं माओवादी हूँ—एक खतरनाक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हूँ।

“अमलेन्दु के पास कौसी बन्दूक थी ?”

“उसके पास कोई हथियार नहीं था।”

“तुम फिर झूठ बोल रही हो। उसे फाँसी पर लटकाने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं।”

“शायद हम लोगों को इससे जोर-जबदंस्ती करना पड़ेगी और तब हम सब सही-सही उगसवा लेंगे।”

“क्या मैं अपने पति से मिल सकती हूँ ? मैं एक वकील बुलाने का इंतज़ाम करना चाहती हूँ।”

“तुम्हारा पति कौन है ? तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तुम तो सारे नक्सल-वादियों की रखैल हो।”

“और तुम निहायत धिनोने हो, जो ऐसा कह सकते हो।”

“मैं उसकी बदसलूकी के लिए माफी माँगता हूँ। बेशक तुम अपने पति से मिल सकती हो। बस, एक अर्जी लिखकर दे दो।”

दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी कि मैंने जेल में अपने ‘फ़र्जी’ पति के साथ रहने की माँग की है। पाँच वर्ष बाद भारत से रवाना होने के समय तक मैंने फिर कभी अमलेन्दु को नहीं देखा।

वे हर ब्यौरे की बार-बार जाँच करते हैं।

“तुम भारत क्यों आयी ?”

“इस देश की, यहाँ के लोगों को, देखने-समझने।”

“तुम यहाँ रह क्यों गयी ?”

मैं उन कारणों को कैसे उन्हें समझाती जिनकी वजह से मैं भारत में रह गयी थी ? मानो ये लोग, जो असमर्थनीय के समर्थन में तत्पर हैं, कुछ भी समझने की क्षमता रखते हो !

दिसम्बर १९६९ के प्रारम्भ में मैंने लंदन में अनुवाद-कार्य की नौकरी छोड़ दी थी ताकि स्थल-मार्ग से भारत की छः महीने की यात्रा पर मैं रवाना हो सकूँ। मैं इस यात्रा की योजना पहले से बना रही थी और इसके लिए पैसे बचा रही थी। मेरा घर टिलबरी डॉक्स के एसेक्स नामक स्थान में था जहाँ मेरे पिता काम करते थे और जहाँ विभिन्न देशों के जहाज हमेशा आते रहते थे। शायद यही वजह थी कि अपने स्कूल के दिनों से ही मैं दूसरे देशों और वहाँ के लोगों के प्रति काफी आकर्षित थी। अपनी किशोर अवस्था के शुरू के दिनों से मैं अपना जेब-खर्च बचाने लगी थी ताकि गर्मी की छुट्टियाँ किसी दूसरे देश में बिताऊँ। वयस्क होने पर लंदन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ते समय मैं पाँचों महाद्वीपों के छात्रों के सम्पर्क में आयी और मुझे यह बोध होने लगा कि दूसरे देशों के लोग हमारे बारे में, हम ब्रिटिश लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। मैं यह समझने लगी कि स्कूल के दिनों में हमें जिस ‘यणस्वी’ साम्राज्यवादी इतिहास के बारे में बताया जाता रहा है वह कुल मिलाकर गौरव की बात नहीं है। मैं यह समझने लगी थी कि ब्रिटेन तथा अन्य औपनिवेशिक देशों द्वारा विदेशों पर प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो नीतियाँ अपनायी जाती रही हैं, उन नीतियों का वस्तुतः भारत-जैसे तमाम देशों की वर्तमान गरीबी में बहुत बड़ा योगदान है।

दो वर्षों तक मैंने उत्तरी लंदन के विल्सडेन नाम के उपनगर में एक स्कूल में पढ़ाया। इस स्कूल में विभिन्न देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इन्हीं दिनों जातिगत संबंधों के बारे में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने अपना खाली समय ‘जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान’ (कम्पेन अगैस्ट रेगल डिस्क्रिमिनेशन) में बिताया। लगभग इन्हीं दिनों जब मैं एक बार अपनी छुट्टियाँ बिताकर जर्मनी से लौट रही थी, मेरी मुलाकात, अमलेन्दु सेन से हुई। वह पश्चिम जर्मनी में प्रशिक्षणार्थी इंजीनियर था। ट्रेन में सामान्य बातचीत से शुरू हुआ परिचय धीरे-

धीरे गाड़ी दोस्ती में बदल गया। इसकी वजह बहुत साफ थी—राजनीतिक और सामाजिक मसलों पर हमारा नजरिया एक था। १९६७ के अंतिम दिनों अमलेन्दु ने अपने घर बंगाल वापस लौटने का फैसला किया। मैंने उसके इस फैसले का सम्मान किया क्योंकि वह योरोप की आरामतलब जिन्दगी को छोड़कर अपने देश की मदद में हाथ बँटाने के लिए लौट रहा था।

कलकत्ता से वह बराबर मुझे पत्र लिखता रहा और कुछ समय बाद उसने सुझाव दिया कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर भारत आऊँ और स्वयं वहाँ की हालत का जायजा लूँ। रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी; उसके परिवार के लोग मुझसे मिलकर खुश होंगे। मैंने सोचा कि इस तरह के अवसर को नहीं पीना चाहिए और मैंने बड़े उत्साह से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। छ. महीनों के अन्दर मैंने अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लिये।

मेरे माता-पिता अमलेन्दु से एक बार मिल चुके थे, फिर भी इंग्लैण्ड से इतनी दूर किसी देश की लम्बी यात्रा पर जाने के मेरे इरादे से वे उद्विग्न हो उठे। परिवार वालों के साथ हफ़ते की आखिरी छुट्टियाँ बिताने के बाद जब मैं उनसे विदा होने लगी तो हर बार की तरह हिदायतें देने की बजाय मेरे पिता ने कहा:

“तुम्हें पता है, मेरी, कि तुम्हें शायद वहाँ अनेक भयावह दृश्य देखने को मिलेंगे लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि, वे तुम्हें प्यादा प्रभावित न कर पायें; तुम अपने को निरासक्त रखने की कोशिश करना।”

शायद पिता-मुलभ सहज बोध ने उन्हे बता दिया था कि भारत में जिस गरीबी, दुख-दर्द और अमानवीय स्थितियों से मेरा साक्षात्कार होने की आशंका है उससे शायद मैं हमेशा के लिए बदल जाऊँ।


छ. सप्ताह बाद, १५ जनवरी, १९७० को टर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के स्थल-मार्ग से की गयी दिलचस्प किन्तु साधारण यात्रा के बाद मैं कालका मेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में बँठी थी, जो दिल्ली से कलकत्ता के बीच की हज़ारों मील की दूरी को अपनी तेज़ गति से नाप रही थी। मैं अमलेन्दु से फिर मिलने की घड़ी का इंतज़ार कर रही थी—उससे मिले दो वर्ष बीत गये हैं। मैं सोच रही थी कि वह मेरे साथ दार्जिलिंग और शायद श्रीलंका तक चल सकेगा या नहीं। इस रेल-यात्रा में ही मुझे संकेत मिलने लगा था कि सारा कुछ शायद वैसे ही होगा जैसा मैंने सोचा था। नौसेना के एक युवा अफसर ने सीट तलाशने में मेरी मदद की थी—वह बीच-बीच में गपशप करने मेरे डिब्बे में आ जाता था। उसने मुझे आगाह किया कि कलकत्ता मारकाट और उधल-पुधल से भरा एक भयानक शहर है—समूचा बंगाल अनियंत्रित हो गया है। जमींदारों के खेतों से किसान लोग फसलें लूट रहे हैं और शहरों में परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों ने कानून-व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। उसने मुझे सलाह दी कि कलकत्ता में मैं कम-से-कम समय तक रुकूँ।

मैंने लंदन के अखबारों में उत्तरी बंगाल के १९६७ के नक्सलवादी किसान-विद्रोह तथा इसके फलस्वरूप पैदा आंदोलन की खबरें पढ़ी थी और भारत में क्रांति की संभावनाओं को सोचकर मैं उत्तेजनापूर्ण रोमांच का अनुभव कर रही थी। मैं समझ रही थी कि भारत-जैसे विशाल और धनी आबादी वाले देश में हुआ कोई भी आमूल परिवर्तन विश्व-राजनीति के समूचे ढाँचे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता। युवा अफसर की बातों को मैं बिना कोई टिप्पणी किये

पूरी दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। मैं उसके समान जमींदारों और उन्हें हो रहे नुकसान के बारे में चिंतित नहीं थी। मैं निराश किसानों और उन असह्य स्थितियों के बारे में सोच रही थी, जिन्होंने उन्हें फसल लूटने के लिए विवश किया होगा।

गंभीर चेतावनी पाने तथा भारत की स्थिति से अपेक्षाकृत परिचित होने के बावजूद मैं कलकत्ता के लिए एक तरह से अप्रस्तुत थी। जर्जर और कोदरस्त मानवता से भरे पड़े स्टेशन से पहली बार टैंकी पर जाते समय राह में मिली हर दीवार पर मैंने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे वेशुमार नारे देखे। राजनीतिक सत्ता का जन्म बन्दूक की नलों से होता है। नक्सलवाड़ी-लाल सत्ताम। चीन का रास्ता— हमारा रास्ता। बिजली के खंभों पर बड़े बड़े नक्शे टंगे हुए थे जिनमें बंगाल के लगभग हर जिले में चल रही हथियारबंद लड़ाई के विकास को दिखाया गया था।

अमलेन्दु का मकान जिस इलाके में था, वह पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की आबादी वाला इलाका था। अमलेन्दु का परिवार भी मूलतः पूर्वी बंगाल का ही रहने वाला था। अपने पड़ोसियों की तरह उन लोगो ने भी १९४७ में भारत और पाकिस्तान के बँटवारे के समय पूर्वी बंगाल छोड़ा था। मैंने शुरू के कुछ दिन बंगाली परिवार की दिनचर्या से परिचित होने में बिताये, मैं असह्य मित्रों और रिश्तेदारों से मिलती रही और तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेती रही। लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं बीता था कि मुझे दुकानों के सामने स्पेशल ब्रांच पुलिस के लोग बहुधा घूमते हुए दिखायी पड़ने लगे। अमलेन्दु के मकान के सामने एक छोटा तालाब था, जिसके चारों तरफ खजूर के पेड़ थे। स्पेशल ब्रांच पुलिस के लोग इन पेड़ों के आसपास भी घूमते हुए दिखायी देते थे। अमलेन्दु के बड़े भाई ने मेरी किताबों की जाँच करके इस बात की तसल्ली कर ली कि कोई भी किताब पीकिंग की छपी हुई नहीं है। चीन के प्रकाशनों को जब्त कर लिया



गया था और बगल-बगल के मकानों में, जिनके यहाँ भी चीन से छपी पुस्तकें मिली थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि उसने अपनी पुश्तैनी तलवार को मकान के पीछे वाले पोखर में फेंक दिया ताकि अगर कभी पुलिस छापा मारे तो उसे खतरनाक हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार न कर ले।

जनवरी का महीना चल रहा था लेकिन मौसम में गर्मी आ गयी थी और मैंने महसूस किया कि गर्मी तेज होने से पहले ही मुझे दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। मैंने पुरी जाने का फैसला किया जो उड़ीसा में सागर तट पर बसा एक शहर है। कलकत्ता के दशनीय स्थलों को कुछ दिनों तक देखने के बाद मैं एक या दो महीने में लौटने का वायदा करके पुरी के लिए रवाना हो गयी। जैसी कि मैंने आशा की थी अमलेन्दु मेरे साथ नहीं चल सका, इसलिए २५ जनवरी को पुरी एक्सप्रेस से मैं अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी।

अगले दो महीनों के दौरान मैं पुरी से मद्रास, श्रीलंका, बम्बई और काठमाण्डू के चक्कर लगाती रही, आम दिलचस्पी की जगहों को देखती रही, मंदिरों की प्रशंसा करती रही, प्राचीन चट्टानों पर की गयी नक्काशी से आश्चर्यचकित होती रही और समुद्र के किनारे रेत में लेटकर धूप खाती रही। प्रायः मैं दूसरे पर्यटकों के साथ जब बस या कार में भ्रमण के लिए जाती तो हर बार उनसे अपने को असंपृक्त महसूस करती थी। मैं जानती थी कि मैं भारत को उस तरह नहीं देख पा रही हूँ जिस तरह वे लोग देख रहे हैं। कुछ ऐसे दृश्य थे जो किसी भी ऐतिहासिक स्मारक, प्राकृतिक दृश्यावली या प्रायोगिकीय उपलब्धि की तुलना में कहीं बहुत गहराई तक मुझे प्रभावित कर जाते थे। बनारस में जिस समय मेरे साथ के पर्यटक महाराजा बनारस के महल और स्वर्णमंदिर देखकर हैरान हो रहे थे, मैं उस नोटिस के बारे में सोच रही थी जिसे मैंने मुंबई गंगा नदी के किनारे लिखा देखा था:

आगरा में मैंने ताजमहल की फोटो वैसे ही ली जैसे कोई पर्यटक अपना वर्तमान निभा रहा हो लेकिन बाद में शहर के बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा याद आती रही वह थी, रिक्शा चलाने वाले की दयनीय स्थिति जो गरीबी से मजबूर होकर घंटों मेरे पीछे इम आशा में चक्कर लगाता रहा कि शायद मैं उसे किराये पर ले लूँ जिससे वह अपने परिवार के लिए नमक और रोटी का इंतजाम कर सके। पुरी में मैं भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर के बाहर खड़ी थी और मंदिर की भव्यता की बजाय सड़क पर दूर तक कतार में बैठे कोढ़ियों को देखकर हैरान थी। दूसरे शहरों के भी आकर्षण मेरे लिए इस दृश्य के सामने निरर्थक हो गये जब मैंने एक गर्भवती महिला को सड़क पर उपेक्षित पड़ा देखा। एक जगह मैंने देखा कि नाबदान में बह रहे पानी से एक औरत अपने बर्तन धो रही थी। कलकत्ता में मनुष्य की जिन्दगी जितनी नारकीय है उतनी शायद ही दुनिया के किसी देश में हो। यहाँ आपको रिक्शा खींचते हुए अधनगे कंकाल देखने को मिलेंगे जो कीचड़ और मिट्टी में सने नंगे पैर दौड़ते चले जाते हैं।

यह समझना मुश्किल नहीं था कि भारत अब क्यों अधिक दिनों तक यह स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं महसूस करने लगी थी कि कलकत्ता में उन कुछ दिनों में मैंने जो कुछ सुना वह शीघ्र ही फूट पड़नेवाले जगतामुखी की प्रारम्भिक गडगड़हट हो सकता था। जैसे-जैसे महीने गुजरते गये मेरी हैसियत पर्यटक की नहीं रह गयी क्योंकि मेरी दिलचस्पी भिगमंगों, कोढ़ियों, गरीबों और समाज के

दलित पीड़ित लोगों में बढ़ती चली गयी। अंततः भारत का प्राचीन इतिहास और भारत की प्राचीन संस्कृति का मेरे लिए वह अर्थ नहीं रह गया, जो अन्य पर्यटकों के लिए था।

कलकत्ता वापस पहुँचने पर मैंने इस शहर को पहले की तुलना में और भी ज्यादा उथल-पुथल से भरा पाया। संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस्तीफा दे दिया था और समूचे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। मैं बैंक में अपनी मुद्रा बदलने गयी और वहाँ मैंने देखा कि बैंक के क्लर्क लोग गाँव में सशस्त्र संघर्ष की सही रण-नीति के बारे में बहस कर रहे हैं। शहर के कॉफी हाउसों में छात्रों और बुद्धिजीवियों का जमघट लगा रहता था और वे बड़े जोश में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के गाँवों में नक्सलवादियों द्वारा स्थापित तीन सौ मुक्त अंचलों के बारे में बातचीत करते थे। इस बात की चर्चा चल रही थी कि जल्दी ही पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में एक और मुक्त इलाका कायम हो जायेगा। स्वयं कलकत्ता में उस समय भी बड़े पैमाने पर संदिग्ध नक्सलवादियों की गिरफ्तारी हो रही थी।

नक्सलवादी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उनमें इस मुद्दे पर सामान्य सहमति थी कि भारत में संघर्ष का बुनियादी उद्देश्य गाँवों में तक्ररीबन सामंती स्थितियों में रह रही ७० प्रतिशत से भी अधिक जनता के लिए सामाजिक और भूमि-सम्बन्धी सुधार करने का ही होना चाहिए। फलस्वरूप भारी संख्या में शिक्षित नौजवान गाँव में चले गये ताकि वे कृषि-क्रांति की राजनीति का प्रचार कर सकें और किसानों के संघर्ष में हिस्सा ले सकें। अमलेन्दु के भाई के साथ मैं एक विश्वविद्यालय देखने गयी। मुझे विश्व-विद्यालय की दीवारों नारों से भरी दिखायी दी और विश्वविद्यालय एक भूतहे इमारत-जैसा सुनसान खड़ा था। पूरा जीवन शहरों में बिताने वाले नौजवान अपने घरों, सुख-सुविधाओं और पढ़ाई-लिखाई छोड़कर किसानों के साथ संघर्षपूर्ण जीवन में हिस्सा बँटाने चले गये थे और भारत को एक बेहतर भारत बनाने की जबर्दस्त इच्छा के आगे अपनी सारी आरामतलबी को उन्होंने कुर्बान कर दिया था। मैंने देखा कि लोगों के बीच नक्सलवादियों के प्रति बेहद हमदर्दी है और इस हमदर्दी का कारण उनके अंदर परिवर्तन की जबर्दस्त इच्छा का होना तथा मौजूदा सभी संसदीय पार्टियों के प्रति उनका मोह-भंग होना है।

जैसे-जैसे ब्रिटेन लौटने का मेरा समय नज़दीक आता गया मैं अमलेन्दु तथा अन्य लोगों से इस विषय पर विचार-विमर्श करने लगी कि मेरे जैसे लोग जो भारत के बारे में चिंता महसूस करते हैं यहाँ की जनता को किस तरह किसी प्रकार की मदद पहुँचा सकते हैं। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, "यदि तुम सबमुच किसी तरह की मदद करना चाहती हो तो यहाँ रुक क्यों नहीं जाती?" यह प्रस्ताव काफी गंभीरता से रखा गया था लेकिन पहले-पहल अभ्यावहारिक लगा। इंग्लैंड में मेरी नौकरी थी, मेरा मकान था और मेरी प्रतीक्षा कर रहा मेरा परिवार था। लेकिन इसके साथ ही लोगों के उत्पीड़न की चरम-सीमा को देखकर मैं जितना प्रभावित हुई थी उसके बावजूद यदि मैं लंदन की ऐशो-आराम की जिन्दगी में वापस लौट जाती हूँ तो यह एक तरह का विश्वासघात होगा। यह एक ऐसी बात होगी गोया मैंने हिन्दुस्तान में कुछ देखा ही नहीं। कई दिनों तक सोचने के बाद मैंने फिलहाल रुकने का फैसला किया। मैंने सोचा कि कम-से-कम तब तक तो मैं रुक ही जाऊँ जब तक भारतीय स्थिति के बारे में मैं थोड़ा और अध्ययन तथा अनुसंधान न कर लूँ।

योरूप में कुछ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद अमलेन्दु को एक अच्छी नौकरी मिल रही थी, जिसमें वह काफी अच्छी तनदवाह पाता और अपेक्षाकृत ठाठ-वाट को जिन्दगी बसर करता। लेकिन उसने बहुत साधारण ढंग से जीवन बिताने का फैसला किया और समाज के सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोगों के साथ गम्य गुजारने लगा। विदेश में उसने जो विलासिता और फिजलखर्ची देखी थी, उससे अपने देश के लोगों की दुर्दशा के प्रति उसकी चिन्ता बढ गयी थी। वह हमेशा बहा करता था कि जब तक भारत की समूची जनता को पर्याप्त पाना, कपड़ा, रहने के लिए मकान, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती तब तक भारत सही अर्थों में आजाद नहीं होगा।

कलकत्ता में कुछ सप्ताह एक साथ रहने के बाद उसने अपनी इस सामान्य-सो जिन्दगी से साझीदार होने के लिए मुझे कहा। हम लोगों के बीच पहले से ही जो स्नेह का बंधन था, वह भारतीय जनता के प्रति हमारी परस्पर चिन्ता से और भी मजबूत होता गया। हम एक-दूसरे की अच्छी तरह जानते थे; हमारे मिदान और आदर्श एक थे और अमलेन्दु का परिवार मुझे पसंद करता ही था। पहले ही दिन से मैं उसके परिवार में अच्छी तरह घुल-मिल गयी थी और अपने घर-जैसा महसूस कर रही थी। इसके बावजूद इतना बड़ा फैसला लेना बहुत कठिन था। कई दिनों तक मानसिक संघर्ष चलता रहा लेकिन अंत में मैंने महसूस किया कि ब्रिटेन वापस जाने और फिर अमलेन्दु को कभी देख न पाने का खयाल भी कम कष्टप्रद नहीं है। भारत की स्थितियों के संदर्भ में मैंने जब भी उसे देखा यही पाया कि वह आराम और ऐश्वर्य के लोभ के सामने न झुकने के लिए कृतसंकल्प है और उसके इम गुण की मैं हमेशा तारीफ करती रही। अंततः मैंने अपना जवाब बतवा ही दिया और १० अप्रैल १९७० को एक अत्यंत साधारण हिन्दू पद्धति से हम विवाह के मंत्र में बंध गये। हमारे लिए इसका कोई धार्मिक महत्त्व नहीं था, यह अपने इरादों को मूर्त रूप देने का सबसे कम जटिल तरीका था।

इससे कुछ दिन पहले मैं अपने जीवन का सबसे कठोर पत्र लिखने बैठी—मैं अपने माता-पिता को, जो मेरी वापसी की उम्मीद लगाये बैठे थे, सारी स्थिति समझाना चाहती थी। उनका दुखी और निराश होना स्वाभाविक ही था, पर मैंने लिखा कि वे लोग यही चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ और मुझे जो उचित लगे, मैं वही करूँ।

मैंने सोचा कि यदि मुझे भारत में ही बचना है तो मुझे सबसे पहले गाँवों के बारे में और अधिक जानना चाहिए क्योंकि वर्तमान उपलब्धता के केन्द्र गाँव ही हैं। पत्र-पत्रिकाओं में मैंने देहातो में जारी सामंतवादी प्रभुत्व के बारे में, गरीब किसानों पर जमींदारों और मूढ़खोरों के कभी खत्म न होने वाले कर्ज के बारे में, बँधुआ मजदूरों के बारे में और बड़ी-बड़ी जोटों के मालिक जमींदारों के बारे में जो कभी गाँव में नहीं रहे और जिनके सेत हमेशा बटाईदारों द्वारा जोते गये—पढ़ा था। मैंने महसूस किया कि ग्रामीण भारत के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। मैंने ऐतिहासिक स्मारकों और महलों को देखा था, विदेशी आगंतुकों के अभित शहरों और मागर-तटों को देखा था अत्यधिक आवादी के कारण बनी गंद बस्तियों और शहरी पत्नी आवादी वाले इलाकों को देखा था। लेकिन जब तक मैं भारत के ग्रामीण इलाकों से परिचित नहीं होती—जहाँ देश की अधिकांश आबाद रहती है, तब तक मैं भारत को पूरी तरह देखने का दावा नहीं कर सकती। मैं अमलेन्दु से आग्रह किया कि वह मुझे ऐसे इलाके में ले चले जहाँ मैं खुद गाँव के

हालत को देख सकूँ। मई के अंतिम दिनों में हम कलकत्ता से ट्रेन द्वारा रवाना हो चुके थे।

मैं बंगाल और बिहार की सीमा के पास तथा जमशेदपुर से थोड़ी दूर सिंहभूम जिले में अभी कुछ ही दिन रह पायी थी कि मुझे गिरपतार कर लिया गया। हम लोग मिट्टी और फूस की छाजन से बनी एक छोटी झोंपड़ी में ठहरे थे। यह झोंपड़ी एक गरीब किसान की थी जिससे हमारी मुलाकात सबसे नजदीक वाले बस-स्टाप के रास्ते में हुई थी। यह सबसे नजदीक वाला बस-स्टाप भी कई मील दूर था। भारत के अधिकांश गाँव काफी दूर-दूर और अलग-अलग हैं। वहाँ न तो कोई होटल है और न गेस्ट-हाउस, लेकिन इन गाँवों के लोग किमी भी अपरिचित का स्वागत करते हैं और उनके पास जो कुछ भी खाने को है उमी को खुशी-खुशी बाँटकर खा लेते हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार अतिथि देवता के समान है। इस गाँव में मुख्यतया आदिवासी रहते थे जो खेती के जरिए अपना भरण-पोषण करते हैं। गाँव में सूखा पड़ा था और जोती गयी तथा परती पड़ी जमीन में फकं कर पाना मुश्किल था। सारी जमीन सूखी और लगभग बंजर पड़ी थी। हरियाली के नाम पर केवल पुदीना, घासपात तथा जंगली झाड़ियाँ दिखायी देती थीं। गाँव के चारों तरफ पेड़ों से ढँकी छोटी पहाड़ियाँ थी। राज्य की सीमा के एकदम उस पार कुछ ही मील की दूरी पर मेदिनीपुर था जहाँ नक्सलवादियों ने इसी तरह की आवादी के बीच अपनी मोर्चेबंदी कर ली थी। वे सिंहभूम के कुछ हिस्से में भी प्रवेश कर गये थे पर उस गाँव में किसी ने उनके बारे में सुना नहीं था। फिर भी ऊपरी तौर पर गाँव के एकमात्र उस आदमी से, जिसके पास कुछ जमीन थी, कहा गया था कि वह गाँव में आने वाले हर नये व्यक्ति के बारे में पुलिस को खबर करे। मेरी मौजूदगी की जानकारी उन्हें हो गयी थी हालाँकि मुझे इसका पता नहीं था।

उस दिन सबेरे अमलेन्दु अपने छोटे भाई के साथ तहके ही सबसे नजदीक के कस्बे के लिए रवाना हो गया था। यह कस्बा छ. मील की दूरी पर था जहाँ से उन्हें जमशेदपुर के लिए बस पकड़नी थी। चूँकि शाम तक उनका लौट आने का इरादा था इसलिए मैंने गाँव में ही रुके रहने का फैसला किया।

मैं मकान के सामने फूस की छाजन वाले सायबान में बैठी एक बर्तन में हाथ डालकर चावल निकाल रही थी जिसे पकाने के बाद रात भर पानी में डुबो दिया गया था। इसके खट्टे स्वाद के साथ छोटे-छोटे कच्चे प्याज का तीखापन भी शामिल था। मेरे चारों ओर औरतें और बच्चे बैठे थे। वे मुझे हैरानी से देख रहे थे। जब भी मैं खाना खाने बँठती थी वे ऐसा ही करते। छुरी-काटि से खाने का अभ्यस्त होने के नाते हाथ से खाने में जो अनाड़ीपन दिखायी देता था, उसे वे हैरान-से देखते रहते थे। मुँह में चावल को लेकर चबाने में जो मेहनत करनी पड़ी उतने से ही मेरा पेट भर गया और मैंने बर्तन को परे खिसका दिया जबकि उममें अभी भी तीन-चौथाई चावल बचा था। चावल खाने से मुझे नींद आने लगी और मैं सायबान में पड़े तहत्त पर जाकर लेट गयी। अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पकड़कर हिला रहा है और मुझे फौरन मकान छोड़ देने का इशारा कर रहा है। नींद से अलसायी मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ी जिधर वह महिला इशारा कर रही थी। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, हथियारों से लैस पुलिस के पाँच जवानों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया, रस्सियों से उन्होंने मेरी गर्दन, कलाई और कमर बाँध दी और धकेलते हुए ले जाने लगे। गर्दन पर रस्सी के कस जाने



से साँस लेने में दिक्कत के कारण मैं तेजी से उनके पीछे-पीछे बढ़ती जाती ताक रस्ती ढोली रहे। गाँव से बाहर एक खुली जगह में ले जाकर उन्होंने मुझे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। मैंने अपनी जाँघों और नितम्ब पर लाल चींटियों के काटने से जलन महसूस की। सिर के ऊपर तपता हुआ सूरज था। गर्मी से मुझे चक्कर आ गया। वे अपने अफसर का इंतजार कर रहे थे जिसे जंगल में स्थित कैंप से आना था। उन्होंने मुझे खड़ा किया और मेरी तलाशी ली तथा रुपये-पैसे, कलाई-घड़ी, कुमाल, हेयरब्रिडल आदि सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली। जब उनके हाथ मेरे सीने को टटोलने लगे तब गुस्से में मैंने उन्हें झटक दिया और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सिर पर छोटे बालों और पाँवों में स्लैक्स के बावजूद मैं एक लड़की हूँ। मैं फिर बैठ गयी। उनमें से एक को मेरे ऊपर दया आयी और उसने अपनी बोतल में से मुझे एक घूंट पानी पिलाया तथा मेरे सिर पर कपड़े की एक पट्टी बाँध दी। थोड़ी देर बाद उनका अफसर आ गया जो निहायत ही उद्विग्न था। वह अंग्रेजी जानता था। जंगल के बीच चट्टानों और पत्थरों से भरे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर हम तकरीबन घंटे भर तक चलते रहे। मैंने पैर में केवल रबर की सैंडलें पहन रखी थी। जल्दी ही मेरे पैर कट गये और खून बहने लगा। धूप की वजह से मुझे चक्कर आ रहा था और चूँकि मेरे हाथ पीछे की तरफ बँधे थे इसलिए ऊँची-नीची जमीन पर चलते समय हाथ से अपने को संतुलित नहीं कर सकती थी। जब हम गाँव से काफ़ी दूर निकल आये तो उस अफसर ने मुझे रुकने को कहा। वह मेरी तलाशी लेना चाहता था। मैंने उसे बताया कि उसके आदमियों ने पहले ही तलाशी ले ली है लेकिन वह बड़ा रहा। उसने जोर देकर कहा कि इस बार वह मेरे सारे कपड़े उतारकर ठीक से तलाशी लेगा। मैंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि मैं एक चिदेशी नागरिक हूँ और यदि उसने मुझे छुने की कोशिश की तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे इस कथन के पीछे विश्वास की बजाय निराशा का हाथ उयादा था, पर तरकीब काम कर गयी और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया।

कैंप में पुलिस के बड़े अफसर कोकाकोला पीते हुए और बिस्कुट खाते हुए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरे सापिणों के बारे में पूछा। मेरे यह कहने पर कि मैं कुछ भी नहीं जानती, उन्होंने मुझे जीप में बैठाकर कई मील दूर जाइंगोडा नामक गाँव में स्थित पुलिस-स्टेशन भेज दिया। जीप में मेरे लिए तैनात हथियारों से लैस कास्टेबलों में से एक ने रास्ते में मुझे बताया कि दो दिनों से उसे कुछ भी खाने की नहीं मिला। वे इस इलाके में नक्सलवादियों की घट-पकड़ के लिए तैनात किये गये हैं पर उनके अफसरों ने इन लोगों के खाने-पीने का कोई इंतजाम नहीं किया है।

पुलिस-स्टेशन के पीछे के कमरे में मुझे ले जाया गया जहाँ अर्ध-सैनिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस के सहायक सिपाही बदनीयती से मुझे घूरते हुए मेरे आसपास मटरगन्ती करने लगे। मैं सक्की के एक तहत पर बैठ गयी। कई बर्दीघारी और साड़ी पोशाक वाले अफसर आये और धले गये— वे सब एक ही सवाल पूछ रहे थे और अपनी टायरी में मेरा जवाब नोट कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्नान करना चाहती हूँ। बाद में मैंने गौर किया कि स्नान करते समय वे दरवाजे की एक दरार से अन्दर झाँक रहे थे। मुझे बाहर ले जाकर उन्होंने मेरी तस्वीर खींची। लगातार हो रही पूछताछ से मैं थक गयी थी पर डर के मारे सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे के खुले दरवाजे से बाहर का दृश्य दिखायी पड़ रहा था— मैंने क्रां

पर एक लड़के को बँठे देखा जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी और कमर में रस्ती बँधी थी। उसनी एक आँख सूज कर लाल हो रही थी, जिससे खून टपक कर उसके गाल पर वह रहा था। वह केवल एक जाँघिया पहने हुए था और बुखार से काँप रहा था।

पुलिस के अधिकारी जब्त किये गये समानों की सूची तैयार करने में लगे थे।  
 “अमलेन्दु सेन—चार सौ रुपये।”

मुझे एक झटका लगा और फ़ौरन मैं समझ गयी कि उन्होंने अमलेन्दु को गिरफ़्तार कर लिया है। ज्यों ही एक अफसर मेरे पास आया मैंने उससे कहा कि वह मुझे इन घूरते पुलिस वालों से दूर अमलेन्दु के साथ रख दे। उसने मेरे अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उस शाम उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में रहने का आदेश दिया जहाँ अमलेन्दु उसका भाई तथा लगभग १५ लोग एक-दूसरे से रस्ती में बँधे फ़र्श पर बैठे थे। हमें खाना दिया गया और पुरुषों का एक हाथ खोल दिया गया ताकि वे खा सकें। इसके बाद वे कई लोगों के साथ अमलेन्दु को अलग-अलग कोठरियों में ले गये। शेष लोगों को रात भर के लिए उसी कमरे में रहने दिया गया। मैं सोने का उपक्रम करने लगी। सूजी आँखों वाला लड़का फिर बुखार से काँपने लगा। उसने सम्बद्ध अधिकारी से अपने कपड़े माँगे पर वह अफसर तिरस्कारपूर्ण मुद्रा में हँस कर रह गया। मैंने उस लड़के के कंधे पर वह कपड़ा रख दिया जो पुलिस के सिपाही ने मुझे दिया था। उन्होंने उसे राइफल के कूँड़े से काफी मारा था।

दूसरे दिन सवेरे वे हमें चाइबासा ले गये। उन्होंने मेरी सँडिल और पुरुषों के जाँघिया-बनयान छोड़कर सभी कपड़े ले लिये। सारे दिन हम बिना कुछ खाये-पीये पुलिस की दमघोंट गाड़ी में बँठे रहे। कुछ नौजवान लड़के गा रहे थे और हँसी-मजाक से समय काट रहे थे। मैं धीरे-धीरे अमलेन्दु से बातचीत कर रही थी। इस विश्वास के साथ कि मैं जल्दी ही रिहा कर दी जाऊँगी उसने थोड़ी चुटकी लेते हुए कहा कि मैं उससे जेल में मिलने तो आती ही रहूँगी।

चाइबासा जेल में तीन दिन बीत गये। जेलर ने पूछा कि मैं औरत हूँ या भद और मेरे बताने पर उसने महिला वॉर्डर को इसकी पुष्टि के लिए जाँच करने को कहा। मुझे महिला वॉर्ड में रखा गया। रात में हमें एक डामिटरी में ठूस दिया गया। पाखाने की बदनू उस गर्म डामिटरी में इस कदर भर गयी थी कि उबकाई आने लगी। महिला वॉर्डर, जो हम लोगों के साथ ही बन्द थी, पाखाने के पास डामिटरी के कोने में सो रही कँदियों पर खीब रही थी और उनकी ओर अपना डंडा हिला रही थी। सवेरे ड्यूटी खत्म हो गयी और उसकी जगह पर दूसरी वॉर्डर आ कर उस बिस्तर पर सो गयी। कुछ औरतों ने उसे सहलाया-दुलराया और उसकी बेल्ट खोलकर उसकी चाबियाँ छिपा दी। मैं अभी भी स्तब्ध थी और इतनी थक गयी थी कि इन शरारतों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। कुछ औरतें साबुन और तेल लेकर आयी, उन्होंने मुझे नहलाया और पैर में मालिश की। मेरे पाँव अभी भी जंगल में जबरन चलने की वजह से दर्द कर रहे थे।

तीसरी रात कल्पना नाम की एक बंगाली लड़की आयी। वह मध्यवर्गीय परिवार की थी और अँग्रेजी बोलती थी। मेरी गिरफ़्तारी के दूसरे दिन वह पकड़ी गयी थी—उसे भी पुलिस ने नक्सलवादियों के तलाश-अभियान में पकड़ा था और मेरे तथा अन्य लोगों की तरह उसे भी नक्सलवादी कहा गया था। वह बेहद थकी हुई थी और दो दिनों तक पुलिस-स्टेशन में उसने जो मार और यातना

देखी थी केवल उसके बारे में ही कुछ बता पाती थी। उसने मुझे बताया कि घाने में पाँच आदमियों को कलाई से बाँध कर दीवार से सटका दिया गया था और उन पर राइफल के कुन्दे से प्रहार किया जाता था। इसके बाद भी अगर वे कुछ नहीं 'कबूलते' थे तो उनके मलद्वार में लोहे की छड़ तब तक अन्दर धकेली जाती थी जब तक वे बुरी तरह चीगने न लगे। पूछताछ वाले समय के अलावा दोष समय उसे लगभग १८ आदमियों सहित एक छोटी कोठरी में बन्द रखा जाता था।

चाइवासा जेल के दफ्तर में पुलिस की पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। पुलिस के पुफिया अफसर इग वात पर नाराज थे कि दूसरी महिला कैदियों ने मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दिये थे। उन्हें चिढ़ ही रही थी कि मैं उन औरतों के साथ सम्बन्ध बना रही हूँ जबकि उन्होंने सोचा था कि उनके साथ मेरी बातचीत ही सम्भव नहीं हो पायेगी। चूँकि वे छूद जनता से कटे हुए थे, इसलिए वे यह समझ ही नहीं सकते थे कि समान भाषा और संस्कृति न होने के बावजूद एक-दूसरे के साथ हमदर्दी कायम की जा सकती है। जेलर ने इस भय से कि उसके प्रशासन पर कोई कलंक न लगे मेरी कलाई में पड़ी काँच की उन बूड़ियों को फोड़ दिया जो कुछ महिला कैदियों ने मुझे पहनायी थीं। उसने मुझे इन 'चोरों' तथा हत्यारिनों से मेलजोल न बढ़ाने की चेतावनी दी।

सोमवार, १ जून १९७० को चाइवासा जेल से हमारा तवादला कर दिया गया। दर्जनों सशस्त्र पहरेदारों की मौजूदगी से घबड़ाये वॉर में बँठी अमलेन्दु की बात करती रही। उसने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ से १४२ मील दूर हजारी-वाग ले जाये जा रहे हैं। मैंने पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था। हम लोगों के साथ बँठा एक व्यक्ति, जो पिछले दो महीनों से निवारक नजरबन्दी कानून के तहत जेल में था, हमें जेल-जीवन के बारे में बता रहा था और जेल में मिलने वाले खाने और कपड़े की जानकारी दे रहा था। लेकिन हममें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हम लोग अधिक दिनों तक जेल में रहेंगे। जेल में कुछ वर्ष बीत जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम कितने मोले थे जो ऐसा सोच रहे थे !


हजारीवाग जेल के दफ्तर में एक चश्माधारी क्लर्क मुझ पर इसलिए गुस्से से उबल पड़ा कि मैं कल्पना के पीछे-पीछे महिला-कक्ष की ओर जा रही थी। उसने मुझे पुरुष कैदियों के साथ जमीन पर बैठने का आदेश दिया। इस पर साथ के लोग हँस पड़े और वह हक्का-बक्का होकर मुझसे फिर वही सवाल करने लगा— नाम, जाति, पिता का नाम आदि-आदि। इसके बाद मैंने आखिरी बार अमलेन्दु से बिदा ली। मुझे उससे बात करने की इजाजत नहीं दी गयी—हाँ, जेल के अन्दरूनी हिस्से में जाने के लिए लकड़ी के विशालकाय फाटक में बने छोटे दरवाजे से अपने बॉर्डर के पीछे-पीछे कल्पना के साथ चलते समय मैंने पयरीले फर्श पर झुके अमलेन्दु के सर को सहला दिया था और उसके भाई की ओर देखकर मुस्करा पड़ी थी। काफी अँधेरा छा गया था। आगे-आगे हाथ में लालटेन लेकर बॉर्डर चल रही थी और उसके पीछे हम पयरीले रास्ते पर नंगे पाँव चलते जा रहे थे। ऊँची दीवारों के सहारे हम एक और फाटक तक पहुँचे जिसके ऊपरी हिस्से में लोहे के नुकीले छड़ लगे थे। हमने अन्दर प्रवेश किया और फाटक जोर से बन्द हो गया।



## कैद-तनहाई

अगले दिन सबेरे साढ़े पाँच बजे यानी गिरफ्तारी के पाँचवें दिन मेटिन ('मेट' का स्त्रीलिंग) ने—जो महिला वॉर्ड की इंचार्ज थी और जेल-अधिकारियों के लिए एक भरोसेमंद कैदी थी—मुझे गहरी नींद से जगाया। डार्मिटरी के बाहर कतार में झुकी खड़ी लगभग दर्जन भर औरतों के साथ शामिल होने के लिए उसने मुझे और कल्पना को भेज दिया। चीफ-हेड वॉर्डर को इन सबकी गिनती करनी थी। सिर को आँचल से ढँकी उन औरतों में से कुछ की गोद से सोये हुए बच्चे चिपटे थे। वे दीनहीन असहाय औरतें चुपचाप, जडवत, झुकी खड़ी वॉर्डर का इन्तज़ार कर रही थीं जो थोड़ी ही देर बाद हाथ में एक मुड़ा-तुड़ा कागज़ लिये अकड़ता हुआ आया और कतार में खड़ी महिलाओं को अपनी छड़ी से थपथपाता हुआ कागज़ में दर्ज संख्या से अपनी गिनती मिलाने लगा। अन्य औरतों के पीछे झुककर खड़ी होने के मेटिन के निर्देशों पर कुड़ते हुए हम खड़े रहे। वॉर्डर के चले जाने के बाद हमें अपने इस नये परिवेश और आसपास के वातावरण को जानने-समझने का समय मिला। पहली नज़र में हज़ारीबाग सेंट्रल जेल का यह महिला वॉर्ड काफी रमणीय लगा; पीले-गेरुए रंग से पुती केन्द्रीय डार्मिटरी के चारों ओर की जमीन चाली लिये हुए थी जिसके दोनों तरफ सन्निधियों की क्षारियाँ थीं। फाटक से डार्मिटरी तक के रास्ते के दोनों तरफ और दाहिने हाथ की तरफ पड़ने वाली दीवार के साथ चमेली के पौधे लगे थे जिनमें फूल खिल रहे थे। अमरुद, आम, नींबू, नीम और बगनवेलिया के कुछ पेड़-पौधे भी थे जिनके चारों ओर ऊबड़-खाबड़ ढंग से काटे हुए पत्थरों से बनी भूरे चितकबरे रंग की बारह फीट ऊँची दीवार थी।

जेल के इस नये वातावरण का अभी हम निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर फाटक खुला और नीली धारियों वाली बनयान तथा मोटे कपड़े के सफेद जाँघिये पहने दो पुरुष कैदियों ने एक वॉर्डर के साथ तेज़ कदमों से प्रवेश



२८ : भारतीय जेलों में पाँच साल

किया। उनके हाथ में गंदी दिख रही दो बाल्टियाँ थी जिनमें से वे औरतों के लिए नाश्ता बाँट रहे थे। फाँसी की बनी एक नीची दीवार के पास कतार में बैठी महिलाओं के बर्तनों में खाना फेंकते हुए वे उसी तेज रफ्तार से फाटक के बाहर निकल गये। मेटिन मँमून ने हमें बुलाया और दोनों को एक-एक मुट्ठी छिली हुई भुनी मटर तथा अल्यूमीनियम के आधा लीटर के पात्र में गन्ने के शीरे का एक काला कंकडोला और चिपचिपा लड्डू दिया। इसके साथ ही उसने हमें दाँत साफ़ करने के लिए लकड़ी (दातौन) का एक छ. इंच लम्बा टुकड़ा दिया। भूख से व्याकुल होने के कारण मैं मटर के दाँतों से चिपकी मिट्टी का खयाल किये बिना उन्हें मुँह में लेकर चबाने लगी। मैं इस पर ध्यान ही न दे सकी कि मेरे साथ के क़ैदी मुझे बेहद हैरानी से देख रहे हैं—दरअसल बात यह थी कि वे अपने तौर-तरीकों के अनुसार यह सोच ही नहीं सकते थे कि सवेरे-सवेरे बिना दाँत-मुँह धोये कोई खा भी सकता है। महीनों बाद जब मैं उनसे काफी घुल-मिल गयी तो वे पहले दिन के मेरे इस फूहड़ व्यवहार को याद दिलाना कभी नहीं भूलती थी। कल्पना तो मुझसे भी ज्यादा नाजूक थी। वह बेमन से मटर का एक-एक दाना चबाती रही। उसे चाय की तलब हो रही थी। उससे यह 'घोड़े का चारा' और अधिक नहीं ख़ाया गया और उसने अपने बर्तन को डार्मिटरी में रखे पानी के पीपे के ढक्कन पर रख दिया। अचानक मेटिन दौड़ती हुई आयी, उसने कल्पना के बर्तन को पीपे पर से उठा फेंका और पानी गंदा करने के लिए बेतहाशा चीखने लगी। मैं समझ ही नहीं पायी कि आखिर किस बात पर मेटिन को इतना गुस्सा आ गया। बाद में कल्पना ने बताया कि हिन्दुओं की धारणा है कि आधा खाकर छोड़ी गयी चीज़ अशुद्ध होती है। बाद में मुझे पता चला कि मेटिन मुमलमान थी।

हमने अपने इस नये घर का फिर से निरीक्षण शुरू किया लेकिन कुछ ही क्षणों के अन्दर चारों ओर एक भगदड़ मच गयी और सारी औरतें डार्मिटरी में पहुँचकर दीवार के सहारे एक कतार में खड़ी हो गयीं। अपनी साड़ी के कोनों से उन्होंने सिर ढँक लिया और शान्त भाव से निगाहें नीची किये खड़ी हो गयीं। फ़र्श पर रखी ढेर सारी खाकी वर्दी के नीचे जल्दी से मेटिन ने अपनी प्लास्टिक की लाल चप्पलें छिपा दी। महीनों बाद मुझे पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया था—दरअसल जेल से मिले सामानों में सडिल नहीं था और एक बॉर्डर से इसे चुपके से खरीदा गया था।

फाटक के बाहर जेल का घंटा लगातार तेजी से बजता जा रहा था। जैसे ही फाटक खुला, चीफ-हेड बॉर्डर तथा खाकी वर्दी-धारी अनेक संतरियों के साथ दो अफसरों ने प्रवेश किया। आने वाले महीनों में हम इस तरह के लोगों से खूब परिचित हो गये; सुपरिटेण्डेंट और जेलर बिना सशस्त्र संतरियों के कभी क़ैदियों के बीच नहीं आते थे। महिला बॉर्डर ने एक अनाड़ी की तरह सावधान की मुद्रा में खड़ी होकर सैल्यूट किया—सैल्यूट के लिए हाथ उठाने में उसकी भारी खाकी साड़ी ने खासी अड़चन डाली। मुझे और कल्पना को मेटिन ने कतार के एक सिरे पर खड़ा किया था। दोनों अफसर लम्बे-लम्बे डग भरते हुए इस तरह चल रहे थे गोया उन्हें कतार में खड़ी महिलाओं की मौजूदगी का एहसास ही नहीं है। वे हमारे सामने आकर खड़े हो गये और हमारी उपस्थिति के प्रति लापरवाह दिखते हुए महिला बॉर्डर को हिन्दी में कुछ निर्देश देने लगे। काले चश्मे वाले नाटे मोटे जेल-सुपरिटेण्डेंट ने अंततः हम लोगों की ओर मुड़कर पूछा कि हमें कुछ कहना तो नहीं है। कल्पना ने अपनी त्वरित बुद्धि का परिचय दिया और पढ़ने के लिए कुछ

किताबें, साबुन तथा बदलने के लिए कपड़े की माँग की। अफसरों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वे जिस तरह अचानक आये थे वैसे ही चले गये और इसके फौरन बाद ही महिला वॉर्डर ने कैदियों को डामिटरी के सिरे पर स्थित दोनों कोठरियों में रखे कंबलों और बर्तनों को हटाने का आदेश दिया। कल्पना ने अफसरों की हिन्दी में की गयी बातचीत को थोड़ा समझ लिया था और उसने बताया कि हम लोगों को अब एकान्त में अर्थात् क्रीद-तनहाई में रखा जायेगा।

दिन के १० बजते-बजते मैं १५ वर्ग फीट के एक कमरे में बंद कर दी गयी थी। कमरे में मिट्टी के एक छोटे घड़े तथा कई पुस्तों से क्रीदियों के तेल-पसीने से सने, फटे-पुराने, मोटे और मटमले रंग के तीन कम्बलों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने कम्बलों को मोड़कर पथरीले फर्श पर गद्दे की तरह बिछा लिया। मेरी कोठरी डामिटरी के एक कोने पर थी जिधर से फाटक से काफी दूर अहाते के सिरे पर स्थित आँगन दिखायी देता था। बाहरी दोनों दीवारें स्वाभाविक स्थिति में थी और कोठरी में खिड़कियों की बजाय फर्श से आठ फुट की ऊँचाई पर चार-चार फुट चौड़े तीन जंगले थे। दरवाजा लोहे की लम्बी कुडी और तालों से बंद था। दीवारों पर धब्बेदार पुताई हुई थी और काफी पहले निकाली गयी कीलों के निशान से दीवार पर चक्क-जैसे अजीब दाग दिखायी दे रहे थे। कोठरी के एक कोने में कमर तक की ऊँचाई के लकड़ी के एक जीर्ण-शीर्ण फाटक के पीछे मेरा शौचालय था—यह फर्श का ही एक हिस्सा ऊँचा करके बैठने लायक बनाया गया था। इस ऊँचे आसन के बीचोंबीच एक पतली दरार थी जिसके ठीक नीचे मिट्टी का टूटा हुआ एक बर्तन रखा था। मेरे शौचालय से सटा हुआ शौचालय डामिटरी के अन्य लोगों के लिए था जहाँ शेष औरतें सोती थी। इन दोनों तथा कल्पना के शौचालय की खुली नाली मेरी कोठरी की दोनों गहरी दीवारों से सटी



पी जिससे गर्मी से भरी उन रातों में मेरी कोठरी में इतनी बदबू फैल जाती थी कि उबकाई आने लगती थी। टूटे-फूटे काफ़ीट और जीर्ण-शीर्ण इंटो से बनी नाली के अन्दर बने सूरखों में असंख्य मच्छर-मक्खियाँ पल रही थी और ऐसा लगता था कि दोनों आपस में तय करके बारी-बारी रात और दिन की अपनी ड्यूटी पूरी करते थे जिससे न मैं रात में सो पाती थी और न दिन में आराम ही कर सकती थी।

शुरू के 'तनहाई' के कुछ दिन इस तरह गुजरे जैसे यह कोई सपना चल रहा हो जिसमें व्यवधान तब पड़ता था जब सल्ले की जाँच करने के लिए सवेरे-शाम चीफ-हैड वॉर्डर एक चक्कर लगा जाता था। खाना और पानी लेकर मेटिन हड़-बड़ाते हुए आती थी या मुझे मंजन कराने अथवा नहलाने के लिए महिला वॉर्डर चाबियों के गुच्छे से टटोलते हुए मेरी कोठरी का ताला खोलती थी। पूछताछ का सिलसिला जब फिर शुरू हुआ तो सिर पर कुर्सी-मेज लादे कैदियों के साथ सादी वर्दी वाले पुलिस अफसरों के आने से मुझे खुशी ही हुई कि चलो किसी से बात करने का मौका तो हाथ लगा। चूँकि मैं हिन्दी नहीं जानती थी इसलिए मेटिन, महिला वॉर्डर या पुरुष वॉर्डर से मैं अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में भी नहीं बता पाती थी। कोठरी के दमघोंट वातावरण में बाहरी दुनिया की साँस भी पुलिस वाले ही पहुँचा सके।

अब तक मैं पूछताछ के दाँव-पेच से निबटने में माहिर हो गयी थी। मैं अपने अतीत की एक-एक घटनाओं को स्वेच्छा और विस्तार से उन्हें बता देती थी। मैं जानती थी कि गमूचे विश्व की गुप्तचर-सेवाओं द्वारा सँजोकर रखी गयी निरर्थक सूचनाओं की मोटी फ़ाइलों में मुझसे सम्बन्धित यह जानकारी भी जुड़ जायेगी। साथ ही मुझे यह भी निश्चित था कि उन्हें मैं जो कुछ बता रही हूँ उससे अंततः उन्हें कोई व्यावहारिक मदद नहीं मिल सकेगी। वे यह जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि मैं किसी नक्सलवादी नेता को जानती हूँ या नहीं और इस आन्दोलन के बारे में मैं कुल मिलाकर क्या सोचती हूँ। अखबारों की भाषा में 'उग्रवाद की चुनौती' को कुचल देने के काम में लगे इन अफसरों ने बिहार के एक गाँव में मेरी मौजूदगी को इस बात का सबूत माना था कि मैं हथियारों की तस्करी करने वाली किसी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हूँ या किसी बदनाम संस्था की प्रतिनिधि हूँ जिसे भारत में फ़्रान्ति को उकसाने और दिशा देने के लिए भेजा गया है। यहाँ तक कि इंग्लैण्ड के मेरे मित्रों ने मेरी सहायता करने के प्रस्ताव से सम्बन्धित जो तार दिया था वह भी इनकी निगाह में 'पर्दाफाश करने वाले तथ्यों' से भरपूर एक 'रहस्यमय तार' था। रोज के छापे में पकड़े जाने वालों में से लगभग सबको वे जिस तरह बाद में 'नक्सलवादी नेता' कहकर अखबारों में प्रचारित करते थे उसी तरह उन्होंने मुझे भी नक्सलवादी नेता कहा। सरकार चाहती थी कि नक्सलवादी आन्दोलन का दमन हो और इस तरह की खबरें देकर वे निस्संदेह रूप से अपनी कामयाबी का प्रदर्शन करना चाहते थे।

मेरी बगल की कोठरी में कल्पना से भी इसी तरह की पूछताछ की जा रही थी। हम एक-दूसरे को देख नहीं सकते थे लेकिन रात में जब जेल की बाहरी दीवार पर चौकसी के लिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बनाये गये बुज पर तैनात संतरियों को छोड़कर अन्य सभी लोग सो जाते थे तब हम अपनी कोठरी के सीखचों के पास खड़े होकर देर रात गये जोर-जोर से आवाज़ देकर अपने दिन भर के अनुभवों और निरीक्षणों के बारे में एक-दूसरे को बताते। मैंने यह सोचा भी नहीं था कि पुलिस मुझे एक-दो हफ़्ते से ज्यादा समय तक हिरासत में रखेगी। उन्होंने



खुद भी स्वीकार किया था कि उनकी मुझे गिरफ्तार रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ तक कि उनमें जो सबसे अधिक निराशावादी था उसने भी अनुमान लगाया था कि मुझे तीन महीने के भीतर छोड़ दिया जाना चाहिए। उस समय तक मुझे यह नहीं पता था कि मेरी गिरफ्तारी से बाहर कितनी अधिक हलचल मच गयी थी या अखबारों की तमाम सुखियों में मुझे 'छापामार लड़को' के रूप में वर्णित किया गया था और जंगल में नक्सलवादियों के किसी ठिकाने से मुझे गिरफ्तार किये जाने के किस्से को खूब बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया था। मुझे यह भी नहीं पता था कि अखबारों में मुझ पर तरह-तरह के आरोप लगाये गये थे कि मैं यूरेनियम के किसी कारखाने को बाह्य से उड़ाने की कोशिश में लगी थी, कि जंगल में पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़ में लगी थी और मैंने एक पुलिस-स्टेशन पर बमबारी की थी।

अंततः पूछताछ करने वाले चले गये ताकि वे दिल्ली, कलकत्ता, पटना और पंजाब जाकर अपनी त्रुटिमत्तापूर्ण खोजों के सहारे अन्य तथ्यों का पता लगा सकें। मैं फिर १५ वर्गफीट के अपने संसार में अकेली रह गयी—एक ऐसे संसार में जो मेरी कोठरी में लगे सीखियों के बाहर के जेल के हिस्से से भी पूरी तरह कटा हुआ था। एकान्त के इन्हीं दिनों में पिछले १४ दिनों की घटनाओं का मेरे दिमाग पर पूरा-पूरा असर पड़ा। इससे पहले तक मैं अपने साथ घटित हो रही वारदातों के बारे में लगभग बेखबर-सी थी—ऐसा लगता था जैसे किसी भी धक्के को बर्दाश्त करने के लिए मेरे दिमाग ने कोई सुरक्षा-व्यवस्था तैयार कर ली है। अब मेरे साथ अकेलापन था और सोचने के लिए भरपूर समय। लेकिन आश्चर्य है कि मैं बिलकुल ही भयभीत नहीं थी। दरअसल मैं समझती थी कि मुझे किसी भी क्षण रिहा कर दिया जायेगा और इस विचार ने ही मुझे अपने बारे में हर तरह की चिंताओं से मुक्त रखा था। मेरी मुख्य चिंता अपने माता-पिता के बारे में थी। मैंने अनुमान लगाया कि उन्हें मेरी गिरफ्तारी के बारे में जल्द बताना दिया गया होगा और मैं कल्पना कर सकती थी कि वे कितने दुःखी हुए होंगे। उनकी चिंताओं के बारे में सोचकर मैं बहुत उद्विग्न हो उठती थी। इसके अलावा मैं इस बात से भी आशंकित थी कि अमलेन्दु पर क्या गुजर रही होगी। मुझसे पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया था कि अमलेन्दु मुझसे कहीं बुरी हालत में हैं। फिर भी मेरे सामने कोई चारा नहीं था—सिवाय इसके कि मैं अपने माता-पिता को एक पत्र लिखूँ और जैसा कि पूछताछ करने वालों ने वायदा किया था, अमलेन्दु से मिलने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालूँ। काफ़ी पहले ही बिना किसी सचेतन प्रयास के मैंने स्थिति पर पूरी तरह काबू पा लिया था और खुद को जेल के दैनिक क्रिया-कलापों तथा अपने जीवन को संचालित करने वाले पात्रों का अभ्यस्त बना लिया था।

सबेरे की ह्यूटी पर आने वाले वॉर्डरों को जमाने के लिए साढ़े चार बजे भोर में चौकसी के लिए बनाये गये मुख्य बुर्ज से बेसुरी आवाज में बिगुल बजता था। इसके कुछ ही देर बाद तीन बार घंटे बजते थे जिसकी आवाज पर कैदियों की लम्बी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। दिन उगते ही चीफ-हैड वॉर्डर के जूतों की चरमराहट इस बात की चेतावनी होती थी कि मेरे सोने का समय समाप्त हो गया। अपने धुलधुले शरीर को उछालता हुआ तीन सीढियाँ चढ़कर वह मेरी कोठरी तक आता और दरवाजे पर लगे ताले को खट-खटकाकर तथा सलाखों को ठोककर इस बात का इत्मीनान करता कि मैं अपने पिजड़े में पूरी तरह कैद हूँ और

कोई खतरा नहीं है। इतना करने के बाद वह मेरी ओर देखते हुए बस यही वाक्य दुहराता : "एक आदमी। ठीक है न?" हफ्तों तक रोज़ सवेरे-शाम मुझे उसका यह वाक्य सुनायी पड़ता रहा। कभी-कभी मैं अपनी टूटी-फूटी हिन्दी में—जिसे कई रातों में गौरकानूनी ढंग से वातचीत के जरिए मैंने कल्पना से सीख लिया था—मैं उससे कहती कि वह थोड़ा व्यायाम करने के लिए मुझे बाहर निकलने दे, लिम्बने के लिए मुझे कलम-कागज़ ला दे या अमलेन्दु से मिलने का इतजाम कर दे, लेकिन मूँछों में भरे शिकारी कुत्ते-जैसे चेहरे के ऊपर बेतुकी ऊनी टोपी लगाये और कलफ किये खाकी हाफ पैटों के बाहर निकली मोटी टाँगों पर खड़ा यह दैव्याकार व्यक्ति मेरी तरफ आश्चर्य और सन्देह से बस देखता रहता और अफसोस के साथ सिर हिला देता। मैं उसकी मुश्किल को समझ रही थी—अब तक जिस तरह के कँदियों से उसको निबटना पड़ता था, उसकी वजाय एक 'मेमसाहब' की मौजूदगी से वह चक्कर में पड़ गया था और तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ कैसा मुलूक करे। कभी-कभी वह अपने शाश्वत नुस्खे का इस्तेमाल करता और कल्पना को बार-बार दिलागा देता कि हम लोग जल्दी ही रिहा कर दिये जायेंगे। औरों के बारे में चाहे वह जो सोचता रहा हो लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक था वह सचमुच ऐसा ही सोच रहा था। संभवतः अपनी सरकारी नौकरी के इन मारे वपों में उसने 'पढ़ी-लिखी' औरतों को कभी ऐसी हालत में रखे जाते नहीं देखा था। अँधेरा होने से काफ़ी पहले मेरे फाटक के तालों की जाँच करने के बाद वह मेरी कोठरी के भीतर बड़ी एकाग्रता के साथ झाँककर कोने-कोने को देखता कि कहीं मैंने कोई ऐमी चीज़ न छुपाकर रख ली हो जिसकी मनाही हो। एक दिन मुझे बाहर नल के पास रस्सी का एक घिसा पुराना टुकड़ा मिल गया जिसे मैंने दरवाज़े के सीन्वचों से बाँधकर उसकी अरगनी बना ली ताकि कपड़े मुखाये जा सकें। वह कई क्षण तक चुपचाप रस्सी के इस टुकड़े की ओर घूरता रहा फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए उसने रस्सी को हटाने का आदेश दिया। इस टुकड़े को जब्त कर लेने के बाद उसने कल्पना को बताया कि जेल में सुनली या रस्सी ले जाना मना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया मैं स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की हूँ जिसे अध्यापक ने झिडक दिया हो।

शाम को जब चीफ-हैड वॉर्डर चक्कर लगाने निकलता था तो उसके पीछे-पीछे मेटिन मँमून भी फुदकती हुई चलती थी। वह एक साथ ही चापलूस और अहंकारी दोनों थी—सर पर साड़ी का पल्ला डाले और होठों पर नखरेबाज़ मुस्कान लिये वह वॉर्डर के आदेशों का पालन करने के लिए स्थायी रूप से सर ऊपर की ओर उठाये रहती थी और हाथ ऐसे जोड़े रहती थी गोया प्रार्थना कर रही हो। जाहिर तौर पर वह हमें यह जतलाना चाहती थी कि वह भी समूची ब्यवस्था का ही एक अंग है। दरअसल वह अधिकारियों की अतिरिक्त आमद की प्रबंधक थी तथा उनकी सनक को अमल में लाने का काम करती थी। अन्य औरतों के विपरीत वह मोटी थी, उसका शरीर भी अपेक्षाकृत मुलायम था और वह साफ़-सुवरे कपड़े पहनती थी। जल्दी ही हम यह भी जान गये कि उसकी समृद्धि का रहस्य क्या है। दूसरे कँदियों के लिए उसके जिम्मे जो राशन दिया जाता था उसे चुराकर वह बेच देती थी—हम लोगों के हिस्से का भी राशन वह बेच दिया करती थी क्योंकि हमने गौर किया कि हमारी राशन की मात्रा दिन-ब-दिन कम होती जा रही थी। हमें सारी चीज़े उसी के जरिए मिलती थी। उसकी इस धूर्तता से शोधित होकर मैंने सोचा कि इस बात की शिकायत जेलर से की जाये लेकिन

कल्पना ने मुझे रोक दिया—उसका कहना था कि आसिर मैंमून भी एक क़ैदी ही है। उसकी बेईमानी को अपने साथी कैदियों के प्रति विश्वासघात से जोड़ना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसके अलावा मैंमून तथा अन्य महिला वॉर्डरों से दुश्मनी मोल लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उनके साथ यदि अच्छा सम्बन्ध बना रहा तभी जेल के कड़े नियमों में हम कुछ छूट पा सकेंगे और अपनी दुःस्थिति को कुछ आरामदेह बना सकेंगे। इसलिए इस छोटी-मोटी चोरी से शून्य होने के बावजूद हमने इसके बारे में खामोश ही रहने का फैसला किया—जब बड़ी-बड़ी शॉक मछलियाँ आपको निगल जाने को तैयार बँठी हों तो छोटी मछलियों से लड़ाई मोल लेने से क्या फ़ायदा ?

महिला वॉर्ड की अधिकांश जिम्मेदारी मेटिन को सौंप दी गयी थी और सारे फैसले चीफ-हेड वॉर्डर द्वारा लिये जाते थे। इन दोनों के बीच तीन महिला वॉर्डर थी जिनकी भूमिका अभिरक्षकों से कुछ ज्यादा नहीं थी। उन्हें महिला वॉर्डर ने अन्य कैदियों के साथ कंदा रखा जाता था—यह वॉर्डर अपने-आप में जेल के भीतर बना एक जेल था—और जब तक कोई वॉर्डर बाहर से ताला नहीं खोलता था, वे निकल नहीं सकती थी। उन्हे दिन-रात हमारे ऊपर निगाह रखने का निर्देश था और इसीलिए वे अपनी ड्यूटी के अधिकांश घंटे हमारी कोठरी से थोड़ी दूर बने एक झोंपड़े में बिताती थी। यह काम बेहद उबाऊ था और ऊब तथा आलस्य के कारण वे बार-बार जम्हाई लेती थी या अपनी दोस्त कैदियों से घिरी लकड़ी के तख्त पर लेटे-लेटे अपने बाल-बच्चों, दूसरी महिला वॉर्डरों, या जेल के कर्मचारियों और कैदियों के बारे में गप्प करती रहती थी। ऐसा लगता था कि सरसों के तेल से मालिश कराना उनका प्रिय शौक था। हमसे बातचीत करने की उन्हें सख्त मनाही थी, फिर भी कभी उन्हे इतना कौतूहल होता था कि कल्पना के पास आकर वे दो-चार बातें कर ही जाती थी। वे सब बहुत गरीब थी और नौकरी की उनकी स्थितियाँ गुलामी से थोड़ी ही बेहतर थी। शायद ही उन्हें किसी दिन छुट्टी मिलती थी और यदि किसी दिन यह लगता भी था कि उनकी आज छुट्टी है तो भी उन्हे जेल के अहाते में किसी-न-किसी आदेश का पालन करने के लिए हाज़िर रहना पड़ता था। खरीदारी करने के लिए भी उन्हें चीफ-हेड वॉर्डर से अनुमति लेनी पड़ती थी। हमने देखा था कि प्रायः उन पर जेल के अफ़सर ही नहीं बल्कि पुरुष वॉर्डर भी धोस जमाते थे। हमें दिन-रात सीखचों में बंद देखकर वे दुखी लगती थी और कभी-कभी उनमें से कोई साहसी वॉर्डर हमारे ताले खोल देती थी और हमें आपस में एकाध घंटे बातचीत का मौका मिल जाता था।

दिन के समय महिला वॉर्डर के फाटक की चाबी एक 'ड्यूटी वॉर्डर' के पास होती थी जो डेड सी वॉर्डरों में से कोई एक होता था। खाना लेकर आते कैदियों या ज़रूरी काम के लिए डॉक्टर तथा अन्य व्यक्तियों के अन्दर जाने के लिए फाटक का ताला वही खोलता था। जेल के दैनिक परिचालन की सारी जिम्मेदारी जेलर पर हाँती थी। जेलर के अधीन सहायक जेलरों और बलकों का एक स्टाफ था जिसके हाथों में जेल का प्रशासन था। जेलर जेल के अफ़सरों के क्रम में सबसे बड़े अफ़सर यानी जेल-सुपरिन्टेण्डेंट के प्रति जवाबदेह था और हज़ारोंबाग जेल का यह सुपरिन्टेण्डेंट काला धूप का चश्मा, लाल बड़े-बड़े चक का जैकेट और सर पर टोपी लगाये जेल की वज्जय यदि किसी फिल्म के सेट पर होता तो ज्यादा फयदा। उसे देखकर मुझे पुराने जमाने के किसी फिल्म निर्माता और किसी बड़े शिकारी के मिले-जुले व्यक्तित्व का आभास होता था। यह पश्चिमी रंग से डूबे

उच्च-वर्गीय परिवार का सदस्य था और उसने कुछ वर्ष कनाडा में बिताये थे। वही से उसने अमरीकी तर्ज पर अंग्रेजी बोलना सीखा था लेकिन अकसर बात करते-करते बीच-बीच में वह अपना अमरीकी उच्चारण भूल जाता। वह कब किसी पर बरस पड़े या किसी के साथ कैसा सलूक कर दे—इसका कोई भरोसा नहीं था और इस बात से उसके मातहत भी उतना ही क्षुब्ध रहते थे जितना हम। अपना अधिकार जतलाने के लिए वह पहले जारी किये गये अपने निर्देशों को इतनी बार उलट-पुलट देता था कि अंत में कोई ठीक-ठीक जान ही नहीं पाता था कि वह चाहता क्या है। जेल के कर्मचारी भरसक उससे कतराकर ही काम करने की कोशिश करते थे। वे डरते थे कि कहीं उसने अपना विचार बदल न दिया हो और वे उसकी दबोच में न आ जायें।

शुरू के उन दिनों की एकरसता बहुधा उसके अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के आने से टूटती थी—नये कैदियों का निरीक्षण करने के लिए कभी-कभी वह पुलिस के अफसरों के साथ और कभी-कभी शहर के बड़े लोगों के साथ आ जाया करता था। महिला वॉर्डर हमेशा भय से त्रस्त रहती थी कि कहीं 'साहब' अचानक आ न जायें और अपने निर्देशों का अनजाने में हो रहा उल्लंघन न देख लें। एक दिन एक कैदी की छोटी बच्ची मेरे पास आयी और उसने मुझे गुलाब के दो लाल फूल दिये जिसने उसे फाटक के अन्दर की झाड़ियों से तोड़े थे। उसके इस दोस्ताना भाव से और अपनी सुनसान उदास कोठरी में खुशबू और रंग की मौजूदगी से मैं खुशी से भावविभोर हो गयी। मैंने उन फूलों को अपने पानी वाले जग में खड़ा करके रख दिया।

दिन के तीसरे पहर मेरी कोठरी के सामने से जेल-सुपरिंटेंडेंट गुजरा और उसकी निगाह फूलों पर गयी। फूलों को देखते ही उसने दहाड़ते हुए वॉर्डर को आवाज दी—“अबे घड़े की बच्ची!” उसने वॉर्डर को इस तरह बुलाया जैसे पीछा करने के लिए कुत्ते को आवाज दे रहा हो और जानना चाहा कि ये गुलाब के फूल मुझे कहाँ से मिले। वॉर्डर विचारी हक्का-बक्का रह गयी। सफाई देने की मेरी कोशिश की उपेक्षा करते हुए उसने वॉर्डर पर आरोप लगाया कि वह मुझे दूसरे कैदियों से बात करने की छूट दे रही है और उसे आगे की ड्यूटी से निलंबित कर दिया। इस अन्याय से क्षुब्ध होकर मैंने और कल्पना ने तय किया कि उस वॉर्डर को फिर से काम पर लगाये जाने की माँग को लेकर हम लोग भूख-हड़ताल करें। अगले दिन से उसे फिर ड्यूटी पर आने की इजाजत मिल गयी। इस घटना के बाद सभी वॉर्डरों ने महसूस किया कि हम उन्हें किसी परेशानी में डालना नहीं चाहती और इतना ही नहीं, हम हर संकट में उनके साथ खड़ी होने के लिए तैयार हैं। उनका रवैया हमारे प्रति अब और भी उदार हो गया हालाँकि नौकरी जाने के डर से वे बहुत ज्यादा मनमानी नहीं कर पाती थी।

जब भी सुपरिंटेंडेंट आता हम बार-बार उसे अपना पुराना अनुरोध दुहराकर छेड़ते कि हम दोनों को एक ही कोठरी में रखा जाय और हर बार वह चौखते हुए जवाब देता—“बिलकुल नहीं। तुम लोग नक्सलवादी नेता हो। तुम लोग एक साथ रहना चाहती हो ताकि भाग निकलने की योजना बना सको और सरकार के खिलाफ पड्यंत्र कर सको।” हम लोग महत्त्वपूर्ण नेता हैं—यह सुनना बड़ा मनोरंजक लगता था लेकिन इसी की वजह से एक साथ बैठकर कुछ पढ़ने-लिखने का हमारा कार्यक्रम भी धरा-का-धरा रह जाता था और सारा दिन सुस्ती में बर्बाद होता था। दिन भर निरर्थक कामों में हम लगे रहते—उन चीजों को सहेजते

रहते जो हमने इकट्ठा की थी—मसलन अल्पमीनियम की एक तश्तरी और जग, कंधी और शीशा, दवाओं की कुछ बोतलें, दो गज मारकीन का बपड़ा और जैन की बनी साड़ियाँ। सबेरे के समय मैं लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर मुह में चबाती रहती—उसके एक सिरे को चबाकर ध्रुष बना लेती और आध घंटे तक रगड़कर दाँत साफ करती रहती। खाना खाने के बाद घड़े से पानी निकालकर अपनी तश्तरी साफ करती और माड़ी के कोने से उसे तब तक रगड़ती रहती जब तक वह चमकने न लगे। अपने दो इंच लंबे बालों में मैं बार-बार कंधी करती और जितनी भी कविताएँ याद आती थी उन्हें गाते हुए कोठरी में टहलती रहती। मैंने व्यायाम करने का कार्यक्रम बनाया लेकिन पेचिश का शिकार हो जाने और फ्रॉं बेहद कड़ा होने के कारण मेरे जोड़ों में दर्द होने लगा। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हमें लिखने के लिए कतम-स्याही नहीं दी गयी। अलबत्ता जबदस्त डग से सेंसर किया हुआ एक अखबार मिलने लगा जो काले रंग की मैली पीली स्याही से पूता होता था। इसे हम दोनों मिलकर पढ़ लेती थी और जब भी इसे एक के पास से दूसरे के पास भेजना होता, वॉर्डर को बुलाना पड़ता। कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि किराी को तकलीफ़ दिये बिना भी हम इसे एक-दूसरे तक पहुँचा सकती हैं क्योंकि कल्पना के शौचालय की दीवार में एक दरार थी जिसमें से होकर अखबार आर-पार निकल सकता था। एक दिन मैंने ने हमें ऐसा करते देख लिया। इसके दूसरे ही दिन कुछ कैदियों को बुलाकर उस दरार पर एक पटरा रतकर कील ठुक्वा दी गयी। इन कीलों के कारण दीवार का पलस्तर उखड़ गया और कुछ ही घंटों के अन्दर वह पटरा फिर नीचे आ गिरा।

समाचारपत्र के अलावा हमें पढ़ने के लिए जो अन्य चीजें मिलती थी उनमें जेल की लाईब्रेरी की किताबें थी। मैंने सूचीपत्र में से बॉसवेल की पुस्तक 'लाइफ ऑफ़ जॉन्सन' और शेक्सपियर की एक पुस्तक का चुनाव किया और खुशी-खुशी उन्हें पाने का इतजार करती रही। लेकिन मेरा भ्रम टूटना ही था। असंख्य दीमकों ने पुस्तकों के पीले पृष्ठों में तमाम सुराख कर दिये थे जिनसे पढ़ना मुश्किल हो गया था और उनका खून भी हर पृष्ठ में फ़ैला हुआ था। वे किताबों में से रेंगकर बाहर मेरे कमरों में घुस गये थे और मैं कुछ ही दिनों में उनकी अजीब गंध से तमा उनके पारदर्शी रंग से खूब परिचित हो गयी थी। कमरों में खटमल भी घुस आये थे। जैसे-जैसे वे मेरे खून की खुराक पाकर मोटे होते उनका रंग भी गाढ़ा होता जाता।

हमारे नहाने का समय हर रोज़ की एक खास घटना थी जब मुझे अपनी कोठरी से बीस गज की दूरी पर सीमेंट की लम्बी नली में लटकते एकमात्र नल तक जाने की इजाजत मिलती थी। नल में पानी सबेरे, दोपहर और शाम को कुछ घंटों के लिए आता था। मेरे नहाने के समय सारे कैदियों को सीखचों के अन्दर बंद कर दिया जाता था—केवल महिला वॉर्डर मेरे सामने खड़ी रहती थी। मैं नली के पास बने धूप से जल रही फ़ाँक्रीट की पटिया पर बैठ जाती और नल से लटक रही वाल्टी में अल्पमीनियम का अपना जग डुबोकर पानी निकालती और सर पर डालती। नहाने का पानी उसी नावदान के बराबर में विद्ये पाइपों में होकर आता था जिससे पुरणों के वॉर्ड का गड़ा पानी बहता था और गर्मी के मोसम में पानी काफी गरम रहता था। गंदे पानी की बदबू के बीच चितचिलाती धूप और भीषण लू में नहाने के बाद जब तक मैं जलती जमीन पर से नगे पाँव चलती हुई अपनी कोठरी में पहुँचती तब तक मैं काफ़ी मुलस गयी होती और नहाने की थोड़ी भी

ताजगी का एहसास नहीं होता। एक महिला वॉर्डर ने मुझे बताया कि फ्रांकोट की पटिया पर किस तरह कपडा धोते हैं। नहाकर पहनने के लिए मेरे पास दो टुकड़ों के अलावा कोई कपडा नहीं था—जब तक मेरा स्लैक्स और टी-शर्ट सूख नहीं जाता मैं उन कपडों को अपने कमर के गिर्द लपेटे रहती। प्रायः ऐसा होता कि इस अजीबोगरीब पोशाक में ही मुझे जेल के अफसरों का सामना करना पड़ जाता लेकिन अपनी सारी स्थिति की विचित्रता को देखते हुए मैं कभी परेशान नहीं होती। एक बार मैंने सुपरिंटेंडेंट से ब्याउज की मांग की लेकिन उमने कहा कि वह ऐसे किसी क़ेदी की जरूरत नहीं पूरी कर सकता जिसे जल्दी ही रिहा किया जाना हो।

काफी रात गये कल्पना से जोर-जोर से बातचीत करने के बाद जब मैं थक जाती तो दरवाजे के सीखचों को पकड़कर चुपचाप खड़ी जेल की बाहरी दीवार के पार छड़े पीपल के पेड़ के ऊपर से झांक रहे शांत और निर्मल चाँद को निहारती रहती। मैं देखती कि बगल के पुरुषों की डार्मिटरी की छत पर एक सफेद उल्लू चुपचाप बैठा हुआ है, नावदान के चारों तरफ मेढक उछल रहे हैं, मेरी कोठरी के बाहर हजारों सोती चिड़ियों को अपनी गोद में लिये नीम का लम्बा पेड़ खड़ा है और मैं सोचती रहती कि एक अजनबी भापा और बेबस स्थितियों में भरी इस दुनिया में कम-से-कम प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जिससे मैं भती-भानि परिचित हूँ और जिसका मैं स्पर्श कर सकती हूँ। मैं इस बात के लिए कृतज्ञ थी कि जेल का जीवन मुझे प्रकृति में पूरी तरह अलग नहीं कर सका था।

शुरू के दिनों से ही हमने जान लिया था कि जेल-अधिकारियों की जड़ता, अनिच्छा और अक्षमता में संघर्ष किये बिना हम अपनी हालत में किसी भी तरह का सुधार नहीं कर सकते। मैं या कल्पना किसी को भी पहले कभी जेल जाने का अवसर नहीं मिला था इसलिए हमें जेल के कायदे-कानूनों की महज एक अस्पष्ट जानकारी थी। सम्भवतः अपनी स्कूल-टीचर की अनुशासन-प्रियता से ही प्रेरित होकर मैंने 'जेल मैनुअल' देखने की इच्छा जाहिर की। मेरे इस अहानिकर अनुरोध का जो जवाब मिला उससे मैं बोखला उठी। मुझे बताया गया कि 'जेल मैनुअल' की केवल एक ही प्रति है। उसे किसी और को नहीं दिया जा सकता। नियम के अनुसार 'जेल मैनुअल' की एक प्रति हमेशा जेल के कार्यालय में रखी रहनी चाहिए। मुझे यह भी बताया गया कि मैं जेल के कार्यालय में जाकर भी 'जेल मैनुअल' नहीं देख सकती। यदि जेल का संचालन नियमों के अनुसार होता तो मैं इसकी कभी मांग नहीं करती। अन्ततः जेलर ने माफ-माफ़ शब्दों में जवाब दिया : 'जेल मैनुअल' है ही नहीं। यह कही उपलब्ध भी नहीं है—जेल का संचालन 'मैनुअल' में लिखी बातों की स्मृति के आधार पर किया जाता है। किसी लिखित कायदे-कानून को न देख पाने की वजह से हमारे लिए अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करना असंभव था और यह जानना भी कठिन था कि हमारी कौन-सी जरूरतें वैधानिक ढंग से पूरी की जा सकती हैं। अधिकांश जेल-कर्म-चारियों का रवैया यह था कि जेल में जितने लोग बंद हैं उन्होंने कोई-न-कोई अपराध तो किया ही होगा और सरकार का, जो उनमें साकार थी, यह अनुग्रह है कि वह सबको भोजन और रहने की जगह दे रही है। जो लोग नियम जानना चाहते हैं और 'अधिकारों' की बात करते हैं वे एक घृणित उपद्रव में लगे हैं। जो भी हो, शुरू से ही हमें उन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें अधिकारियों से संघर्ष करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था।

यदि हम अनुचित स्थितियों को वर्दाश करने की मिसाल कायम कर देते हैं तो वे निश्चिन्त रूप से इसका लाभ उठा लेंगे ।

हर रोज दोपहर के आसपास मेटिन गॉमचेदार दरवाजों के नीचे से तश्तरी में भोजन मेरी ओर गिराकर देनी थी और रात के लिए मुझमें कहती । हर रोज का खाना एक जैसा ही होता था—कंकड़ और घान की भूमी मिला मीना चावल, मसूर के दानों को लिये काला-हरा पानी चिलीदार छिन्नकों सहित आलू के पाँच-छ-टुकड़े जिसपर चावल की माडी का चिपचिपापन होता था, मिर्च और हल्दी । एक दिन तो वह सामान्य से बेहद अग्निकर लगा । तश्तरी में से पानी चू रहा था और पत्थर के फर्श पर चारों तरफ गिरा हुआ था । मैं अभी उसे छूने की सोच ही रही थी कि वगल की कोठरी से कल्पना ने मुझे आवाज दी कि मत खाओ । हमने फैसला किया कि जब तक खाना अच्छा नहीं मिलता हम लोग भूय-हडताल पर रहेगी । तीन दिन बाद जेलर आया और उसने आदेश दिया कि कल्पना नक्सलवादियों के बाईं से खाना ले सकती है जहाँ पहले से ही घटिया खाने के मामले को लेकर भूय-हडताल चल रही थी । मैं अभी भी वैचित्र्य से पीड़ित थी और मेरे बारे में आदेश दिया गया कि मुझे जेल के अस्पताल में खाना मिलेगा । दूसरे दिन मैंने अपनी दाल में से चौदह सायुत मिर्चें डॉक्टर को दिखाने के लिए निकालकर अलग रख ली और डॉक्टर ने इस बात की शिकायत की कि कमजोर पाचन-शक्ति के लिए यह उत्तम आहार नहीं है लेकिन डॉक्टर ने मेरी शिकायत में कोई रुचि नहीं ली ।

थोड़े ही दिन बाद कुछ अन्य लोगों ने—जो उसी अभियान में गिरफ्तार हुए थे जिसमें हम लोग पकड़े गये थे—कल्पना के लिए भेजे जाने वाले खाने में छिन्नकर एक संदेश भेजने की कोशिश की । मैंने उस दिन हर वार की तरह हम तरु खाना पहुँचाने से पहले अपना हिस्सा निकालते समय, चपातियों के बीच रखी चिट्ठी पकड़ ली । इसके बाद यह हुआ कि हमें अपना खाना खुद ही बनाना चाहिए । इस काम के लिए हमें एक दिन के अन्दर से कुछ घंटों के लिए अपनी कोठरी से बाहर रहना होगा । हम यह सोचकर फूली नहीं समायी कि हम में से एक की कोठरी को सीमित अवधि के लिए ही सही खोलने की अनुमति का मिलना एक महत्वपूर्ण सफलता है ।

हमारा साप्ताहिक राशन हर इतवार को हमें मिल जाता था । इसमें हमेशा ही चावल, मोटा भूरा आटा, लाल मसूर, आलू थोड़े प्याज, थोड़ा सरसों का तेल, हल्दी तथा मुट्ठी भर मिर्च होती थी । इन सामानों को रखने के लिए हमें कोई बर्तन नहीं दिया गया था पर हमने बॉर्डर से दो बोरियों का इतजाम कर लिया था ताकि कल्पना की कोठरी के कोने में सामान के उन छोटे-छोटे टीलों को ढका जा सके । हफ्ते में एक बार हमें तगड़े और जवर्दस्त गध वाले बकरे का मांस दिया जाता था जो घंटों उबालने के बाद भी चमड़े की तरह मस्त बना रहता । योहूपीय होने की वजह से मेरे ऊपर कुछ रियायतें थोप दी गयी थी । इन रियायतों के खिलाफ अर्जियाँ देने के बावजूद मुझे वारीक चावल, थोड़ी चाय और चीनी तथा औरों से थोड़ा ज्यादा तेल दिया गया था । फिर भी अंग्रेजी राज के समय योहूपीय कैदियों के साथ शाही व्यवहार करने के लिए अंग्रेजों ने अपनी मुद्रिधा को ध्यान में रखकर जो नियम बनाये थे और जिसे आजादी के बाद भी भारत सरकार ने नहीं बदला था उसकी तुलना में ये रियायतें जगण्य थी । भंडार-घर का इंचार्ज कैदी एक बहूनी-सा दिखने वाला व्यक्ति था जिसके मर के काने छल्लेदार बाल

कंधों तक झूल रहे थे। जेल में अपनी इस असरदार स्थिति से वह काफी कमाता था क्योंकि उसकी देखरेख में ऐसे तमाम सामान थे जिन्हें वह बेच सकता था और वहुधा वह मेटिन के लिए या किसी अन्य औरत के लिए जिसे वह पटा सका था कोई-न-कोई चटपटी चीज ले आता।

अब से हमारे दैनिक कार्यक्रम में 'खाना बनाना' एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया। हम हर सम्भव तरीका अपनाते थे ताकि खाना बनाने का काम अधिक-से-अधिक देर तक जारी रखा जा सके और इन प्रकार हममें से कोई एक बाहर रह सके। खाना बनाने के अमली तरीके में अत्यन्त न्यूनतम समय लगता था। हम करते यह थे कि चावल, दाल और आलू को एक ही डेगची में रखकर घंटों उबालते रहते थे, जब तक वह एकदम गलकर दनिया की तरह नहीं हो जाता था। अगर बॉर्डर हड़बड़ी करती थी तो हम उसे बता देते कि हम लोग 'अंग्रेजी' डेग का खाना बना रही हैं जिसके पकने में काफी समय लगता है। हम न जाने कितने कप हल्की और बिना दूध की चाय पी जाते। साथ ही हम खाने-पीने की हर चीज में अल्यू-मीनियम के बर्तनों की सनक के भी आदी हो गयी थी। हम घंटों बिना थके बात-चीत करती रहती। कुछ ही हफ्तों के अन्दर कल्पना के बारे में मैं और मेरे बारे में कल्पना इतनी जान चुकी थी जितना हम दोनों के परिवार के लोग भी नहीं जानते रहे होंगे। इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि मैं उससे भारतीय रीति-रिवाजों और संस्कृति के बारे में काफी बातें सीख सकी। शुरू के उन कष्ट-दायक महीनों में उसकी मौजूदगी ने मुझे काफी राहत दी; मुझे एक-एक चीज समझाते हुए, मेरे लिए लोगों की बातचीत का अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए और मेरी खीज को अपनी अथक सहनशक्ति के साथ नियंत्रित रखते हुए कल्पना ने मुझे उन महिलाओं के बीच स्वीकार्य बनाने में बेहद मदद की जिन्होंने पहले कभी किसी अंग्रेज को नहीं देखा था। मैं नहीं जानती कि यदि वह नहीं होती तो मैं क्या करती!

बरसात शुरू होने के साथ ही हमारे सामने तमाम कठिनाइयाँ पैदा हो गयीं। लगभग हर रोज़ वर्षा होती थी। दोपहर ढलते ही चारों तरफ भयानक अँधेरा छा जाता था और तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती थी। तूफान के हर झोंके के साथ हमारी कोठरी में पानी भर आता, कम्बल गीले हो जाते और हम कोने में दुबक जाती—कोठरी में थोड़ी भी जगह मूली नहीं रह जाती जहाँ हम सो सकें। सुपरिटेण्डेंट ने हमें इस बात की इजाजत दी कि हम सन्नाखों के ऊपरी हिस्से में जूट की चटाईयाँ बाँधकर आड कर लें लेकिन साथ ही उसने इस पर भी जोर दिया कि नीचे का हिस्सा हम खुला ही छोड़ें ताकि बॉर्डर हमारी गतिविधियों पर निगाह रख सके। नतीजा यह हुआ कि बारिश का पानी अबाध गति से अन्दर आता रहा। बार-बार कोशिश करने पर भी हमारी कोपले वाली अँगोठी नहीं जल पाती थी और कभी-कभी तो आँधी-पानी में हम काफी रात गये तब तक भूख से कुलबुलते रहते जब तक हममें से कोई कान्नी धारियो से युक्त धुएँ के गंध और स्वाद से भरपूर दो अर्धगिकी चपातियो का इतजाम नहीं कर

तरफ बँठ जाती और जूट की चटाई से होकर बारिश की बूँदें हमारे ऊपर टपकती



रहतीं। वॉर्डर सोचती थी कि हम लोग सनकी है लेकिन हफ्तों तक कैंद-ननहार्द काटने के बाद हम वातचीत का कोई भी अवसर हाथ मे निकलने देना नहीं चाहती थी। हम आपस मे विचार-विमर्श करतीं कि अदालत में भेजे जाने पर हम क्या करेंगी। हम अपने बचाव की योजना बनाती और कटपरे से दिये जाने वाले अपने अथक आशावाद से भरे भाषण तैयार करतीं।

कई बार यह अफवाह सुनने को मिली कि हमें अमुक तारीख को अदालत मे ले जाया जायेगा लेकिन हर बार वह तारीख निकल जाती और सिवाय इसके कि हम एक मोटे और आत्मतुष्ट स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने जेल के कार्यालय में खड़े होने के लिए भेजी जायें, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटती; और वह मजिस्ट्रेट हर बार अपनी लाचारी का वयान करते हुए बताता कि चूंकि हम एक दूसरे जिने मे गिरफ्तार की गयी थी इसलिए हम लोगों का मामला उमके अधिकार-क्षेत्र से बाहर का मामला है। फिर भी ऑफिस तक जाना हमारी दिनचर्या मे एक सुन्दर तबदीली थी और मेरे लिए हमेशा यह एक अपूर्ण और छिपी आशा थी कि प्रायद मुझे किसी तरह अमलेन्दु दिख जाये। एक दिन हमारी मुलाकात उन लोगों मे मे एक व्यक्ति से हुई जिन्हे उसी समय पकडा गया था जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी। उसने हम लोगो से कहा कि हम राजनीतिक बंदी का दर्जा पाने की मांग करें। यदि हमे वह दर्जा मिल गया तो हम बेहतर सुविधाएँ पा सकेंगे। मैने और कल्पना ने इसके लिए प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन हम यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या हमे अन्य महिला कैदियों की तुलना मे किसी विशिष्ट व्यवहार की मांग करनी चाहिए क्योंकि इससे उन महिलाओं से अलग-थलग पड जाने का हमें डर था। लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुपरिटेंडेंट ने साफ-माफ कह दिया कि हम लोग अपराधियों की श्रेणी मे आते है और हमें जो दर्जा मिला है वही जारी रहेगा।

पहली बार जेल-कार्यालय मे जाने पर हमने मजिस्ट्रेट से कहा कि हमारे ऊपर लगाये गये आरोपों को विस्तार से बताया जाय। उसने भारतीय दण्डसंहिता की चार धाराएँ उद्धृत की। हम लोगो पर अन्य ५० लोगों के साथ (जिन्हे उसी इलाके मे और उसी समय पकडा गया था जिस समय हम लोगों को गिरफ्तार किया गया था) घातक हथियारों के साथ दंगा करने, हुंगामा मचाने, हथियारों सहित डाका डालने और हत्या का प्रयास करने के आरोप लगाये गये थे। वस, एक चीज मुझे याद है कि यह सोचकर हम लोगो ने राहत की साँस ली थी कि इन अपराधों मे अधिकतम सजा दस वर्ष की होगी। कुछ सप्ताहों के बाद मजिस्ट्रेट ने आना बद कर दिया और उमने हमारे वारंटों का नवीकरण कर दिया। उसे हमने देखा तक नहीं। यह मरफार की अपने बनाये कानून की व्याख्या थी कि कोई भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गिरफ्तारी के चौबीस घंटों के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा और यह प्रक्रिया हर पन्द्रह दिन बाद दोहरायी जायेगी।

एक महीने से ज्यादा समय तक मुझे अन्य लोगो के सम्पर्क से वञ्चित रखा गया। फिर बलकृष्ण-मियत उप-उच्चायुक्त के कार्यालय से एक ब्रिटिश अधिकारी मुझसे मिलने आया और उमे मिलने की इजाजत दी गयी। भारतीय अधिकारियों ने उसे पहले मे ही सारी घटनाओं के बारे मे अपने ढंग से बता रखा था और इस ब्रिटिश अधिकारी ने मेरे स्वास्थ्य और खान-पान के बारे में ही जानकारी ली— इसके अलावा उमने और कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे बताया कि मैने नीचे के कपड़े बदलने के लिए जो अनुरोध कर रखा है उमके लिए राज्य की राजधानी पटना से

अनुमति लेनी होगी। यह सोचकर मुझे हँसी आ गयी कि अपने कपड़े बदलने के लिए मुझे विहार सरकार के मुख्य सचिव के नाम एक अर्जी लिखनी पड़ेगी।

अमलेन्दु से मिलने के भेरे अनुरोध पर इम ब्रिटिश अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय अधिकारी भेरे विवाह की वैधता को विवादास्पद बना रहे थे। उनके लिए यह एक बहाना था ताकि मैं अमलेन्दु से सनाह-मशविरा न कर सकूँ और उसमें मिले बिना मैं इस सिलसिले में कुछ कर भी नहीं सकती थी। अपनी कोठरी में वापस आने के बाद मैं इस बातचीत के बारे में सोचती रही और मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा लगा कि न तो किसी गंभीर विषय पर विचार-विमर्श हुआ और न इम बातचीत में कोई उपलब्धि ही हुई। कुछ महीनों बाद एक दूसरे ब्रिटिश अधिकारी ने बिना किसी लाग-लपेट के भेरे मामले सरकारी नीति पेश की : भारत पर जो कुछ गुजर रहा है उससे भेरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मुझे अपने गार्ड मिट्टांतों को भुलाकर जेल से बाहर आने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उम पहली मुलाकात के बाद, जिसमें स्पेशल ट्रांच के पुलिस-अधिकारी मौजूद थे, समाचारपत्रों ने विस्तार से मेरी पोशाक का वर्णन किया और लिखा कि मैं भारतीय अधिकारियों को बनाया है कि जेल में भेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है।

इसके कुछ ही दिनों बाद मैं अपने नाम से आया पहला पत्र पाकर बेहद खुश हो उठी। यह पत्र कुछ गुमनाम स्कूली लड़कों द्वारा लिखा गया था। उममें भारत को सही रास्ते पर ले चलने में मेरी सहायता के समर्थन का आश्वासन दिया गया था। उसमें भेरे प्रति आभार व्यक्त किया गया था। पत्रों के मामले में बाद में मुझे बड़े कष्ट अनुभव हुए और आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह की भावनाओं से भरा पत्र किस तरह मेर की निगाह से बचकर भेरे पास तक पहुँच गया था। उसी दिन कल्पना को मद्रास में लिखा गया एक महिला का पत्र मिला जिसमें उसने एक 'भद्र धनाढ्य व्यक्ति' की ओर से लिखा था कि वह हम दोनों में से किसी एक से विवाह करना चाहता है क्योंकि हम दोनों "खुदमूरत हैं और पच्चीस वर्ष में कम उम्र की हैं।" (हम दोनों का नाम अखबारों में प्रकाशित हुआ था) इस पत्र के बारे में हम यह तय नहीं कर पाये कि जो कुछ इसमें लिखा है वह गंभीरता के साथ लिखा गया है लेकिन मजाक-ही मजाक में हमने बॉर्डर से पत्र लिखने का एक फॉर्म लाने को कहा और उस मद्रामी महिला के पास लिख भेजा कि इस सिलसिले में वह और विस्तार से जानकारी दे। इसके बाद हमारे पास कोई खबर नहीं आयी।

हम अन्य कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक थे लेकिन सम्पर्क-सूत्र खतरे में भरे हुए थे क्योंकि जिन औरतों ने हमारी कोठरियों के बहुत निकट आने की कोशिश की थी उन्हें भेटिन और महिला बॉर्डरों ने बुरी तरह डाँट दिया था और कभी-कभी तो पीट भी दिया था। फिर भी कोई आश्रयण था जिसकी वजह से उन महिलाओं में से अपेक्षाकृत साहसी महिलाएँ हम लोगों की तरफ खिच आती थी। उन घूँप भरी दोपहरियों में जब सभी लोग आराम कर रहे होते थे वे हमारे सीखचों की परछाईँ की तरह प्रकट होतीं हालाँकि मैं उनके साथ कोई अर्थपूर्ण बातचीत नहीं कर सकती थी फिर भी उनके चेहरे पर भेरे प्रति जो हमदर्दी होती थी और भेरे लिए चिंता के जो चिह्न दिखायी देते थे उससे मैं सचमुच बहुत विचलित हो जाती थी। रात में उनमें से एक किमान लड़की मेरा लैम्प लेकर आती थी। जैसे ही वह दरवाजे के अन्दर फर्श पर लैम्प

को रखती थी, वह मेरी तरफ देखकर झट से मुस्करा देती और धीरे से उस तरफ देखती त्रिघर में टिन रहा करती थी क्योंकि मेटिन ने उससे मना किया था कि वह मुझसे बातचीत न करे। डॉक्टर मेरे लिए जो संतरा भिजवाता था उसमें से मैं रोज आधा सतरा बचाने लगी ताकि उस लड़की के आते ही मैं उसे धीरे से दे सकूँ। उस आधे संतरे को अपनी साडी में छुपाकर वह सीधे शौचालय की तरफ भागती थी ताकि मेटिन और महिना वॉर्डरो से छिपकर वह खा सके। कैदियों के साथ कटपना की बानबीन में हमें पता चला था कि उनमें से अधिकांश मुकदमा चलने का इंतजार कर रही हैं जबकि इनमें से अनेक पहले ही कई वर्ष जेल में बिना चुकी थी। कईयों के पास छोटे-छोटे बच्चे थे जो गिरफ्तारी के समय इतने छोटे थे कि उन्हें माँ से अलग नहीं किया जा सकता था और वे अब जेल में ही पल रहे थे तथा बड़े हो गये थे। मेरी खुशी के ये सबसे बड़े स्रोत थे। अपने बड़ों की डाँट-फटकार के बावजूद वे मेरी कोठरी की ओर खिंचते चले आते थे। दरवाजे के सींगियों के सामने निकले पन्थर पर वे बड़ी मुश्किल से चढ़ पाते और वहाँ से अपने वालों में कंधी करने को कहते या प्रीशे में अपना चेहरा देखने का अनुरोध करने या मेरा चश्मा लगाने की माँग करते। मेरी कोठरी की सफाई के लिए मुझे जो झाड़ू मिला था उसकी सीकों से मैं खिलीने बनाकर उनका मन बहलाने और उनके लिए मैं अपने खाने में से थोड़ा-सा बचाकर रखे रहती।

तीन महीनों की आसिक कैंद-तनहाई के बाद मैंने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि जेल-सुपरिंटेंडेंट हमें अब फिर कभी एक साथ रहने देगा। यहाँ तक कि मैंने अपने लिए एक मूत्र बना लिया था। "उन चीजों की व्यर्थ चाह करके, जिसे अधिकारी-गण तुम्हें नहीं देंगे, तुम उन्हें कभी यह झूठा संतोष मत दो कि उन्होंने तुम्हें अमुक चीज से बचिन कर दिया है। अपने विकल्प खुद ही ढूँढो।" फिर सितम्बर के महीने में मेरी कोठरी के बाहर में गुजरते समय एक दिन सवेरे जेल-सुपरिंटेंडेंट ने मुझसे पूछा, "क्या तुम दोनों दिन भर साथ रहना पसन्द करोगी?" जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन सवेरे हमारी कोठरियों के ताले खोल दिये गये और हमें दिन की रोगनी में तथा 'आजादी' के एक नये मुग में विचरण करने की छुट दे दी गयी।



## एक राजनीतिक बंदी

जिस दिन पहली बार हमारी कोठरी के दरवाजे दिन भर के लिए खोले गये और हमे सबेरे से शाम तक खुले में रहने दिया गया, ठीक उसी दिन मैंमून जेल से चली गयी। उसके जाने से हमने राहत की साँम ली क्योंकि दूसरे कैदियों के साथ जिस तरह वह घूर्तता के माय पेश आती थी और उन पर जिस तरह धीम जमाती थी, उसे देखते हुए हम लोगों के लिए चुप रहना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वह जिम तरह जेल से गयी उसकी किसी ने आशा नहीं की थी। अमल में जब छह वर्षों के बाद अंततः उसके मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो पता चला कि अभियोग पक्ष के एक गवाह की मृत्यु हो चुकी है और दूसरा गवाह लापता है। सबूत न होने की वजह से जज ने उसको और उसके पति को अपराध से बरी कर दिया। अपने पति के साथ ही मिलकर उमने उस नौजवान औरत को बहकामा था, जो वाद मे उसकी सौन की तरह से रहने लगी थी और जो खुद भी गिरपतार है और मुकदमा चलने का इन्तजार कर रही है।

मैमून के बाद नागो नाम की २२-२३ साल की एक औरत ने उसका कार्य-भार संभाला। नागो कई सालों से इस जेल में थी और हत्या करने के प्रयास के आरोप मे मिली सात वर्ष की सजा में से अभी कई वर्ष इस जेल में कटने बाकी थे। जेल के अधिकारीगण आमतौर से जिम्मेदार पदों पर ऐसे कैदियों को रखते थे जिन्हें लम्बी सजाएँ मिली हैं। इन कैदियों को यह प्रलोमन दिया जाता था कि यदि वे अच्छा काम करेंगे तो उनकी सजा मे कमी कर दी जायेगी। इस प्रकार भेटिन और भेट के रूप मे सरकार के पास कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग था जिसे संतोपजनक सेवा और वफादारी के बदले बोनस के रूप मे सजा मे कमी कर दी जाती थी या कोई पद दे दिया जाता था और साथ ही यह वर्ग कुछ पैसे भी कमा सकता था। नागो भी मैमून की तरह ही दूसरे कैदियों पर छोटे-छोटे अत्याचार करने से बाज नही आती थी लेकिन हम लोगों की वजह से वह बहुत सतर्क रहती

थी। उसे यह पता था कि चूँकि अब सारे दिन हम लोग अपनी कोठरी से बाहर रहते थे और देख सकते थे कि महिला वॉर्ड में क्या हो रहा है इसलिए हम लोग स्थायी तौर पर उसके लिए परेशानी का कारण थी।

तीन महीनों तक एक कोठरी में बन्द रहने के बाद जेल का मसूचा अहाता हमारे लिए बहुत उत्तेजक लग रहा था। हम अपना अधिकार समय खुली हवा में घूमने में बिताती थी और यह हमें ही तय करना था कि इस समय का कैम इस्तेमाल किया जाये। जैसे-जैसे मौसम ठंडा होता गया, मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और पतझड़ के खूले दिनों ने मेरे अन्दर काफी शक्ति का मंचार किया। कभी-कभी कल्पना और मैं सवेरे साढ़े पाँच बजे से लेकर दोपहर तक लगभग बिना रुके टहलती रहती थी। दोपहर में धूप तेज होने पर हम अपनी ठंडी कोठरी में पहुँच जाती। अहाते का चक्कर लगाते समय हम खूब खुलकर हवा में बाँहे फेंकती और गाने गाती। ऐसा लगता था, जैसे हम किसी नहर पर निकली हैं। दिन के तीसरे पहर हम लोग अमरूद के पेड़ के नीचे बैठ जाती। कल्पना जर्मन भाषा सीखना चाहती थी और मैं हिन्दी तथा बंगाली। पढ़ने-लिखने के लिए हमारे पाम कोई साधन नहीं था सिवा इसके कि हम पेड़ों की टहनियाँ तोड़ लें और उन टहनियों से लाल धूल में लिखकर अपना अध्ययन जारी रख सकें।


सिद्धांतरूप में हजारीबाग जेल केवल उन्हीं कैदियों के लिए बनाया गया था जो मुकदमा चलने का इंतजार कर रहे हों और जिन्हें इस जेल में कुछ ही दिनों के लिए रहना हो, इसलिए यहाँ कर्मचारियों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। सवेरे के समय औरतें मरकरी बर्दियों में बटन लगाने बैठती। ये बर्दियाँ पुरुष कैदियों के सिलाई विभाग में तैयार की जाती थीं। इसके बाद वे डार्मिटरी की सफाई करती, वागवानी में समय बिताती, खाना बनाती या अगर कोई काम नहीं होता तो बैठकर बस केवल बातचीत करती रहतीं। हजारीबाग में मुझे एक अजीब बात देखने को मिली—यहाँ कैदियों को मसूर की दाल और सब्जी पकाकर दी जाती थी लेकिन चावल या रोटी माथ में न देकर उन्हें आटा और बिना पका चावल दिया जाता था जिसे उन्हें छुद ही पकाना पड़ता था। उनके पाम न तो कोई ईंधन था और न कोई बर्तन। एक दिन का खाना छोड़ देने पर कोथला तो उन्हें मिल जाता था लेकिन बर्तन की जगह पर उनको अल्पमीनियम की उसी तपत्री का इस्तेमाल करना पड़ना था जिसमें सब्जी और दाल थोड़ी देर पहले मिली होती थी।

अब चूँकि हम लोगों को बाहर घूमने की अनुमति मिल गयी थी इसलिए बहुधा हम अपने साथी कैदियों के साथ बैठकर गप लड़ाती रहती थी। बातचीत का काफी हिस्सा मेरी समझ में नहीं आता था हालाँकि कल्पना अनुवाद करके मुझे बता दिया करती थी। मैंने महसूस किया कि जितनी जल्दी सम्भव हो मुझे हिन्दी सीख लेनी चाहिए।

शाम को जवान औरतें गाँव का कोई गीत गाते हुए एक कतार में नाचती। हमने इस तरह के कई नाच सीखे। ये नाच बड़े माधुर्य ढंग से शुरू होते थे और इसमें एक ही क्रिया को बार-बार दोहराया जाता था। नाचते समय जब मुझे लगता कि कदमों में थाप देने का तरीका मैं अच्छी तरह सीख गयी हूँ कि अचानक ही मैं सब कुछ भूलकर दूसरे ही ढंग की उछल-कूद करने लगती और लोग हैरानी से मुझे देखते रह जाते।

लेकिन जिन्दगी का एक और पहलू यहाँ था। जाड़ा शुरू होते ही पर्याप्त कपड़ा और कम्बल न होने की वजह से सारे कैदियों को काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। मुझे और कल्पना को अपने-अपने सैडिलों की बड़ी याद आती जिन्हें हमारी गिरफ्तारी के समय ले लिया गया था और फिर कभी लौटाया नहीं गया। जाड़ा तेज़ होने के साथ-साथ हमारे पाँव फट गये और उनसे खून निकलने लगा। हमारे साथी कैदियों में से अधिकांश ने अपनी जिन्दगी में कभी कोई सैडिल या चप्पल नहीं पहना था लेकिन उनकी सरत एडियाँ भी जाड़े से फट गयीं और ज़रम के कारण उनमें पीड़ा होने लगी। पथरीले फर्श के कारण प्रायः बच्चे ठंड से और अपने घावों की टपकन से चीख उठते थे। हम सुबह से टहलने और व्यायाम करने का कार्यक्रम भी जारी नहीं रख सके। हमें पैर में पहनने के लिए कोई इंतज़ाम सोचना पड़ा।

इसके लिए एक योजना बनाने के बाद हमने एक महिला वॉर्डर को पकड़ा जो काफ़ी दयावान दिखती थी और उससे अपने वालों को काटने का बहाना करके एक कैंची की माँग की। वह बेचारी उस समय बहुत घबरा गयी जब उसने देखा कि हमने अपने कम्बल के एक सिरे से एक पतली पट्टी काट ली है लेकिन उसे यह कहकर हम लोगों ने शांत कर दिया कि यदि वह चुप रहेगी तो जेल का कोई अधिकारी हमारी इस हरकत को भाँप भी नहीं पायेगा। कम्बल के टुकड़े के बीच हमने अखबार और गत्तों के कई परत बिछा दिये और उसे एक जाली से बाँध दिया ताकि पैर में पहना जा सके। जाली का इंतज़ाम भी हमने जेल के अस्पताल से किसी-न-किसी बहाने कर लिया था। अब हम अपने घूमने-फिरने का कार्यक्रम फिर शुरू कर सकते थे। हाँ, हमने जेल के अधिकारियों से कई बार कहा था कि वे पैर में पहनने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ाम कर दें लेकिन चूँकि हम



कल्पना की और मेरी कोठरी

राजनीतिक बंदियों की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए हमें इस तरह की माँग का अधिकार नहीं था हालाँकि हजारीबाग में जाड़ों में रात का तापमान कभी-कभी शून्य डिग्री से थोड़ा ही ऊपर रहता था।

वात नवम्बर, १९७० की है जब हमें पता चला कि 'राजनीतिक बंदी' का अर्थ वस्तुतः क्या है। एक रात अचानक मुझे आदेश दिया गया कि मैं अपनी कोठरी खाली कर दूँ और कल्पना के साथ रहूँ। कल्पना के साथ रहने की नुशी से मैं इतनी विभोर हो गयी कि मैंने फ़ौरन ही इस आदेश का पालन किया। इस आश्चर्यजनक अनुकम्पा की उत्तेजना में मैं और कल्पना कोठरी में से चुपचाप बाहर झाँकती रही और सोचती रही कि क्या होने जा रहा है कि तभी हमने देखा कि तमाम पुरुष कैदी अपने साथ बिस्तर, गद्दे कम्बल, तकिया, एक मेज और कुर्सी, खाना बनाने के बर्तन तथा अन्य कई सामान—जिन्हें अँधेरे में पहचाना नहीं जा सका—लेकर मेरी पुरानी वाली कोठरी में जा रहे हैं। बाद में उस कोठरी में एक नयी महिला कैदी ने प्रवेश किया।

अगले दिन सबेरे चीफ़-हेड वॉर्डर आया, उसने हम लोगों की गिनती की और चला गया लेकिन मेरी कोठरी की महिला कैदी उस समय तक भी मोती ही रही। सीखचों के अन्दर से हम कौतूहलपूर्ण मुद्रा में बच्चों की तरह बाहर झाँकते रहे और हम मच्छरदानों के अन्दर मँहगी नीली साड़ी का केवल एक कोना देख सके। इस नये कैदी से परिचय करने की जिज्ञासा पैदा हुई। बाद में उस सुबह हम दोनों ने उससे बानचीत की। वह खान मजदूरों की यूनिफ़ॉर्म की सेक्रेटरी थी और हजारीबाग में लगभग बीस मील दूर कँदला कोयला खान के एक मैनेजर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार हुई थी। मुझे यह एक बहुत बड़ी विडम्बना लगी कि ठाठ-बाट में रहनेवाली यह धनी औरत उन जीर्ण-शीर्ण कंकालों की प्रतिनिधि है, जो जमीन के नीचे अत्यंत खतरनाक स्थितियों वाली सीलन भरी सुरंगों में दिन बिताते हैं। इस समझ महिला ने हम पर यह प्रभाव छोड़ा कि उसका उन मजदूरों से जिनके हितों के लिए गड़ने का वह टाया कर रही है, दूर का सम्बन्ध नहीं है। यदि मानवता के एक ध्रुव पर मजदूर है, तो दूसरे ध्रुव पर यह महिला!

जहाँ तक जेल-अधिकारियों की बात है वे भी इसे हम सबसे बिल्कुल अलग-थलग जीव मानते थे। वह सारा दिन जेल में नहीं बल्कि ऑफिस में बड़े-बड़े अफसरों के साथ सामाजिक संसर्ग तथा सद्भावपूर्ण बातचीत में बिताती और रात के नौ या दस बजे से पहले वह कभी अपनी कोठरी में लौटकर नहीं आती। हर रोज़ सबेरे वह बाजार में अपनी ज़रूरत की चीजें मँगाने के लिए एक फहरिस्त बनाकर दे देती जिसे बाकायदा खरीदकर दोपहर से पहले-पहले उसकी कोठरी में पहुँचा दिया जाता। रोजाना खुराक में पश्चिमी पद्धति के मँहगे खाने और भारतीय व्यंजनों का होना अनिवार्य था। उसकी सनक के मुताबिक दर्जी कपड़े सिलता और उसके लिए मँडिलों के कई जोड़े बाजार से मँगवा दिये गये ताकि वह मनपसन्द सँडिल चुन सके। 'राजनीतिक बंदी' का दर्जा पाने से उसे ये सारे अधिकार मिल गये थे।

महिला कैदियों में से अनेक को उसने अपना नौकर बना लिया था। वे सबेरे से शाम तक उसकी इच्छा के मुताबिक काम करती रहती और अत्यन्त व्यक्तिगत कामों के लिए आदेश देने में भी उसे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती। एक दिन मुझे यह देखकर बड़ी नफ़रत हुई कि एक जवान महिला कैदी उसके मासिक स्नान के छून से सने कपड़े साफ कर रही थी। इन सारे कामों के लिए उन औरतों को

कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। चूंकि उन पर अभी मुकदमा नहीं चला था इसलिए सिद्धांततः उनका यह काम 'स्वेच्छापूर्वक' किया गया काम माना जाता था हालांकि वे इससे इंकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। जेल में जितने कदी थे उनमें से मुश्किल से दस प्रतिशत ऐसे थे जिन पर मुकदमा चल चुका था और सजा हो चुकी थी इसलिए क़ैदियों द्वारा किये जाने वाले अधिकांश काम 'स्वेच्छापूर्वक' किये गये कामों की ही श्रेणी में आते थे। बाद में जैसे-जैसे हालत खराब होती गयी तथा क़ैदी और अधिक जुझारु बनते गये, राशन की मात्रा बढ़ाने-जैसे तरीकों से पारिश्रमिक देने की व्यवस्था शुरू की गयी।

पन्द्रह दिनों के भीतर इस राजनीतिक बंदी ने सरकार द्वारा दिया गया खाना, कपड़ा तथा घरेलू सामान से अपनी कोठरी को भर लिया। वह पर्याप्त मात्रा में दूध, मांस, अंडे और मुर्गे खाती थी जिसे भारत के अधिकांश लोग एक विलासिता की सामग्री समझते हैं और जिनका जेल के अन्दर शायद ही कभी दर्शन होता हो। तीन सप्ताह से कम समय के अन्दर ही जब उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह इन सारी चीजों को अपने साथ लेती गयी। हाँ, एक महिला वॉर्डर के लिए उसने कुछ धालू जरूर छोड़ दिये थे। जब वह जेल के कार्यालय की ओर जा रही थी तो उसके पीछे-पीछे क़ैदियों की एक क़तार लगी थी जिनके सर पर उमका सामान लदा था और ऐसा लगता था कि जैसे कोई विजेता लड़ाई खरम होने के बाद लूट का सामान लदवाकर ले जा रहा हो।

यह महिला राजनीतिक बंदी एक समृद्ध परिवार की थी और उसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ट्रेड यूनियन की राजनीति को ऐसा मंच समझा था, जहाँ से वह सत्ता के लिए छलांग लगा सकती थी। कुछ दिनों बाद हम लोगो ने अखबारो में पढ़ा कि वह बिहार विधान सभा की सदस्या बन गयी है। उस समय तक उसने समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए सोशलिस्ट पार्टी से अपने सम्बन्ध तोड़कर कांग्रेस से जोड़ लिये थे। मेरा खयाल है कि उस पर लगाया गया हत्या का आरोप भी पैसों और प्रभाव के बल पर भुला दिया गया था।

फिर भी उसने हमारा एक काम किया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमारे मत-भेदों के बावजूद वह इस बात के प्रति सजग थी कि बिना मुकदमा चलाये हम लोगों को जेल में रखना अन्याय है। यह समझकर मैंने सोचा कि शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। एक दिन मैं कुछ हिचकते हुए उसके पास गयी और उससे मैंने लिखने का सामान माँगा क्योंकि हमें इन सामानों के न होने का बड़ा अफ़सोस रहता था। मेरी इस माँग पर उसे सुपरिटेंडेंट के निर्देशों का उल्लंघन करने में संकोच हुआ फिर भी उसने मुझसे कहा कि कल जब मैं जेल के दफ़्तर में जाऊँगी तब तुम लोग मेरी मेज पर से कागज और पेंसिल 'चुरा' लेना। यह 'चोरी' बाकायदा सम्पन्न हुई।

बाद के वर्षों में मैंने जितने राजनीतिक बंदी देखे उन्हीं का नमूना यह महिला थी। जेल के अधिकारी इन राजनीतिक बंदियों का बड़ा खयाल रखते थे क्योंकि भारत में राजनीति का जो रूप है उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि आज जो लोग सीखने के अन्दर हैं वे कल कही सत्ता में न आ जायें और इस तथ्य को जेल-अधिकारी अच्छी तरह समझते थे। कुछ वॉर्डरो ने तो हमें भी यह आश्वासन दिया कि जब हम लोग सरकार बनायेंगे तब भी वे हमारी इसी तरह सेवा करेंगे। बहुधा यह सोचा जाता है कि सत्ता के लोभ के कारण तमाम अवाहनीय तत्त्व जेल



की नौकरी के लिए आकर्षित होते हैं लेकिन भारत में ऐसा साध्य ही कभी होता हो। ऐसी स्थिति में, जहाँ नौकरी पाना बेहद कठिन काम है, लोगों को सामान्यतः केवल एक ही चीज से प्रेरणा मिलती है और वह है आर्थिक आवश्यकता। जेल के अधिकांश कर्मचारी महज इसलिए जेल की नौकरी करते थे क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत रहती थी। वेशक, जेल की नौकरी ने कुछ कर्मचारियों की क्रूर पार्श्विक प्रवृत्ति को निश्चय ही उभार दिया। अपनी नौकरी बनाये रखने के लिए उन्हें ऊपर से मिलने वाले आदेशों का पालन करना पड़ता था, भले ही वे आदेश कितने भी अत्याचारपूर्ण क्यों न हों, लेकिन मुझे कभी-कभी ही ऐसे मूट्ठी भर वॉर्डर मिले जिन्हें कैदियों को परेशान करने और उन पर धोस जमाने में सचमुच मजा आता रहा हो। कुछ वॉर्डरों का तो सचमुच हमारे प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया था और वे जब ड्यूटी पर होते तो हमारे साथ आकर बातचीत करते और हमें सबरें देते। एक वॉर्डर खासतौर से मुझे पसंद करता था और मैं उसकी ड्यूटी का इंतजार करती मैं जानती थी कि वह अमलेन्दु के बारे में मुझे बतायेगा, जो वैसे तो मुझ से कुछ ही दीवारों के अन्तर पर था पर लगता था जैसे हजारों मील दूर है। एक दिन इस वॉर्डर ने मुझे बताया कि अमलेन्दु की माँ हमसे मिलना चाहती थी लेकिन न तो उन्हें मिलने की अनुमति दी गयी और न उन्हें वे कपड़े ही यहाँ छोड़ने दिये गये जिन्हें वह मेरे लिए लायी थी।

जैसे-जैसे महीने गुजरते गये, यह स्पष्ट होता गया कि हमें अपने पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा दिन जेल में रहना होगा। ऐसी अफवाहें थी कि अक्टूबर में दुर्गापूजा की छुट्टियों के बाद हमारा मुकदमा शुरू होगा, पर सागे त्यौहार आये और चले गये और कुछ भी नहीं हुआ। दैनिक जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ती गयीं। यदि हम घर कोई पत्र लिखना चाहती तो पत्र के लिए निर्धारित फॉर्म प्राप्त करने में ही पाँच-छ दिन निकल जाते। अपना राशन नियमित रूप से पाने के लिए हमें वॉर्डर को याद दिलाना पड़ता। अन्नबारी की सेंसरशिप जारी थी और लिखने के सामान के लिए किये गये अनुरोध की उपेक्षा होती रही। हमने पैर में पहनने के लिए जिस चप्पल का ईजाद किया था, वह टूट चुकी थी और ठंडी जमीन के कारण पैरों में दर्द होने लगा था। कितनी बार ईंट से ठोकर खाकर मैं गिर चुकी थी और अपना पैर जड़मी कर लिया था। पत्थर के ठंडे फर्श पर सोने से जोड़ी में दर्द होने लगा था और दिन के समय हम कोठरी के अन्दर बँठे नहीं रह पाते थे क्योंकि कोठरी में सूरज की किरणें कभी पहुँचती ही नहीं थी। कोठरी से बाहर हवा और धूल से हम वस्तु रहते थे और हमारी खाल सूखकर घड़ियाल की खाल-जैसी हो जाती थी। फिर भी अधिकांश अन्य कैदियों की तुलना में हम सौभाग्यशाली थी। कल्पना की माँ हमारे लिए कुछ कपड़े लायी थीं। अधिकांश औरतों के पास मुश्किल से कोई पतला कपड़ा होता था जिससे वे भयंकर ठंड से अपनी रक्षा करती थी और सारी रात फटे-पुराने कम्बलों में सिमटी जाड़े से काँपती रहती थी। रही किस्म की और अत्यन्त कम मात्रा में उनको मिलने वाली दाल तथा सब्जी से हम बहुत पहले से ही हैरान थे।

दिसम्बर शुरू होते ही हमने तय किया कि हमें एक लम्बी भूख-हड़ताल शुरू करनी होगी। माँगों में हमारी निजी तथा अन्य कैदियों की माँगें शामिल रहेगी। जेलर ने हमसे कहा कि भूख-हड़ताल से कोई फायदा नहीं होगा पर हमारे दृढ़ संकल्प को देखकर उसने वॉर्डर को आदेश दिया कि हमें अलग-अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाये। हमने पाँच दिन और पाँचों रात तक कुछ भी नहीं खाया

और इस दौरान डॉक्टर, चोक्र-हैड वॉर्डर तथा महिला वॉर्डर के अलावा हमने किसी को नहीं देखा। छठे दिन सवेरे जेल-ऑफिस का एक क्लर्क मेरी कोठरी के सामने आया—उसके हाथ में कल्पना के लिए प्लास्टिक की गुलाबी रंग की एक जोड़ी सैंडिल और मेरे लिए रबर की मटमैली सैंडिल थी। कल्पना ने अपने लिए भेजी गयी सैंडिल को देखकर मुँह बना लिया पर मैंने उससे कहा कि ज्यादा बात का बतंगड बनाने की कोई जरूरत नहीं है; कम-से-कम हमारी एक माँग तो पूरी हुई और दूसरी माँगों के पूरी होने की भी संभावना है। उस दिन बाद में यह भी तय पाया गया कि सभी कैदियों को कपड़े दिये जायेंगे और खाने की किस्म में सुधार किया जायेगा। सेंसरशिप जारी रहेगी और जहाँ तक हम पर जल्दी-से-जल्दी मुकदमा चलाने की बात है, जेल-अधिकारियों ने इस मामले में कुछ कर सकने में अममथता दिखायी क्योंकि यह उनके हाथ में नहीं था। उसने सलाह दी कि हम लोग दलभूम सब-डिवीजन के मजिस्ट्रेट के पास एक अर्जी लिखें क्योंकि हमें वहीं गिरफ्तार किया गया था।

यह जानकर कि हमारी भूख-हडताल से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, हमने अपनी भूख-हडताल समाप्त कर दी हालाँकि हम पहले ही यह समझ चुके थे कि जेल-अधिकारियों की ओर से कैदियों को अपनी शिकायतें लिखने के लिए जो फॉर्म बाँटे जाते थे उनका मकसद कैदियों को सांतवना देने से ज्यादा कुछ नहीं था। यदि उन अर्जियों को ऊपर भेज दिया जाये या उन्हें पढ ही लिया जाये तो भी उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर भी उनसे एक मकसद पूरा होता था। हर सप्ताह अर्जी लिखने के लिए फॉर्म माँगने पर मुझे तक्ररीबन एक घंटे के लिए कलम भी मिल जाती थी। मैं इस कलम की स्याही को दवा की एक शीशी में पाली कर लेती थी और रात में लैम्प की रोशनी में उससे कहानियाँ, कविताएँ या अपने अनुभव लिखती। कागज का इंतजाम मैं चाय के पैकेटों के कागज से, लाइब्रेरी की पुस्तकों के सादे पन्नों से और उस कापी से कर लेती थी जिसमें साप्ताहिक राशन के लिए मुझे दस्तखत करने पड़ते थे। कलम के रूप में मैं झाडू से निकाली गयी एक पतली सीक को काम में लाती थी।

हमको अब तक जो खबरेंस्त ढंग से सेंसर किया गया अखबार मिलता था, वह भूख-हडताल के बाद बतौर सजा एक महीने के लिए बन्द कर दिया गया लेकिन अन्य कैदियों को कम-से-कम एक साड़ी और जेल के वर्कशॉप में ही बना मोटे कपड़े का एक टुकड़ा दिया गया जिससे वे अपने लिए ब्लाउज और पेट्रीकोट बना सकें। यह कभी नहीं बताया गया कि बिना कैंची, या सुई-धागा के वे अपने लिए ब्लाउज और पेट्रीकोट कैसे बना सकेंगी। बाद में हमने सुना कि एक वॉर्डर ने इन कैदियों से एक वक्त के उनके धावल के एवज में उनके लिए अपनी मशीन पर कपड़े सिल दिये थे।

क्रिसमस अब ज्यादा दिन दूर नहीं था कि तभी एक दिन चोक्र-हैड वॉर्डर ने कल्पना की कोठरी में लगे ताले की जाँच की और उसे खतरनाक ढंग से ढीला पाया और फैसला किया कि इसे बदल दिया जाना चाहिए। उसे रखने की कोई और जगह नहीं थी इसलिए हमें एक बार फिर एक रात के लिए एक ही कोठरी में रहने दिया गया। सुपरिटेण्डेंट का निर्देश था कि हमारे साथ एक और कैदी रात में सोयेगी ताकि वह हम लोगों पर निगाह रख सके। हर रात सोने के लिए अलग-अलग कैदियों को भेजा जाता था ताकि हम ज्यादा घुलमिल न सकें या उन्हें हम अपने 'सिद्धांतों से शिक्षित' न कर सकें। अपनी साथी कैदियों की पृष्ठभूमि को

और इनके व्यवित्तत्व को और अच्छी तरह जानने का हमारे लिए यह एक स्वर्णिम अवसर था। उन कैदियों में से अधिकांश उस समुदाय की थी जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा गया है और जिन्हें पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया है। छोटा नागपुर के इलाके में—जहाँ हजारीबाग स्थित है—भारी संख्या आदिवासियों की आबादी है जिनकी अपनी अलग भाषा, धर्म और संस्कृति है। अनुसूचित जाति के लोगों को महात्मा गांधी 'हरिजन' कहा करते थे। इससे पहले उन्हें अछूत कहा जाता था जिसे कट्टरपंथी हिन्दू आज भी कहना पसन्द करते हैं।

हमारे साथ रात में सोने वाली कैदियों में से कुछ को बिना लाइसेंस के देसी शराब बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, कुछ जमीन के झगड़े में फँस गयी थी और कुछ पर हत्या या हत्या की कोशिश करने का आरोप था। उनमें से बहुत कम ही ऐसी थी जिनसे कोई मिलने आता था या जिनके घर से चिट्ठियाँ आती थी। इसकी बजह प्रायः यह थी कि ये जिन परिवारों की थी वे इतने गरीब थे कि यहाँ तक आने के लिए न तो वे किराया जुटा सकते थे और न ही चिट्ठी लिखाने के लिए किसी को पैसे दे सकते थे। बहुधा उनकी दुःखमयी कहानी सुनते समय हमारी यह धारणा दिनोंदिन पक्की होती जाती कि यदि हमारे जेल में रहने को सचमुच कोई अर्थ दिया जा सकता है तो हमें हर सम्भव तरीके से अपनी इन साथी कैदियों की मदद के लिए पूरी शक्ति और पूरा समय लगा देना चाहिए।

कभी-कभी टहलते समय हम देखती थी कि कौड़ी लोग अल्पमूल्य के अपने बर्तन में चावल नाप रहे हैं या तम्बाकू के छोटे बेलनाकार टिनो से सरसों का तेल नाप रहे हैं। रात में साथ सोने वाली कैदियों में से एक ने—जो हम पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती थी—हमें बताया कि सभी औरतें अपने हिस्से का चावल, आटा, तेल, साबुन और शीरा जेल-कर्मचारियों को बेच देती हैं जो उन्हें बदले में या तो पैसे दे देते हैं या बाजार से उनकी पसन्द की चीज ला देते हैं। कैदियों में ये सामान जिस मूल्य पर लोग खरीदते थे वह बाजार से बहुत कम होता था फिर भी इस तरह के गैर-सरकारी इंतजाम के जरिए उन्होंने कुछ सुविधाएँ प्राप्त कर ली थी जो जेल-अधिकारी उन्हें नहीं प्रदान करते थे और अपनी ज़रूरत भर की आरामदायक चीजें उन्हें मिल सकी थी। अधिकांश औरतें बहुत कम खाती थीं ताकि वे अपना राशन बेचकर कुछ कमा सकें।

हमने सोचा कि यह तरीका हमारे भी काम आ सकता है। हमने सावधानीपूर्वक अपने साप्ताहिक राशन का एक हिस्सा छोड़ दिया। हमें कई चीजों की ज़रूरत थी, मसलन—टयपेस्ट, कल्पना के लम्बे बालों को बाँधने के लिए रबर-बैंड और सेप्टी पिन। इसके लिए हमने जिस महिला वॉर्डर से बातचीत की वह हिचकिचा रही थी—उसे डर था कि हम बातों को कही कह न दें, लेकिन अंततः हमने एक इंतजाम कर ही लिया जिससे हम कुछ रुपये बचा सकीं। त्रिसमस तक हमारे पास इतने पैसे ही गये थे कि हमने एक नैस्केफ का छोटा डिब्बा खरीद लिया—यह सचमुच एक विलासिता ही थी। छुट्टियाँ शुरू होने के कई सप्ताह पहले से हम बड़ी विफायत के साथ रह रहे थे ताकि कुछ मिठाइयाँ बनाने के लिए आटा और शीरा बचा सकें—इन मिठाइयों को हमने अन्य महिलाओं में भी बाँटा। त्रिसमस के दिन सबेरे तो हमारी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा जब हमें पता चला कि फाटक के बाहर कोई हमारे लिए त्रिसमस-केक और एक दर्जन केले

छोड़ गया है। उस दिन भी भंडारे में काम करने वालों में से हमारे किसी हमदर्द ने राशन के रूप में छुट्टियों के दिन हमें मिलने वाले गोश्त में कनेजी के कुछ टुकड़े डाल दिये थे। महिला वॉर्ड से बाहर हमें जितना जाना जाता था उसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया था।

क्रिसमस के बाद ठंड और भी तेज हो गयी। रात में हम एक-दूसरे से चिपक कर कमरे में मौजूद सारे कपड़ों में अपने को लपेटकर जाड़े का सामना करती। एक दिन सवेरे वह नौजवान हरिजन कैंदी, जो हम लोगो का शौचालय साफ करने आता था, अपनी फटी बनयान और जाँघिए में बुरी तरह काँप रहा था। वॉर्डर से पूछकर कल्पना ने हमारे दो शालों में से एक शाल उसे दे दिया। जैसे ही वह अपना काम समाप्त करने के बाद पुरुषों के वॉर्ड की तरफ मुड़ा, हमारी महिला वॉर्डर उसके पीछे-पीछे दौड़ पड़ी और ड्यूटी पर तैनात सतरी से उसने कहा कि यह आदमी अन्दर से चिट्ठी लेकर जा रहा है—इसकी तलाशी लो। तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दरअसल हमारी इस उदारता से वॉर्डर के मन में सदेह पैदा हो गया था और सायं में उसे शाल देखकर ईर्ष्या भी होने लगी थी। ऐसा होने का कारण भी समझ में आता है। हमने जैसा शाल उस जमादार को दिया था वैसा शाल उसके पास शायद ही कभी रहा हो। इसका नतीजा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसी दिन उस जमादार को क्रैंद-तनहाई दे दी गयी, पैरों में बेड़ी डाल दी गयी तथा महिला वॉर्ड की तरफ आने की मनाही कर दी गयी। हमने चीफ-हैड वॉर्डर से अनुरोध किया कि अकारण दी गयी इस सजा को वापस ल लिया जाये—मैंने सारी स्थिति भी स्पष्ट की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हम लोग 'नक्सलवादी' थे और इस आशय के निर्देश जारी थे कि हमारा अन्य कैदियों से सम्पर्क नहीं होना चाहिए।

इसके कुछ ही दिनों बाद एक दिन सुपरिंटेंडेंट ने मुझे आकर बताया कि बिहार सरकार ने अमलेन्दु के परिवार के लोगों से मुझे मिलने की इजाजत दे दी है। ऐसा लगा कि इस तरह उन्होंने कुछ अंश तक हमारे विवाह को 'मान्यता' दे दी। फरवरी के आरम्भ में अमलेन्दु के पिता मुझे मिलने आने वाले थे। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद अमलेन्दु का चुके से मरे नाम लिखा पत्र एक वॉर्डर के हाथ लग गया जो हमारा हमदर्द नहीं था और उसने जेलर से इसकी शिकायत कर दी। अमलेन्दु को बतौर सजा लोहे की छड़ों वाली बेड़ी पहना दी गयी और अगली सूचना तक आगंतुकों से मिलने की हम दोनों को मिली सुविधा रद्द कर दी गयी। अमलेन्दु को भयकर डंडा-बेड़ी में जकड़े जाने की कल्पना से ही मेरी आँखों में आँसू आ गये। इसमें कैंदी के दोनों टखनों में लोह का एक छल्ला डाला जाता था जो बीस इंच के लोहे के छड़ से एक-दूसरे से जुड़ा होता था। इनसे जुड़ा एक तीसरा छड़ था जो कमर तक जाता था और कमर में बँधी रस्ती में फँसा दिया जाता था। यह बेड़ी बहुत भारी होती थी और इससे किसी भी तरह को हरकत करने में रुकावट आती थी—इसको पहनकर किसी के लिए भी चलना, बैठना, सोना, नहाना या सामान्य ढंग से शौच के लिए बैठना असंभव था।

इन घटनाओं ने मुझे फिर याद दिलाया कि अधिकारियों की आंर से ऊपरी तौर पर नरमी का रख प्रदर्शित किये जाने के बावजूद हमारा अस्तित्व बेहद खतरनाक था।

उपवास जेल-जीवन की एक महत्त्वपूर्ण प्रथा थी। प्रत्येक इतवार को उन कैदियों को उपवास करने की अनुमति दी जाती थी जो ऐसा करना चाहते थे और

उन्हें आमतौर से मिलने वाले राशन के बदले थोड़ा अच्छा खाने की अनुमति दी जाती थी मसलन उन्हें बीड़ी, खैनी (एक तरह की गुर्तो) और कभी-कभी उपलब्ध होने पर चीनी अथवा अन्य पदार्थ दिये जाते थे। एक झलक में देखने पर यह इतना बहुत मानवीय लगता था और इससे अधिकारियों की गरमी का आभास होता था, पर दरअसल कैदियों को इस तरीके से वे अधिक-से-अधिक आज्ञाकारी बना लेते थे जो उनके काफी हित में था। इस तरह की विशेष सुविधाएँ देकर वे कैदियों को लगातार इस भय से प्रस्त रखते थे कि कहीं ये सुविधाएँ छीन न ली जायें और इस प्रकार अन्य मसलों पर वे उनकी जमान बंद रखते थे, जिन लोगों का सम्बन्ध भंडार-गृह से था उनके लिए उपवास वाला दिन फ़ायदेमंद होता था—कैदियों को हमेशा उम मूल्य से कम का सामान दिया जाता था जो वे दैनिक खालान्न के रूप में पाते थे। महिला कैदियों को इस शोषण की पक्की जानकारी थी पर वे भी उपवास का अवसर हमेशा के लिए खोने की बजाय खामोश रहना ही बेहतर समझती थी। अपने हिस्से की चीनी या बीड़ी के एवज में कर्मचारियों से उन्हें जो थोड़े-बहुत सिक्के मिलते थे उनसे उनकी बचत में इजाफा होता था और उनसे वे बाजार से दवाएँ तथा श्रृंगार की सामग्री, कपड़े, चूड़ियाँ या साग-सब्जी मँगा लेती थी। सप्ताह भर वे अपने हर रोज के राशन में से सावधानीपूर्वक थोड़ा-सा चावल या आटा इतवार के लिए बचाती रहती थी। इतवार को सबेरे औरतों और बच्चों को साग-सब्जी के सेतो में खाने लायक पत्तियों की तलाश करते देखा जा सकता था ताकि वे चावल या लपसी (आटा और नमकीन रबड़ी) के साथ उसे खा सकें। अच्छी सन्धियाँ मेटिन और जेल-कर्मचारी खा जाते थे और अन्य कैदियों के लिए आलू तथा मूली और सरसों की पत्तियाँ छोड़ देते थे। पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में इतवार को खाना बनाना एक समस्या थी, भूख सबकी लगी रहती थी और चूल्हे केवल दो ही होते थे—एक मेटिन का और दूसरा हमारा। मेटिन केवल उन्ही लोगों को अपना चूल्हा देती थी जिन्हें वह पसन्द करती थी और वह भी तब जब पूरे इस्तीमान के साथ उसका खाना तैयार हो चुका रहता था। कुछ औरतें कामचलाऊ चूल्हा तैयार कर लेती थी और ईंधन के नाम पर उन लकड़ियों को जलाती थी जो उन्हें दातीन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मिली थी। हमारी छोटी कोयले की अँगोठी को दिन भर कोई-न-कोई माँगता रहता जिसका नतीजा यह होता कि हम लोग दूसरों का खाना बनाने के इंतजार में भूखी ही रहती।

एक और इतवार मुलाक़ाती का दिन होता था। कुछ सप्ताहों के बाद किसी एक इतवार को महिला कैदियों को इस बात की इजाजत दी जाती थी कि वे जेल में बन्द अपने सम्बन्धी पुरुष कैदियों से सहायक जेलर की देखरेख में जेल के दूसरे में कुछ मिनट तक बातचीत कर सकें। ताज्जुब है कि इनमें से अधिकांश के पिता, भाई, बेटे या पति भी जेल में ही थे जो आमतौर से उन्ही अपराधों में पकड़े गये थे जिनमें उनके घर की औरतें। अधिकांश औरतें अपने राशन में से कुछ-न-कुछ बचाकर रखती जाती थीं ताकि मुलाक़ाती के दिन वह अपने सम्बन्धी को कुछ बनाकर दे सकें। वे रात में थोड़ा-सा चावल या छिली मटर पानी में भिगो देती और सबेरे इन्हें एक पत्थर से लई की तरह पीस लेती फिर उसमें थोड़ा शीरा या नमक डालकर उसके चपटे टुकड़े काट लेती और शरीर में लगाने के लिए मिले सरसों के तेल में उन्हें तल देती।

लगभग तीन बजे वे औरतें तैयार होना शुरू करती। जिन्हें मिलने जाना

होता—वे सवेरे की धुली अपनी साड़ी की सिलवटों को हाथ से बराबर करती, बालों में कंधी करतीं और फिर अपनी बनायी चीजों को साफ कपड़ों या अखबार के टुकड़ों में लपेटतीं। पांच बजे से कुछ देर पहले घंटी बजने के साथ ही इयूटी पर तैनात वॉर्डर फाटक खोल देता और वे अॉफिस तक जाने वाले रास्ते पर पहुँच जातीं, जहाँ से सूची में दर्ज एक-एक नामों की जाँच करते हुए उन्हें अन्दर भेजा जाता। पन्द्रह मिनट बाद जब वे लौटती तो उनके पास गणशप के लिए ताज़ा-से-ताज़ा मसाला होता। नक्सलवादियों के अलावा अन्य पुरुष-कैदियों को जेल के अपने हिस्से में घूमने-फिरने की सीमित स्वतंत्रता थी और वे इधर-उधर से जुटायी गयी तमाम चटपटी सूचनाएँ उन तक पहुँचा सकते थे। कहीं मुकदमे की अफवाहें थीं तो कहीं तबादले की, कोई किसी बड़े अफसर के दौरे की बात कर रहा था तो कोई किसी की रिहाई की और कोई किसी की जमानत की खबर को दोहरा रहा था। मैं और कल्पना बड़े उत्साह के साथ भूलाक़ाती के वाद औरतों के लौटने का इंतजार करती और उम्मीद लगाये रहतीं कि अभी कुछ दिलचस्प बातें सुनने को मिलेंगी।

घुरु-घुरु में मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि लोग एक-दूसरे को किस तरह बुलाते हैं, पर कुछ समय बाद अपने से बड़ी औरतों को भारतीयों की तरह माँ या मौसी कहना मुझे एकदम स्वाभाविक लगने लगा। अपने से बड़े लोगों को नाम लेकर बुलाना बहुत अपमानजनक समझा जाता था। अधिकांश अन्य महिलाओं के लिए मैं या तो बेटी थी या बीबी। एक औरत मुझे हमेशा नानी कहती थी हालाँकि वह उम्र में मेरी माँ के बराबर थी। 'नानी' कहने पर जब एक दूसरी औरत ने उसे डाँटा तो उसने जवाब दिया, "उसकी उम्र मुझसे क्यादा होगी ही। देखती नहीं हो, उसके सारे बाल सफेद हो गये हैं।" यह पहला मौका नहीं था जब मेरे बालों को वृद्धावस्था का चिह्न माना गया था। पुलिस अफसर, वॉर्डर तथा अन्य अधिकारी भी हमेशा मुझे, मेरी असली २७ वर्ष की उम्र से, कही अधिक उम्र की सोचते थे।

जिन औरतों को मैं माँ कहती थी उनमें से एक का नाम सैबुनिसा था—वह एक पैतालीस-वर्षीया मुसलमान औरत थी। उसे, उसके पति, तीन जवान लड़कों और एक भांजे को जमीन की विरासत को लेकर हुए एक झगड़े में बीस-बीस वर्ष की जेल हो गयी थी—इस झगड़े में उसका बहनोई मारा गया था। जब उन्हें सज़ा मिली उस समय सबसे छोटे लड़के की उम्र तेरह वर्ष थी और वह पाँच वर्ष जेल में काट भी चुका था। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा था उसकी भी उम्र, जब हमने पहली बार उसे देखा तो, लगभग १९ वर्ष थी। उसके तीन सबसे छोटे बच्चे जेल से बाहर थे। प्रायः वह यह सोचकर चीख उठती थी कि उसकी तीन, चार और छः वर्ष की लड़कियाँ गाँव के समाज की उन कठोर वास्तविकताओं के बीच अपने को कैसे बचाकर रख पायेंगी जहाँ यदि वे गलत हाथों में पड़ गयी तो उन्हें नौकरानी की जिन्दगी गुज़ारनी पड़ सकती है या गुलाम की तरह उन्हें बेच दिया जा सकता है अथवा यह भी हो सकता है कि बाद में उन्हें वेश्यावृत्ति अपना लेनी पड़े।

सैबुनिसा चूँकि अपने बच्चों से विछुड़ी हुई थी इसलिए उसका हमसे बहुत लगाव हो गया था और हमारे साथ उसका बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार था। वह उकड़-बँठकर सोहे के तवे पर आटा और पानी मिलाकर चिल्ले बनाती रहती और हम चूल्हे के इर्द-गिर्द मँडराते रहते। जैसे ही कोई चिल्ला गरम-गरम तवे से उतरता

हम उसे लेने के लिए लपककर पहुँचतीं और बड़े चाव से खातीं। सैबुनिसा मुस्कराकर हमें एक-एक चिल्ला देती जाती—उसे खुशी होती कि हमें उसकी बनायी चीज पसन्द आ रही है। अधिकांश कैंदियों को यह देखकर आश्चर्य होता कि उनका बनाया खाना खाने में हमें कोई एतराज नहीं होता है—वे तो यह जानते थे कि लोग उन्हें 'गंदा' या 'अछूत' समझते हैं। जब उन्हें पना चला कि हम सचमुच उनकी बनायी चीजों को बड़े स्वाद से खाते हैं तो वे अपने हिस्से में से हमें इतनी चीज दे देते कि हमारी तबीयत भर जाती। मैं उन औरतों की उदारता और दरियादिली से विचलित हो उठती जिनके पाम खाने को बहुत थोड़ा होता था पर जो कुछ भी होता था, उसे वे निस्संकोच हमारे बीच बाँटने में हमेशा तत्पर रहती।

हमारी एक और खास मित्र थी जिसका नाम रोहिणी था। वह एक जवान किमान औरत थी और उसके ऊपर भी हत्या का आरोप था। उसके अन्दर अपार शक्ति और धमता थी और वह बाग की गुड़ाई करने या महिला बाँडरो के कपड़े धोने अथवा मेटिन को उसके घरेलू काम में मदद पहुँचाने में कभी नहीं घबराती थी। वह हमेशा जिद करती थी कि हम लोग भी अपना काम उसी से करा लिया करें। वह हमारे कपड़े धोना, कोठरी की सफाई करना या यहाँ तक कि हमारी मालिश करना चाहती थी लेकिन हमने उसे समझाया कि पढ़े-लिखे होने का मतलब यह नहीं है कि हम शारीरिक धम से घृणा करें। हमारे साथ थी कैंदियों में चूँकि थोड़े-से पढ़े-लिखे या समृद्ध ब्यक्ति को कभी अपना काम करते नहीं देखा था, इसलिए जब हम अँगीठी जलाने के लिए कोयला तोड़ती, कोठरी में झाड़ू लगाती या अपने खाने के बर्तन मलती तो इसे वे अपना अनादर समझती थी। लेकिन गुरू गुरू के ये संदेह दूर हो गये तो हमारी काम करने की इच्छा ने हमें उनके और करीब ला दिया।

रोहिणी ने हमें बताया कि पढ़ना-लिखना सीखने की उसकी बहुत दिनों से इच्छा है। इसके बाद तो हर रोज दिन के तीसरे पहर जब सारे काम निबट चुके होते, कल्पना उसे हिन्दी की वर्णमाला सिखाने में कुछ घंटे बिताती। इसका बाद में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका हमने पहले से अनुमान नहीं लगाया था।



## गोलीकाण्ड

रविवार २५ अप्रैल, १९७१। हर बार की तरह लोग उपवास पर थे और आज ही मुलाकाती वाला दिन भी था। अब तक मैंने और कल्पना ने गाँव वालों के तरीके से खाना बनाने का अभ्यास कर लिया था और सवेरे से ही मैं चूल्हे के सामने तह लगाकर रखे गये कम्बल पर उकड़ूँ बैठकर उन औरतों के लिए मटर के दानों का पुआ बना रही थी ताकि वे अपने पुरुष सम्बन्धियों के लिए ले जा सकें। चूल्हे के आसपास के पथरीले फर्श पर चारों तरफ तेल और राख बिखरी हुई थी। मेरे हाथों में पिसी हुई मटर की लेई चिपकी थी और मेरी साड़ी में शीरे तथा तेल के घब्बे लगे थे। अचानक मेटिन दौड़ती हुई आयी? "दीदी, आपका कोई मुलाकाती आया है। आप ऑफिस में जाइये।" पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ—पहले भी हम लोग एक-दूसरे के साथ इस तरह की शरारतें किया करती थीं। जब चीफ-हैड वॉर्डर खुद ही मुझे लेने के लिए आया तब मैंने समझा कि मेटिन सच बोल रही है और जेल में लगभग ग्यारह महीनों तक रहने के बाद पहली बार मैं किसी ऐसे आदमी से मिलने जा रही हूँ जो ब्रिटिश धाणिज्य दूतावास का अधिकारी नहीं है। जल्दी-जल्दी मैंने अपने बेतरतीब और काफी दिनों से न काटे जाने के कारण गर्दन तक फँसे बालों में कंधी की। मेरे पास दूसरी कोई साड़ी नहीं थी इसलिए मैं वही तेल के घब्बों से भरी साड़ी पहने रही जिसे पहनकर सवेरे से खाना बना रही थी और जिसे मुझे कल्पना की माँ ने दिया था। मेरे अपने टी-शर्ट और स्लैक्स काफ़ी पहले फट चुके थे इसलिए मैं भारतीय पोशाक पहनने की आदी हो गयी थी।

चारों ओर बिखरे कागज़-पत्रों तथा फ़ाइलों और बसकों तथा क़ैदी लिपिकों से भरे ऑफिस में अमलेन्दु के बूढ़े माँ-बाप अस्तव्यस्तता के सागर में शांति और गरिमा के द्वीप की तरह बैठे थे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। वहाँ बैठे लोग यह देखकर हैरान रह गये कि एक कर्तव्यपरायण बहू की तरह मैं उनके पैर



छूने के लिए नहीं भुकी। अमलेन्दु और उसके भाई से वे मिल चुके थे पर हम तीनों लोगों में एक साथ मिलने की इजाजत उन्हें नहीं दी गयी थी। हमें देवने के लिए वे पाँच सौ मील की यात्रा करके आये थे—यह सोचकर मेरा दिल भर आया। वे अपने साथ कपड़े, धर की बनी गरी की मिठाइयाँ, सुगंधित साबुन, और गर्मी के मौसम में ठंडा रखने के लिए खजूर के पत्तों का बना पंखा लाये थे। वे मेरे स्वास्थ्य और कुशल-खेम के बारे में चिंतित दिखायी दे रहे थे। मैंने उनकी इन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। मुझे उनसे दस मिनट तक बातचीत करने की इजाजत मिली। इसके बाद मैं महिला वॉर्ड में लौट आयी।

दिन का दोप समय मैंने अपनी कोठरी से लेकर अहाते तक बेचैनी में बचकर काटते हुए बिताया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं महीनों से उन लोगों से न जाने कितनी बातें बताने की सोच रही थी पर इस तरह अचानक मिलने जाना हुआ कि सारी बातें भूल गयी। उन्हें देखकर मुझे खुशी भी हुई पर साथ ही एक अपराध-बोध हुआ कि उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी और जैसे खचं करने पड़े। अमलेन्दु को न देख पाने का मुझे दुःख था। मूलाकात हमेशा एक बेचैनी भरा अनुभव होती है—हर मूलाकात के बाद बाहर की दुनिया याद आती है, अपने प्रियजन याद आते हैं, वे चीजें याद आती हैं जिन्हें हम छो चुके होते हैं। इसके बाद मुझे 'सामान्य' स्थिति में आने में सचमुच दो दिन लग गये।

नारियल की गरी की मिठाइयों ने एक समस्या पैदा कर दी। बल्पना और मैं चाहती थी कि इन मिठाइयों को सबके बीच बाँटा भी जाय और फिर भी हमारे हिस्से ढेर सारी मिठाइयाँ बच रहें। ऐसा करने में हमारा व्यवहार अन्य तमाम औरतों के व्यवहार के एकदम विपरीत लग रहा था जिनके घरों से कितनी भी कम मात्रा में कोई चीज बयों न आयी हो वे फौरन उसे आपस में बाँट लेती थी—ऐसा लगता था जैसे वे अपनी खुशकिस्मती से सबको फायदा पहुँचाना चाहती हों। अंततः हमने अपने लालच पर काबू पा लिया और मिठाइयाँ बाँट ली—बाँटते समय हमने इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा कि किसी को कम या अधिक न मिले। कठिनाइयों की सामान्य स्थिति में किसी को थोड़ा-सा भी कम या ज्यादा देने से ईर्ष्या की भावना पैदा हो सकती थी जो एक दिन बढ़ते-बढ़ते एक-दूसरे पर आरोप लगाने या एक-दूसरे को अपमानित करने के रूप में प्रकट हो सकती थी।

अस्वाभाविक और कठिन परिस्थितियों में एक साथ रह रही औरतों की छोटी-छोटी बातों पर ईर्ष्या ने ही हमें इन महीनों के दौरान मिली अपेक्षाकृत ढील को अचानक समाप्त करा दिया। बल्पना द्वारा रोहिणी को पढाये जाने से मेटिन को ईर्ष्या होने लगी—वह सोचती थी कि उसे हर मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए; इसके अलावा उसने रोहिणी के शिक्षित होने को अपनी स्थिति के लिए एक चुनौती समझा। रात में जब हम लोग अलग-अलग कोठरियों में बंद कर दी जातीं और मेटिन की आवाज कानों तक नहीं पहुँच पाती तब वह रोहिणी पर ताने बसा करती थी। इन छोटे-छोटे अपमानों को नजरअंदाज न कर पाने के कारण अनेक बार वह बहुत दुःखी होकर रोती हुई हमारे पास आयी। एक दिन मेटिन को इस नीचता से उत्तेजित होकर हमने उसे चेतावनी दी कि वह रोहिणी के मामले में दखल न दे और उसे अकेली छोड़ दे। हम लोगों ने ऐसा कह बहुत बड़ी गलती की थी। वह हमसे बदला लेने की योजना बनाने लगी।

कुछ दिनों बाद उसने चीफ-हैड वॉर्डर को जाकर सूचित किया कि उसने

वागीचे के सिरे पर कल्पना को कुछ छुपाते हुए देखा है। इतनाक से उसी समय स्पेशल ब्रांच पुलिस ने जेल-अधिकारियों को सतर्क किया था कि नक्सलवादी क्रांदियों द्वारा जेल से निकल भागने का प्रयास किये जाने की आशंका है और फल-स्वरूप सुरक्षा-व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गयी थी। केवल एक ही दिन पहले आदेश आया था कि अब से एक की बजाय तीन कौदी हमारे साथ रात में सोया करेंगी। इन परिस्थितियों को देखते हुए वॉर्डर के सामने और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मेटिन ने उसको जो कुछ बताया है उसे वह अपने से ऊपर के अफसर अर्थात् जेलर तक पहुँचा दे। अपनी कर्तव्यनिष्ठा के कारण उसने हमसे कुछ भी नहीं बताया पर उम शाम हमें कोठरी में बंद करते समय उसके चेहरे पर जो गंभीरता उभरी थी वह हमारे समझने के लिए पर्याप्त थी। हमने पूरा एक साल जेल में बिता लिया था और अपने रक्षकों के चेहरे के हाव-भाव में आये मामूली-से-मामूली फ्रक को भी फौरन ताड़ जाते थे। उस दिन हम निश्चित हो गये कि हमारे खिलाफ कोई चीज पक रही है।

वॉर्डर के चले जाने के बाद हमारे ताले की जाँच करने के वहाने एक महिला वॉर्डर आयी और उसने हमें धीरे से बुलाया। उसने हमें आगाह किया कि जेलर और जेल-सुपरिटेंडेंट दोनों हमारी तलाशी लेने आ रहे हैं— इसके साथ ही उसने कहा कि यदि कोई छिपानेवाली चीज हो तो हमें दे दो। हमने उसे अपने बचाये कुछ रुपयों और ग्रैकानूनी तरीके से अन्दर मँगाये गये पत्रों को दे दिया। फिर हम लोग ऐसे शांत हो गये गोया कुछ जानते ही न हों। जैसा कि गरमी की रातों में हम हमेशा करती थी हमने अपनी साड़ियाँ निकालकर एक तरफ धर दी और पेटीकोट-ब्लाउज पहने नंगे-पयरीले फर्श पर बैठ रही। रात में दस बजे पत्थर की दीवार के पाम अचानक रोशनी चमक उठी और लोगों की आवाज सुनायी पड़ने लगी। बिना कोई आवाज या चेतावनी दिये वे अफसर आ गये थे— उन्होंने हमें एकदम विस्मित करने के लिए वह घंटी भी नहीं बजायी जिसे महिला वॉर्डर में घुमने से पहले बजाये जाने की उनसे अपेक्षा की जाती है। वे सीधे हमारी कोठरी तक आये और इतना भी इतजार किये बिना कि हम अपने कपड़े पहन लें, उन्होंने टार्च की तेज रोशनी हमारे ऊपर फेंकी और बाहर निकलने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे और कल्पना को बगल की कोठरी में बंद कर दिया और हमारे एक-एक सामान को उलट-पुलट कर छान डाला। बीस मिनट बाद हमारी कोठरी तक जाने वाली तीनों सीढ़ियों पर चिट्ठियाँ, तेल की शीशियाँ साबुन, रुई, किताबें और अखबार बिखरे पड़े थे। हमने तय कर लिया था कि किसी भी तरह से हमें भय-भीत नहीं होना है और हमने कोठरी में पडी अल्पमूनीनियम की एक तश्तरी पर जोर-जोर से थाप देते हुए गला फाड़-फाड़ कर गाना शुरू किया। बाद में एक महिला वॉर्डर ने हमें बताया कि हमारे गाने से सुपरिटेंडेंट बहुत हतोत्साहित हो रहा था। हमारी सारी चीजें ले लेने के बाद उन्होंने हमारी जामा-तलाशी के लिए एक महिला वॉर्डर को भेजा। उसे एक पेंसिल के अलावा और कुछ नहीं मिला जिसे कल्पना ने पेटीकोट में नाडा डालने के लिए बनी जगह में छिपाकर रख लिया था। हमारा सारा कोयला फर्श पर बिखेर देने के बाद वे चले गये। हमने शांत होने की कोशिश की पर इस घटना के आघात के कारण हम आराम नहीं पा सके।

जेल-अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा सुधार का काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। हर रोज की तरह उस रोज सवेरे हमारी कोठरी का ताला नहीं खोला गया। हमें अपने पिजड़े में बंद रहने दिया गया जब कि अनेक वॉर्डरों के साथ

लगभग बीस कैंदी हमारे अहाते में घुम आये, उन्होंने झाड़ियाँ उखाड़ दीं, पेड़ काट कर गिरा दिये और ममूचे बागीचे को ग़ोद डाला। उनका विध्वंस समाप्त होने के बाद हमने देखा कि हमारा प्रिय नीम का पेड़ किसी पदार्थ या पशु की बरह फ़ीट की एक प्रतिमा-जैसा बना दिया गया है, चमेली के सारे पौधे समाप्त हो गये हैं और यही हालत बगनबेनिया, अमरूद, आम, नींबू और मोठी खुशबू वाले गुलइची के फूल वाले पौधों की है। आखिर में जब हमे बाहर निकाला गया तो हम दुःखी मन से शत-विशत लाल मैदान में इधर से उधर घूम रही थी जैसे अपने दोस्तों के खोने का गम मना रही हों। इन पेड़ों और बाग-बागीचों के जरिए प्रकृति के साथ हमारा जो सम्पर्क कायम हुआ था उससे हम अपने जेल-जीवन को बरदाश्त करने योग्य बन सके थे। अब यह भी हमसे छीन लिया गया था।

इस घटना के बाद हमें ऐसा लगा कि रातों-रात यह जेल एक किले का रूप ले चुका है। बाद के दिन एक अप्रत्याश पूर्व सूचना से भरे थे। हम लोगों के प्रति अपने पहले के लगाव के कारण खुद भी सहमी और डरी हुई वॉर्डर महिलाएँ अन्य कैंदियों को हमारे नजदीक न आने की चेतावनी दे रही थी और धमकी दे रही थी कि यदि उन्होंने जेल के बाहर और भीतर की गतिविधियों की हमें खबर दी तो उन्हें पीटा जायेगा। हम कटे-कटे-से, क्रुद्ध और असहाय स्थिति में थे और चारों ओर से विद्वेष की कगारोवाले संदेह के सागर से घिरे थे। हमने बड़ी बेचैनी से दिन काटे। किसी काम में मन नहीं लगता था और सदा यह सोचते रहते कि न जाने हमारी कोठरी की दीवारों के बाहर क्या घटित हो रहा है। हमें एक अफ़वाह सुनने को मिली कि सभी नक्सलवादी कैंदियों की तलाशी ली गयी है। मैं अमलेन्दु के बारे में सोचने लगी। वह अब भी कैंड-ननहाई में है और जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में हम लोगों की अपेक्षा उसे कम ही जानकारी हो पाती होगी। मैं जानती थी कि वह मेरे बारे में चिंतित हो रहा होगा पर कोई तरीका ऐसा नहीं था जिससे उसे बताया जा सके कि मैं बिलकुल ठीक हूँ। वॉर्डरों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी थी और कोई संदेश भेजने की आशा करना बेकार था।

एक बार फिर हम लोगों को रात में अलग-अलग कोठरियों में बंद किया जाने लगा। महिला वॉर्डरों और मेटिन द्वारा हमारी किताबें, असवारों, पत्रों और खाने की जाँच की जाती थी। पहले के दोस्ताना और हमदर्दी भरे व्यवहार का कोई संकेत भी देखने को नहीं मिलता था। उजाड़े गये बाग-बागीचों का सूनापन हमारी खुद की मानसिकता में प्रतिबिम्बित हो रहा था। गीत गाने, हँसी-मजाक करने या अपने खाने की सूची में नयी-नयी चीजों को शामिल करने की योजनाएँ बनाने में अब हम असमर्थ थे और पूरी तरह पराजित, व्यथ और असुरक्षित हम यह सोचते रहते कि अब क्या होने जा रहा है। शाम को वॉर्डर का दैनिक निरीक्षण अब जितनी बारीकी से किया जाता था उतना पहले कभी देखने में नहीं आया। एक दिन वह सरसों और नारियल के तेल की बोतलें लेता गया जो खाना बनाने और कल्पना के बालों के लिए था। मैंने इसका विरोध किया पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, बोतलें रखने की अनुमति नहीं है और वह इन्हें जेलर को दिखायेगा। ये सारी बातें बड़ी हास्यास्पद थीं, ये बोतलें तलाशी के काफी समय पहले से यहाँ मौजूद थीं—अलबत्ता उसने इन पर ध्यान नहीं दिया था। अब वह मुझ पर नियम-भंग करने का इस तरह आरोप लगा रहा था जैसे मैंने जान-बूझकर निर्देशों का उल्लंघन किया हो। मुझे बेहद क्रोध आया लेकिन मैं कुछ नहीं कर

सकती थी ।

मौभाग्य से हमारे पास अभी भी कुछ दोस्त बच रहे थे । इनमें से एक थी सुकरी । वह एक हरिजन औरत थी और हजारीबाग से कुछ दूर स्थित एक कारखाने में जमादारनी का काम करती थी । उस पर और उसके पति पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पास तांबे के चुराये गये तार रखे थे । सामान्यतया इस अपेक्षाकृत मामूली-मे अपराध में जमानत मिलने में न तो कोई दिक्कत होती है और न अधिक पैसा ही खर्च होना है । लेकिन पास में जमीन या जायदाद न होने से और वकील की वेईमानी के कारण उन्होंने बचाये गये अपने सारे पैसे भी फूँक डाले और फिर भी जेल में नहीं निकल सके । शुरू के कुछ हफ्तों के बाद हमने जान लिया था कि उनका वकील उन्हें ठग रहा है । हमने सुकरी से कहा कि वह अपने पति को मना कर दे कि वह अब वकील को पैसे न दे लेकिन नौकरी चली जाने से पहले जेल से छूट कर काम पर पहुँच जाने की चिन्ता में वे भोलेपन के साथ सब तक पैसे देते रहे जब तक उनका हाथ बिलकुल खाली नहीं हो गया ।

अब हमारी कठिनाई के दिनों में सुकरी को हमारी दी गयी सलाह याद आयी और वह हमारे साथ हो गयी । हर पन्द्रह दिन पर वह अपने पति से मिलने कचहरी जाती थी । उसका पति एक नक्सलवादी सेल में जमादार का काम करता था और नक्सलवादियों तथा उनके हमदर्द समझे जाने वाले सभी कैदियों की तरह उसके भी पैरों में वेडी डाल दी गयी थी । अब दिन भर वह अपनी कोठरी में पड़ा रहता । जब भी वह कचहरी से लौटती, और जैसे ही उसे घीरे से हमसे बात करने का मौका मिलता, वह हमें बता जाती कि अन्य नक्सलवादी कैदियों के साथ क्या हो रहा है । पुरुषों के वॉर्ड में हमारी तुलना में और भी ज्यादा जवदंस्त ढंग से तलाशी ली गयी और तलाशी का यह काम हर रात चलता रहा । कहा जाता था कि इन वॉर्डों में से एक की दीवार के पास डायनामाइट की छड़ें पायी गयीं । यह भी अफवाह थी कि जिन कैदियों ने गैरकानूनी ढंग से डायनामाइट की छड़ें अन्दर लाने में कामयाबी पायी थी उन्होंने स्पेशल ब्रांच पुलिस की थाँख में पूरी तरह धूल झाँक दी थी । काफी रात गये सुपरिटेण्डेंट को उनके वलब से बुलाया जाता था ताकि वह अपनी देखरेख में तलाशी ले । हमने कई लोगों से इन अफवाहों के बारे में पूछताछ की लेकिन किसी भी स्रोत से इनकी पुष्टि नहीं हो सकी ।

एक दिन सुकरी कचहरी से हमारे एक सहप्रतिवादी का पत्र छिपाकर लायी । इसमें हम लोगों को चेतावनी दी गयी थी कि हम सतर्क रहें और किसी भी तरह के उकमावे में न आयें । एक हमदर्द वॉर्डर ने उन्हें बताया था कि अगली बार हर महीने खतरे की घंटी बजने का रिहर्सल जब शुरू होगा ठीक उसी समय नक्सलवादी वॉर्ड पर ध्यापक प्रहार करने की योजना बनी है । उसने जेल के कार्यालय में इस विषय पर अधिकारियों को चातचीत करते सुन लिया था । इस पत्र को पाकर हम हर धार से भी ज्यादा सतर्क हो गयीं लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए हम किस तरह की तैयारी करें ।

सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दिये जाने से खुद जेल के कर्मचारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा था । जब भी वे ड्यूटी पर आते थे या ड्यूटी समाप्त करके घर जाने लगते थे तो उनकी तलाशी ली जाती थी और इसीलिए अब वे अपनी आदत के मुताबिक भंडार-गृह से निकाले गये या कैदियों से खरीदी गयी खाने-पीने की चीजों और अन्य सामान को बाहर ले जाने में असमर्थ थे । हमें पता चला कि कुछ नयी उम्र के वॉर्डरों ने, जिनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं और जो जेल

## हजारीबाग का वाच टावर



के अन्दर से प्राप्त होने वाले सस्ते सामानों पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, इन नये प्रतिबंधों से निपटने के लिए एक अद्भुत लेकिन खतरनाक तरीका ढूँढ निकाला है। वाँच टॉवर पर जिनकी ड्यूटी लगी होती थी वे एक रस्मी में बाल्टी डालकर जेल के भीतरी अहाते में उसे लटकवा देते थे। इस बाल्टी में जेल के कंदी चावल, आलू, आटा या सरसों का तेल भर देते थे और बाल्टी ऊपर धींच ली जाती थी। इसके बाद उसी बाल्टी को जेल के बाहर लटका दिया जाता था जहाँ वाँडरों के साथी या उनके परिवार के सदस्य इनमें से सारा सामान निकाल लेते थे। इसमें कोई शक नहीं कि पकड़े जाने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना ही पड़ता।

सामान्यतया नये कायदे-कानूनो और लगातार जाँच-पड़ताल तथा तलाशी से जेल के कर्मचारी चिढ़ गये थे और नक्सलवादियों से बहुत असंतुष्ट थे। इनका खयाल था कि इन सारी परेशानियों की जड़ में नक्सलवादी कंदी है। खुद हमारे वाँडरों में मेटिन और एक महिला वाँडर बहुधा अन्य कंदियों से बताया करती थी कि नक्सलवादियों के आने से पहले तक जेल एकदम 'घर-जैसा' था लेकिन इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। फिर भी फलों के पेड़ और सब्जियों वाला बागीचा उजाड़ने की सुपरिंटेंडेंट की कार्रवाई से औरतें बहुत झुग्ध थी। गाँव की होने के नाते और पर्याप्त छाद्यान्न पैदा करने के लिए कठिन समयों के अनुभव से गुजरने के नाते वे खाद्य पदार्थ पैदा करने वाली किसी भी चीज़ की बर्बादी को अपराध समझती थी। वे भविष्यवाणी करती थी कि सुपरिंटेंडेंट को भगवान से इसकी सजा मिलेगी। दंडित होने के भय से वे कुछ हफ्तों तक हमसे दूर-दूर रहीं लेकिन धीरे-धीरे वे फिर हमारे पास आने लगी और बातचीत करने लगी।

तलाशी के बाद सुपरिंटेंडेंट अक्सर निरीक्षण के लिए आ जाया करता।

यहाँ तक कि रात में भी वह बराबर निगाह रखता था और वॉच टॉवरों तथा ड्यूटी चौकियों के चक्कर लगाता हुआ वह इस बात की जाँच करता कि कोई वॉर्डर सो तो नहीं रहा है। तीन जवान वॉर्डर ड्यूटी पर सोते हुए पकड़ लिये गये और निलंबित कर दिये गये। सारी रात हमें एक टॉवर से दूसरे टॉवर तक चिन्ता कर बताया गयी क्राइडियों की गिनती सुनायी पड़ती, बगल के वाडों की सलाखों की लोहे की छड़ से जाँच के लिए पीटने की आवाज सुनने में आती, तालों की खड़-खड़ाहट और घंटियों के बजने की आवाज सुनायी देती। दिन के समय भी सुपरिटेण्डेंट जेल के चक्कर लगाता रहता और चारों तरफ देखता जाता कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। एक दिन दोपहर बाद हमारे वॉर्डरों में प्रवेश करते ही उसने ड्यूटी पर तैनात महिला वॉर्डर को हमारी कोठरी की तलाशी लेने के लिए भेजा और उसे बताया कि उसे गोली मारने के लिए हमने एक पिस्तौल छिपा कर रखी है। एक और दिन हमारे राशन पर रखे बोरों को उठाकर उसने देखा कि नीचे दो संतरे रखे हुए हैं जिन्हें डॉक्टर ने मेरे लिए भिजवाया था। इन संतरों को अपनी छड़ी से ठोकते हुए उसने जानना चाहा कि हमे किसने अमरूद लाकर दिया है। जब तक उसने खुद सूँघकर देख नहीं लिया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह अमरूद नहीं, संतरे हैं।

उस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक लगभग हर रोज बारिश होती रही। हमारे कपड़ों और किताबों में सीलन भर गयी थी और फर्फूददार घन्बे पड़ गये थे और चावल तथा आटे का स्वाद कड़वा हो गया था। बारिश का पानी दीवारों और छत से रिस-रिस कर कोयले, जलाने की लकड़ी, कम्बलों और बोरों को तर कर रहा था। जेल से बाहर विहार का एक बहुत बड़ा इलाका हफ्तों से जलमग्न था, फसल बर्बाद हो गयी थी। रोज की सब्जी के नाम पर हमें काले हो गये आलू मिलते थे जिनको मुँह में डालते ही अजीब बदबू से तथीयत भग्ना उठती थी। आसमान हमेशा बादलों से भरा रहता था और सामने का बागीचा एक दलदल बनकर रह गया था।

ऐसी ही, एक इतवार की अपराह्न, मूसलाधार वर्षा में मैं अंगीठी को किसी तरह जलाने की कोशिश कर रही थी ताकि हम शाम के लिए चपातियाँ बना सकें कि तभी छतरे की घंटी टनटना उठी और वॉर्डरों के सीटियों की तेज आवाजें सुनायी पड़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात महिला वॉर्डर हमें अपनी-अपनी कोठरियों में बंद करने के लिए दौड़ पड़ी। अभी हमारी कोठरियों के ताले बंद भी नहीं हुए थे कि गोली चलने की आवाज आने लगी। अगले दो घंटे तक जेल के हर कोने से गोली चलने की आवाजें आ रही थी और मैं अपनी कोठरी में बंद, एक असहाय की तरह दरवाजों के सीखचों को कसकर पकड़े गोली चलने की आवाजें सुनती रही। हमारी वॉर्डर इस भय से कि कहीं से कोई गोली उसे न लग जाये, छिपकर छड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा शरीर काँप रहा था। बाहर जो कुछ हो रहा था उसे न जान पाने की यंत्रणा से लग रहा था कि मेरा सर फट जायेगा। लगभग ५ बजे चीफ-हेड वॉर्डर महिला क्राइडियों की गिनती करने आया। वह बेहद घबराया हुआ था। सर पर टोपी नदारद थी, बाल बिपरे हुए थे और पाँवों में जूते भी नहीं थे। रात में नौ बजे जेल के चारों तरफ स्थित खेमों के बाहर मिलिटरी पुलिस का एक दल हमारी तलाशी लेने आ गया। उनके अफसर ने बड़ी उपहासपूर्ण मुद्रा में मुझे बताया कि कुछ नक्सलवादी मारे गये हैं। हमारी कोठरियाँ फिर अगले दिन सबेरे तक नहीं खोली गयीं। उस दिन हमने महिला वॉर्डरों से इस

घटना के बारे में जानना चाहा पर वे चीफ-हैड वॉर्डर के डर से खामोश रही। हमें बहुत परेशान देखकर उनमें से एक ने यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि तम्बाकू और बीड़ी के प्रश्न पर कुछ कैदियों और वॉर्डरों में झगड़ा हो गया था और गोली चलने की जो आवाज़ हमने सुनी थी वह हवा में छोड़ी गयी गोलियों की आवाज़ थी। हम जानती थीं कि वह जो कुछ कह रही है, सच नहीं है।

अगले दिन सबेरे, औरतों का खाना लाने वाले कैदियों में से एक ने अपने चेहरे के सामने हाथ उठाकर उँगलियों से इशारा करते हुए बताया कि दस कैदी मारे गये हैं। मैं इसी संदेह में पड़ी रही कि उनमें कहीं अमलेन्दु भी तो नहीं है। कभी-कभी मैं कल्पना करती कि वह मर चुका है फिर अपने को इतमीनान दिलाती कि उसे कुछ नहीं हुआ होगा। कई सप्ताह बाद जब उसकी बहनें उससे मिलने आयीं और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उससे वे मिल चुकी हैं और बात कर चुकी हैं तब कहीं जाकर मुझे निश्चित रूप से पता चल सका कि वह सही-सलामत है। दरअसल मेरे सह-प्रतिवादियों में से कोई भी इस घटना की चपेट में नहीं आया था। गोलीकाण्ड २५ जुलाई, १९७१ को हुआ था और अगस्त के उत्तरार्द्ध में मुझे संदन टाइम्स में पढ़ने को मिला कि उस दिन की घटना में १६ नक्सलवादी मारे गये थे। उप-उच्चापुक्त ने कुछ ही दिनों पहले से मुझे संदन टाइम्स भेजना शुरू किया था जिसे जेल-अधिकारियों ने सेंसर करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। कुछ दिनों बाद मुझे टाइम्स ऑफ़ इंडिया में प्रकाशित एक विवरण से पता चला कि मारे गये नक्सलवादियों में से १२ को पुलिस ने पीट-पीटकर मार डाला था। इसके भी कई दिनों बाद एक महिला वॉर्डर ने उस दिन की पूरी कहानी बतायी। उस दिन नक्सलवादी कैदियों का एक गुट अपने मेल से निकल भागा था और जेल के फाटक तक पहुँच गया था। जाहिर था कि उनका इरादा जेल से निकल भागने का था। जेलर ने उन्हें देख लिया था और उसने वॉर्डरों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जो लोग सचमुच अपनी कोठरियों से निकल भागे थे उन्हें गोली से मृत देने के बाद 'विश्वासपात्र' कैदियों की मदद से हथियारबंद वॉर्डरों ने नक्सलवादियों के अन्य वॉर्डों पर घावा बोल दिया कैदियों को उनकी कोठरियों से खींच-खींचकर निकालना और पीटना शुरू कर दिया और कुछ को अत्यन्त नज़दीक से गोली मार दी। लगभग आधा दर्जन कैदियों से जिस घटना की शुरुआत हुई थी, देखते-देखते उसकी परिणति यह हो गयी कि लोग अंधाधुंध मारे जाने लगे। १६ नक्सलवादियों के मारे जाने के अलावा घटना के एक महीने बाद तक ३१ कैदी घायल अवस्था में जेल के अस्पताल में पड़े रहे। हालाँकि कई वर्षों बाद मुझसे चीफ-हैड वॉर्डर ने बताया कि उस समय यदि वह ड्यूटी पर रहा होता तो खून-खराबे की नौबत नहीं आती, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नक्सलवादियों के एक छोटे गुट द्वारा जेल तोड़ने की कोशिश ने अधिकारियों के हाथ में यह अवसर दे दिया था जिसकी वे काफी दिनों से तलाश कर रहे थे।

उस साल मेदिनीपुर, बरहामपुर, दमदम, पटना और कलकत्ता की जेलों में हुई यागदातो में पुलिस की गोली में लगभग ४५ नौजवान मारे गये थे। बाद में और लोगों की हत्या हुई। हजारोंवाग की घटना की जाँच भी हुई और इसमें चौकने की बात नहीं है कि जाँचकर्ता ने— जो एक अवकाश-प्राप्त जज थे— अपने फँसने में गोमीकाष्ठ को उचित ठहराया। 'बक्रादार' कैदियों को, जिन्होंने कुछ व्यक्तियों की पीट-पीटकर मार डालने में मदद की थी, पुरस्कार-स्वरूप सजा में पाँच-पाँच साल की छूट दे दी गयी।

नगता था जैसे जेल की घटनाएँ अधिकारियों का मन भरने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन सेंसर की स्थाही से बच निकले एक समाचार से मुझे पता चला कि उत्तरी कलकत्ता में बारासात में सड़क के किनारे ग्यारह युवकों को लार्ड बिखरी हुई मिली जिनके बारे में मंदेह किया जाता है कि ये नक्सलवादी थे। लोगों का अनुमान था कि ये हत्याएँ तथा कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्रों— दमदम और डायमंड हावर् में इसी तरह की और रहस्यमय ढंग से बड़े पैमाने पर की गयी हत्याएँ पुलिस ने की है। नक्सलवादी युवकों को धाने में पीट-पीटकर मार डालने की खबर कई बार अखबारों में छपी। एक समाचार-पत्र में किसी पाठक ने पत्र वाले स्तम्भ में लिखा कि वह रात में सो नहीं पाता है क्योंकि उसके मकान के पास स्थित पुलिस-घाने में लोगों को इतना पीटा जाता है कि वे जोर-जोर से रात भर चीखते रहते हैं। कल्पना को कुछ दिनों से अपने परिवार के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। बाद में हमें पता चला कि उसके एक भाई और एक भतीजे को नक्सलवादियों का हमदर्द बताकर गिरफ्तार किया गया है। उन्हें तीन महीने तक हिरासत में रखने के बाद रिहा किया गया।

अपनी गिरफ्तारी के काफी दिनों बाद मेरी मुलाकात अचानक एक महिला से हुई जो एक जेल-अधिकारी की रिश्तेदार थी। वह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रहनेवाली थी। उसने मुझे बताया कि उन अंधकारपूर्ण दिनों में उसके घर के आसपास के गाँवों में पुलिस, नवयुवकों को आवाज देकर घरों से बाहर बुलाती थी और दरवाजे तक आते ही उन्हें गोली मार देती थी। ऐसा लगता था कि कानून लागू करनेवाली सारी संस्थाएँ व्यापक आतंक पर उतारू हो गयी थीं ताकि लोगों को नक्सलवादियों का रास्ता अस्तित्वार करने से रोका जा सके।

जुलाई की उस इतवार के बाद जेल ने एक नयी शकल धारण कर ली। हजारोंबाग जेल का जिस समय निर्माण हुआ था, वह अपने पेड़ों और बाग-बागीचों की वजह से एक आदर्श जेल माना जाता था। अब आम, अमरूद, कटहल और कैथ के दर्जनों पेड़ काट डाले गये थे ताकि चौकसी के लिए बने वॉच टॉवर से सारे वॉर्ड साफ-साफ दिखायी पड़ें। दिन भर पेड़ों के कटने और चरचरा कर गिरने की आवाज सुनायी देती रहती। एक-एक करके जैसे-जैसे ये पेड़ गिरते जाते थे, हमें ऐसा लगता हमारी रक्षा के लिए बनायी गयी सीमाएँ टूटती जा रही हैं और अब हमारे तथा हमारी निगरानी के लिए तैनात प्रहरियों के बीच एक खुली युद्ध-भूमि है। हमारी दीवार के ठीक परे वाले आम के दो विशालबाग पेड़ों को काट दिये जाने के बाद से हम लगभग ६० गज की दूरी पर स्थित सबसे नजदीक वाले वॉच टॉवर पर खड़े संतरी को साफ-साफ देख सकते थे जो सारे दिन राइफल को रखे आँधी-पानी में खड़ा रहता था। ऐसा लगता था कि वे अब एक दूसरे गोली-कांड की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि रात में अपनी कोठरियों में सोते समय भी हम अपने को एकदम असुरक्षित महसूस करती थी— हम वॉच टॉवर से साफ-साफ दिखलायी पडती थी और पूरी तरह संतरी की गोली की पहुँच में थी।

मुझे महसूस होता था कि मैं एक युद्धबंदी हूँ लेकिन जेल के बाहर के लोगों को मैं कैसे बता सकती थी कि अन्दर क्या हो रहा था? यह जानकर कि मेरी ओर से कोई खबर न पाकर और खासतौर से ब्रिटिश अखबारों में प्रकाशित गोलीकांड वाली खबर देखकर मेरे माँ-बाप कितने चिन्तित होंगे— मैंने उन्हें दो-चार पक्षियाँ लिखनी चाही कि सब-कुछ ठीक चल रहा है और मेरा जीवन शांति-पूर्ण तथा आनंदमय है। इसमें कोई शक नहीं कि सेंसर के लोग मुझसे बहुत खुश



हुए। मैं अर्धसत्य लिगने से पूणा करती थी लेकिन मैं जानती थी कि यही एवमात्र तरीका था जिम्मे मेरे बारे में कोई समाचार मेरे माँ-बाप तक पहुँच सकता था।

कैदी बेचारे डरे-डरे-से रोज का काम करते, महिला वॉर्डें हमारे वॉर्डें में घूमने वाले हर व्यक्ति को तलाशी लेतीं और हमारी ओर मंदेह से देखतीं। कुछ न तो दूगरी औरतों को आगाह किया कि अपनी दुर्दशा और अन्यायों के बारे में जवान न गोलना करना नक्सलवादियों की गूची में नाम डाल दिया जायेगा और कैद-ननहाई के रूप में एक कोठरी में बंद हो जाना पड़ेगा। फिर भी इन गरी स्थितियों के बीच गंभुनिमा के बूढ़े और झुर्रीदार चेहरे वाले पति ने उम ब्रॉक की तरफ जाने का उत्तरा दिया जिसमें अमलेन्दु की कोठरी थी ताकि वह उमरा हानचाल न सके। हालाँकि वस्तुतः अभी वह उम ब्रॉक तक पहुँच भी नहीं पाया था जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था थी थी कि उमो दिन उम बूढ़े व्यक्ति पर नक्सलवादियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और एक कोठरी में बंद कर दिया गया। वह उस कोठरी में तब तक बंद रहा जब तक उसके एक नहके ने चीफ-हैड वॉर्डें को दम रुपये घूम के रूप में नहीं दे दिये। उमकी इस मुमोबत के लिए अपने को दोषी मानकर मैं अपराध-मात्र में प्रस्ता हो गयी पर उमने इस सम्बन्ध में कुछ सोचा ही नहीं। उमने एक मदेन के जरिए मुझे आशवागत दिया कि वह फिर कोशिश करेगा।

इस भीषण वरसात के मौसम के दौरान लगातार समाचारपत्रों में पाकिस्तान के साथ युद्ध की भूमिका तैयार की जाती रही। अखबारों में प्रकाशित तमाम लेखों में राष्ट्रीयता की भावना को उभारने की एक अनगढ़ कोशिश की जा रही थी। मार्च से ही पूर्वी पाकिस्तान में गृह-युद्ध भटक उठा था, तमाम शरणार्थी सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर रहे थे और कल्पना के चारो तरफ बने सिक्किम में वे अत्यन्त दुःसह स्थितियों में रह रहे थे। ऐसा लगता था कि भारत हस्तक्षेप करने का रास्ता बना रहा था। अगस्त में भारत और सोवियत संघ के बीच शान्ति, मैत्री तथा सहयोग सम्बन्धी संधि सम्पन्न हुई जिसकी व्यापक रूप से यह ब्याख्या की गयी कि यह भारत सरकार को पूर्वी बंगाल में अपनी सेना भेजने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

१९७१ के अगस्त के अंतिम दिनों में सुपरिटेण्डेंट एक बार फिर अचानक ही हमारे वॉर्डें में आया— इस बार उसके साथ एक पुलिस अफसर था जिसने अपना नाम बताने से और यह बताने से कि वह कहाँ से आया है, इनकार किया। उसने मुझसे पूछताछ शुरू की—मेरा नाम राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नम्बर और तमाम ब्यौरों की जानकारी ली, जो पहले से ही अधिकारियों के पास दर्ज थी। कल्पना ने मुझसे फुमफुसा कर कहा कि इन सारी बातों को दुहराने की कोई तुक नहीं है। उसकी इस साधारण टिप्पणी पर सुपरिटेण्डेंट ने अप्रत्याशित रूप से उस प्रतिक्रिया ब्यक्त की। अपने हाथ की छड़ी उठाकर उसने कल्पना को बगल की कोठरी में जाने का आदेश दिया। कल्पना के पीछे-पीछे जब मैं भी जाने की कोशिश करने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोक दिया और दहाड़ते हुए बोला कि मैं जहाँ रखी हूँ, वहाँ से इधर-उधर न घिसकूँ और पुलिस अफसर के सबालों का जवाब दूँ। अब तक मैं पन्द्रह महीने जेल में काट चुकी थी और मुझे पता चला था कि नियमत-जेल के अहाते में पुलिस विभाग के अधिकारियों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैंने फौमला किया कि चाहे कुछ हो जाय मैं किसी भी हालत में अब सबालों का जवाब नहीं दूँगी।



होने की कमी जितनी छलेगी उसे मैं इन्हें बता नहीं सकूंगी। इतने दिनों के साथ के दौरान हम एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ गयी थीं। कल्पना एक अच्छे पाते-पीते मध्यवर्गीय परिवार की लड़की थी पर अपने देशवासियों की पीड़ा के अहसास ने उसे एक सुधी' व्यवस्थित शादी-शुदा जिन्दगी और आरामदेह पर-परिवार के सुगम रास्ते पर चलने से रोक दिया और वह कलकत्ता की गन्दी बस्तियों में काम करने लगी। भूख, बीमारी, हिंसा और मृत्यु के सम्पर्क ने उसे तपा दिया था। उसकी तुलना मे मैंने बहुत सुगम और सुरक्षित जीवन बिताया था और आज उसके न होने से मैं बहुत अरक्षित महसूस कर रही थी। फिर भी ऊपर से नउर आने वाली इस अड़ियल लड़की को मैंने एक साथी क़ैदी की दुखद जीवन-गाथा को सुनकर फूट-फूटकर रोते देखा था और मैंने देखा था कि किस तरह एक बीमार औरत की देखभाल के दौरान वह खाना, पीना, या बालों में कंधो करना भूल गयी थी। कठिन स्थितियों में भी हँसते रहना, हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करने वाली का मज़ाक उड़ाना, अन्याय के खिलाफ़ क्रोध उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना और ज़रूरतमंदों की निःस्वार्थ भाव से सेवा करना कल्पना के ही वंश की बात थी। बाद के वर्षों में अधिकारियों के साथ संघर्ष के दौरान न जाने कितनी बार मुझे उसकी कमी छटकती और मैं सोचती कि आज यदि वह होती तो मुझे कितनी ताकत मिलती।

उस शाम मैं छोटे बच्चे प्रकाश को, जिसे कल्पना बेहद प्यार करती थी, अपनी गोद में लेकर बगीचे में टहलती रही और सोचती रही कि न जाने कल्पना और अमलेन्दु कहाँ होंगे, न जाने उन पर क्या बीतेगी यदि उन्हें कलकत्ता के कुख्यात पुलिस हैडक्वार्टर लाल बाज़ार ले जाया गया। मुख्य बॉब टॉवर की ओर इशारा करते हुए प्रकाश बोला, "कल्पना मीसी कहाँ है? वह कब वापस आएंगी?" काश, मैं उसके इस सवाल का जवाब दे पाती।



## मेरे संगी-साथी

मेरी बगल की कोठरी अब खाली हो गयी थी इसलिए रात के समय बहुत अकेलापन महसूस होता था। एक या दो सप्ताह बाद लेउनी नाम की एक मुवा महिला बॉर्डर, जो मुझे देखकर बहुत अफ़सोस करती थी, मेरे पास आकर बैठने लगी। उसने मुश्किल से अपनी किशोरावस्था को पार किया था और मुझे आश्चर्य होता था कि वह कैसे इस जेल की बॉर्डर बन सकी। उसने मुझे बताया कि उसके सौतेले पिता की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाइयों ने लेउनी की माँ को और उसके पाँच छोटे-छोटे बच्चों को घर से निकाल बाहर किया। उन्हें डर था कि ये लोग मृत पिता की जमीन का एक हिस्सा पाने का दावा करेंगे। लेउनी को गरीबी के वे दिन खूब अच्छी तरह याद हैं। अपना घर न होने की वजह से माँ और बच्चे एक परिचित परिवार के आँगन में सोते थे। लेउनी के परिवार के सदस्यों के पास न तो कोई वर्तन थे और न खाने के लिए कोई थाली। वे दिन भर में एक बार खाना खाते थे और खाने में उबला हुआ चावल और पत्तियाँ होती थी। आँगन में खड़े एक पेड़ की पत्तियों को उवालकर कभी-कभी खा लेने से थोड़ा फेर-बदल हो जाता था। बाद में उसे और उसकी माँ को मजदूर का काम मिल गया जहाँ वे अपने सर पर तसलो में ईंट और सीमेंट ढोया करती थीं। अब वह अपने को इस बात के लिए खुशकिस्मत समझती है कि उसे एक ऐसी सरकारी नौकरी मिल गयी है जिसमें कुछ सुरक्षा की गारंटी है, नियमित रूप से खाना मिल जाता है और इतना पैसा मिल जाता है कि वह अपने छोटे भाइयों को स्कूल की फ़ीस दे सके।

जेल की अन्य तमाम महिला बॉर्डरों की ही तरह वह भी एक आदिवासी-परिवार से आयी थी जिसे ईसाई-मिशनरियों ने धर्म-परिवर्तन के जरिए ईसाई बना लिया था लेकिन अपने ही वर्ग की कुछ अन्य महिलाओं के विपरीत वह अपनी जाति के उन सदस्यों को, जिनका धर्म-परिवर्तन नहीं हुआ था, जगली नहीं कहा

करती। इसके अलावा वह योरोपीय तौर-तरीकों की नकल करने की भी कोशिश नहीं करती थी। जैसे-जैसे उसके बारे में मेरी जानकारी बढ़ती गयी, उसके साहस और साफगोयी के लिए मेरे मन में एक सम्मान भी विकसित होने लगा और मैं उससे दोस्ती चाहने लगी। उसके तथा जेल के अन्य कर्मचारियों के बीच एक उल्लेखनीय अन्तर यह था कि उसने कभी न तो कैंदियों पर अपराधी होने का आरोप लगाया और न उनसे यह ही कहा कि उन्हें इस बात के लिए अपने को भाग्यवान समझना चाहिए कि सरकार उनका पेट पाल रही है। वह जानती थी कि जेल में आने के लिए जरूरी नहीं कि अपराध किया ही जाये या कोई अपराधी ही जेल में आये। उन दिनों को याद करते हुए जब उसके पास कुछ भी नहीं था, वह अपने कपड़े बचाकर रखती जाती थी और उन कैंदियों को दे देती थी जिनके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था। आमतौर पर वह हम सबके लिए बड़ी दयालु और उदार थी।

उस वर्ष हिन्दुओं के सबसे बड़े त्योहार दुर्गापूजा के अवसर पर पुरुष कैंदियों को कोठरियों के अन्दर पन्द कर दिये जाने के बाद मुझे इस बात की इजाजत दी गयी कि मैं भी अन्य महिलाओं के साथ अपने 'मनोरजन' के लिए उस भवन तक जाऊँ जहाँ कैंदियों ने दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित की थी। इस भवन को 'स्कूल और पुस्तकालय' कहा जाता था जबकि मुझे न तो वहाँ कोई पुस्तक दिखायी दी और न कोई ऐसा सामान ही देखने को मिला जिससे इस नाम का औचित्य ठहराया जा सके। यह भवन महिलाओं की टर्मिटरों का एक छोटा-सा रूप था जिसका इस्तेमाल पुरुष कैंदियों के खेल के लिए किया जाता था। भवन के अन्दर तह किये कमरों पर खामोश भूतों की तरह घँसी आँखों वाले कुछ लोग पालथी मारकर बैठे थे। सीखचों वाले दरवाजे के बाहर हम इकट्ठा हो गये जहाँ से 'दुर्गा माँ' को देख सकें। हम लोगों के पीछे जेल के कार्यालय के कुछ कर्मचारी खड़े थे जो छुट्टियों के अनुरूप अच्छे-से-अच्छे कपड़े पहने थे और हमारी निगरानी कर रहे थे। अचानक वातावरण की खामोशी भंग हुई और प्रकाश की अपंग माँ की चीख सुनायी पड़ी : 'दुर्गा माँ, मेरे बच्चे के अंडकोपो में सूजन आ गयी है मुझ पर दया करो।' चीख सुनकर जेल-कार्यालय के बलकों और हमारे बीच एक दबी फुसफुसाहट हुई। फिर एक सहायक जेलर ने कहा, "कौन है? विशनी? मुझे पता था।" सचमुच प्रकाश के अंडकोपों में सूजन आ गयी थी और उसकी माँ ने फँसना किया था कि चूँकि डॉक्टरों की दवा से वह ठीक नहीं हो रहा था और बाजार से लाया गया जतर भी काम नहीं कर रहा था, वह खुद माँ दुर्गा से प्रार्थना करेगी। आश्चर्य की बात है कि वह बच्चा जल्दी ही अच्छा हो गया। हम जब भी उसकी इस प्रार्थना को याद करके हँसते तो वह क्षण से जवाब देती : "मेरी प्रार्थना ने काम किया। क्या मैं गलत कह रही हूँ?"

छुट्टियों के कुछ ही दिनों बाद निगरानी की व्यवस्था में थोड़ा फेर-बदल किया गया। एक नयी महिला वॉर्डर हमारे वार्ड के लिए नियुक्त की गयी। तय हुआ कि अब से दिन की ड्यूटी पर दो और रात की ड्यूटी पर तीन वॉर्डर रहेंगे। इसके साथ ही सभी वॉच टॉवरों पर तेज रोशनी वाली सर्चलाइट लगायी गयी हाताँकि मेरे सबसे नजदीक वाली सर्चलाइट ने लगभग एक वर्ष बाद ही काम करना शुरू किया। मुझे रात में अकेले नहीं रहने दिया जाता था। तीन कैंदियों को मेरे साथ सोने का आदेश दिया गया था—ऐसा मेरे अकेलेपन को देखकर नहीं बल्कि मुझ पर निगाह रखने के लिए और मेरी गतिविधियों की खबर देते

रहने के लिए किया गया था। यह सारे परिवर्तन २५ जुलाई के गोलीकांड के प्रत्यक्ष परिणाम थे।

ऊपर से देखने पर हम चारों एकदम अपरिचित थे लेकिन हजारीबाग में नवम्बर की रातें बेहद ठंडी होती थी और मानसून की बारिश से अभी तक गीली धरती के कारण भोर होते ही चारों तरफ कोहरा फैल जाता था जो सीखचो से होते हुए हमारी कोठरी में पहुँच जाता था। हम चारों अपने बिस्तर पास-पास बिछा लेते थे ताकि हमें ठंड न महसूस हो और जाड़े की बेहद लम्बी शामें कहां-नियॉ-मुनाते और एक-दूसरे की पहेलियाँ बुझाते चिंता देते थे। इन चीजों में मैं सक्रिय रूप में भाग नहीं ले पाती थी क्योंकि मैं अभी तक हिन्दी की स्थानीय बोली अच्छी तरह नहीं बोल सकती थी। चूँकि अब कल्पना मेरे पास नहीं थी जो मुझे अंग्रेजी में अनुवाद करके इन लोगों की बातों को समझा देती इसलिए मेरा भाषा-ज्ञान अब तेजी से बढ़ रहा था।

सीखचों के एकदम पास बलुकानी सोती थी। बूढ़ी, दुबली-पतली और दमे की मरीज बुगकानी पहले एक कोपला खान में काम करती थी और एक मामूली-सी चोरी के अपराध में बिना मूकदमे के तीन सालों से जेल में पड़ी हुई थी। उसे हमेशा हल्का-हल्का बुखार रहता था और वह ठंड नहीं महसूस करती थी इसीलिए वह हमारे और फाटक के रास्ते आने वाली हवा के बीच सोने में खुशी महसूस करती थी ताकि हमें ठंड न लगे। उसकी बगल में मोहिनी सोती थी जो अपने पति और सबसे बड़े लड़के के साथ गिरफ्तार हुई थी। यह परिवार जमीन के सबाल पर एक लड़ाई में फँस गया था और इस लड़ाई में एक औरत की हत्या हो गयी थी। मोहिनी के चार छोटे-छोटे बच्चे गाँव में थे और वह यह सोचकर परेशान रहती थी कि उस छोटे-से खेत से उनका काम कैसे चलता होता होगा। जब भी कोई त्यौहार या पर्व पड़ता और हम कोई 'विशेष व्यंजन' बनाकर उसे खाने के लिए देते तो वह बँठकर रोने लगती और अपने बच्चों के बारे में सोचती कि वे न जाने क्या खा रहे होंगे। कभी-कभी उसका एक लड़का उससे मिलने जेल में आया करता था। हर मुलाकात के बाद वह घंटों बँठकर रोती रहती थी और सोचती रहती थी कि वे कितनी बुरी तरह कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं। एक दिन उसका लड़का यह खबर लेकर आया कि उसके दोनों बँल मर गये और अब चूँकि जमीन जोतने का कोई साधन नहीं रह गया है इसलिए वे सारी जमीन को बँधक रखना चाहते हैं और उस पैसे से अपनी माँ की जमानत का इतजाम करना चाहते हैं।

मेरी बगल में पन्नो नाम की एक प्रौढ़ विधवा सोती थी। वह मंत्राल जनजाति की थी जो अपने जुझारूपन और खासतौर से उन्नीसवीं सदी के छठे दशक में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने के कारण मशहूर है। बहुधा रात में वह मोते-सोते अपनी लड़की के बारे में सपने देखकर कभी ऐंठती थी तो कभी फुसफुसाती थी और कभी बड़बड़ाने लगती थी। उसने अपनी लड़की के सर पर एक बड़े पत्थर से मारकर हत्या कर दी थी। कभी-कभी सवेंरे-सवेंरे वह मुझसे कहती, "मुझे ऐसा करना ही पड़ा। उस कुतिया ने हमारी नाक कटा दी थी। मुझे ऐसा करना ही पड़ा।" उसकी लड़की के पेट में गाँव के मुखिया का गर्भ पल रहा था और मुखिया ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था। गाँव के अन्य लोगों के ताने और व्यंग्य सुनते-सुनते शरम से उसकी गर्दन झुक गयी फिर उसने पहले तो अपनी लड़की को खून पीटा। फिर भी परिवार के नाम पर उसने जो कलंक का

घब्रा लगा दिया था उसे मिटाने के लिए शायद इम सजा को पर्याप्त न समझकर पन्नो एक दिन जलाने की तर्काड़ियाँ पटोरने अपनी बेटी को लेकर जंगल की ओर गयी और फिर उसने पीछे से अपनी बेटी पर हमला कर दिया। फिर इस औरत ने फौरन ही जाकर पुलिस के सामने अपने को हाज़िर कर दिया और इसके बाद चार वर्ष तक जेल में रहने के बाद उसे बीस वर्ष की सजा हो गयी।

पन्नो को देखकर मैं यही सोच पाती थी कि यह कभी क्रोध में पागल भी हो सकती है। वेहद परिश्रमी और दबबूपन की सीमा तक शांत रहने वाली इस औरत से यदि कोई कड़े शब्द बोल देता था तो वह रो पड़ती थी और उससे पलटकर जवाब देना नहीं बनता था। कभी-कभी वह मेरे पास कुछ सिक्के लेकर आती और मुझमें गिनते को कहकर पूछती कि उसने उपवास से बचाकर कितने पैसे इकट्ठा किये है या यह देखने को कहती कि महिला वॉर्डर ने उसे कुछ पैसे तो नहीं दिये हैं। हर इनकार को वह बचाकर रखा हुआ थोड़ा आटा और शीरा देकर कहती कि "बेटी, मेरे लिए थोड़ा पीठा (एक तरह की मीठी दलिया) बना दो।"

हत्या के ऐसे जिन तमाम मामलों को मैंने देखा जिनमें बदले की भावना से या परिवार की इज्जत बचाने के खयाल से हत्या की गयी थी, उनमें पन्नो का भी एक मामला था। इन मामलों में हत्या करने वाली ने कभी कानून की पकड़ से बच निकलने को नहीं सोचा था। वे जानते थे कि इसके लिए उन्हें कई वर्ष जेल में काटने पड़ेंगे लेकिन वे इसे अपने कर्तव्य का उचित मूल्य मानते थे। कुल मिलाकर गाँव के लोग उन कानूनों और आचार-व्यवहार को, जिसे राज्य उन पर थोपने की कोशिश करता था अमंगत मानते थे। जेल-जीवन के अपने पाँच वर्षों में मुझे मुश्किल में ही ऐसा कोई मामला देखने को मिला जिसमें पहले से योजना बनाकर हत्या की गयी हो।

मेरे साथ ही महिला कैदियों ने चूँकि एक सीमाबद्ध जीवन बिताया था, जिसमें प्रत्येक गाँव उसके लिए एक 'देश' था और जिसकी चौहद्दी के अन्दर ही उसने सारे अनुभव अर्जित किये थे, इसलिए वे भूतों, पिशाचिनों, प्रेतात्माओं तथा राजा, रानी और अघविष्वासों की दुनिया में रहती थी। इनमें से अधिकांश ने पहले कभी अखबार भी नहीं देखा था और वे हर रोज़ मुझे घेरकर बैठ जाती और जानने की कोशिश करती कि अखबार में क्या लिखा है। कभी-कभी अखबार में प्रकाशित किसी महत्त्वपूर्ण घटना का व्यौरा सुनने के बाद उनमें से कोई एक पूछ बैठती कि क्या उसके मामले में या उसके गाँव के बारे में कुछ लिखा हुआ है। हालाँकि उन्होंने 'सरकार' शब्द सुन रखा था पर किनी ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि देश का मंचालन कैसे होता है। फिर भी वे ये सारी बातें जानने के लिए उत्सुक थी और मुझसे तमाम सवाल करती जा रही थीं— मिट्टी का तेल कहाँ से आता है, बाग़ज कैसे बनता है, अखबार किस तरह छपता है आदि-आदि। इन सवालों के जवाब जानते रहने के बावजूद हिन्दी के अपने सीमित ज्ञान की वजह से मेरे लिए उन्हें समझाना बड़ा कठिन था फिर भी मैं उन्हें समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करती थी।

बागीचे में सभी फूल-गोभी पर जब इल्लियाँ लग जाती थीं तो मोहिनी कहती थी, कोई औरत मामूरी धर्म के दिनों में बागीचे में चली गयी थी तभी ऐसा हुआ है। यदि कोई धार-धार बीमार पड़ता तो यह कहा जाता कि उसको नजर लग गयी है। कुछ औरतें अपने बच्चों के माथे पर कासा टीका लगाती थी और कुछ

उनकी कमर में जंतर बाँधती थीं ताकि दुष्टात्माओं से उनकी रक्षा की जा सके। एक बार तो उस बूढ़ी महिला कैदी के बारे में ही जोरदार बहस छिड़ गयी जिसे अक्सर मूर्छा आ जाता करता थी और अर्खों की पूतलियाँ चारों ओर गचने लगती थीं। कुछ औरतें कहती थी कि वह डायन है और उनके बच्चों को खा जायेगी। हर रात इस बात पर झगड़ा हुआ करता था कि उसके सबसे नजदीक कौन सोयेगा। मैंने वॉर्डर से अनुरोध किया कि उसे कुछ दिनों तक हमारी कोठरी में सोने दिया जाये ताकि यह साबित हो जाये कि उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसके बाद ही फिर शांति हुई।

अपने फटे कपड़ों को सिलते समय या मटर के भुने दानों को सिलवट्टे पर पीसते समय मैं ग्रामीण जीवन की कहानियाँ सुना करती थी और इन कहानियों में बेहद सम्मोहन-क्षमता थी। लगभग सभी औरत गरीब किसान-परिवार की थी और उन मकानों में रहती थीं जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों ने मिट्टी, लकड़ी और फूस की छाजन से बनाये थे। हालाँकि भारत में एक कानून के जरिए बाल-विवाह वजित है लेकिन वे सभी निरपवाद रूप से बचपन में ही ब्याही गयी थी। ये विवाह उनके माता-पिता की ओर से किसी तीसरे व्यक्ति ने 'तय' किये थे और उन्हें पहले मासिक धर्म के बाद ही अपनी समुदाय चला जाना पडा था। खुद उन्होंने भी शादी के दिन ही अपने पति को पहली बार देखा था। उनमें से कुछ जो कस्बों के पास रहती थीं या जिन्होंने सिनेमा देखा था वे विवाह की योखीय शैली से परिचित थी और इसे वे 'लव मैरेज' कहती थी। लेकिन उनकी धारणा थी कि इस तरह की विवाह-प्रवृत्ति केवल फ़िल्मी सितारों या बहुत धनी लोगों के लिए है जो समाज को नाराज किये बिना रीति-रिवाजों को तोड़ने की हैसियत रखते हों। वे उन लडकियों की बड़ी संवासपूर्ण कहानियाँ सुनाती थीं जो अपनी पसन्द के आदमी के साथ घर से भाग गयी थी और जिन्हें पकड़े जाने पर भेड़ का खून पीना पडा, गधे पर बँठकर समूचे गाँव का चक्कर लगाना पडा, गाँव से अलग एक झोंपडी में रहना पडा और अपने 'पाप' के प्रायश्चित्त के लिए सर मुँडाना पडा। यदि किसी औरत पर कलंक लगता था तो उसके परिवार के सदस्यों को गाँव की पंचायत को जुर्माना देना पडता था और गाँव भर को दावत देनी पड़ती थी ताकि उसे अपनी जाति में फिर से शामिल किया जाये और कुजात रहकर उसका बहिष्कार न किया जाये। अक्षरशः इस दावत को जातभात कहते थे।

पति इतना आदरणीय समझा जाता था कि अधिकांश औरतें अपने पति का नाम तक नहीं लेती थी। इससे क्लकों या सरकारी काम करने वालों को बड़ी दिक्कत होती थी—ये फॉर्म में पति का नाम लिखना चाहते थे और औरतें नाम लेने से इनकार करती थीं। कभी-कभी वह अपने से बूढ़ी औरत के कान में फुस-फुसाकर नाम बता देती थी और वह बूढ़ी औरत फिर क्लर्क को यह नाम सुना सकती थी। पुरुषों के सामने सर पर आँचल न रखना या अपने श्वसुर से अंथवा पति के बड़े भाई से बात करना भी 'पाप' समझा जाता था।

मेरे साथ जो महिलाएँ थी उनमें से कईयों को उनके पति नियमित रूप से पीटते रहते थे लेकिन इस हरकत से क्षुब्ध रहने के बावजूद इसे वे एक सामान्य नियम मानती थी। एक औरत ने बताया कि एक बार दाल में नमक तेज हो जाने पर उसके पति ने उसे पीटा था। एक दूसरी औरत ने बताया कि चावल ठंडा रहने पर उसकी पिटाई हो गयी थी। ये सारी औरतें, चाहे कितनी भी भूखी क्यों न हों—तब तक खाना नहीं खाती थीं जब तक घर के पुरुष न खा लें। एक औरत



ने बताया कि जितने दिन उसका मासिक-धर्म चन्ता था उसे घर में नहीं घुमने दिया जाना था। इनमें से जो अपेक्षाकृत धनी परिवारों की थी, उन्हें लगभग पूरी तरह घर के अन्दर और उसके आमपाम तक सीमित रहना पड़ता था हालाँकि गरीब औरतों को, जिन्हें रोजी के लिए काम करना पड़ता था, अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। इनमें से कई औरतों के साथ उनकी सौतेली भी निर्माण में काम करना पड़ता था। इनमें से कई औरतों के साथ उनकी सौतेली भी थी और कई मामलों में ये उनके पतियों की विधवा भाभी थी।

चूँकि यहाँ पश्चिमी जीवन-गठित को ममत्तने वाला अब कोई नहीं था इसलिए मैं अनजाने में ही अपनी साधियों की नैतिकता के नियम अपनाते लगी थी। मैं बहुत सावधान रहती कि बाँडों के सामने मैं जोर से न बोलूँ और न हँसूँ वरना मुझे 'बेहया' समझ लिया जायेगा। मासिक-धर्म के दिनों में मैं धागीचे की तरफ नहीं जाती ताकि साग-सद्विजयो पर यदि कीड़े लगें तो कोई मुझे दोंप न दे। उनके उपदेशों को स्वीकार करके मैंने अपनी माँग में मिदूर भरना गुरु कर दिया था ताकि यह स्पष्ट रहे कि मैं किसी दूसरे पति की तलाश में नहीं हूँ।

दिसम्बर के शुरू के दिनों में पाकिस्तान के साथ युद्ध आखिर छिड़ ही गया। सर के ऊपर से हवाई जहाज गुजरते और औरतें-बच्चे हर आवाज पर दौड़ते हुए आते और आश्चर्यचकित होकर हवाई जहाजों को देखते। अहाते में जन्मे बाले बल्बों पर टिन के डिब्बे लटकाने के लिए मिस्त्री आ गये। रात में मुझे भारी लारियों की आवाज सुनायी पड़ती। सत्रह दिनों बाद भारत ने युद्ध जीत लिया और समाचार-पत्रों में उद्भूत राष्ट्रवाद से भरे लेखों में दुश्मन की हार पर जय-जयकार होने लगी। पूर्वी बंगाल में भारतीय सेना बनी रही और पाकिस्तानी युद्धयुक्तियों को दो वर्ष में भी अधिक समय तक भारत में रखा गया।

युद्ध गुरु होने के कुछ ही दिनों बाद रोहिणी, संबुनिशा और पन्नो का भागलपुर जेल में तवादला कर दिया गया। महिला कैदियों के लिए खासतौर से बनाया गया बिहार का यह एकमात्र जेल था। एक अन्य महिला को भी— जिसे हाल ही में पाँच साल की सजा हुई थी— भागलपुर भेजा जाना था परपुरुष कैदियों से उसे एक कैदी उसका परिचित निवल आया जिसने सहायक जेलर को पैसे ठपके दिये ताकि उस महिला को हजारीबाग जेल में ही रहने दिया जाये क्योंकि हजारीबाग उसके गाँव से नजदीक था। हजारीबाग में उसके रुकने का कारण यह भी था कि वह अपनी जाति के एक कैदी के लड़के के साथ अपनी छः साल की लड़की की शादी तय करने में लगी थी।

रोहिणी के चले जाने के बाद मैंने सुना कि जेल-ऑफिस में उसने चाँदी के अपने उन कंगनों और हार को वापस माँगा जिसे जेल में घुसने से पहले उससे जमा करा लिया गया था। उसके इन जंवरों का पता नहीं चला और उसे इस आश्वासन के साथ जाने दिया कि मिलने पर भेज दिया जायेगा। बाद में मैंने कई ऐसे मामले देखे जिनमें कैदियों ने अपने रुपये-पैसे और कीमती सामान वापस माँगे पर उन्हें नहीं मिल सका।

जिस सप्ताह रोहिणी गयी उसी के अंत में मुझे अचानक अमलेन्दु का पोस्ट-कार्ड मिला जो उसने कलकत्ता के कालीपुर सेंट्रल जेल से भेजा था। मैंने उसे पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि मैं मान बँठी थी कि मेरा पत्र उस तक कभी नहीं पहुँचेगा। अमलेन्दु का पोस्टकार्ड लेकर जो बलक आया था वह पत्र देखकर उत्तना ही मुग्न हुआ था जितनी मैं। यह वही व्यक्ति था जिसने मुझे पहले दिन



कि मेरी एक अलग छोटी-सी क्यारी है। मैंने लहसुन, घनिया और टमाटर के पीस लगाये। क्रिसमस के नजदीक आते ही मैंने हरे दिख रहे कुछ टमाटरों को तोड़ लिया और रात में उन्हें अपने कम्बलों के बीच इस आभा से रख दिया कि मेरे शरीर की गरमी से वे लाल हो जायेंगे। मैंने लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय से टमाटर नहीं खाया था और उनका स्वाद पाने के लिए मैं बेताब थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरी इन कोशिशों के फलस्वरूप कुछ हरे पिचके टमाटर ही हाथ लगे। जाड़े की लम्बी रातों में ठंड की वजह से मुझे बड़ी भूख लगती थी। नारते के रूप में मुझे कच्चे शलगमों से ही काम चलाना पड़ता था। शलगम मुझे पहले कभी पसंद नहीं था पर अब मैं बड़े स्वाद से इसको चबाती रहती।

बागीचा मेरे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। उसकी हरियाली से मुझे बड़ी शान्ति मिलती। क्यारियों की गुंदाई करने के लिए जाड़े का मौसम आदर्श मौसम है और मैं बड़े उत्साह के साथ क्यारियों में से घास निकालती और उनकी मिचवाई करती। प्राइमरी स्कूल की पढाई खत्म होने के बाद पहली बार मैंने अब बागवानी की थी। अंततः जब टमाटर पकने लगे तो बच्चे हर रोज़ टमाटर तोड़ते और बारी-बारी सारे क़ैदियों में बाँटते। शलगम, मूली या फूलगोभी की उबली पत्तियाँ ही हमें दिन में दोनों पहर खाने को मिलती थीं—टमाटर की चटनी से अपना स्वाद बदलकर हम बेहद खुश हुए। लाल बलुई मिट्टी आश्चर्यजनक रूप से उपजाऊ थी और इंग्लैण्ड की तुलना में यहाँ ये चीज़ें जल्दी पैदा होती थीं पर समस्या पानी की थी और बहुधा प्रचुर मात्रा में पानी मिलना असंभव होता था।

क्रिसमस के दिन सवेरे मैंने बच्चों के लिए गीले चावल की कुछ पुडिंग तैयार की और एक महिला वॉर्डर से थोड़ी मिठाइयाँ लाने के लिए कहा। अपनी कोठरी में उनकी इस 'दावत' को देखते समय मैं बरबस ही इनके क्रिसमस और ब्रिटेन के बच्चों के क्रिसमस के विरोधाभास के बारे में सोचने लगी और मेरी निगाह में ब्रिटेन की क्रिसमस पाटियाँ कौंध गयीं जिनमें बच्चों को मैंने मिठाइयों और उपहारों के बीच मुग्ध देखा। अब तक उन्होंने अपनी ओर से मुझे एक नाम दे दिया था, 'मेरी गुड़'—मेरे नाम के साथ उन्होंने अँग्रेजी का एकमात्र वह शब्द जोड़ दिया था जिसे वे जानते थे। मैं अभी भी प्रकाश के बारे में बहुत चिन्तित रहती थी—ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उसका मामला औरों की तुलना में ब्यादा दुखद था। उसकी अपंग माँ, जिसे उसके पिता ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह जेल में थी, उसे तब जेल में लायी थी जब वह महज दो दिन का नन्हा-सा बच्चा था। उसके स्वास्थ्य से मुझे बड़ी चिंता होती थी। उसका पेट फूला रहता था और हालाँकि डॉक्टरों को पता नहीं चल सका था कि क्या गडबडी है उसे प्रायः बुखार रहता था। हमारे साथ ही खेलते हुए वह बहुत जल्दी हाँफने लगता था इसलिए अन्य बच्चों के साथ दौड़ना-खेलना उसके लिए संभव नहीं था।

वह एक बहुत गम्भीर लड़का था। मैं बैठकर अपने लिए ब्रिटिश वाणिज्यदूत से मँगवायी गयी बंगला पुस्तकें जब पढ़ने की कोशिश करती होती वह भी मेरी बगल में आकर बैठ जाता। रीडर्स डाइजेस्ट के भारतीय संस्करण की पुरानी प्रतियों को लेकर उनके पन्ने पलटते हुए वह इस तरह उसमें डूब जाता गोया सचमुच तल्लीनता से पढ़ रहा हो। कभी-कभी मैं देखती कि वह तसवीर देख रहा है और तसवीरों में बने चेहरों के हाव-भाव की नकल कर रहा है। उसे रंगों से प्यार था। कभी-कभी वह न जाने कहाँ से कपड़े का कोई टुकड़ा उठा लाता और





बतलर हो बढवू से भर जाते थे । कोई उसके कपड़े साफ़ करना नहीं चाहता था । मैं खुद भी ऐसा करने की इच्छुक नहीं थी लेकिन मैंने महसूस किया कि यह ऐसा काम है जिसे करना ही होगा । हम उपेक्षा के कारण उसे नहीं मरने देंगे । यदि डॉक्टर उसे दवा दे भी देता है तो हममें से किसी को उसकी सेवा करनी ही होगी । एक सप्ताह तक हर रोज़ मैं उसके गंदे कपड़े एक मिट्टी के बर्तन में उबालती रही, उसे नहलाती रही और महीनों की उपेक्षा के कारण उसके सिर पर जमी मूल को पैराफ़िन से रगड़-रगड़कर छुड़ाती रही । मोहिनी तथा कुछ अन्य औरतों ने जब देखा कि उस बूढ़ी औरत को सचमुच मरने से बचाया जा सकता है, तो वे भी उसकी देखभाल में लग गयी । पन्द्रह दिनों के भीतर ही वह इस लायक हो गयी थी कि वह लेंगड़ाते हुए मेरी कोठरी तक आ जाती ताकि मैं उसके कानों में बूंद-बूंद करके तेल डाल सकूँ, उसकी पीठ में मालिश कर सकूँ या जग लगे उस ब्लेड से उसके नाखून काट सकूँ जिसे मैंने चागीचे में गिरा पाया था । एक महीने बाद वह बिलकुल ठीक हो गयी, उसका वजन बढ़ गया और खुशी से उसका चेहरा चमकने लगा । जिस दिन वह हमें छोड़कर गयी उस दिन वह तब तक खाना नहीं शुरू करती थी जब तक मैं आकर उसके साथ खाने नहीं लगती । वह मुझे 'ह्लाइट्री' के स्थानीय रूपान्तर से पुकारती थी जिससे दूसरे कैदी आश्चर्यचकित रह जाते थे ।

लगभग इन्हीं दिनों मेरे दिमाग में यह खयाल आया कि जेल में अपने फुरसत का समय मैं बुनियादी चिकित्सा के अध्ययन में बिलाऊँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगी, यह अध्ययन उपयोगी साबित होगा । लेकिन योजना बनाना अमल में लाने से ज्यादा आसान होता है । चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें प्राप्त करना असम्भव साबित हुआ । लगभग एक वर्ष बाद मैं लंदन स्थित अपनी मित्र रूथ फोर्स्टर के प्रयास से एक पुस्तक पा सकी । यह पुस्तक उन रोगों और स्थितियों में काम आने लायक नहीं साबित हुई जिनसे मेरा वास्ता पड़ता था । जेल में अध्ययन का कोई कार्यक्रम शुरू करने के लिए काफी लम्बा और उबा देने वाला प्रयास करना पड़ता था, बार-बार लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती थी और इसमें काफी देर लगती थी ।

द टाइम्स यद्यपि अनियमित रूप से और काफी देर से मुझे मिलता था फिर भी इसके आने से मेरी मानसिक जीवन्तता बनी रहती थी । कम-से-कम मैं दुनिया की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से परिचित होती रहती थी । उस वर्ष वसंत में वियतनाम में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सफलता से मैं बहुत प्रभावित हुई थी । कम-से-कम मेरे विचारों को यह जानकर जबदस्त सहारा मिला कि न्यायोचित लड़ाई सफलता की मंजिल की ओर बढ़ रही है । भारतीय समाचारपत्र भी कभी-कभी महत्त्वपूर्ण रहस्योद्घाटन कर देते थे । १५ महीनों में कलकत्ता शहर में १९६ व्यक्ति गोली के शिकार हुए । भागलपुर जेल की एक घटना में पुलिस की गोली से दस छात्र मारे गये और एक सौ साठ घायल हुए । इस बीच कांग्रेस पार्टी मार्च के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता का एलान कर रही थी । मुझे छोड़कर सभी लोग इससे प्रभावित थे । एक महिला वॉर्डर ने मुझे बताया कि कांग्रेस को वोट देने के लिए उसके पति को १५ रुपये मिले थे । तपती हुई धूप और लू में जो मजदूर हमारी दीवारों की मरम्मत कर रहे थे उन्हें प्रतिदिन दो रुपये मजदूरी मिलती थी । उस वर्ष अप्रैल में कांग्रेस के बजट में उच्च आय वर्ग के लोगों को कर के मामले में रियायत देने का एलान किया गया ताकि टैक्सो की चोरी रोकी जा सके । साथ ही पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों को मिट्टी के तेल की कीमत में वृद्धि के लिए दोषी

फर्माइश की थी। उन्होंने कहा कि असल में इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। फिर भी वह अपने साथ दो पैसिल जिन पर 'एच एम गवर्नमेंट प्रापर्टी' अंकित था और 'ई० आर २' अंकित शार्टहेड पेंड लाये थे। यह पहला मौका था जब मुझे लिखने का सामान रखने की इजाजत मिली। मैंने उनसे हिन्दी का एक शब्द-कोष माँगा था ताकि मैं रोजाना अखबार पढ़ सकूँ। यद्यपि मैं जानती थी कि इसे आमानी से कलकत्ता में किताब की दुकानों में खरीदा जा सकता है लेकिन वह इसे नहीं पा सके। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि शब्दकोष इन्होंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उनका खयाल था कि मुझे रोमन लिपि में तैयार शब्दकोष चाहिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देवनागरी लिपि जिसमें हिन्दी लिखी जाती है, सीखने की जहमत उठाऊँगी। मुझे हिन्दी का किसी ऐसी वर्णमाला में सीखने की बात में कोई तुक नहीं पड़ा था जो रोमन लिपि में तैयार की बात तो दूर रही किसी दूर-दराज के इलाक़ के स्टेशन के नाम का अर्थ निकालना मुश्किल ही। जिन ब्रिटिश राजनयिकों से मेरी मुलाकात हुई है उनमें से अधिकांश की भारत में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं देखने को मिली—इसकी वजह शायद यह हो कि वे किसी देश में कभी ज्यादा समय तक नहीं रहे।

पहली बार मैंने वाणिज्य दूत से कहा कि वह लगभग एक पाँड की राशि— जो मेरे पिता नियमित रूप से मेरे लिए भेजते हैं— सुपरिटेण्डेंट के पास जमा कर दे ताकि मैं कसीदाकारी का सामान खरीद सकूँ और 'फूलों' को बनाने की प्रकाश की इच्छा पूरी कर सकूँ। मैं अक्सर इस बात से चिंतित रहा करती थी कि मैं कपड़ों, पुस्तकों तथा अन्य सामानों के लिए अपने और अमलेन्दु के परिवार पर निर्भर रहती हूँ। जहाँ तक सम्भव होता था मैं अन्य महिलाओं की तरह अपना राशन बेचने की कोशिश करती थी ताकि 'आत्मनिर्भर' बन सकूँ। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे दोस्त और मेरे परिवार के लोग मुझे पैसा भेजने का बुरा मानते थे, पर मैं महभूष करती थी कि जिन लोगों ने मुझे आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध कराये। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार किया था, मैंने अपने माँ-बाप को एक छोटा-सा खत लिखा और ब्रिटिश अधिकारी से कहा कि वह मेरे माँ-बाप को विश्वास दिलाये कि मैं एकदम ठीक हूँ और मेरे बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने भारत आने का प्रस्ताव किया था लेकिन मैंने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया और ऐसा मैंने दम्भ के कारण नहीं किया था—मैं जानती थी कि यदि वे मुझे इस हालत में देख लेते तो वह मेरे बारे में और अधिक चिंतित होकर इंग्लैण्ड लौटते और इसके अलावा उनसे मिलकर मैं भी उद्विग्न हो उठती। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं कर सकते थे। उन्हें मुझसे मिलने के लिए एक-डेड घंटे का समय दिया जाता और उन्हें फिर मुझे छोड़कर जाना ही पड़ता। इस तरह की यात्रा का कुल मिलाकर एक नकारात्मक नतीजा निकलता।

उस वर्ष जाड़े में एक दिन वॉर्डर एक बूढ़ी महिला को ढोते हुए हमारे वॉर्ड में लाये। उसे तो सचमुच एक छोटी जेल से—जहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं थी—यहाँ मरने के लिए ही भेजा गया था। जहाँ तक मैं समझ सकी वह पेशिश से पीड़ित थी लेकिन यह सिलसिला इतने लम्बे समय से चल रहा था कि वह बेहद कमजोर हो गयी थी। वह लँगड़ी थी और जल्दी से उठकर शौचालय तक नहीं जा पाती थी इसलिए जब तक वह वहाँ पहुँचती उसके कपड़े टट्टी से तर-

बतर ही बदबू से भर जाते थे। कोई उसके कपड़े साफ़ करना नहीं चाहता था। मैं खुद भी ऐसा करने की इच्छुक नहीं थी लेकिन मैंने महसूस किया कि यह ऐसा काम है जिसे करना ही होगा। हम उपेक्षा के कारण उसे नहीं मरने देंगे। यदि डॉक्टर उसे दवा दे भी देता है तो हममें से किसी को उसकी सेवा करनी ही होगी। एक सप्ताह तक हर रोज़ मैं उसके गंदे कपड़े एक मिट्टी के बर्तन में उबालती रही, उसे नहलाती रही और महीनों की उपेक्षा के कारण उसके सिर पर जमी मूल को पेरफ़िन से रगड़-रगड़कर छुड़ाती रही। मोहिनी तथा कुछ अन्य औरतों ने जब देखा कि उस बूढ़ी औरत को सचमुच मरने से बचाया जा सकता है, तो वे भी उसकी देखभाल में लग गयीं। पन्द्रह दिनों के भीतर ही वह इस लायक हो गयी थी कि वह लंगड़ाते हुए मेरी कोठरी तक आ जाती ताकि मैं उसके कानों में बूँद-बूँद करके तेल डाल सकूँ, उसकी पीठ में मालिश कर सकूँ या जंग लगे उस ब्लेड से उसके नाखून काट सकूँ जिसे मैंने वागीचे में गिरा पाया था। एक महीने बाद वह बिलकुल ठीक हो गयी, उसका वजन बढ़ गया और खुशी से उसका चेहरा धमकने लगा। जिस दिन वह हमें छोड़कर गयी उस दिन वह तब तक खाना नहीं शुरू करती थी जब तक मैं आकर उसके साथ खाने नहीं लगती। वह मुझे 'ह्वाइटी' के स्थानीय रूपान्तर से पुकारती थी जिससे दूसरे कैदी आश्चर्यचकित रह जाते थे।

लगभग इन्ही दिनों मेरे दिमाग में यह खयाल आया कि जेल में अपने फुरसत का समय मैं बुनियादी चिकित्सा के अध्ययन में बिताऊँ क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगी, यह अध्ययन उपयोगी साबित होगा। लेकिन योजना बनाना अमल में लाने से ज्यादा आसान होता है। चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें प्राप्त करना असम्भव साबित हुआ। लगभग एक वर्ष बाद मैं लंदन स्थित अपनी मित्र रुथ फोर्स्टर के प्रयास से एक पुस्तक पा सकी। यह पुस्तक उन रोगों और स्थितियों में काम आने लायक नहीं साबित हुई जिनसे मेरा वास्ता पड़ता था। जेल में अध्ययन का कोई कार्यक्रम शुरू करने के लिए काफी लम्बा और उबा देने वाला प्रयास करना पड़ता था, बार-बार लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती थी और इसमें काफी देर लगती थी।

द टाइम्स यद्यपि अनियमित रूप से और काफी देर से मुझे मिलता था फिर भी इसके आने से मेरी मानसिक जीवन्तता बनी रहती थी। कम-से-कम मैं दुनिया की महत्त्वपूर्ण घटनाओं से परिचित होती रहती थी। उस वर्ष वसंत में वियतनाम में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सफलता से मैं बहुत प्रभावित हुई थी। कम-से-कम मेरे विचारों को यह जानकर जबर्दस्त सहारा मिला कि न्यायोचित लड़ाई सफलता की मंजिल की ओर बढ़ रही है। भारतीय समाचारपत्र भी कभी-कभी महत्त्वपूर्ण रहस्योद्घाटन कर देते थे। १५ महीनों में कलकत्ता शहर में १९६ व्यक्ति गोली के शिकार हुए। भागलपुर जेल की एक घटना में पुलिस की गोली से दस छात्र मारे गये और एक सौ साठ घायल हुए। इस बीच कांग्रेस पार्टी मार्थ के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता का एलान कर रही थी। मुझे छोड़कर सभी लोग इससे प्रभावित थे। एक महिला वॉर्डर ने मुझे बताया कि कांग्रेस को वोट देने के लिए उसके पति को १५ रुपये मिले थे। तपती हुई धूप और लू में जो मजदूर हमारी दीवारों की मरम्मत कर रहे थे उन्हें प्रतिदिन दो रुपये मजदूरी मिलती थी। उस वर्ष अप्रैल में कांग्रेस के बजट में उच्च आय वर्ग के लोगों को कर के मामले में रियायत देने का एलान किया गया ताकि टैक्सों की चोरी रोकी जा सके। साथ ही पूर्वी बंगाल से आये शरणाधियों को मिट्टी के तेल की कीमत में वृद्धि के लिए दोषी



ठहराया गया। मिट्टी का तेल भारतीय गाँव के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता वाली वस्तु है क्योंकि यहाँ के अधिकांश गाँवों में बिजली नहीं है।

कल्पना और अमनेन्दु के चले जाने के बाद हजारीबाग जेल के कुछ अन्य नक्सलवादी बंदियों ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि जेल की स्थितियों के अनुसार जहाँ तक सम्भव होगा, वे मुझसे सम्पर्क बनाये रखेंगे। उन्हें यह चिन्ता थी कि अकेले रहने से मैं निराशा महसूस करूँगी। कभी-कभी मुझे उन लोगों की जानकारी नहीं थी लेकिन वॉर्डर लोग हमेशा उन सापियों को मेरी गतिविधियों की पूरी सूचना देते रहते थे। एक दिन मैं उनका एक पत्र पाकर आश्चर्यचकित रह गयी जिसमें कहा गया था कि इस देश और यहाँ की जनता के लिए मेरी निष्ठा की वे प्रशंसा करते हैं। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि महिला वॉर्ड से बाहर के लोगों के लिए मेरे काम का क्या महत्व है और इस पत्र ने मुझे यह सोचने को विवश किया कि मुझे हमेशा और भी बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करनी चाहिए।

संसार ने कभी उन खबरों को छिपाने की कोशिश नहीं की जिनमें नक्सलवादी आंदोलन में फूट पड़ने की बातें शामिल थी। यह समाचार १९७१ में प्रकाशित होने लगे थे। धुरू-धुरू में मैं इन खबरों के प्रति शंका लु थी लेकिन छिपे तौर पर मिले पत्रों से इस बात की पुष्टि हो गयी कि १९७० के बाद से जो गहरा धक्का लगा है उसके फलस्वरूप जवदस्त बंचारिक सघर्ष चल रहा है। बहस के अनेक मुद्दों में जिनको हल करने में बहुत समय लगेगा। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न गुट अपनी अलग-अलग गतिविधियों में लगे हैं।

जो कैदी हमारा शीघ्रालय साफ करता था उसने एक दिन सवरे बताया कि मेरे एक सह-प्रतिवादी को टी० बी० हो गयी है। उसी आदमी ने एक दिन और मुझसे धीरे से कहा कि वह जादू जानता है और यदि हम उस मजिस्ट्रेट का नाम और पता बता दें जहाँ हमारा मुकदमा चल रहा है तो वह मेरे लिए जमानत का इतना जाम कर देगा। मैंने मजाक ही में कुछ औरतों से यह बात बतायी और उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसे आजमाने की सलाह दी। उन्होंने अनेक ऐसे उदाहरण दिये जिसमें जादू के जोर से लोग रिहा हो चुके हैं। बताया जाता है कि एक आदमी ने जज पर इस तरह से अपनी आँख गड़ा दी कि जज उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो गया हालाँकि उसने हत्या की थी।


कुल मिलाकर हम पुरुष बंदियों को बहुत कम देख पाते थे लेकिन कभी-कभी रात में अपनी दीवार के उस पार डामिटरी से उनके गाने की आवाज हमें सुनायी पड़ जाती थी। कभी-कभी वे चौबीसों घंटे भजन-कीर्तन गाते रहते थे और अपनी अत्युमीनियम की तशरियाँ बजाते हुए उनकी आवाज धीरे-धीरे ऊँची होती जाती थी और एक चरम बिन्दु पर आकर अद्भुत रूप से तेज हो जाती थी। सेजनी ने मुझे बताया कि कुछ अच्छे तंदियों ने नृत्य और औरतों की तरह बेश-भूया पहनकर स्वांग दिखाया।

जो कैदी नाच-गानों का यह तमाशा देखना चाहते थे वे वॉर्डर को कुछ पैसे दे देते ताकि इन नाचने वालों को रात भर के लिए उनकी डामिटरी में बंद कर दिया जाये।

हमारे बाँट में जिन कैदियों की आवश्यक कार्यवश आने की इजाजत मिलती थी उनसे हमें कभी बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि वॉर्डर लगातार

चौकस रहते थे। इन पुरुष कैदियों के धके-मूखे चेहरे देखने से ही पता चल जाता था कि अधिकारियों के कृपापात्र कुछ कैदियों को छोड़कर अन्य कैदियों को हमसे भी कठिन स्थितियों में रहना पड़ता था। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं उनके अपराधों के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनके जेल जीवन के बारे में कुछ पूछूँ लेकिन उन परिस्थितियों में यह सब असम्भव था।

लंदन से मिली चिट्ठियों से मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं। मेरे पिता ने लिखा था कि दिल के एक बड़े ऑपरेशन के लिए माँ अस्पताल में भर्ती होने वाली हैं। दिन तो चहल-पहल में बीत जाता और मुझे शायद ही कभी अकेला रहना पड़ता था इतनी फुरसत मिलती जिसमें मैं माँ के लिए कुछ न कर पाने की अपनी असमर्थता पर सोच पाती लेकिन मेरी रातों अजीब-अजीब सपनों और कल्पनाओं से भर जाती जिनमें भारत और इंग्लैंड बड़े जटिल रूप से एक दूसरे में घुल-मिल जाते। मैं देखती कि एसेक्स में हमारे डाइनिंग रूम में मेरे माँ-बाप के साथ जेल के कुछ कैदी बैठे हुए हैं या मुझे सपने में भारतीय और अंग्रेजी धानों से भरा कोई पार्सल मिलता। ऐसा लगता था कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क यह तय नहीं कर पाता था कि वह किस देश का निवासी है। मैं दोनों को अपनाना चाहती थी—जो असम्भव था।



## खतरे के झूठे संकेत

मार्च १९७२ के शुरू के दिनों में अमलेन्दु के माँ-बाप एक बार फिर लम्बी और कठिन यात्रा तय करने के बाद मुझसे मिलने आये। इस बार उन्हें जेल कार्यालय के अन्दर आने की इजाजत नहीं दी गयी; वे बाहर खड़े रहे, उनके चितित बूढ़े चेहरे धातु की मोटी जाली की दूसरी तरफ से दिखायी दे रहे थे और वे यह तय करने की कोशिश में लगे थे कि मैं पहले से कमजोर तो नहीं हो गयी हूँ। उन्होंने बताया कि अमलेन्दु तथा अन्य सोलह लोगों को—जिन्हें कलकत्ता पहुँचा दिया गया था—शायद अब अधिक दिनों तक कलकत्ता ही रहना पड़े क्योंकि वहाँ की भी अदालती कार्यवाहियों को देखने से यही पता चलता है कि वे बिहार की तुलना में कुछ खास कुशल नहीं हैं। इससे हमारा मुकदमा धुरू होने में देर लगेगी और वे मेरी जमानत के लिए अर्जी देना चाहते थे। भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार किसी महिला की जमानत दी जा सकती है भले ही उस पर किसी तरह के आरोप क्यों न हों। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने मुस्तारामों पर दस्तखत कर दिये ताकि मेरी ओर से कोई वकील जमानत के लिए दरखास्त दे सके हालाँकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जमानत की अर्जी मंजूर हो सकेगी।

कुई दिनों बाद सुपरिटेण्डेंट मुझे यह बताने आया कि मुझे २६ मार्च को जम-शेदपुर की अदालत में हाजिर होना है। इसके कुछ ही दिनों बाद मुझे अपने पिता का पत्र मिला जिससे इस समाचार की पुष्टि हो गयी। सुपरिटेण्डेंट ने मुझे बताया कि पहले मामले में अभियोग-पत्र पेश कर दिया गया है और दूसरे मामले का अभी तैयार हो रहा है। यह सुनकर मैं भौबकी रह गयी। मुझे यह बताया भी नहीं गया था कि मेरे खिलाफ एक और मामला है; सुपरिटेण्डेंट भी यह सुनकर उतना ही हैरान था जितना मैं। हम लोगों की बातचीत को सुन रहे एक बलक ने बताया कि मेरे खिलाफ दो वारंट थे। उसने उन वारंटों को डूँड निकाला; मेरे

खिलाफ जो दूसरा मामला था और जिसे मुझे बताने की किसी ने जरूरत नहीं महसूस की थी, उसमें पहले मामले की तुलना में और भी गंभीर आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों में राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप शामिल था जिसमें मृत्यु-दण्ड भी मिल सकता था। विभिन्न पड़वंत्रों में शामिल होने के सिलसिले में जिन तारीखों का जिक्र था उनमें १० जून, १९७० सहित इससे पहले की कई तारीखें थीं जबकि १० जून से लगभग दो सप्ताह पहले से ही मैं जेल में थी।

इस अप्रत्याशित घटना के कुछ दिनों के अन्दर ही मुझे फिर कार्यालय में बुलाया गया। वहाँ सादो वर्दी में पुलिस के कई लोगों के साथ सुपरिंटेंडेंट भी था जो प्रवक्ता का काम कर रहा था। उसने बातचीत यह पूछने के साथ शुरू की कि नक्सलवादी राजनीति के बारे में मेरे क्या विचार हैं और क्या रिहा किये जाने के बाद भी मैं इन गतिविधियों में हिस्सा लेती रहूँगी। उसने फिर बेहद असंगत चेतावनी देनी शुरू की कि अमलेन्दु को फाँगी दे दिये जाने की आशंका है और यह कि चूंकि 'मेरे कब्जे से ढेर सारे हथियार बरामद हुए हैं' इसलिए यदि मैं मुकदमा चलाये जाने के लिए जोर देती रही तो निश्चित रूप से मुझे लम्बी सजा मिल जायेगी। उसने मुझे सुझाव दिया कि यदि मैं 'नक्सलवादी राजनीति छोड़ने के लिए' तैयार हो जाऊँ या इंग्लैण्ड जाने के लिए राजी हो जाऊँ, जो कि मेरे लिए जेल में पड़े रहने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा, तो इन सारी आफतों से बच सकती हूँ। कई मिनट तक उनकी बातें सुनते रहने के बाद मैंने बीच में टोकते हुए उनसे पूछा कि दरअसल वे कहना क्या चाहते हैं। बातचीत का यह गोलमोल सिलसिला जारी रहा। उकताकर मैंने उनसे जानना चाहा कि यदि भारत सरकार मुझे इंग्लैण्ड वापस भेजना ही उचित समझती है तो उसने मुझे दो वर्ष पहले क्यों नहीं वापस भेज दिया। उसने मुझे तब आश्चर्य किया कि कोई मुझे वापस जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है लेकिन वापस जाने में मेरा हित ही है। इस गोलमोल बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला था और इस तरह की बातचीत से ऊबकर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी कोठरी में वापस जा सकती हूँ। फिर इस घटना के बारे में मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिला।

२६ मार्च आया और चला गया लेकिन मुझसे किसी ने अदालत में जाने की बात फिर कभी नहीं की। मुझे इस पर कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे इन सारी बातों में शुरू से ही शंका थी। मेरे ऊपर जो दूसरे आरोप लगाये गये थे उनसे भी मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। अब तक मेरे सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि किसी की गिरफ्तारी की बारीकियों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यह सरकार की मर्जी पर है कि वह जब चाहे किसी को गिरफ्तार कर ले और जब उचित समझे रिहा कर दे। फिर भी मुझे अपनी उस बहन के एक पत्र से बड़ी तबलीफ हुई। उसे मैं बहुत प्यार करती थी। उसने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं अदालत जाने के काम में सहयोग करूँ ताकि जल्दी फैसला हो जाये—इसमें स्पष्टतः यह निहित था कि यह विलम्ब मेरे व्यवहार के कारण हो रहा है। मैंने अपनी असमर्थता बताने की कोशिश करते हुए उसके नाम एक पत्र लिखा लेकिन साथ ही मैं यह भी भलीभाँति जानती थी कि यह खत शायद ही उस तक पहुँचे। मैं यह सोचकर बहुत बेचैन हो उठती थी कि ऐसे समय में मैं अपने मित्रों और रिश्तेदारों से सीधा सम्बन्ध नहीं कायम कर पा रही हूँ। इंग्लैण्ड वापस पहुँचने और अपने परिवार के लोगों के पास विदेश कार्यालय के अधिकारियों द्वारा समझ-

समय पर लिखे पत्रों के पढने के बाद ही मैं समझ सकी कि परिवार के लोग क्यों मेरी स्थिति की गलत व्याख्या किया करते थे। एक पत्र मे बताया गया था कि 'मैं अपने विचार मे दृढ़ हूँ और मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है।' एक अन्य पत्र मे यह विचार प्रकट किया गया था कि 'मेरे भले के लिए' ही अमलेन्दु के परिवार से मुझे प्रायः नहीं मिलने दिया जाता है। मेरी ओर से किये गये उनके प्रयासों और कपड़े तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के लिए उन पर मेरी निर्भरता को देखते हुए इस तरह की टिप्पणी मुझे बहुत अजीब लगी।

सच तो यह था कि पहले ही दिन से मैं यह समझ गयी थी कि ब्रिटिश उच्चा-युक्त के अधिकारियों से बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा, इसलिए उनसे वातचीत के दौरान मैं विनम्रतापूर्वक आम विषयों तक ही अपने को सीमित रखती। लेकिन मैंने अदालत मे जाने से या मुकदमे के लिए हाजिर होने से अंधंवा इंगलैंड लौटने से कभी इनकार नहीं किया। बेशक मैंने हमेशा यह कहा कि इसके लिए मेरे सामने मेरे सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं रखी जाये। पर मैंने कई बार इन अधिवारियों से यह भी शिकायत की कि भारत के कानून के मुताबिक मुझे नियमित रूप से अदालत मे नहीं ले जाया जा रहा है। उनका जवाब यह था कि वे बिहार सरकार से इस बात का आश्वासन प्राप्त कर रहे हैं कि मुझे वस्तुतः हर पन्द्रह दिन पर अदालत मे पेश किया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना या मान लेना कि मेरा भाग्य मेरे हाथों में था, यथार्थ से आँध

उसी वर्ष अप्रैल में उच्चायुक्त के दो प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मुलाकात मे मेरे ऊपर अलग से मुकदमा चलाये जाने की चर्चा शुरू हुई क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि जिन व्यक्तियों को कलकत्ता पहुँचाया गया है वे निकट भविष्य मे बिहार लौटने वाले नहीं हैं। मैंने अपने उन सह-अभियुक्तों से विचार-विमर्श करने की अनुमति माँगी जो अभी भी हजारीबाग जेल मे थे। जल्दी ही मुलाकात कराने का वायदा किया गया। मेरे दाँतों मे दर्द हो रहा था—उसी समय इस सम्बन्ध मे भी तय हुआ कि मुझे दाँतों के डॉक्टर को दिखाया जायेगा। मैंने शिकायत की कि मेरे पत्रों के आने मे लगातार अनियमितता हो रही है जिसे ब्रिटिश वाणिज्य दूत ने 'डाक की गड़बड़ी' कहा। वह मेरे पिता द्वारा जमा किये गये पैसे से मेरी इच्छित पुस्तकें खरीदने के लिए सहमत हो गये। सुपरिटेण्डेंट ने कहा कि पीकिंग से प्रकाशित पुस्तकों को छोड़कर मैं कोई भी दूसरी पुस्तक खरीद सकती हूँ। मेरी मित्र रुथ फोर्स्टर द्वारा भेजी गयी कुछ पुस्तकों को संतरशिप के लिए सुपरिटेण्डेंट के पास जमा कर दिया गया।

एक महीने बाद न तो मुझे अपने सह-अभियुक्तों से मिलाया गया, न मुझे कोई किताब मिली और न मेरे दाँतों का कोई इलाज हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी में जो वायदे किये गए थे वे उनके जाते ही निरपवाद रूप से भुला दिये गए। मेरी डाक बेहद अनियमित हो गयी। मैंने अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से नियमित सम्पर्क बनाये रखने की उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी। मेरे लिखे पत्र भी भेजे जाने से पूर्व हफ्तों तक जेल के कार्यालय मे पड़े रहते। कई पत्र तो हमेशा के लिए गायब ही हो जाते। कभी-कभी ऐसा होता था कि दफ्तर मे मेरे नाम से कोई रजिस्टर्ड पत्र आता और मैं उस पर हस्ताक्षर करने के बाद दग-पत्रह दिनों तक उसको पाने के लिए बेचैनी से इंतजार करती रहती। इसके बाद बार-बार याद दिलाने पर वह पत्र मुझे मिलता। इस बीच मैं लगातार सोचती

रहती कि किसका पत्र है और उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं अकर्मण्य और भाव-  
 धून्व्य नौकरशाहों की कृपा पर पल रही थी।

महिला वॉर्डरों ने मुझे बताया कि ऑफिस के कर्मचारियों से काम कराने का  
 सबसे अच्छा तरीका है घूस। उन्हें खुद भी अपनी तनख्वाह की पर्चियाँ बनवाने,  
 अपना यात्रा भत्ता लेने या यहाँ तक कि अपने प्राँविडेंट फंड से पैसा निकालने के  
 लिए क्लर्कों को घूस देना पड़ता था। इन वॉर्डरों में से एक के लडके की शादी थी  
 जिसके लिए महीनों इंतजार करने के बाद वह पाँच सौ रुपये तब निकाल सकी  
 जब उसने बीस रुपये घूस दिये। यदि वे किसी दूसरी जेल में अपना तबादला  
 कराना चाहती तो इसके लिए उन्हें सम्बन्धित क्लर्क को घूस देना पड़ता। यदि  
 तबादला रुकवाने की जरूरत पड़ती तब भी यही उपाय काम आता।

ऑफिस कर्मचारियों के लालचीपन के कारण कैंदियों को भी काफ़ी तकलीफ  
 उठानी पड़ती। आर्येदिन 'तबादले' का आतंक फैलाया जाता। उदाहरण के लिए  
 इस तरह की खबर फैलायी जाती कि दो सौ कैंदियों का लगभग सौ भोल दूर  
 बक्सर तबादला किया जायेगा। यह खबर सुनते ही सब डर जाते और जो  
 किन्हीं कारणों से तबादला नहीं चाहते थे और जिनके पास पैसे थे वे मुट्ठियों में  
 नोटों का बण्डल दबाए जल्दी से जल्दी इस अभियान के इंचार्ज सहायक जेलर के  
 पास दौड़ पड़ते। बहुधा यह एकदम झूठा प्रचार साबित होता और एक भी कैंदी  
 का तबादला नहीं होता। लेकिन इस तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखते  
 हुए कैंदियों के लिए यह जरूरी होता था कि वे अपने पास कुछ पैसे रखें। जेल-  
 जीवन को केवल पैसा ही सुगम बना सकता था। यही वजह थी कि अधिकांश  
 कैंदियों का सारा प्रयास अधिक से अधिक पैसे इकट्ठा करने पर केन्द्रित रहता  
 था। इनमें से अधिकांश कैंदी अपने हिस्से की चीज़ें बेचकर या दूसरे कैंदियों या  
 कर्मचारियों के कपड़े धोने, खाना बनाने जैसे कामों को करके पैसा इकट्ठा करते  
 थे। उन कैंदियों में कुछ ऐसे भी थे जो धूर्तता और तिकड़म करके पैसे इकट्ठा  
 करते थे।

जून के प्रारम्भ में, जेल-जीवन के अभी दो वर्ष मैंने पूरे किये ही थे कि एक  
 सहायक जेलर मुझे यह बताने आया कि उप-उच्चायुक्त ने तार भेजकर पूछा है  
 कि अलग से मुकदमा चलाए जाने के बारे में मेरा क्या फैसला है। मैंने जवाब  
 दिया कि अभियुक्तों में से जो अभी हजारीबाग जेल में रह गए हैं उन सभी पर  
 मुकदमा चलाने, उन्हें कानूनी सहायता देने और मुकदमे की कार्रवाई जब तक  
 शुरू नहीं होती है तब तक के लिए उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने के लिए मैं  
 आवेदन देना चाहती हूँ। बाद में उन्होंने मेरे पिता को लिखा कि मैंने बड़ा  
 'अस्पष्ट' जवाब दिया था। इस बीच अमलेन्दु के परिवार ने मेरी जमानत के लिए  
 एक अर्जी दी थी जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

१० जून १९७२ को पिछले दो महीनों में पहली बार सुपरिटेण्डेंट मेरे पास  
 आया और उसने मुझे सूचित किया कि मेरा मुकदमा शुरू होने जा रहा है और  
 अगले दिन जमशेदपुर के लिए रवाना होना पड़ेगा। सिलाई बकशाप में मेरे लिए  
 खाकी रंग के दो बड़े-बड़े थैले तैयार किये गये ताकि मैं अपने साथ अपनी किताबें  
 और कपड़े ले जा सकूँ। उस दिन सवेरे मुझे अपना साप्ताहिक राशन भी मिला  
 और मैंने दोपहर बाद का सारा समय असह्य चपातियों और एक बड़ी देगची में  
 आलू की सब्जी बनाने में बिताया ताकि बिदाई के उपहार के रूप में मैं सारे  
 कैंदियों को बाँट सकूँ। लेकिन एक बार फिर पहले की ही तरह पूर्व निर्धारित



कुओं से पानी खींचकर ला सकें जो सूखे नहीं थे— इससे हमें और दिक्कत होती थी। उनमें से कुछ से तो एक बाल्टी पानी के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती थी।

उस वर्ष हर बार से ज्यादा कैंदी बीमार पड़े। हमारी कोठरी में रहने वाली एक कैंदी को मलेरिया हो गया था और उस गरम तथा चिपचिपे मौसम में भी हम सारे कम्बल उसके ऊपर डाल देती थी फिर भी वह कांपती रहती थी। मैं खुद भी महसूस कर रही थी कि मेरा स्वास्थ्य दिनोदिन गिरता जा रहा था। मुझे कई बार उल्टियाँ हुईं और प्रायः सारा दिन बीत जाता था और मैं कुछ खा नहीं पाती थी। डॉक्टर इसे गंभीरता से नहीं लेते थे और मेरी शारीरिक स्थिति के लिए मानसिक स्थिति को दोषी ठहराते थे। अंत में मुझे खुद आश्चर्य होने लगा कि कहीं यह सारी गड़बड़ी इस वजह से तो नहीं है कि मैं अपनी माँ की बीमारी को लेकर चिंतित हूँ, अमलेन्दु की दुःसह स्थितियों के बारे में सोचती रहती हूँ या अपनी स्थिति के बारे में आम अनिश्चितता से परेशान हूँ।

बच्चे भी तरह-तरह के आंत्र रोगों से पीड़ित थे। एक दिन उस छोटी लड़की मूर्ती को, जिसकी शादी तय हो गयी थी, बेहद कैंडिस्त होने लगे। दवाओं के इंचार्ज कैंदी ने उसकी माँ को एक टिकिया देते हुए कहा कि इसका चौथाई हिस्सा बच्चे को दे दें। अपनी लड़की को जल्दी-से-जल्दी ठीक करने की विंता में माँ ने सोचा कि शायद पूरा टिकिया एक साथ दे देने से अच्छा असर हो और उसने पूरी टिकिया एक साथ खिला दी। फलस्वरूप मूर्ती लगभग दो दिनों तक बेहोश रही। दूसरे दिन अपराह्न में हर रोज की तरह बीमारी के दौर के बाद मैं लेटी हुई थी कि तभी मूर्ती की माँ बलको मेरी कोठरी में आयी और मेरे आराम में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए उसने कहा कि मूर्ती मुझे बुला रही है। वह औरत इस डर से बुरी तरह रो रही थी कि उसकी बेवकूफी के कारण वह बच्ची मर जायेगी। मैं तेजी से डार्मिटरी में पहुँची जहाँ मेडिन के बिस्तर पर मूर्ती अभी भी नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसका चमकता और भरा चेहरा पीला पड़ गया था और आँखें गड़बों में घँस गयी थी। उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और आँखों में एक पहचान उभर आयी। अपने कमजोर हाथों को मेरी ओर बढ़ाकर उसने मुझे अपने बगल में लेटने का इशारा किया। मेरी आँखों में उस समय आँसू भर आये जब वहाँ खड़ी औरतों ने बताया कि होश में आते ही उसने सबसे पहले मुझे याद किया। हालाँकि रात में मुझे अलग कोठरी में बंद कर दिया जाता था फिर भी अगले कुछ दिनों में तब तक उसके बिस्तर के बगल में बैठे रहती जब तक वह इस लायक नहीं हो गयी कि मैं उसे चारों ओर कम्बल लपेटकर उस बगीचे के अवशेष तक नहीं ले जाने लगी, जहाँ हमने साथ-साथ काम किया था।

दूसरे बच्चे इतने खुश किस्मत नहीं थे। एक दिन एक जवान औरत हजारी-बाग़ स तीस मील दूर चतरा की छोटी जेल से आयी जिसकी गोद में कंकाल की तरह एक बच्चा था। बच्चे की साँस अभी चल रही थी लेकिन वह लाइलाज था। उसके अंग सूखी टहनियों की तरह थे और उसकी बड़ी-बड़ी दर्द भरी आँखें झिल्ली की तरह खिंची हुई खाल वाले सर पर उभरी हुई थी। उसकी कुहनी, घुटने और एड़ियाँ घाव से भरे हुए थे, हाथ-पाँव सफेद रक्तहीन लग रहे थे। आँखों और अन्दर घँसे चूतड़ पर झुर्रीदार खाल भूल रही थी। वह अपने अशक्त पंजों से माँ की छाती को कसकर पकड़े हुए था—ऐसा लगता था जैसे वह माँ की कोख के संरक्षण में जिन्दगी में वापस आने की कोशिश कर रहा हो। उसके अन्दर रोने



तक की ताकत नहीं थी। पिछले दो महीनों से वह अतिसार (डायरिया) से पीड़ित था और चूँकि चतरा में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं थी, वह दिन-ब-दिन तेजी से कमजोर होता गया। अंततः जब जेलर ने देखा कि वह अब मरने के करीब पहुँच चुका है उसने फ़ौरन प्रकट रूप से 'इलाज' के लिए हज़ारीबाग भेजने की व्यवस्था की। दो दिनों बाद मैंने उसकी माँ को थोड़ा आराम देने के लिए उसे गोद में लिया ही था कि वह चल बसा। मैं इस अनावश्यक मौत को देखकर दुःख और पछतावे से हतप्रभ रह गयी। इस अठारह महीने के बच्चे की लाश से पहले मैंने जिन्दगी में किसी लाश को नहीं देखा था। मैं स्तब्ध और उदास खड़ी उसे देखती रही कि तभी जमादारों ने—जो हरिजन समुदाय के होते हैं और लाशों को ठिकाने लगाने का काम करते हैं—एक कपड़े के टुकड़े में उस छोटे-से ठठरी-जैसे शरीर को लपेटा और जेल की दीवारों के पार झील के किनारे उसके अंतिम-संस्कार के लिए चले गये। मेरे साथ के कैदियों के लिए दुःखद होने के बावजूद इस घटना का इतना महत्त्व नहीं था जितना मेरे लिए था। जिस तरह की कठिन जिन्दगी वे बसर करती रही हैं उसमें कच्ची उम्र की मौत लगभग रोज की एक घटना थी।

इसके कुछ ही देर बाद सुपरिंटेंडेंट एक बार फिर हमारे पास आया—उसके साथ एक स्थानीय अधिकारी भी था। मैंने उससे कहा कि वह मेरा तबादला जमशेदपुर करने की व्यवस्था करे ताकि मैं खुद देख सकूँ कि मेरे मुकदमे के सिलसिले में क्या हो रहा है। उसने बहुत उग्र प्रतिश्रिया व्यक्त की, "मुझसे तमीज से बात किया करो नहीं तो सारे दाँत बाहर निकाल लूँगा।" फिर उसने कहा, "क्यों नहीं तुम सारे नक्सलवादी सड़कर जेलों में मर जाते हो? मैं तुम लोगों से ऊब गया हूँ।" मैं समझ गयी कि पुरुषों के बाँडे में जरूर कुछ-कुछ हुआ होगा तभी वह इतना बौखलाया हुआ है। और कुछ ही दिनों बाद मुझे पता भी चल गया कि मामला क्या था। दरअसल १९७१ के गोलीकांड की जाँच शुरू हो गयी थी। जाँच कर रहे जज ने नक्सलवादियों के बाँडे का निरीक्षण किया था और नक्सलवादियों ने जोर-जोर से नारे लगाये थे—“खून का बदला खून से लेंगे।” इस घटना ने उसे गुस्से से पागल बना दिया था।

गोलीकांड की घटना के एक साल पूरा होने से कुछ ही पहले एक बार फिर सभी पेड़ों और झाड़ियों को काट देने का आदेश 'ऊपर' से आया। चमेली के पौधों में इक्के-दुबके फूल छिलने शुरू ही हुए थे और अमरूद में नयी कोपसों निकलने लगी थी। नीम के कटे हुए पंड़ में भी नयी शाखाएँ निकल रही थी जिससे उसके थोड़े-से साये तले हम आकर बैठ जाते थे। अब यह सब हमसे फिर छीन लिया गया। २५ जुलाई को नक्सलवादी कैदियों ने लगातार घंटों नारे लगाये। उस दिन दक्षिणी हवा चल रही थी और नारों की गूँज हमारे कानों में प्रतिध्वनित हो रही थी। वे अपने भरसक सामने आयी चुनौती का पूरा-पूरा मुकाबला कर रहे थे। उसी महीने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रथम महासचिव चारू मजुमदार की पुलिस-हिरासत में मृत्यु की खबर अखबारों में पढ़ने को मिली। चारू मजुमदार को कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस पार्टी की १९६६ में स्थापना की थी और इस पार्टी ने नक्सलवादी आंदोलन को मुख्य नेतृत्व दिया था। चारू मजुमदार की मृत्यु के सिलसिले में लोगों की यह आम धारणा थी कि पुलिस ने उनकी हत्या की है। मुझे यह अजीब पागलपन-जैसी हरकत लगती थी कि सेंसर वाले कभी ऐसी खबरों को काटने की

तकलीफ नहीं उठाते थे जिनके बारे में वे सोचते थे कि उन खबरों से हम लोगों का मनोबल गिरेगा। फिर भी उनकी इस चाल का मेरे ऊपर उल्टा असर पड़ता था। मैं अपने-आप ही समाचारपत्र पर काली स्याही से पुते अंशों को अच्छी खबरें समझने लगी थी। मेरे अखबार में जितना ही ज्यादा अंश काली स्याही से पुता होता मुझे उतनी ही खुशी होती।

सितम्बर के शुरू के दिनों में मैं इतनी तेज बीमार पड़ी कि बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रही। इतनी कमजोरी पहले मैंने कभी नहीं महसूस की थी। मेरा वजन २८ पाउंड कम हो गया था और हमारे डॉक्टरों का इंचार्ज डॉक्टर भी यह नहीं समझ पा रहा था कि मुझे कौन-सा रोग हुआ है। हर रोज वह आकर मुझसे खाने का अनुरोध करता लेकिन खाना देखते ही मेरी तबियत अर्धसे भर जाती। मैं एक सप्ताह तक पड़ी रही, मेरा शरीर बुखार से जलता रहा और तब जेल के एक दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया जिसने आते ही बताया कि मुझे यकृत शोथ (हेपटाइटिस) हो गया है। कुछ दिनों के लिए मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात् वी० आई० पी० का दर्जा पा गयी। वे सचमुच इस बात से भयभीत थे कि यदि मुझे कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर थोप दी जायेगी। मैं अपेक्षाकृत काफी जानी जाती थी, बाहर के लोग मेरे बारे में पूछताछ किया करते थे और यदि मुझे कुछ हो गया तो वे उसे छिपा नहीं पायेंगे जैसा कि अन्य क्रांन्दियों के मामले में कर देते हैं। लगभग एक महीने तक मुझे खूब आरामदेह बिस्तर मिला, मच्छरदानी में सोने का सुख प्राप्त हुआ और अत्यंत पौष्टिक आहार दिया गया, लेकिन मैं इतनी बीमार थी कि वह खा नहीं सकती थी।

मेरे साथ के क्रांन्दियों ने मेरी सेवा-शुश्रूषा करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। उनसे जितना हो सका उतना उन्होंने किया ताकि मैं फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊँ। वे मुझे मालिश करती, पंखा झलती, मेरे कपड़े साफ़ करती, कोठरी की सफ़ाई करती और मेरे लिए चावल का दलिया तैयार करती। जब कोई काम नहीं होता तो यही पूछने वे आ जाती कि अब मेरी तबियत कैसी है। एक ने मुझसे कहा, "तुम बहुत दिनों से अपने घर से दूर हो इसीलिए तुम्हारी तबियत ऐसी हो गयी है। लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि अब हम लोग ही तुम्हारी माँ या बहन या पूरा परिवार हैं। हम तुम्हारी पूरी देखभाल करेंगे।"

इसके बाद मैंने महसूस किया कि अपने संगी-साथियों के साथ मेरे सम्बन्धों में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। सितम्बर के उन अंतिम दिनों में अपने बिस्तर पर लेटे मैं उस समय बड़ी शांति महसूस करती जब मैं चुपचाप औरतों को इधर से उधर घूमती हुई देखती रहती, खुले आसमान की तरफ़ आँखें किये रहती जहाँ सफ़ेद बादलों के मुड एक दूसरे को धक्का देते हुए अपनी तरफ़ ध्यान आकर्षित करते होते, जब पीपल के पेड़ में बने घोंसलों में चिड़ियाँ लौट रही होती और बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे होते। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। यहाँ तक कि जब मैं बीमार थी उस समय भी अचानक तलाशी लेने का काम किया गया था जिसमें सारे कमरों और गद्दों को इधर-उधर फेंक दिया गया था और कोठरी में अखबारों के पन्ने बिखरे हुए थे। मैं समझ नहीं पाती कि ऐसे समय वे क्या सोच करके तलाशी लेने आए थे जबकि मैं बीमारी को वजह से ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी।

मैं उस समय भी बहुत कमजोर थी जब कुछ दिनों के लिए हमारे साथ तीन स्कूल अध्यापिकाएँ रख दी गयीं। वे तथा अन्य हज़ारों अध्यापकों को भारतीय

दण्ड संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत एक हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस धारा के अनुसार पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक स्यात पर इकट्ठा होने और सभा करने पर रोक थी। ये अध्यापकगण इस बात की माँग कर रहे थे कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले ले ताकि पेंशन, आवास तथा सबसे बढ़कर नियम से तनख्वाह मिलने के मामले में उन्हें कुछ सुरक्षा मिल जाय। उन्होंने मुझे बताया कि कभी-कभी तो महीनों उनकी तनख्वाह नहीं मिलती। कैदियों की इस बड़ी हुई संख्या से निपटने के लिए सरकार ने हजारीबाग से लगभग बीस मील दूर चंदवारा में एक पुराने कैम्प जेल को फिर से खोल दिया था। मेरा खयाल है कि इस जेल का इस्तेमाल सबसे पहले अंग्रेजों ने किया होगा। बाद के वर्षों में चंदवारा तथा अन्य कैम्प जेलों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने जेल में हड़तालियों के एक के बाद एक आने वाले कई दलों को देखा जिनमें स्कूल अध्यापकों का यह पहला दल था। हालाँकि उस समय उनका मनोबल अपेक्षाकृत आसानी से गिराया जा सका और बिना घातै काम पर लौटने के एक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ही उन्हें विदा किया गया लेकिन बाद में हड़तालियों को इतनी आसानी से नहीं दवाया जा सका।

वही एक ऐसा समय था जब हड़तालियों को उच्च श्रेणी मिली और अन्य कैदियों के मुकाबले उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना दिया गया। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ हुई कि उन्हें काफी कपड़े भी दिये गये थे जिन्हें जेल छोड़ते समय वे अपने साथ लेते चले गये। मेरे इस चिड़चिड़ेपन को वजह यह थी कि हर बार की तरह अभी भी कुछ औरतों चिड़ियों में ही घूम रही थी। स्कूल-अध्यापकों के चले जाने के बाद कपड़ों के इंचार्ज सहायक जेलर से मेरी बहुत तेज बहस हो गयी। कुछ औरतों के पास अपने हुबले-पतले कंधों को छिपाने के लिए एक ब्लाउज तक नहीं है और जाड़ा आने के साथ ही उनके सामने तमाम कठिनाइयाँ पैदा हो गयी हैं। इसके बाद एक निरीक्षण के बाद सम्बद्ध अधिकारी ने आदेश दे दिया कि जिनके पास कुछ भी नहीं है उन्हें एक साड़ी और एक ब्लाउज दिया जाय। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने देखा और बताना चाहा कि स्कूल अध्यापिकाओं को, जिनके पास पहले से ही काफ़ी कपड़ा था और जो महज कुछ दिनों के लिए जेल में आयी थी, उन्हें कितने कपड़े दिये गये थे। अधिकारी ने जवाब दिया कि मैं अपने जिन साधियों के लिए दलील पेश कर रही हूँ वे जेल आने के पहले से ही गरीब हैं। जेल के बाहर भी वे चिपड़े ही लपेटती थीं और उन्हें यहाँ आशा नहीं करनी चाहिए कि 'समृद्ध होने के लिए' उन्हें जेल में रखा गया है। जेल के नियमों के अनुसार कैदियों को मिलने वाली न्यूनतम सुविधाओं से वंचित करने का औचित्य प्रमाणित करने के लिए यह ब्यक्ति यह दलीलें पेश कर रहा था कि जेल से बाहर तमाम लोग ऐसे हैं जो कड़कती ठंड में महीनों तक नंगे पैर और बिना पर्याप्त कपड़ों के जीवन बिताते हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार ने चुनाव जीत लिया और इसके लिए उसने जिस नारे का इस्तेमाल किया, वह था "गरीबी हटाओ!"

यह सब लोग जानते थे कि सहायक जेलर और उसके अधीन काम करने वाले कैदी कैदियों के लिए कपड़े का कोटा बेच दे रहे हैं और रजिस्टर में उन बेची गयी चीजों को कैदियों को दी गयी चीजों के खाने में दर्ज कर देते हैं। बिना सम्बन्ध संघर्ष के कपड़े उसी समय बाँटे जाते थे जब किसी मंत्री या जेलों के इंस्पेक्टर-जनरल को यात्रा की घोषणा होती थी। उस समय जेलर जल्दी-जल्दी कुछ ब्लाउज और साड़ियाँ उन औरतों को दे देता था जिनके पास बिलकुल ही कपड़े नहीं होते

थे और साथ ही दूसरे कैदियों को चेतावनी देता था कि वे शिकायत न करें। इसके साथ ही वह यह भी आश्वासन देता कि 'जैसे ही नया मल्लि आयेगा' उन लोगों को भी कपड़े मिल जायेंगे। विशिष्ट आगंतुकों के जेल से रवाना होने के साथ ही जेलर अपने वायदे भूल जाता था।

अपनी बीमारी से अभी मैं थोड़ी-बहुत ठीक ही हुई थी कि तभी एक बार फिर एक ब्रिटिश अधिकारी मुझसे मिलने आया। वह अपने साथ एक कलम लेकर आया था। उसकी मैं काफी दिन से प्रतीक्षा कर रही थी। इसके साथ ही उसने अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने एक प्रस्ताव पेश किया कि यदि मैं बिना मुकदमा चले 'स्वेच्छापूर्वक स्वदेश-वापसी' के लिए तैयार हो जाऊँ तो भारत-सरकार की निश्चित रूप से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैंने उससे कहा कि मैं इस मामले पर विचार करूँगी और मुझे सोचने के लिए एक महीने का समय दिया जाय।



## स्वदेश वापसी ?

उप-उच्चायुक्त सचिव का प्रस्ताव काफ़ी लुभावना था : उसे काफ़ी आशा थी कि यदि मैं स्वेच्छापूर्वक स्वदेश वापसी के लिए तैयार हो जाऊँ तो मेरे खिलाफ़ जो मामला है उसे वापस ले लिया जायेगा और मैं कल ही यहाँ से निकल सकती हूँ। दूसरी तरफ़ यदि मैं इस पर अड़ी रहो कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाये तो इसमें महीनो लग सकते हैं। बिहार सरकार मुझे 'खतरनाक' समझती है और वह जमानत के लिए मेरी तरफ़ से को जाने वाली हर कोशिश का विरोध करेगी। उसने फिर आगाह किया है कि यदि मुकदमा चलाया गया तो मुझे बीस वर्ष की कैद की सजा हो जायेगी। ब्रिटिश अधिकारी का खयाल था कि अमलेन्दु को अब फिर देख पाने की आशा करना व्यर्थ है। इस मुद्दे पर सुपरिटेण्डेंट ने भी बड़े सामान्य लहजे में कहा था कि हमारे मामले में कइगो को मौत की सजा मिल सकती है, लेकिन अब तक मैं समझ चुकी थी कि इस कथन के पीछे मुझे बस डराने की कोशिश छिपी थी। बिहार के मुख्य सचिव से मिली एक जानकारी से अवगत कराते हुए ब्रिटिश वाणिज्य अधिकारी ने मुझसे विदा ली : यदि मैं अब कभी कलकत्ता में रहने की कोशिश की तो मेरा जीवन खतरे में पड़ जायेगा। आज वह स्थिति नहीं है जो १९७० में थी। नक्सलवादियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

यह एक तरह की धमकी थी लेकिन मेरे ऊपर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे इस बात में शक था कि कलकत्ता के लोगों के मन में मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत होगी। मैंने कोशिश की कि भावुकता के प्रवाह में बहे बग़ैर मैं स्वदेश-वापसी के प्रस्ताव पर तर्कसंगत ढंग से विचार करूँ। यह बात तो स्पष्ट थी कि भारत सरकार का कोई हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ था। मुझे रिहा करके वह विदेश में अपनी प्रतिष्ठा को बड़ाना चाहती थी और साथ ही स्वदेश में अपने राजनीतिक विरोधियों को बिना मुकदमा चलाये अनिश्चित काल के लिए जेलों में कैद रखना

चाहती थी। मैं इस नतीजे पर पहुँची कि यदि ऐसा ही है तो भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे ही हित में है। अब और अधिक समय तक मेरे जेल में पड़े रहने से कोई मकसद पूरा होने नहीं जा रहा है। कुछ दिनों बाद अपने मामले से सम्बद्ध लोगों में से किसी एक का संदेश मुझे मिला जिसमें यह सलाह दी गयी थी कि मुझे स्वदेश वापसी के लिए सहमत हो जाना चाहिए वशर्तें इसके साथ कोई अस्वीकार करने योग्य शर्तें न जुड़ी हों। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरे पास यह संदेश भेजा; मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद लोग सोचें कि मैं भाग खड़ी हुई।

दो सप्ताह के अन्दर मैं किसी नतीजे पर पहुँच गयी थी और मैंने कलकत्ता लिख भेजा कि वे प्रस्तावित बातचीत को आगे बढ़ायें। मेरे शीघ्र ही स्वदेश रवाना होने के बारे में जेल-अधिकारियों को इस हद तक उम्मीद थी कि शुरू-शुरू में इस प्रस्ताव को अमली रूप दिये जाने के बारे में मेरे अंदर जो शंकाएँ पैदा हुई थी, वे समाप्त हो गयीं। इंग्लैंड से अपने घनिष्ठतम मित्रों के पत्र पाकर मेरे अन्दर लंदन की जिन्दगी के बारे में उत्सुकता बेहद बढ़ने लगी और मैं अपने माँ-बाप से तथा खासतौर से अपनी बहन के बच्चों से मिलने की घड़ी का इंतज़ार करने लगी। दूसरी तरफ भारत छोड़ने का विचार भी मुझे सालने लगा। अपनी कोठरी के बाहर बनाये गये मिट्टी के ऊँचे चबूतरे पर शरद की उन खुली शामों में आराम करते समय, हजारीबाग के नीले स्वच्छ आकाश को निहारते समय, जेल के बाहर शमशान के ऊपर अलसायी मुद्रा में चीलों का उड़ना देखते समय और मानसून की बारिश की वजह से अभी तक धरती से उठ रही सोंधी खुशबू से भरे वातावरण में साँस लेते समय मैं यह सोचकर उदास हो उठती थी कि उस देश में गुजरने वाले ये आखिरी दिन हैं, जिसे मैंने जेल की दीवारों के अंदर से लगातार प्यार किया है। यह सोचकर कि शायद मैं अब फिर कभी अमलेन्दु से न मिल सकूँ मैंने उसके परिवार से सम्पर्क बनाये रखने की व्यावहारिक योजनाएँ बनायीं और समूची घटना के बारे में उनके पास विस्तार से लिखा। मैं जानती थी कि वह इन स्थितियों को समझ लेगा।

जेल से बाहर समूचा भारत उद्वेलित था। उस शरद असम में भाषा के प्रश्न पर दंगे हुए थे, पंजाब में बड़े पैमाने पर छात्रों ने आंदोलन किया था और देश के अन्य हिस्सों से गड़बड़ी के समाचार आ रहे थे। एक दिन बिहार विधानसभा की एक सदस्या जेल लायी गयी। वह हजारीबाग से तीस मील दक्षिण रामगढ़ में एक घरना के दौरान पकड़ी गयी थी। हालाँकि वह हमारे साथ बहुत कम दिन रही फिर भी उसका यह अल्पकालिक साथ बहुत ज्ञानवर्द्धक था। वह रामगढ़ क्षेत्र से चुनी गयी थी। इस इलाके से पहले उसके पति निर्वाचित हुए थे जिनकी निर्वाचित होने के कुछ ही दिनों बाद पटना में हत्या कर दी गयी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस स्थान से इस महिला को प्रतिनिधि बनाना तय किया था और पति की हत्या के कारण लोगों के भावनात्मक ज्वार ने उसे विजयी बना दिया था। मैं उससे राजनीति पर बातचीत करना चाहती थी। उसने कभी माक्स, लेनिन या एंगिल्स का नाम नहीं सुना था। मैंने जब उससे उसके सरकारी कामकाज के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि चूँकि वह अंग्रेजी कम जानती है इसलिए विधानसभा की सारी कार्यवाहियों को वह समझ नहीं पाती है।

मैंने उससे उन कदियों की दुर्दशा का जिक्र किया जिन्हें काफ़ी दिनों से बिना मुकदमा चलाये बन्द किया गया था—मैंने अपने साक्षियों की कठिनाइयों से भी

उसे अवगत किया। उसने इन बातों में बड़ी काम चालि दिखलायी गोया इन चीजों के उसका कोई सरोकार नहीं था। अंग्रेजी ढंग से खाना बनाने तथा बुनाई के नमूनों में उसकी क्यादा दिलचस्पी थी। इसके अलावा यह जिस दिन जेल आयी थी उसी दिन से मुसलमानों के उपवास (रोजा) वाला महीना रमजान शुरू हुआ था। मैं यह देखकर विस्मित रह गयी कि यह 'कम्युनिस्ट' औरत बड़े नियम के साथ सवेरे से शाम तक रोजा रखती थी—उसे कतई यह आभास नहीं था कि इसमें क्या असंगति है।

मेरे साथ की एक भूतपूर्व सहकर्मी अध्यापिका आयरिश भाषण अपने पति के साथ भारत आयी हुई थी और कई महीने पहले उन्होंने मुझे पत्र के जरिये सूचित किया था कि अपनी भारत-यात्रा के दौरान वे मुझसे मिलना चाहेंगी। काफ़ी समय गुजर जाने पर भी जब वे दोनों नहीं आये तब मैंने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन उच वर्ष अक्टूबर के अंतिम दिनों में एक दिन मुझे जेल के ऑफिस में बुलाया गया। केन्द्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद आयरिश दंपती मुझसे मिलने आ गये थे। वे हजारीबाग में एक सप्ताह रुकना चाहते थे और मुझसे रोज़ मिलना चाहते थे, लेकिन सुपरिंटेंडेंट ने उनको इन योजना को नामंजूर कर दिया और कहा कि केवल एक बार मुलाकात की अनुमति मिली है। इस काम के लिए उन्होंने कई सौ मील की यात्रा तय की थी। मैंने इसके लिए अपने आपको अपराधी महसूस किया लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि यही उचित है। मेरी दृष्टि में यह एक अद्भुत मुलाकात थी हालाँकि हम लोगों की बातचीत के खुलेपन में कुछ हद तक स्पेशल ब्राच के अधिकारी की मौजूदगी से बाधा पड़ जाती थी जो भाव-शून्य चेहरा लिये चुपचाप बैठकर हमारे एक-एक शब्द नोट करता जा रहा था। सुपरिंटेंडेंट वेहद अफ़सराना चेहरा बनाये बैठा था—ऐसा लगता था जैसे हम लोगों की उल्लासपूर्ण बातचीत से कुछ रहता हो। मैंने आयरिश को लिखा था कि वह अपने साथ खर की एक छोटी-सी गेंद लेती आये क्योंकि यहाँ बच्चे मुझसे गेंद माँगा करते थे। अब चूँकि बच्चों के साथ खेलने की इजाजत मुझे नहीं दी गयी थी इसलिए सुपरिंटेंडेंट ने फंसला कर लिया कि आयरिश द्वारा लायी गयी गेंद या मिठाइयों में से किसी भी चीज को जेल के अन्दर ले जाने की 'स्वीकृति' नहीं मिल सकती।

सौभाग्य से उसने आयरिश और पीटर द्वारा मेरे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लायी गयी चीजों को रखने की इजाजत दे दी। हेप्टाइटिस से ठीक होने के बाद खाने-पीने में मेरी दिलचस्पी फिर से अपने पुराने रंग पर आने लगी थी। दरअसल मैं उन दिनों अपनी इस दिलचस्पी में इस तरह डूबी हुई थी कि जब भी लंदन से अखबारों का बंडल आता, मैं अपने देश की खबरों को देखने की बजाय फ़ौरन पकवानों वाला स्तंभ देखने लगती और सोचती कि अपने जेल के राशन से मैं किस तरह उन व्यंजनो को तैयार कर सकती हूँ। इसकी वजह यह नहीं थी कि मेरा अभ्यास छूट गया था बल्कि साधन इतने सीमित थे कि अखबारों में वर्णित व्यंजनों जैसे स्वाद वाला व्यंजन बनाना बहुत मुश्किल था। आयरिश और पीटर द्वारा मिठाइयों, ताजे फल और पनीर के डिब्बों के लाने से मुझे लगा कि मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो।

फिर भी जल्दी ही इन चीजों से वही पुराना पदार्थ और विचार वाला संघर्ष शुरू हो गया और मैंने उसे लिखा, "मिठाइयाँ काफ़ी स्वादिष्ट थी लेकिन जब भी मुझे कोई ऐशो-आराम वाली चीज मिलती है तो मैं बहुत दुःखी महसूस करती हूँ।

आमतौर से मैं इन चीजों को वांट देती हूँ ताकि इनसे मुझे जल्दी छुटकारा मिल जाये और फिर मैं जो थोड़ा-बहुत खाती हूँ उसके कारण भी अपराध-बोध से ग्रस्त रहती हूँ। मैं समझती हूँ कि लंदन वापस आने पर मैं स्वयं को दूसरों का माल हड़पनेवाला एक धिनौना धनी व्यक्ति महसूस किए बिना सामान्य भोजन ग्रहण कर सकूंगी। तब तक के लिए मैं सम्भवतः अपनी चपातियों और दाल के पानी से काफी संतुष्ट हूँ।”

जेल के अस्त-व्यस्त जीवन में रचनात्मकता की मेरी जरूरत को समझते हुए आयरिश ने थोड़ा कपड़ा और धागा ला दिया था ताकि मैं कसीदाकारी कर सकूँ। उसने थोड़े पेस्टल और ड्राइंग पेपर भी ला दिये थे। हालाँकि उन्होंने मुझसे बार-बार पूछा कि मुझे किस चीज की जरूरत है लेकिन मुझे आशा थी कि बहुत थोड़े ही दिनों में मुझे स्वदेश खाना कर दिया जायेगा इसलिए मैंने खासतौर से किसी चीज की फ़रमाइश नहीं की। मैंने उससे वायदा किया कि जल्दी ही लंदन के अपने पुराने अड्डों में हम मिलेंगे। तीन साल बाद जब मैं वापस लंदन पहुँची तो मुझे पता चला कि मुझसे मिलने से पहले आयरिश और पीटर दोनों बेहद प्रसन्न-चित्त थे और यह कि कलकत्ता में आयरिश के अदालत में अमलेन्दु से मिलने के लिए जाने के बाद पुलिस उनके होटल में आयी और उसे पूछताछ के लिए थाने ले गयी।

उस शरद काल में हमारे साथ कुछ और युवा तथा उत्साही क़ैदियों को रख दिया गया और दोपहर बाद हम बहुधा आँखमिचौनी, कबड्डी, ऊँची कूद आदि खेलते रहते। इनमें से एक उन्नीसवर्षीया मुसलमान युवती बिल्किश ने हम लोगों की जिंदगी को सबसे ज्यादा उल्लसित किया। वह अपने पड़ोस के एक हिन्दू लड़के के साथ भाग गयी थी—भागने से पहले दोनों में कुछ दिनों तक प्रेम-पत्रों के जरिये और नौकरो द्वारा एक-दूसरे के पास खबरें भेज-भेजकर प्यार चलता रहा था। लड़की के अभिभावक—उसके चाचा—की कोशिश पर अब दोनों जेल में पड़े थे। चाचा के इस काम में मुसलिम सम्प्रदाय के लोगो ने भी मदद की थी। चाचा ने धमकी भी दी थी कि यदि दोनों ने जिले की सरहद में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्हें सरेआम मार डाला जायेगा। साम्प्रदायिक दमे के डर से मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यदि उन्हें रिहा किया गया तो उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ जायेगी।

बिल्किश के पति पर अपहरण और दलात्कार का आरोप लगाया गया था। पर इस आरोप में तब तक कोई दम नहीं होता जब तक बिल्किश खुद यह बयान न देती कि उसे उसकी मर्जी के बग़ैर भगाया गया। उसकी उम्र पता करने के लिए बड़ी धारीकी के साथ डॉक्टरों जाँच की गयी थी। अठारह वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला को नाबालिग समझा जाता है और उसे विवाह के लिए अपने अभिभावक की सहमति लेनी जरूरी होती है लेकिन स्पष्ट रूप से बिल्किश इतनी बड़ी थी कि वह अपने पति का चुनाव कर सके। उसने मुझे बताया कि स्कूल की पढाई अभी वह खत्म करने वाली थी कि उसके चाचा ने उसके एक चचेरे भाई से विवाह तय कर दिया। इस रियल्टि से वचने के लिए वह अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गयी। बिल्किश बड़ी दिलेर लड़की थी और अपने चाचा की हर धमकियों के खिलाफ डट रहे के उस संकल्प की मैं सचमुच तारीफ़ किये बिना नहीं रह सकती। उसका चाचा उससे तब तक हर रोज़ मिलने आता रहा जब



तक उसने गृह कहला नहीं दिया कि वह अब उनसे नहीं मिलेगी। इसके बाद उसके चाचा ने एक सहायक जेलर को पटा लिया और उससे अपनी बातें बिल्किश तक पहुँचाने लगा। यह अधिकारी अबसर हमारे वॉर्ड में आ जाता और बिल्किश को बताता कि गैर सम्प्रदाय के साथ शादी करने से भविष्य में कितनी मुसीबतों और दुःखों का सामना करना पड़ता है। उसने बिल्किश को चेतावनी दी कि उसके प्रेमी के परिवार के लोग न तो उसके हाथ का बनाया खाना खाएँगे और न उसके छुए बर्तन का पानी पिएँगे। उसने भरसक इस लड़की को हतोत्साहित करने और उसका मनोबल गिराने की कोशिश की ताकि उसे अपनी करनी पर पछतावा हो और अपने पति के खिलाफ एक झूठा बयान दे दे जिससे उसके पति को बलात्कार के जर्म में दस साल की सजा हो जाये। साथ ही वह अपने चाचा के घर लौटने के लिए राजी हो जाये जहाँ उसे अपने 'अपराध' के लिए निश्चित रूप से उचित 'सजा' मिलनी ही थी।

जेल-कर्मचारियों में इन दोनों के दोस्त और दुश्मन दोनों थे लेकिन दुश्मनों की तुलना में ये दोस्त कहीं ज्यादा ही बुरे थे। इनमें कुछ बूढ़े ब्राह्मण वॉर्डर थे जो अपने अत्याचार के लिए और अपने अधीन क़ैदियों की सुशहाली के खिलाफ काम करने के लिए क़ैदियों के बीच काफी बदनाम थे। अन्य क़ैदियों के प्रति अपने व्यवहार के द्विपरीत वे हर तरह से कोशिश करते थे कि बिल्किश और उसके पति को जेल में कोई तकलीफ न रहे। जहाँ तक मैं समझ पायी थी कि उनकी इस कृपा का कारण यह था कि एक हिन्दू लड़के के साथ बिल्किश की शादी को वे हिन्दुओं की जीत और मुसलमानों की हार मानते थे। हालाँकि यदि उनकी भी लड़कियाँ किसी दूसरी जाति में विवाह कर लेती तो वे शायद उन्हें कभी माफ नहीं करते और मोघ से पागल हो उठते। असल-असल तरफ़ से पढ़ने वाले इन दबावों के बावजूद बिल्किश अपने फ़ैसले पर बड़ी रही और पाँच महीनों तक अपना पक्ष लेकर लड़ती रही। पाँच महीनों बाद उसे इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वह अपने पति के साथ किसी और इलाक़े में जाकर रहेगी। सबसे बड़ी विहम्बना तो यह है कि कानून के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उन्होंने किसी भी रूप में कोई अपराध नहीं किया था।

मोहिनी की जमानत पर रिहाई के बाद मेरी कोठरी में गंज जनजाति की दो आदिवासी औरतें राजकुमारी और सोमरी कुछ दिनों के लिए आ गयीं। मैं राजकुमारी की बड़ी इज्जत करती थी। जिन आदिवासियों से मेरी भेंट हुई उनमें से अधिकांश की ही तरह यह औरत लड़ाई-झगड़े से दूर रहती थी, बेहद परिश्रमी थी और बड़ी स्पष्टबक्ता थी। उसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी और वह पूरी तरह विश्वसनीय थी। शाम को जब हमें अन्दर बन्द कर दिया जाता, वह दरवाजे के साँखों को पकड़कर चुपचाप खड़ी रहती। ऐसे ही क्षणों में वह हर रोज अपने गाँव-घर को याद करती थी। फिर सोमरी उसे बुलाकर खाने के लिए और सारी तकलीफें भुला देने के लिए कहती। कभी-कभी वह रात में आदिवासियों के गीत गाती। मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद उसकी मधुर और तेज आवाज में गाये जाने वाले गीतों के दुःखपूर्ण किन्तु समस्वर उतार-चढ़ाव की नकल नहीं कर पाती। मेरी फिर कभी इतनी मुन्दर गाने वाली किसी क़ैदी से मुलाक़ात नहीं हुई।

मधुर स्वभाव वाली सोमरी की उम्र लगभग पंतीस वर्ष थी। वह विधवा थी और उसके पन्द्रह वर्ष का एक लड़का था जो खुद भी जेल में था। वह बड़ी

दिलदार औरत थी और हमेशा मुझे 'बच्ची' कहती थी। वह मेरे लिए खाना पकाती, नहाते समय मेरी पीठ मलती और आड़े गी ठंडी रातों में अपने कम्बल से मुझे भी ढँक लेती। कीड़े-मकोड़ों और भूत-प्रेतों से डरने वाली इस औरत को लोग हमेशा अपनी हँसी-मजाक का एक साधन बनाए रहते। मुझे लगता था कि उसके ममता-भरे सान्निध्य ने मुझे और भी बच्चा बना दिया था और कभी-कभी तो मैं अपना बाल का घुश उसके बिस्तर में छिपाकर या उससे यह बताकर कि शौचालय में एक भूत है, जिससे वह घंटों शौचालय की तरफ जाती ही नहीं, इतना हँसती कि पेट दर्द करने लगता। फिर भी वह कभी क्रोधित नहीं हुई। उसका पूरा रूप ही काफी हृद तक हँसाने वाला था। तमाम ग्रामीण औरतों की तरह वह अपनी नाक में सोने का नथ पहनती थी। यह नथ उसके आगे के दाँतों के बीच की एक खाली जगह के ठीक ऊपर आकर लटकता होता। दाँतों के बीच की इस खाली जगह के बारे में उसने मुझसे कभी बताया था कि एक रात देसी शराब पीकर सर पर चावल की गठरी रखे वह कही जा रही थी कि अँधेरे में ठोकर लगी और वह गिर पड़ी जिससे दाँत टूट गया।

भारत के तीन-चौथाई किसानों की तरह वह भी एक ऐसे इलाके की रहने वाली थी जहाँ सिंचाई का साधन महज वर्षा है। खेती के नाम पर केवल धान, ज्वार और मक्का पैदा होता था और शेष 'भगवान' के आसरे पर था। खाने के नाम पर वह केवल इन्हीं अनाजों तथा जंगल से चुनी गयी खाने लायक पत्तियों, जड़ों, फलों और फूलों को ही जानती थी। जेल आने से पहले उसने कभी आलू या प्याज नहीं खाया था। केला और नारियल जैसे आम फलों का तो उसने नाम तक नहीं सुना था। फिर भी अपने सीमित अनुभवों के आधार पर ही वह काफी चालाक थी। सरकारी अधिकारियों के बारे में उसकी बहुत अच्छी राय नहीं थी—उसने देखा था कि ये लोग गाँवों में जाकर नौजवानों को सेना में भर्ती करते थे ताकि ये नौजवान "बड़े आदमियों के लिए लड़ सकें," या उनसे कहते थे कि अधिक बच्चे न पैदा करो या जमीन देने का वायदा करते थे जो कभी पूरा नहीं होता था। उसकी निगाह में सरकार ही एक ऐसी चीज थी जो गाँव वालों को जंगल से जलाने की लकड़ी लाने पर रोक लगाती थी, तालाबों में मछली मारने से रोकती थी और जहाँ चावल की जरूरत है वहाँ कपास उगाने को कहती थी।

कुछ अन्य कँदियों की तरह विदेश के नाम पर सोमरी ने भी केवल चीन और पाकिस्तान का नाम सुना था। उसने सुना था कि चीनी लोग अपने यहाँ के बूढ़े लोगों को खा जाते हैं या मार डालते हैं और वे साँप और बन्दर खाते हैं जो उसकी निगाह में पवित्र जीव हैं। चीन के बारे में मैं जो जानती थी, मैंने उसे बताया और उस लम्बे संघर्ष के बारे में समझाया जिसे चीनी जनता ने अपने पुराने समाज का कायाकल्प करने के लिए चलाया था। भारत की सीमा में प्रवेश करने के पहले ही दिन से स्टेशन के युक्त स्टालों तथा अन्य स्थानों में चीन-विरोधी प्रचार सामग्रियों को याद करते हुए मैंने सोचा कि सोमरी तथा अन्य कँदियों से चीन के बारे में मुझे जो अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिली हैं वह महज इत्फाक नहीं है।

मेरी बातचीत केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहती थी। एक दिन उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी सुनायी कि किस तरह उसके भानजे की मुठ-भेड़ एक बार जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय शेर से हो गयी थी और वह मारा गया था। बिहार के कुछ जिलों में अभी भी तमाम जंगली जानवर हैं और मैं

ग्रामोण लोगों की सतरनाक परिस्थितियों में पल रही जिन्दगी और उस आम तज्जिन्दगी के बीच विरोधाभास की तुलना करने लगी जिसे मैं स्वीकार कर चुकी थी। उसने मुझे यह भी बताया कि किस तरह अर्रल के महीने में सवेरे से शाम तक गाँव के लोग महुआ के फूल झकट्टा करते हैं, उसे धूप में सुधाकर रातों ही और जूलाई में जब तक मक्का तैयार नहीं हो जाता उसे उबालकर या भूनकर दिन में दोनों पहर घाने के काम लाते हैं। परिवार का हर सदस्य इस काम में जुटा रहता है और किसी को नहाने तक की कुर्गंत नहीं मिलती क्योंकि नहाने के लिए नजदीक-से-नजदीक के स्थान तक जाने के लिए भी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। उसने बताया कि महुआ के मौमम में अकसर उसे जूएँ पड़ जाती थी क्योंकि अपने को साफ रखने का समय ही नहीं मिलता था।

अधिकांश समय मौमरी एक स्थानीय सूदखोर के लिए दूकान चलाकर अपना खर्च जुटाती थी। इसके एवज में उसे बस घाना और कभी अपने और अपने बच्चे के लिए कपडा मिल जाता था। उसके जेल में आने का कारण यह था कि उसने डकैतों के एक गिरोह को उर्रत के सामान की सप्ताई की थी। यह गिरोह उस इलाके में धूमता रहता और बाजार जाने और बाजार से आने वाले लोगों को अकसर लूट लेता था और उनके मकान पर हमला कर देता जो किसी बजह से घर से बाहर होते। इनमें से कुछ डकैत भी जंगल के अपने ठिकानो से पकड़े गए थे और उनमें से तीन की पत्नियाँ हमारे साथ कुछ दिनों तक रही थी। वे पहाड़ी जनजाति के थे जिन्हें पहाड़िया कहा जाता था। कई पीढ़ियों से वे धूम-धूमकर मती करते थे और हर बार कुछ मौसम एक जगह गुजारने के बाद वे किसी दूसरे स्थान पर चले जाते थे। वे औरतें ही भीरु स्वभाव की थी और यह कल्पना करना बड़ा मुश्किल लगता था कि वे डकैती में लूटी गयी सामग्री के सहारे अपने पतियों के साथ जंगलों की कठिन जिन्दगी गुजारती होंगी।

हमारी कोठरी की दूसरी तरफ वनी छोटी-सी झोंपड़ी में कबूतरों का एक जोडा रहता था जो बहुत जल्दी-जल्दी बच्चे देता था। इन दस दिनों पूर्व पैदा छोटी चिड़ियों का मौस उन कँदियों को बहुत पसन्द था जो मौस की शोकीन थी लेकिन इसे आमतौर से मेटिन के आदेश पर उल्लंघन माना जाता था। हमने एक तरीका ढूँढ निकाला था जिससे जब तक मेटिन जान सके कि ये पैदा हुए हैं, हम इन छोटे कबूतरों को उसी समय गायब कर देते थे। चोरी-छिपे दावत उड़ाने के लिए हमने शनिवार की रात को चुना था। ताला बंद होने के समय से थोड़ा पहले जब किसी की निगाह हम पर नहीं होती थी, हममें से एक पहरा देने के लिए छडी हो जाती और अन्य दो औरतें मिट्टी की अँगीठी को चुपके से कोठरी में उठा लाती। जब तक चौफ-हैड वॉडर अपना शाम का चक्कर पूरा नहीं कर जाता इस अँगीठी को हम अपने शौचालय की सीढ़ियों पर छिपा कर रखे रहती। जैसे ही वह चला जाता हमारा खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू होता। जिस दिन कोई कबूतर नहीं होता हम आलू की खिचडी बनाती या किसी महिला वॉडर से बाजार से कुछ मौसमी सब्जियाँ मँगा लेती। इन दावतों के बाद जब मैं सोने के लिए लेटती तो मुझे अकसर अमलेन्दु की याद आती और मैं लेटी-लेटी सोचती रहती कि पता नहीं उसके पास कुछ संगी-साथी हैं या नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि उसकी हालत चाहे कौसी भी क्यों न हो वह कभी यह नहीं चाहेगा कि मैं दुखी रहूँ और उसे यह जानकर खुशी होगी कि मैंने किसी तरह अपना इन्तजाम कर लिया है।

१९७२ के क्रिसमस से थोड़ा पहले बिहार सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों से जेल भर गया। इनमें मानसिक चिकित्सालयों की तमाम नर्सों और अस्पताल कर्मचारी थे जो बेहतर वेतन, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और विकसित आवास-व्यवस्था की माँग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। वे अपनी माँगों के मर्मर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें धारा १४४ तोड़ने के चिरपरिचित आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

हर बार की तरह जब भी बड़ी संख्या में नये कैदियों का आगमन होता था हमारे अन्दर तरह-तरह की भावनाएँ उठती थी। उनके आने से हमारे जीवन में जो विविधता आती थी उसे हम पसन्द करते थे पर साथ ही पानी की कमी और सफ़ाई की समुचित व्यवस्था न होने से पैदा कठिनाइयों को भी हम बहुत महसूस करते थे। अब हम अस्सी लोग उसी नल से पानी लेने के लिए होड़ लगाती थी और मेरे बगल की कोठरी में चॉतीस औरतें सोती थी। एक क्षण भी शान्ति नहीं रहती थी। मैंने पढ़ने की सारी कोशिशें छोड़ दी थीं और साग्न समय में अपनी नयी आगंतुकों के साथ बातचीत में ब्रिताती। एक यूनिजन की सदस्य होने के नाते उनमें जुझारूपन था और वे मंगठित थी तथा चीफ-हेड वॉर्डर को लगातार अपनी माँगों से थका देती थी। अधिकारियों तक जिस निर्भीकता के साथ वे अपनी शिकायत पहुँचाती थी वह अन्य कैदियों के लिए एक मित्राल था जो अब खुद भी खानातौर से खाने के मामले में आवाज उठाने लगे थे। उन दिनों की रोज की मन्जी बैगन थी जिसे एक लोहे के ड्रम में तब तक उबाला जाता था जब तक वह काला और लसलसेदार नहीं हो जाता था। सबसे बुरी बात यह थी कि इसमें अकसर लाल रंग के मोटे-मोटे कीड़े मिलते थे जिससे अधिकांश औरतें इन 'ब्यजनो' को बेमन से खाने की बजाय सादा चावल या चपातियाँ खाना पसन्द करती थी।

मानसिक चिकित्सालय की नर्सों का काम और अस्पताल की सफ़ाई का काम अवांछनीय तथा गंदा काम समझा जाता था और अधिकांश 'अराजपत्रित अधिकारी' या तो इसाई थी या हरिजन। फिर भी उन अनगढ़ लोगों के बीच एक उल्लेखनीय अपवाद था—उनके बीच एक हिन्दू औरत थी जो भ्रष्टित थी। मैं नहीं कह सकती कि उसे कैसे यह पद मिल गया। उसे ईश्वर-भक्त के नाते विशेष अधिकारों का हकदार मान लिया गया था और खाने से पहले वह हमेशा तरह-तरह के मंत्र आदि पढ़ती थी। वह गैर-हिन्दुओं या हरिजनों के हाथ का पकाया खाना नहीं छूती थी इसलिए जब वह अपने साथ कुछ ऐसी महिलाओं को लेकर खाना बनाने लगती, जिसे वह 'स्वीकार्य' मानती थी, तो अधिकांश अराजपत्रित कर्मचारी चुपचाप बैठे रहते। अपने मिट्टी के बर्तन के साथ जब वह नल तक जाती तो सब शोग दूर-दूर रहते कि कहीं उसका पानी अपवित्र न हो जाए। एक दिन सबेरे उसने पानी की भरी बाल्टी महज इसलिए उलट दी क्योंकि गलती से सोमरी से धक्का लग गया था। खाना तैयार होने के बाद वह अलग बैठकर सबसे पहले खाती थी और दूसरों के बर्तनों से अलग उसके बर्तन रखे जाते थे ताकि वे कहीं एक दूसरे में मिल न जायें।

मैं इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारत में जाति के महत्त्व को ज्यादा-से-ज्यादा समझने लगी थी। इससे पहले मुझे जाति-प्रथा की जटिलताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि मैंने इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा था, मैं बड़े भोलेपन से समझती थी कि हिन्दुओं में केवल चार ही जातियाँ होती हैं। मुझे यह नहीं पता

था कि ये जातियाँ तकरीबन ढाई हजार उपजातियों में बँटी हैं और इनमें से प्रत्येक जाति के लोग व्यापक नियमों के अनुसार केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकते हैं। हर जाति के अपने सख्त नियम हैं कि वह किस जाति के साथ किस सीमा तक मिल सकती है। राजकुमारी ने मुझे बताया कि जेल से बाहर वह अपनी जाति के किसी सदस्य या किसी ब्राह्मण के हाथ के बनाये चावल के अलावा और किसी का बनाया चावल नहीं खा सकती जबकि कुछ अन्य जाति के लोगों के हाथ का बनाया मूला खाना वह खा सकती है।

महिला वॉर्डरों में से एक बूढ़ी हिन्दू वॉर्डर इतने वर्षों तक जेल में रहने के बावजूद अभी भी अपने ढकोसले से चिपकी रहती थी। वह किसी ऐसे विस्तर पर सोने से साफ इनकार करती थी जिस पर मांस, मछली या अंडा खाने वाला कोई व्यक्ति सो चुका हो या उस अंगीठी पर बना खाना नहीं खाती थी जिस पर ये चीजे बनायी गयी हो। जब भी हम कोई कबूतर फँसाते थे तो इस बात का इत्मीनान कर लेते थे कि उसे इस बारे में कुछ पता न चले। उसे यदि हमारी हरकतों का पता चल जाता तो हमारी बुराइयों के बारे में प्रलाप करने और बेसिर-पैर की बातें करने के लिए उसे अच्छा-खासा विषय मिल जाता। वह किसी भी कूँदी के कपड़े नहीं छूती थी और अपने कम्बलों तथा विस्तर को सपेटकर एक कोने में ढाल देती थी जहाँ कोई उसे 'अपवित्र' न कर सके। रात की द्यूटी वाली महिला वॉर्डरों को जेल के अन्दर सोने की व्यवस्था की गयी थी क्योंकि चीफ-हेड वॉर्डर द्वारा महिला वॉर्ड का ताला बाहर से बंद कर दिये जाने के बाद अगले दिन सबेरे छ' बजे तक निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता था।

जब भी कोई नयी कैदी आती तो उसके चारों तरफ उत्सुकता भरी भीड़ का पहला सवाल होता—“बया जात है ?” इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर ही उसके समूचे व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता। अलग-अलग जातियों के लोगों की अलग-अलग विशेषताओं और खूबियों के बारे में पहले से ही तय की गयी धारणाएँ भी उसी हद तक सच थी जिस हद तक अंग्रेजों की यह धारणा कि सभी स्वाटलैण्डवासी नीच होते हैं अथवा सभी आयरिश काहिल होते हैं।

कुल मिलाकर अन्य औरतों के साथ मेरे सम्बन्धों के सन्दर्भ में जाति कभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। मेरे ऐसे व्यवहार के प्रति, जिन्हें वे प्रायः अजीबोगरीब और स्वच्छन्द समझती रही होगी, सहिष्णुता का रवैया अपनाया और हँसकर टाल दिया। फिर भी एक-दो बार जेल कर्मचारियों में से कुछ हिन्दू शुद्धतावादियों से मेरी मुठभेड़ हो ही गयी। चीफ-हेड वॉर्डर को ब्रिटेन के बारे में जो थोड़ी-बहुत बातें मालूम थी उनमें एक बात यह भी थी कि वहाँ के लोग गाय का मांस खाते हैं। कभी-कभी वह मेरी ओर देखकर 'घत्-घत्' करती, फिर अपना सिर हिलाकर बोलती, 'बहुत खराब जात'। मुझे खुशी थी कि वह मुझे पसन्द नहीं करती है। इसका अर्थ कम-से-कम यह तो था ही कि मेरे मिलने वाले कभी-कभी मेरे लिए जो मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य सामग्री लाते थे उन पर उसकी सालख गरी आँखे नहीं टिकती थी एक बार ब्रिटिश उच्चायुक्त का एक आगंतुक शायद बिना किसी चालाकी के मेरे लिए तमकीन गोमांस का एक टुकड़ा लाया। इन मामलों के बाहर से आने का

लोग कट्टर हिन्दू थे। उन्होंने इन सामानों को छूने से इनकार कर दिया। स्थल प्रांच के पुलिस के जाति-प्रथा किस प्रकार समाज के उन तत्त्वों का मनसद पूरा करती है जो

किसी न किसी कारण प्रगति को रोकना चाहते हैं—इसका उदाहरण मुझ एक बार एक महिला वॉर्डर द्वारा बताया गया एक घटना से चला। उसने बताया कि उसके गाँव में हिन्दुओं में 'सर्वोच्च' माने जाने वाली जाति के लोग अर्थात् ब्राह्मणों ने लोगों को आगाह किया कि वे स्थानीय स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने न भेजें क्योंकि वहाँ कुछ ईसाई और हरिजन अध्यापक हैं—इसके सम्पर्क से लोगों की जाति 'नष्ट' हो जायेगी।

उस वर्ष अराजपत्रित कर्मचारियों ने मेरे क्रिसमस में रग ला दिया। मेरी कोठरी के बाहर आँगन में इन अराजपत्रित अधिकारियों में से जो इमाई थे, वे सबेरे से लेकर शाम तक, जब तक वॉर्डर ने इन्हें रात भर के लिए बंद नहीं कर दिया, नाचते-गाते रहे। छुट्टियों के कुछ दिनों बाद मुझे अपने राशन में छिपी एक चिट्ठी मिली जिसमें मुझे 'मेरी प्रिय बहन' करके सम्बोधित किया था और मुझे हर तरह की सहायता देने का प्रस्ताव था। इस अप्रत्याशित पत्र से मेरी उन नौजवान क़ैदियों में से एक से गाढ़ी दोस्ती हो गयी जो कभी-कभी हमारे वॉर्ड में आ जाया करता था। उसने मुझे बताया कि क्रिसमस की सुबह मैंने उसे जो थोड़ी मिठाईयाँ दी थी उससे प्रेरित होकर उसने खत लिखने का खतरा मोल लिया। अगर उसका यह पत्र अधिकारियों के हाथ में पड़ जाता तो शायद उसकी खूब पिटाई होती, उसे निश्चित रूप से बेड़ियों में जकड़ दिया जाता और कँद-तनहाई की सजा दे दी जाती। बाद में कई महीनों तक हमारे बीच गुप्त रूप से पत्राचार होता रहा। हमने पत्र-व्यवहार अभी शुरू ही किया था कि उसकी बच्ची की मृत्यु हो गयी। उसे रिहा किया जाना था कि इस काम के लिए नियुक्त सहायक जेलर ने उससे एक महीने पहले होने वाली गिहाई की कीमत के रूप में पच्चीस रुपये की फ़र्माइश की। यदि वह पच्चीस रुपये नहीं देना है तो उसे एक महीने और जेल में ही काटने पड़ेंगे। अपनी बच्ची की मृत्यु के बाद वह अपनी परनी तक पहुँचने के लिए बेताब था और उसने सहायक जेलर की फ़र्माइश पूरी की। जिस दिन वह जेल से गया मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई भाई यहाँ से विदा हो गया।

उसकी निर्भीकता के जरिये मैं भी अपने आसपास के वॉर्डों में रह रहे कुछ नक्सलवादी क़ैदियों से सम्पर्क बना सकी। इसी दौरान मुझे पता चला कि इन नक्सलवादियों में से एक असीम चटर्जी को 'कडेम्ड सेल' में बेड़ियाँ पहनाकर कँद-तनहाई में रखा गया है। असीम के साथ सिवाय उन दो वॉर्डरों और एक हेड वॉर्डर के, जो उसकी लगातार निगरानी करते थे, अन्य किसी को नहीं रखा गया था। उस समय एक तरफ तो भारत सरकार इस बात पर बेहद चिल्ल-पों मचा रही थी कि शेख मुजीबुर्हमान को पाकिस्तान की जेल में अपने साथ रेडियों रखने की भी इजाजत नहीं दी गयी है और दूसरी तरफ असीम को पेंसिल और कागज तक अपने पास नहीं रखने दिया गया था। मुकदमा चलाये जाने से पहले ही सजायापना लोगों की कोठरी में राजनीतिक बंदियों के रखने की इस प्रणाली से मुझे लगा कि इस सिद्धान्त का यह जवर्दस्त मखौल है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाता वह निर्दोष है।

अतत, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और उन्हें रिहा कर दिया गया, हालाँकि काम पर वापस आने के सरकार के पहले जारी किये गये आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में कुछ को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और मँरहाजिर रहने के लिए कुछ का बँतन काट लिया गया। भौतिक दृष्टि से उन्होंने कुछ भी उपलब्ध नहीं किया था लेकिन लगातार एक के बाद एक हो रही

हडतालों तथा अन्य गड़बाँडियों से सरकार उलझान में पड़ गयी थी। स्वयं जेल का जीवन दिनोदिन अराजक होता जा रहा था क्योंकि प्रायः एक-एक रात में तरह-तरह के ऐसे कैंदी भारी संख्या में जेलों में भर जाते थे जो उन कैंदियों से संबंधा भिन्न होते थे जिन पर जेल अधिकारी बड़े आराम से धीस जमाया करते थे। इन नये कैंदियों में जज्ञारूपन था, एकजुटता थी—वे अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझते थे और इनके लिए लड़ने से वे डरते नहीं थे। जेल-प्रशासन के लिए ये लगातार सरदर्द थे क्योंकि अधिकारियों के पास एक तरफतो ऐसे सरकारी निर्देश होते कि इन जज्ञारुओं को कोई रिमायत न दी जाये और दूसरी तरफ कैंदियों की अपनी माँग होती कि उनके साथ किस तरह का सलुक किया जाये। जेल-अधिकारियों ने इस समस्या को हल करने का एक तरीका ढूँढा—वे जहाँ तक सम्भव होता कभी-कभार ही जेल के अन्दर आते ताकि इन उत्पाती कैंदियों के सामने न पड़ें क्योंकि ये शांत रहने वाले कैंदी नहीं थे।

जेल में ज़रूरत से ज्यादा भीड़ की वजह से होने वाले शारीरिक कष्टों के बावजूद मैं इस नयी स्थिति का स्वागत करती थी। इसके दो कारण थे—पहली बात तो यह थी कि ये नये कैंदी भारतीय जनता की संघर्षरत चेतना के जीवित सबूत थे और दूसरे इनकी मौजूदगी से अधिकारियों का ध्यान हम लोगों की तरफ से बँटा दिया था जिसके फलस्वरूप हमे अपने दैनिक जीवन में काफी छूट मिल गयी थी।

फिर भी हमे तनाव से ज्यादा समय तक मुक्ति नहीं मिलती थी और अराजकपत्रित अधिकारियों के जाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे फिर अज्ञानक एक झटका दिया गया। एक दिन सबेरे कुछ औरतों ने मुझसे बताया कि पिछली रात डायमिटरों में वे काफी देर तक आपस में विचार-विमर्श करती रहीं। उनमें से अनेक औरतें कई वर्षों से बिना मुक़दमा चलाये बंद हैं और चूँकि उनके मामलों की अदालती कार्रवाई के कोई आसार नहीं नज़र आ रहे हैं इसलिए उन्हें यह भी उम्मीद नहीं है कि वे कभी रिहा भी हो पायेंगी या नहीं। उन्होंने बताया कि आज से उन्होंने भूख-हडताल का निश्चय किया है। उनकी माँग है कि उनके मामले तेजी से निबटारे जायें और साथ ही जेल से मिलने वाले खाने और सुविधाओं में कुछ सुधार किया जाये। मैंने उन्हें सतक किया कि चाहे कुछ हो जाये लेकिन उन्हें अपनी एकजुटता बनाये रखनी होगी और वॉर्डरों की धमकी तथा धीस के आगे झुकना नहीं होगा वरना उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। मैं भी भूख-हडताल में भाग लेने पर राजी हो गयी।

उस दिन सबेरे मेडिन को छोड़कर सबने रोज मिलने वाले मटर के दाने और शीरा लेने से इनकार कर दिया और चूँकि चीफ-हेड वॉर्डर छुट्टी पर था इसलिए दुबले-पतले और कठोर दिख रहे डिप्टी चीफ हेड वॉर्डर को बुलाया गया ताकि वह मामला निपटायें। हमारे वॉर्ड में घुसते ही उसने सबसे पहले कहा—“इन कैंदियों के साथ यह नक्सलवादी क्या कर रही है? उसी ने इनको यह सब सिखाया है। बंद करो उसे कोठरी में।” निस्संदेह उसका आशय मुझसे ही था। मैंने कोई जबाब नहीं दिया और एक दूसरी महिला को मैंने अपनी माँग रखने दी। महिला ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि वॉर्डर ने तेज आवाज़ में चीखना शुरू किया और अपना आदेश दुहराया कि मुझे ताले के अन्दर बन्द कर दिया जाये। जिस महिला ने माँग को पेश किया था उसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद वह दूसरी कैंदिनी पर चीखता-चिल्लाता रहा और उन्हें गालियाँ बकता रहा

और कहता रहा कि तमाम जुर्म करने के बावजूद सरकार इनको खाना और रहने के लिए जगह दे रही है पर ये औरतें कितनी अहसान-फरामोश हैं। शिकायत करने की हिम्मत कैसे पडी? आखिरकार एक-एक करके औरतें मटर और शीरा खाने पर राजी होती गयी और भूख-हडताल की बात भुल गयी। वॉर्डर ने उन्हें आखिरी बार चेतावनी दी कि वे नक्सलवादियों से न घुलें-मिलें और हालांकि महिला वॉर्डर मे मेरा ताला खोलने को वह कहता गया पर साथ ही उसने यह भी हिदायत दी कि मूझसे कोई बात न करे।

उस शाम जब वह दुबला-पतला वॉर्डर हमारा वॉर्ड बंद करने आया तो विल्किश ने जान-बूझकर उसके सामने ही मेरा हाथ पकड़ लिया और वह बोली, "आओ दीदी, ताला बंद होने से पहले हम लोग एक बार फिर बगीचे का चक्कर लगा लें।" राजकुमारी और सोमरी ने उस एकमात्र महिला वॉर्डर का विस्तर लगाने से इनकार कर दिया जिसने लोगों को मुझसे दूर रखने के वॉर्डर के आदेश के पालन की कोशिश की थी और इन दोनों ने उससे न धोतने का निश्चय किया। मैंने उनसे कहा कि बचकानी हरकतें न करें—वह तो अपनी ड्यूटी पूरा कर रही है, लेकिन भीतर ही भीतर मैं उनके द्वारा की गयी अफमरशाही के उल्लंघन की घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी।

इस घटना से मुझे पता चला कि नक्सलवादियों के भूत से अभी भी सरकार परेशान है हालांकि उसने आंदोलन का पूरी तरह सफाया करने का दावा किया है। विभिन्न स्रोतों से छनकर आने वाली छूटपुट सूचनाओं से मेरे इस संदेह की पुष्टि हो गयी थी कि नक्सलवादियों का अभी पूरी तरह अस्तित्व कायम है। अनेक अवसरों पर गृहमंत्री ने सरकार को आश्वासन दिया था कि 'उग्रवादियों' पर 'कड़ी नजर' रखी जा रही है। उत्तरी बंगाल में राइफल छीनने की घटनाओं की खबर मिली थी और पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले के काकसे इलाके में—जहाँ आदिवासियों को सामंती जमींदारों के खिलाफ आंदोलित करने में नक्सलवादियों को खासतौर से सफलता मिली थी—चारों तरफ से घेरा बनाकर पुलिस के विशेष कैंप स्थापित किये गये थे। इन आदिवासियों को जमींदारों ने गुलामी जैसे बंधनों में बँध कर रखा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मिथार्थशंकर राय ने अपनी पुलिस से अनुरोध किया था कि वह ग्रामीणों के साथ दोस्ती करे और उनका दिल जीते लेकिन गाँव के लोग १९७० और १९७१ का आतंक देख चुके थे इसलिए अब पुलिस के साथ सम्बन्ध सुधारने के तिलसिले में ज़रूरत से ज्यादा देर हो गयी थी। १९६७ से १९६९ के बीच जबर्दस्त प्रांतिकारी उभार के बाद आंदोलन को जो सफलता मिली थी और उसने जो आधार तैयार कर लिया था उसे फिर से प्राप्त करने में मुमकिन है कि ज्यादा समय लग जाये लेकिन एक बार फिर हलचल शुरू हो गयी थी।

इस समय तक सरकार आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीमा) तथा निरोधक नज़रबंदी कानूनों के अन्तर्गत अपने अधिकारों का व्यापक इस्तेमाल करने लगी थी। एक दिन कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' ने खबर दी कि अकेले बंगाल राज्य में तीन महीने के अन्दर ७७५ लोगों को मीमा के तहत गिरफ्तार किया गया। १९७३ शुरू होते-होते दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य में भी दंगे मड़क उठे थे। जनता ने रेलवे स्टेशनों और पोस्ट ऑफिसों को जला दिया था और उन्हें शांत करने के लिए भेजी गयी पुलिस टुकड़ियों और फौजी दस्तों पर हमला बोल दिया था। समूचे देश में विस्फोटक स्थिति थी।



मैं स्वदेश वापसी वाली योजना को लगभग भूल ही चुकी थी कि एक दिन कलकत्ता से फिर उप-उच्चायुक्त सचिव मुझसे मिलने आये। उन्होंने मुझे आश्वामन दिया कि वे लोग अभी भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं और चीजे 'ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है।' उनका कहना था कि 'सरकारी चमकर' कुछ ऐसा है कि देर हो रही है, फिर भी आशा है कि जल्दी ही कोई अनूक्त परिणाम निकलेगा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं बता सकती हूँ कि मेरी हवाई-यात्रा का खर्च कौन दे सकेगा? मैं अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से पैसे की माँग करने में हिचकिचा रही थी खासतौर से ऐसे समय जबकि कलकत्ता में पुलिस ने मेरे पैसे जब्त कर लिये हैं। फिर भी जब ब्रिटिश अधिकारी ने संकेत दिया कि यदि मैं अपना किराया देने के लिए किसी को तैयार नहीं कर पाऊँगी तो सारी योजना खटाई में पड़ जायेगी, तब मैंने लंदन की अपनी दोस्त ह्यू फोर्स्टर को एक पत्र लिखकर उससे पैसे का इंतजाम करने को कहा। बाद में कई वर्ष बाद वापस पहुँचने पर मुझे पता चला कि विदेश कार्यालय ने मेरी उस दोस्त से कहा था कि वह दिन-रात पैसे लेकर तैयार रहे। मेरे घर वापस आने के बारे में वह इनकी निश्चित थी कि उमने मेरे लिए कुछ नयी चपलें भी खरीद ली थी।

मैंने ब्रिटेन शीघ्र लौटने के विचार को भुला दिया। यदाकदा जब दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य का कोई पत्र आता तो मैं उच्चायुक्त के अधिकारियों पर गोखला उठनी कि उन्होंने स्वदेश वापसी की योजना क्यों मेरे सामने रखी। मेरे माँ-बाप ह्यू फोर्स्टर तथा अन्य मित्र मुझसे कहीं ज्यादा चिंतित थे और अपरेेशन के बाद अभी भी मेरी माँ का स्वास्थ्य काफी खराब था। एक बार मैंने पत्र ही उप-उच्चायुक्त को पत्र लिखकर पूछा कि इस योजना के सिलसिले में क्या हुआ और अनुरोध किया कि वह उसे छोड़ें नहीं। शायद उन्हें मेरा पत्र मिला ही नहीं, जो भी हो मेरे पाग कोई जवाब नहीं आया।

१९७३ की फरवरी में दो कैदी — जिन्हें लगभग दो वर्ष पहले जमानत पर रिहा किया गया था — फिर जेल में वापस आ गयीं। हममें एक थी बुधनी जो २५ वर्ष की नौजवान औरत थी और दूसरी थी उसकी बूढ़ी सास। उनकी गिरफ्तारी के समय मे ही बुधनी का पति जेल में था लेकिन उनके पास इतना पैसा ही नहीं हो सका कि पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से वे उसे देखने आ पातीं। दोनों औरतों को जमानत का उल्लेख करने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत में हाजिर होने के लिए उन्हें हजारीबाग आना था और घर से हजारीबाग तक बस का छः रुपये किराया लगता था — बे छः रुपये का इंतजाम नहीं कर पायी थी और अदालत में हाजिर नहीं हो सकी थीं। अपने मामले के निबटारे के लिए उन्होंने सारी जमीन, घर का सारा सामान और सारे जेवर बेच दिये थे। उन पर बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने का आरोप था। अंततः वे कंगाल हो गयीं और उस समय तक भी मामले की अदालत में सुनवाई नहीं हो गयी थी। दोनों औरतों ने पिछला साल घर-घर में छोटे-से-छोटे काम करके गुजारा या ताकि वे अपना पेट भर सकें। जेल में उनकी वापसी से मुझे बेहद दुःख हुआ।

मार्च में हिन्दुओं का पर्य होनी भी आ गया लेकिन मुझे अभी तक स्वदेश वापसी के बारे में कोई समाचार नहीं मिला। पहली बार जब यह प्रस्ताव रखा गया था तब मे छः महीने बीत गये। मैंने सोचा कि अब उप-उच्चायुक्त के यहाँ से

आने वाले अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दूंगी या इंग्लैण्ड जाने के लिए दी गयी सहमति वापस ले लूंगी, लेकिन इतना कड़ा कदम उठाने में हिचकिचाहट हुई क्योंकि मैं जानती थी कि यदि मैं इस तरह का कोई कदम उठाऊंगी तो इसका इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया जायेगा और अपने परिवार तथा ग्रिटेन के अपने दोस्तों से मेरा सम्पर्क पूरी तरह टूट जायेगा क्योंकि मेरी सारी चिट्ठियाँ उप-उच्चायुक्त के कलकत्ता कार्यालय के जरिए भेजी जाती हैं।

मैं अभी यही सोचने में लगी थी कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए लाभप्रद ढंग से मैं क्या कर सकती हूँ कि तभी ३० अप्रैल १९७३ की शाम को मुझे बताया गया कि मेरा तबादला जमशेदपुर कर दिया गया है और अगली सुबह मुझे रवाना हो जाना है।



मेरे साथ-साथ पुलिस की तीन गाड़ियां चल रही थी जिनमें मन्वह हथियारबंद संतरी, स्पेशल ब्रांच के अनेक लोग, दो महिला पुलिस तथा एक महिला वॉर्डर थी फिर भी इतने दिनों से जेल की दीवारों के अन्दर क़ैद रहने के बाद पहली बार खुली सड़क और दूर-दूर तक फैले खेतों को देखकर मैं उल्कास और उत्तेजना से भर गयी। मेरे साथ के संतरियों में से एक ने गाना शुरू कर दिया, दूसरे बातचीत में लग गये और डाइवर गाड़ी रोककर रास्ते में हमारे खाने के लिए कुछ लेने चला गया। थोड़ी ही देर बाद वे मुझसे अमलेन्दु के बारे में, मेरे परिवार तथा ब्रिटेन के बारे में पूछने लगे। और जब हम राजनीतिक विषय पर आये तो मैंने पाया कि वे किसी भी अर्थ में नक्सलवादियों के प्रति पूरी तरह असहानुभूतिपूर्ण नहीं थे—वाद की यात्राओं में भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ।

हज़ारीबाग से दक्षिण-पूर्व में १३० मील दूर स्थित जमशेदपुर हम लोग रात के बक्त पहुँचे। जेलर को मेरे आने की आशा थी और वह अपने छोटे-से फूहड़ ऑफिस में बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरा ब्योरा दर्ज किया और कहा कि मैं रात भर के लिए अपने खाकी थैले उसके ऑफिस में छोड़ जाऊँ ताकि एक बार फिर ठीक से तलाशी ले सकूँ। एक वॉर्डर ने मुझे मेरी कोठरी तक छोड़ दिया। यह हज़ारीबाग जेल की मेरी कोठरी की लगभग आधी थी और उसमें नये-तुले सामान रखे थे। इसका अपना आँगन और दीवारें थी और इसलिए वह महिला विभाग के शेष हिस्से से पूरी तरह अलग था। मैंने अपने चिरपरिचित भूरे कम्बल को तह लगाकर पथरीले फ़र्श पर बिछाया और सोने की कोशिश की। जीप की अनभ्यस्त यात्रा के कारण मेरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। एक बूढ़ी वॉर्डर आयी—उसने ताले की जांच की और मुझसे दोस्ताना लहजे में दो-चार शब्द कहे। अंततः मैं शुरू होने वाले अपने मुकदमे के बारे में सोचते-

### जमशेदपुर जेल में नक्सलवादियों का विभाग






## टाटा

उस रात राजकुमारी ने धोड़ा-सा चावल पानी में भिगोकर रख दिया। इसे उसने एक-एक मट्टी बचाकर इकट्ठा किया था ताकि अपनी मिट्टी की चिलम के लिए वह इन चावलों के बदले तम्बाकू ले सके। अगले दिन वह भोर से काफी पहले जाग गयी और भिगोये गये चावल को सिलवट्टे पर रगड़ने लगी ताकि मेरे लिए मेरा मनपसंद चिल्का बना सके। उस वर्ष नागो की रिहाई के बाद बल्को ने मेडिन का कार्य-भार संभाला था—उसने आटा और शीरा मिलाकर मेरे लिए हलवा तैयार किया। फिर डामिटरी के फर्श पर उन्होंने कम्बल बिछाया और बिदाई के नाश्ते में साथ देने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने उनके साथ लगभग तीन वर्ष गुजारे थे—दिन-रात हम लोग साथ-साथ रहे थे। खाना पाने के बाद मुझे ऑफिस में बुलाया गया। मुझे जाते देखकर राजकुमारी और लेउनी जोर-जोर से रोने लगी थी—छुद मेरी भी आँखों में आँसू भर आये थे।

लेकिन शीघ्र ही मेरे भावुकता भरे विचार अचानक चूर-चूर हो गये। जेल के फाटक पर मेरी प्रतीक्षा में हथियारों से लैस संतरी और स्पेशल ब्रांच पुलिस के लोग खड़े थे। ऑफिस कर्मचारियों, कैदियों और जेल के फाटक से शक्ति तमाश-बीनों के सामने खुलेआम उन्होंने मेरे घंटों, बिछरे हुए पत्रों, बस्त्रों और मासिक धर्म के दिनों में इस्तेमाल किये जाने वाले कपड़ों की तलाशी ली। दो पुलिस-महिलाएँ पटना से ही मेरे साथ जाने के लिए आ पहुँची थीं। सुपरिटेण्डेंट के ऑफिस के पीछे बने शौच गृह में से जाकर उन्होंने मेरे नीचे के कपड़ों के अन्दर वड़े बेटों की तरिके से हाथ घुसेड़ कर तलाशी ली। मेरे शरीर पर एक सस्ती-सी साड़ी थी—उसमें से एक ने मेरी साड़ी पकड़ते हुए बड़ी तिरस्कार भरी मुद्रा में पूछा कि मेरे पति ने मेरे लिए अच्छी-सी साड़ी क्यों नहीं खरीद दी? दरअसल यह वही साड़ी थी जो मैंने एक महिला कैदी से बदल ली थी क्योंकि उसे मेरी साड़ी पसंद आ गयी थी।

मेरे साथ-साथ पुलिस की तीन गाड़ियाँ चल रही थी जिनमें सबह हथियारबंद संतरी, स्पेशल ब्रांच के अनेक लोग, दो महिला पुलिस तथा एक महिला वॉर्डर थी फिर भी इतने दिनों से जेल की दीवारों के अन्दर बंद रहने के बाद पहली बार खुली सड़क और दूर-दूर तक फँले खेतों को देखकर मैं उत्साह और उत्तेजना से भर गयी। मेरे साथ के सतरियों में से एक ने गाना शुरू कर दिया, दूसरे बातचीत में लग गये और हाइवर गाड़ी रोककर रास्ते में हमारे ग्याने के लिए कुछ लेने चला गया। थोड़ी ही देर बाद वे मुझसे अमलेन्दु के बारे में, मेरे परिवार तथा ब्रिटेन के बारे में पूछने लगे। और जब हम राजनीतिक विषय पर आये तो मैंने पाया कि वे किसी भी अर्थ में नक्सलवादियों के प्रति पूरी तरह असहानुभूतिपूर्ण नहीं थे—वाद की यात्राओं में भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ।

हजारीबाग से दक्षिण-पूर्व में १३० मील दूर स्थित जमशेदपुर हम लोग रात के वक़्त पहुँचे। जेलर को मेरे आने की आशा थी और वह अपने छोटे-से फूहड ऑफिस में बैठा इंतज़ार कर रहा था। उसने मेरा ब्यौरा दर्ज किया और कहा कि मैं रात भर के लिए अपने खाकी थैले उसके ऑफिस में छोड़ जाऊँ ताकि एक बार फिर ठीक से तलाशी ले सकें। एक वॉर्डर ने मुझे मेरी कोठरी तक छोड़ दिया। यह हजारीबाग जेल की मेरी कोठरी की लगभग आधी थी और उसमें नपे-तुले सामान रखे थे। इसका अपना आँगन और दीवारें थी और इसलिए वह महिला विभाग के शेष हिस्से से पूरी तरह अलग था। मैंने अपने चिरपरिचित भूरे कम्बलों को तह लगाकर पथरीले फ़र्श पर बिछाया और सोने की कोशिश की। जीप की अनभ्यस्त यात्रा के कारण मेरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। एक बूढ़ी वॉर्डर आयी—उसने ताले की जाँच की और मुझसे दोस्ताना लहजे में दो-चार शब्द कहे। अंततः मैं शुरू होने वाले अपने मुकदमे के बारे में सोचते-



सोचते गी गयी। जेठ ने बनाया था कि दो दिन के अन्दर मेरा मुकदमा शुरू हो जायेगा।

जब मैं जागी तो हन्सी रोजनी फौजी हुई थी। घड़ी के बगैर समय का अनुमान लगाने में मैं असमर्थ हो गयी थी इसलिए मैंने अपने सम्बन्धों की मदद करवा और वॉटर का इंजिनार लगाने लगी कि यह अभी आकर माना छोरेगी। घंटों बीत गये और रोजनी घड़ी भी नेत्र नहीं हुई। बाद में मुझे पता चला कि जिने में प्रान.कानून प्रशास की लानी गमल रही थी, यह गहर की दूगरी तरफ सेने-दुग्गान कारगाने की भट्टी का प्रकाश था।

हजारीबाग और जमशेदपुर के जेल तथा कच्चे में बहुत विपत्ता थी। हजारीबाग शान थार ग्रामीण इलाका था जहाँ की अपेक्षारून ठंडी जनबापु ने ईमाई मिशनरियों तथा अथकाशप्राण सरकारी अफसरों को आकर्षित कर लिया था। अब मैं भारत के मजमे प्रारंभिक औद्योगिक शहरों में से एक में थी। यह इत्यान कारगाना इम गदी की दुग्ग्रात के दिनों में टाटा-परिवार ने स्थापित किया था जो आज भी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। इसके बाद इम स्थान पर, जो कभी आदिरामी इलाके का गाँव था, अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित होते गए। ताँबा और यरेनियम सहित इम इलाके की प्रचुर प्रतिज्ञ गम्भदा ने भारतीय और विदेशी पूँजी को इम तरफ आकर्षित किया और जैसे-जैसे जमशेदपुर दिनों-दिन फैलता गया, यहाँ के मूल निवासियों को पीछे हटने जाना पडा और आगपास के जंगलों में रहने को जगह बनानी पडी। टाटा-परिवार द्वारा निर्मित नगर का अधिकांश हिस्सा आज भी उन्ही लोगों की सम्पति है और लोग इसे 'टाटा' के नाम से जानते हैं, यहाँ तक कि जेल भी जहाँ बनाया गया है वह भी कभी उन्ही लोगों की जागीर थी।

जमशेदपुर की जेल छोटी थी और कैदियों से भरी हुई थी। उस समय जेल की इमारत के अन्दर मात भी कैदी थे जबकि केवल एक सौ सैनीग कैदियों के रहने के लिए जगह निर्धारित थी। इनमें केवल मैं ही ऐसी थी जिसे एक कोठरी पाने का मुग्र मिला था। जेल-कर्मचारियों की संख्या बेहद कम थी जिसके फलस्वरूप समूचा प्रशासन हजारीबाग जेल से भी ज्यादा अव्यवस्थित था। मुझे अन्य महिला कैदियों में अलग करने वाली आठ फुट ऊँची दीवार में लगे सनाख-दार फाटक से पहली सुबह जाँकने पर मैंने देखा कि एकमंजिली बगैरकारकटघरे-जैसी इमारत में अन्य महिला कैदियों को रखा गया है। यहाँ हजारीबाग-जैसा खुलापन भी नहीं था। चारों तरफ ऊँची-ऊँची दीवारें ही दिखायी देती थी। मेरी अपनी कोठरी और उसके आसपास का अहाला काफी साफ-सुधरा था, दीवारों पर ताजा पुताई की हुई थी और मेरे लिए पानी का एक नल तथा कान्क्रीट का बना एक हौज था जिसको मैंने कभी आशा नहीं की थी। बाद में मुझे पता चला कि पुरुषों के विभाग में उस समय भी सैकड़ों कैदी केवल दो नलों से काम चला रहे थे।

महिलाओं की हालत और भी खराब थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिला कैदियों की संख्या तीस से कम रही हो और दो वर्ष बाद जब मैं अंतिम रूप से जमशेदपुर से विदा हुई तो पन्द्रह वर्ग फुट के एक कटघरे में ४४ औरतें और १२ बच्चे रह रहे थे। रात में वे एक-दूसरे से सटकर लेट जाते और इनकी कम जगह रहती कि वे करबट भी बड़ी मुश्किल से बदल पाते। जबान और चूड़ी, बीमार और स्वस्थ, पागल और सामान्य सबको ठूस-ठूसकर एक साथ उस पिंजरे में भर

दिया जाता। सबके शौच करने के लिए केवल एक शौचालय था और इसके सामने जो औरतें सोयी रहती थीं उनको फाँदकर ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता था। शौचालय से निकली हुई नाली पीछे अहाते की तरफ जाती थी और खली होने की वजह से उससे निकलती बदन उस कोठरी में चारों तरफ से भर जाती।

दिन, रातों में ज्यादा बेहतर नहीं थे। जमशेदपुर गर्मी और चिपचिपाहट के लिए बदनाम है। गर्मियों के मौसम में तापक्रम ४५ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। सूरज निकलने के बाद से हमारे अहाते में शायद ही ऐसी कोई जगह थी जहाँ थोड़ा भी साया दिखायी देता। औरतें और बच्चे पेशाब और सड़ते हुए भोजन भिन्नभिन्न भिन्न भिन्न मक्खियों, पसीने से तरबतर शरीर, बीमारी, घाव और कीचड़दोरे डबलों से घिरे पानी के नलों के बीच बैठकर या लेटकर सारा दिन बिता देते। नल से निकलता हुआ पानी कांक्रिट के एक टूटे-फूटे हौज में इकट्ठा होता जिसके एक कोने पर फटे कम्बल का एक टुकड़ा डाट के रूप में फँसा दिया गया था। कहीं भी आराम से बैठने या कुछ खाने की जगह नहीं थी, करने के लिए कोई काम नहीं था, बपड़े धोने के लिए कोई बाल्टी नहीं थी और न तो शांति या एकांत की कोई उम्मीद ही बची थी।

पहली बार अदालत में भरी हाजिरी की तारीख तय हुई और मंगलवार ३ अप्रैल, १९७३ को मुझे अदालत में ले जाने का निश्चय किया गया। इससे पहले एक व्यक्ति मुझसे मिलने मेरी कोठरी में आया। वह सादी बर्दी में एक पुलिस अफसर था जिसे देखते ही मैंने पहचान लिया कि यह वही व्यक्ति है जिम्मे मेरी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में भाग लिया था। अब वह नक्सलवादियों के मामले का इंचार्ज था। मिलते ही उसने बड़ी विनम्रता के साथ मुझसे मेरा हालचाल पूछा और मेरा वजन कम होने पर बड़े भद्र अंदाज में टिप्पणी की। इसके बाद वह असली मुझे पर आया : मेरा मुकदमा अब शुरू होने जा रहा है और वकालत उस अफसर के 'आम राय' यही है कि मैं अपना अपराध कबूल कर लूँगी और मुझे माफ कर दिया जाएगा। ऐसा करने से अनावश्यक औपचारिकताओं और विलम्ब से बचा जा सकेगा और स्वदेश वापसी का काम तेजी से हो सकेगा। मैंने उससे पूछा कि यदि मैं अपराध कबूल न करूँ तो क्या होगा? उसने अपने कंधे उचकाये और कहा, "तुम तो जानती ही हो कि देशद्रोह और राजद्रोह की क्या सजा मिलती है? पूरे बीस साल की कैद हो जायेगी।" मैंने उससे कहा कि आप अपने सिद्धान्तों के अनुसार काम करते रहिए और मैं अपने सिद्धान्तों के अनुसार काम करती रहूँगी।

उस रात मैं लेटी हुई उसकी बातों को सोचती रही और उसके कथन में छिपे अर्थों पर गौर करती रही। पुलिस ने कल्पना और अमलेन्दु सहित ५१ अन्य लोगों के साथ मेरे ऊपर आरोप लगाया था। ये सभी मुकदमों की इंतजार में आज भी जेल में पड़े हुए हैं। मेरी ओर से की गयी कोशिशों के प्रति सरकार ने अनुकूल रवैया दिखाया था और इसकी अभिव्यक्ति के रूप में मेरे मुकदमों को अलग तो कर दिया लेकिन ब्रिटेन वापस जाने की मेरी इच्छा को वह मुझसे 'अपराध' कबूल कराकर भुनाने की कोशिश कर रही थी। मुमकिन है कि इससे मुझे व्यक्तिगत आजादी हासिल हो जाये लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेरी स्विकारोक्ति का इस्तेमाल उन लोगों को फँसाने के लिए किया जायेगा जिन्हें उसी इलाके से पकड़ा गया है, जिनमें मैं थी। अभी तक मैं यह भी नहीं समझ पायी थी कि वे मुझसे क्या 'कबूल' कराना चाहते थे लेकिन इस पर विचार करने की कोई जरूरत भी नहीं



है। यदि वे मेरे ऊपर मुकदमा चला सकते हैं तो औरों पर क्यों नहीं चलाते ? उनमें से कुछ का तवादला उसी समय किया गया था जब कल्पना को कलकत्ता भेजा गया था। बंगाल पुलिस भी चाहती थी कि उनके खिलाफ आरोपों को प्रस्तुत किया जाये। लेकिन ३५ लोगों को हजारीबाग में ही छोड़ दिया गया। उनकी स्थिति लाजिमी तौर पर मेरी ही जैसी थी, लेकिन एक तरफ जहाँ मेरे ऊपर 'मुकदमा' चलाया जाने वाला था और सम्भव है कि मुझे 'रिहा' कर दिया जाता, उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर जेलों में ही रखा जाना था और यह कोई नहीं जानता था कि कितने वर्षों तक वे ऐसी हालत में पड़े रह सकते हैं।

इन सारी बातों पर विचार करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि अगले दिन मैं मजिस्ट्रेट से कहूँगी कि मेरे जो सह-प्रतिवादी अभी भी हजारीबाग जेल में हैं उन्हें मुकदमा चलाने के लिए जमशेदपुर बुलाये जाने का आदेश जारी किया जाये। अगली सुबह संगीनों की खटखटाहट, चाँदियों और लोहे के फाटको की झनझनाहट के बीच मुझे पुलिस के एक ट्रक में बँठाकर म्यानीय अदालत तक ले जाया गया और कटघरे में पहुँचा दिया गया। कुछ लिखते हुए मजिस्ट्रेट ने निगाह ऊपर उठायी। मेरी तरफ देखा, फिर पुलिस दस्ते की तरफ़ चेहरा घूमा लिया और दस मिनट के अन्दर मैं अपनी कोठरी में वापस पहुँचा दी गयी थी। लगभग तीन वर्षों बाद यह अदालत में मेरी पहली 'पेशी' थी। मुझे यह भी पता नहीं कि अगली पेशी के लिए कौन-सी तारीख तय की गयी है। जेलर ने मेरे वारंट को देखकर बताया कि अगली तारीख १७ अप्रैल है। इस तारीख से पहले मुझसे मिलने अमलेन्दु की बहन और अमलेन्दु के परिवार द्वारा मेरे लिए तय किए गये वकील महोदय आये। बहन ने बताया कि अमलेन्दु को मेरे तवादले की खबर किसी तरह मिल गयी थी और उसे पूरा यकीन था कि मुझे जल्दी-से-जल्दी इंग्लैण्ड भेजने की तैयारियाँ की जा रही हैं। इसीलिए उसने अपनी बहन से आग्रह किया था कि वह आखिरी बार मुझसे आकर मिल ले। मैंने उसे आश्वासन दिया की इतनी जल्दी कुछ नहीं होने जा रहा है।

मुझे अमलेन्दु का लिखा एक और पोस्टकार्ड मिला। उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। उसने मुझे और भी पत्र लिखे लेकिन मुझे कोई पत्र नहीं मिल सका। मुझे इसमें कोई तुक नजर नहीं आ रही थी कि मेरे ऊपर सेंसरशिप क्यों घोषी गयी है और मैंने एक बार एक अर्जी लिखकर अधिकारियों से स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहा था कि मुझे क्या लिखने की छूट है। तमाम कैदियों की अड़ियों की तरह इसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी यह अर्जी भी हजारीबाग जेल में मुख्य बाब टावर के नीचे बने कमरे में इकट्ठे रही कागज में मिला दी गयी होगी। एक बार हजारीबाग में चीफ़ हेड-वॉर्डर ने एक कागज में लपेटकर थोड़ा-सा पालक मुझे दिया जिसे खोलने पर मैंने देखा कि यह वही अर्जी थी जिसे एक या दो सप्ताह पहले मैंने अपने साथ की किसी महिला कैदी के लिए लिखा था।

१७ अप्रैल को मुझे अदालत में भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। मुझे अदालत तक पुलिस की गाड़ी में पहुँचाया गया और मजिस्ट्रेट ने बाहर आकर सीढ़ियों पर से ही मुझे देखकर मेरे वहाँ मौजूद होने की पुष्टि कर ली फिर पीछे मुड़कर अपने कक्ष में चले गये। सौभाग्यवश मेरा वकील वहाँ मौजूद था और मैंने उससे अनुरोध किया कि वह मेरे सह-प्रतिवादियों की ओर से एक अर्जी लिखे कि उन्हें भी हजारीबाग से यहाँ बुला लिया जाये। मजिस्ट्रेट ने १५ दिनों बाद अपना फ़ैसला

सुनाने का वायदा किया। इस बीच अभियोग पक्ष ने एक याचिका देकर माँग की थी कि मेरे मुकदमे की सुनवाई जेल के अन्दर ही और इस याचिका को मजिस्ट्रेट ने स्वीकार भी कर लिया था, इसलिए जेल के अन्दर ही एक अदायत-कक्ष तैयार किया जा रहा था। इस कक्ष के तैयार होने तथा हजारीबाग जेल से अन्य कैदियों के यहाँ बुलाने में ही रही देर को देखते हुए अगले लगभग तीन महीनों के लिए सिपुदंगी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।

जिस दिन मैं जमशेदपुर आयी उस पहली सुबह ही बीना ने मुझे अपना परिचय दिया और परिचय देते समय इस बात का वह पूरा-पूरा अहतियात बरत रही थी कि कहीं मेडिन मुझसे बात करते उसे देख न लें। बीना से ही मुझे भारतीय किसानों के जीवन के बारे में अधिकांश बातों की जानकारी मिली और बाद के महीनों में मैं उसे और भी ज्यादा प्यार तथा आदर देने लगी। बीना की उम्र भी मेरी जितनी थी और वह एक भूमिहीन किसान परिवार की थी। बचपन से ही उसने अपने इलाके के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करके दिन बिताये थे। जवान होने पर उसकी शादी हुई लेकिन उसके पिता इतने गरीब थे कि वह ज्यादा दहेज न दे सके जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे अपने पति और सास के दुर्व्यवहार को लगातार झेनना पडा। वह इतनी दृढ़ इच्छा-शक्ति की महिला थी कि इस तरह के व्यवहार को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी गोद की बच्ची को लेकर वह बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अपने पिता के घर वापस लौट आयी। मेदिनीपुर जिले में १९७० में नक्सलवादियों का जोर काफी था और वे अपना दूसरा मुक्त अंचल स्थापित करने ही वाले थे।

१९७१ के उत्तरार्द्ध में पुलिस ने बीना को गिरफ्तार कर लिया और उस पर नक्सलवादी होने का आरोप लगाया। उसे एक सप्ताह तक पुलिस थाने में रखा गया जहाँ पूछताछ के दौरान प्रतिदिन उसे पीटा जाता था और जब वह खून और घावों से सराबोर हो जाती थी तो उसे लगभग बेहोशी की हालत में जेल भेज दिया जाता था। छोड़ी तबियत ठीक हो जाने पर उसे फिर थाने बुलाया जाता था और अगले एक सप्ताह तक पूछताछ और मारपीट का सिलसिला जारी रहता। जिस समय उससे मेरी मुलाकात हुई उस समय भी उसके शरीर पर चोट के निशान मौजूद थे और मार पड़ने से उसकी सुनने की क्षमता काफी कम हो गयी थी जिसके कारण उसे कभी-कभी चक्कर आ जाता, सिर में दर्द होने लगता और अक्सर बुझार से उसका शरीर जलने लगता। लेकिन बीना बड़ी साहसी औरत थी। उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात पर होती थी कि पुलिस ने उसे मासिक घर्म के दिनों में एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया। जेल के अन्दर भी कोई बेहतर हालत नहीं थी। हजारीबाग में कभी-कभी महिलाओं के लिए उनके बॉर्ड के दरवाजे पर गन्दे, जूएँ लगे और पसीने से तरबतर उत्तारे गये कपड़ों का एक बंडल फेंक दिया जाता था ताकि वे अपने लिए उनमें से कपड़े छांट लें और उसे धोकर मासिक घर्म के दिनों में इस्तेमाल करें। जमशेदपुर में तो ऐसी भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ औरतें अपनी साड़ी फाड़कर काम चलाती थी या फटे-पुराने कम्बलों में से कोई टुकड़ा निकाल लेती थी। इस्तेमाल करने के बाद उन्हीं कपड़ों को वे धोकर सुखा लेती थी और अगले महीने के लिए रख लेती थी।

बीना से मेरी जब भेंट हुई उससे कुछ ही दिन पहले उसके पिता की मृत्यु हुई थी। जेल में आने के बाद से उसकी मुलाकात अपने परिवार के किसी भी सदस्य

मे नहीं हुई क्योंकि वे इतने गरीब थे कि जमशेदपुर आने तक का दस रुपया किराया नहीं खर्च कर सकते थे। इसके अलावा मुलाकात करने के लिए जेल के फाटक पर घूस के रूप में भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। बीना के चेहरे के भावों को देखकर ही मैं बता सकती थी कि वह किस समय अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचती रहती थी। मौसम में जब भी कोई तबदीली होती तो वह विचार-मग्न हो जाती और सोचती रहती कि फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और फलस्वरूप उसके परिवार के लिए यह सीमाग्न्य का कारण बनेगा या दुर्भाग्य का यदि खेतों में कुछ काम नहीं रहेगा और वे मुसीबत में पड़ जायेंगे तो उनके सामने स्थानीय सूदखोर महाजन से कर्ज के रूप में धान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। महाजन भी शत-प्रतिशत सूद लेने से बाज नहीं आएगा। जब तक बीना से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी मैं किसी भी घुंघांगवार मौसम या अचानक आये तूफान से बहुत खुश होती थी और इसे जेल की एकरसता से मुक्ति तथा भयंकर गर्मी से छुटकारा समझती थी। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि मौसम की एक सनक से रातों-रात फसलें वरबाद हो सकती हैं और लोग कंगाल हो सकते हैं।

मुझसे बात करते समय बीना का मेटिन से चौकस रहना उचित ही था। मेरी साय को कँदियों में मेटिन ही एक ऐसी औरत थी जिसे मैं सचमुच नापसन्द करती थी। वह एक सिल्क की साड़ी पहनती थी जिसका रंग कभी काफ़ी गाढ़ा रहा होगा लेकिन अब धुंधला हो गया था और उसके चिकने गोल-मटोल हाथों में सोने की चूड़ियाँ पड़ी रहती थीं। कमर से लटकती हुई चर्वी साड़ी के ऊपरी सिरे को छूती रहती थी जिसे वह हमेशा अपनी नाभि से नीचे बाँधती थी। उसे देखते ही मुझे लगता था कि यह किसी वैश्यालय की संचालिका है। मेरा सोचना ब्यादा गलत भी नहीं था। शीघ्र ही मुझ पता चला कि वह एक कुटनी थी और जवान लड़कियों को घनी ब्यापारियों या घनी किमानों अथवा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित वैश्यालयों को बेचकर काफ़ी पैसे कमाती थी। इस काम से वह और उसकी चार लड़कियाँ शामिल थीं लेकिन लड़कियों का तिजारत करने वाले एक बहुत बड़े जाल का यह एक मामूली हिस्सा थी। वह गरीब घरों की लड़कियों से पहले दोस्ती करती थी और उन्हें अच्छा खाने, पहनने तथा मेहनत-मजदूरी से बचने का लालच देती थी और इसके बाद उन्हें अपने जाल में पूरी तरह फँसा लेती थी। जिन लड़कियों को उसने बेचने की योजना बनायी थी उनमें से तीन को चाईबासा जेल में रखा गया था जहाँ उन्हें तब तक पड़े रहना था जब तक उनका मामला अदालत में नहीं पेश होता और उनके बयान नहीं ले लिए जाते। बाद में दो वर्ष बाद भारत से मेरे रवाना होने के समय तक वह कुटनी तो रिहा हो गयी थी लेकिन वे लड़कियाँ जेल में ही पड़ी रहीं। उन लड़कियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं था फिर भी उन्हें लगातार हिरासत में रखा गया। उन दिनों जब भी किसी कैदी का जमशेदपुर से चाईबासा तबादला होता तो यह मेटिन लड़कियों के पास चेतावनी देते हुए सदेश भिजवाती कि वे उसके खिलाफ किसी तरह का बयान न दें वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

जैसे-जैसे दिन बीतते गए और दूसरे कैदियों के प्रति इस औरत के व्यवहार पर मैं गौर करने लगी, मुझे उससे अधिक-से-अधिक नफ़रत होने लगी। हजारीबाग जेल में भी मेटिन का यही काम था कि वह नयी कैदियों की तलाशी लेती थी और

तलाशी में जो सामान मिलते थे उन्हें लौटा दिया जाता था तथा बहुमूल्य चीजों को जेल के ऑफिस में जमा कर दिया जाता था, लेकिन इस कुटनी का अपना ही तरीका था। वह नये कैदियों के पैसे, तम्बाकू, जेवर, माचिस, रुमाल या कोई भी ऐसी चीज जिसे वह बेच सके अथवा अपने जखीरे में डाल सके, जब्त कर लेती थी। बाद में मुझे पता चला कि उसने जेवरो सहित अपने शरीर पर जो कुछ भी पहन रखा है उसे या तो वह कैदियों को धमकी देकर या चोरी करके अथवा चापलूसी के ज़रिए प्राप्त कर सकी है। महिलाओं पर वह शासन करने के लिए सोहे की एक छड़ अपने हाथ में लिये रहती थी, उन्हें गालियाँ देती थी, मारती थी, उनके राशन चुराकर बेच देती थी और इन सबसे बड़ी बात यह थी जिसकी वजह से उसने काफ़ी दृशमनी मोल ले ली थी कि वॉर्डरों से वह कैदियों की चुगली करती रहती। अनेक बार मैंने देखा कि मेटिन से झूठी-गद्दी कहानियाँ सुनकर वॉर्डर औरतों को पीटते थे, बाद में मेरे विरोध करने पर सुपरिटेण्डेंट ने वॉर्डरों को आदेश दिया कि वे महिला कैदियों को कभी हाथ न लगायें।

शुरू से ही वह इस बात पर असंतुष्ट रहती थी कि बीना और मैं क्यों घंटों एक साथ गुज़ारती हैं। बीना के प्रति उसका व्यवहार इस हद तक अनुचित हो गया था कि मुझे एक दिन उससे कहना पड़ा कि हमारे मामले में वह दखल न दिया करे। उम शाम उसने वॉर्डर को बताया कि मैंने उसे पीटा है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक झूठी शिकायत थी लेकिन क्योंकि वॉर्डर को भी मेटिन के मुनाफे में से हिस्सा मिलता था इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह मेटिन का पक्ष ले। उसने ऐना ही किया और सारी कहानी जेलर को सुना दी। दूसरी महिलाओं से मुझे अलग रखने के लिए जो फाटक बना था, और शुरू में मेरे अनुरोध पर जिसे खोल दिया गया था, उसमें फिर ताला बंद कर दिया गया। जो कुछ भी हो अब तक मैं समझ गयी थी कि जेल की मौजूदा परिस्थितियों में अधिक से अधिक मैं यही कर सकती हूँ कि इस बात को इजाजत माँगूँ कि दिन के समय बीना के साथ मुझे रहने दिया जाये। मैंने सुपरिटेण्डेंट से कहा था कि मैं अपनी कोठरी की सफाई अकेले नहीं कर सकती हूँ, अहाते में झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ और इस तरह के कामों के लिए मुझे एक साथी चाहिए। मैं जानती थी कि इस तरह के बहाने में दम होगा क्योंकि सुपरिटेण्डेंट किसी 'पढी-लिखी' महिला से शारीरिक धम की अपेक्षा नहीं कर सकता। उसने परिचारिका के रूप में बीना को मेरे साथ रखने की इजाजत दे दी। हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि सुपरिटेण्डेंट इस काम के लिए कौन-सा नाम दे रहा है। इस अवसर पर अथवा अनेक अवसरों पर जिस सहजता के साथ मैं चालाकी कर जाती, वह मेरे लिए एक बिलकुल अजनबी बात थी। जेल आने से पहले मैं इतनी चालाक नहीं थी लेकिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते समय यह एक ज़रूरी हथियार था जिसे अधिकांश कैदियों ने शीघ्र ही अपना लिया था।

अब अपेक्षाकृत शांति का वातावरण था, अतः मैंने बंगला के अपने सीमित ज्ञान के आधार पर बीना को पढ़ना-लिखना सिखाना शुरू किया। वह बड़ी तेज़ी से सीखती रही। हमने कुछ चाक खरीदे ताकि पथरीले फ़र्श पर उससे लिख सकें और कागज की बचत करें। मुझे बंगला के सारे अक्षरों का ज्ञान तक नहीं था हालाँकि यह पता था कि कौन-सी ध्वनि किस अक्षर को अभिव्यक्त करती है। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अपारम्परिक था जिससे कुछ ही महीनों के अन्दर बीना अपनी माँ को पोस्टकार्ड लिखने लायक हो गयी। यह पोस्टकार्ड कभी निदिष्ट स्थान तक नहीं पहुँच सके। जेल-दफ़्तर के खाते में दर्ज डाक टिकट के पैसे

बलकाँ की ही जेलों में गये।

बीना एक अत्यंत व्यावहारिक महिला थी। गाँव के जीवन के बारे में मुझको तमाम बातों की जानकारी देने के अलावा उसने बताया कि अत्युमीनियम की तशतरियों को बालू लेकर कैसे तब तक रगड़ा जाता है जब तक वे चाँदी की तरह चमकने न लग जायें सैंप को किस तरह चमकाया जाता है और साबुन न रहने पर भी कपड़े कैसे माफ किये जाते हैं। रात में उसे दूसरी महिलाओं के साथ बंद कर दिया जाता था। लेकिन हमने इस व्यवस्था का स्वागत किया क्योंकि इससे बीना को अन्य कैदियों के साथ सम्पर्क बनाये रखने में सुविधा होती थी तथा मैं अपनी पढाई जारी रख सकती थी जिसे दिन में नहीं पूरा कर पाती थी।

हजारीबाग में हमने उन दगों के बारे में सुना था जिन्होंने १९७० की शरद में जमशेदपुर जेल को हिलाकर रख दिया था। जिन कैदियों ने दंगे किये थे उनकी तीन मुख्य शिकायत थी—जलो में भारी भीड़, पानी की कमी और चिकित्सा सुविधाओं का न होना। अधिकारियों ने स्थिति को शांत करने के लिए वायदा किया था कि ये माँगें पूरी हो जायेंगी लेकिन उलटे उन्होंने कैदियों के नेताओं का दूसरी जेलों में तबादला कर दिया और फिर सब-कुछ पूर्ववत् हो गया। पुरपो के विभाग में महिलाओं की ही साइज की कोठरी में लगभग एक सौ कैदियों को बंद रखा गया था और यहाँ संक्रामक रोगों के फैलने के फलस्वरूप रोज़ कम-से-कम एक लाश जेल से बाहर निकाली जाती थी। दूसरी तरफ़ किमी 'बफादार' कैदी को घूस देकर सोने के लिए अपेक्षाकृत आरामदेह जगह तथा खाने के लिए दो आदमियों का खाना मिल सकता था जिसे उन लोगों के राशन में कटौती करके हासिल किया गया था जो गरीब थे और कुछ पैसा नहीं दे सकते थे तथा इतने कमजोर थे कि लड़ नहीं सकते थे। जेल में सामानों की सफ़ाई करने वाले ठेकेदार के आदमी इन सामानों की जाँच के लिए नियुक्त 'बफादार' कैदियों को घूस देते थे ताकि निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सामान होने पर या घटिया किसम का माल होने पर बिना रोक-टोक के अन्दर भेज दिया जाये। कई अवसरों पर मैंने दुर्व्यवहार या अन्याय के खिलाफ हजारीबाग और जमशेदपुर दोनों जेलों में पुरप कैदियों का विरोध करते देखा। बहुधा विरोध का तरीका उनका यह था कि वे छत पर या किसी पेड़ पर चढ़ जाते और तब तक नीचे आने से इंकार करते जब तक उनकी शिकायतें दूर नहीं हो जाती। लेकिन इसके फलस्वरूप जो सुधार होता था वह बहुत अल्पकालिक साबित होता था और यह व्यवस्था इस पर फिर हावी हो जाती थी।

जमशेदपुर जेल में अपना खाना अलग बनाने की कोई सुविधा नहीं थी और मैंने अपने लिए कोई अलग इंतजाम कराने की बजाय सबके साथ ही खाना ठीक समझा। फिर भी यहाँ चूँकि सामान्य तौर पर चाय नहीं दी जाती थी इसलिए मैं अपने लिए एक छोटे प्राइमस स्टोव पर चाय बना लेती थी। जेल का रसीई-घर मेरी कोठरी के सामने दीवार के उस पार था। सबेरे लगभग तीन बजे अक्सर मेरी नींद उग समय खुल जाती थी जब बड़े-बड़े लोहे के पीपी को, जिनमें हमारा चायन पकाया जाता था, लुढ़काते हुए पानी के नल तक योग ले आते थे और उसमें तेज़ आवाज़ पैदा होती थी। रमोइयों को बहुत सबेरे ही काम शुरू करना पड़ता था क्योंकि रमोईघर की क्षमता इतनी ही थी कि एक बार में जेल के कुछ कैदियों की एक-चौपाई संख्या के लिए खाना तैयार किया जा सके। इसलिए थोड़े-थोड़े लोगों के लिए बारी-बारी खाना बनाना पड़ता था। लगभग साढ़े चार

बजे सवेरे आग पर चढ़े घर्गर घुले चावलों की गध चारों तरफ फैल जाती थी। इसके बाद उबले हुए चावल को रसोईघर के सामने वाले बरामदे में बिछे बोरो पर फैला दिया जाता था जहाँ दस-ग्यारह बजे दिन तक पड़ा रहता था और उस पर मक्खियाँ लगती थी, धूल जमती थी और चिड़ियाँ उसे खाती रहती थी।

पतले चावल और अधपकी चपातियों ने मेरी पाचन-क्षमता पर जबर्दस्त मुसीबत ढा दी और आने के कुछ ही सप्ताह के अन्दर इस स्थिति ने और जमशेदपुर की गर्मी ने मुझे विस्तर पर पटक दिया। बुखार से मैं पड़ रही जिसके बाद मुझे पेचिश शुरू हो गयी। मई में गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। चौबीसों घंटे मैं पसीने में डूबी रहती और इस डर से अपने बालों को नहीं धोती कि वे सूख नहीं पायेंगे। नतीजा यह होता था कि मेरे बाल हमेशा सीधे और चिपचिपाहट से भरे रहते और गर्दन के ऊपर चिपके रहते जिससे घाव बन गये थे। हम सबके शरीर पर गर्मी की वजह से छोटे-छोटे दाने पड़ गये थे। अधिकांश समय मैं बहुत परेशान और चिढ़ी रहती। कुछ देर बैठना और पढ़ना बेहद कठिन काम था—मुझे लगता कि मेरा सर भारी होता जा रहा है और नीचे की तरफ लगातार झुकता जा रहा है। एक बार लेट जाने के बाद उठकर बैठना बहुत मुश्किल होता था। गर्मी की वजह से मेरी नसें सूज गयी थी और ऐसा लगता था कि मेरे रक्त-प्रवाह में वे रुकावट बन रही हैं। शरीर के जोड़ों में लगातार दर्द हो रहा था और अपनी कौठरी तक पहुँचने के लिए दो सीढियाँ चढ़ने के लिए घुटने मोड़ने में भी मुझे बेहद कठिनाई महसूस हो रही थी। रात में मैं लगभग बिना कुछ पहने पथरीले फर्श पर पड़ी रहती और लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़े नक्सलवादी बंदियों तथा अपनी दोवार के उस पार बनी कौठरी में ठूँस-ठूँसकर भरे महिलाओं और बच्चों की असह्य स्थिति के बारे में सोचती रहती। उनकी तुलना में मैं ज्यादा आराम से रह रही थी।

बीना जिस जिले की रहने वाली थी, उसी जिले के दो नक्सलवादी बंदियों को चेचक निकल आयी थी। अन्य तमाम पुरुष बंदी भी इससे प्रभावित थे लेकिन यह एक करिश्मा ही था कि महिला बंदियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। हाँ, एक चीज से हममें से कोई नहीं बच सका था और वह थी खुजली। अक्सर आधी रात में मेरी नींद टूट जाती और समूचे शरीर को खुजलाना शुरू करती और तब तक मैं दोबारा सो नहीं पाती जब तक अपने बालों का ब्रश लेकर पागल की तरह से मैं पूरे शरीर पर रगड़ने नहीं लगती। दवा के नाम पर डॉक्टर ने कुछ सफेद गोलिएँ दी थी जिनमें कोई फायदा नहीं था। दरअसल मैं अंतिम रूप से तब तक ठीक नहीं हो सकी जब तक उस वर्ष जाड़े में मुझे वापस हजारीबाग नहीं पहुँचा दिया गया और एक उचित मलहम नहीं दे दिया गया। अन्य क़ैदों इतने सोभाग्यशाली नहीं थे। कड़ियों के शरीर पर जहरीले घाव हो गये थे और एक दिन ऑफिस में मैंने एक क़ैदी को देखा जिसके पैरों में इतनी सूजन आ गयी थी और इतने जहरीले घाव बन गये थे कि उसका चलना-फिरना मुश्किल था। जेलर ने मुझसे बताया कि उनका इलाज करना बेकार है क्योंकि वे 'अपने को साफ-सुथरा' नहीं रखते। जेल बुरी तरह भरा हुआ था और मैं यह नहीं समझ पाती थी कि साबुन, पानी या बदलने के लिए कपड़ों के बिना यह कैसे आशा की जा सकती है कि कोई अपने को साफ-सुथरा रख सकेगा।

जून के मध्य में अतत मेरे सह-प्रतिवादियों को हजारीबाग से यहाँ बुला लिया गया। कुछ दिनों बाद १६ जून, १९७३ को हम रोज की तरह अपने आस-

पाम की सफाई करने में और नहाने-घोने में लगे थे कि तभी बेडियों की झनझना-हट के बीच नारे लगने की आवाजें आयी और "मारो ! मार डालो !" की चीखती आवाजें कानों में पड़ी। यह सब सुनकर हम लोग सन्न रह गयीं और यह जानने की कोशिश करने लगी कि बाहर क्या हो रहा है। आवाजें हमारे और नजदीक आती गयी तथा ऊँची दीवार के उस पार मेरी कोठरी के सामने आकर रुक गयी। इसके बाद लगभग दस मिनट तक भयंकर चीख-पुकार और जोर-जोर से मारने की आवाजें आती रहीं। हमें एक लड़के की चीखती हुई आवाज सुनायी दी, "पानी ! मुझे पानी पिलाओ !" एक दूसरी आवाज में घोर आर्तनाद था, "अरे माँ !" बीना और मैं चुपचाप एक-दूसरे की तरफ़ पूछती निगाहों से देखती हुई खड़ी रहीं। अन्य महिलाएँ दौड़कर फाटक के पास इकट्ठी हो गयी थीं ताकि सारा कुछ नजदीक से देख सकें। हम सबको एक घात के वारों में पक्का यक़ीन था— इस मारपीट का शिकार नक्सलवादियों को बनाया गया है। हमें इसका अंदाज़ा उनके नारों से हो गया था जबकि अन्य महिलाओं को अपने सहज ज्ञान से ही यह पता चल गया था। पीटने की क्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद ही खतरे की घंटी-बजायी गयी। जाहिर है कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर जेल के अधिकारी अपनी सफाई में यह कह सकें कि कैदियों ने दंगा कर दिया था जिसके खिलाफ़ हिंसा का सहारा लेना पड़ा।

हो-हुल्ला शांत हो जाने पर हम अपने छोटे-से अहाते में बेचनी के साथ इधर-उधर टहलती रहीं। मेरी बेहद इच्छा हो रही थी कि मैं दौड़कर बाहर जाऊँ और देखूँ कि क्या हो रहा है लेकिन मैं दीवारों के अन्दर रहने के लिए मजबूर थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है। धीरे-धीरे अलग-अलग कामों से हमारे वॉर्ड में आने वाले कैदियों ने फुसफुसाहट भरे स्वरों में बताया कि वॉर्डों और 'बक्रादारों' द्वारा छह कैदियों को पीटा गया है। एक अभी भी दीवार के पास आम के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। दिन में दो बजे कचहरी से लौटने वाली औरतों ने बताया कि उन्हें लगा, जैसे वह मर गया हो।

मैंने महसूस किया कि मारपीट में आगे बढ़कर हिंसा लेने वाले इन वॉर्डों को सजा देने के लिए मुझे कोई कदम उठाना चाहिए लेकिन मैं खुद भी उनके चंगुल में फँसी थी। अधिक से अधिक मैं यही कर सकती थी कि उनको पुकारते समय अब तक मैं जिस सामान्य विनम्रता का परिचय दिया करती थी उसे अब रोक दूँ। उस दिन जब चीफ़ हेड वॉर्ड मेरे कमरे में ताला बंद करने आया तो हर बार की तरह उससे दो-चार शब्द बोलने की बजाय मैंने उसकी उपेक्षा की और गला फाड़कर गाते हुए अपनी कोठरी में टहलती रहीं।

अगले दिन हमें जेल की 'अदालत' में हाज़िर होना था। जेल अधिकारियों ने मेरे सह-प्रतिवादियों को न पेश कर पाने के लिए कुछ बहुत कमजोर बहाना बनाया। जेल कार्यालय में बनाये गये उस तारकालिक 'अदालत' में केवल मुझे पेश किया गया। हमारे वकील भी उस दिन काफ़ी चुस्त थे। जेल के एक हमदर्द कर्मचारी ने हमारे वकील को घटना का विवरण देते हुए बताया था कि जिन छः लोगों को मारा गया था वे हमारे ही मामले के अभियुक्त थे। वकीलों को हममें मिलने की इजाज़त नहीं दी गयी लेकिन जो कुछ हुआ उसके बारे में स्थानीय समाचारपत्रों को जानकारी दे दी गयी। मैंने जब इस समूची घटना पर विरोध प्रकट किया तो मजिस्ट्रेट एकदम खामोश रहा। मैंने जब अपनी बात पूरी कर ली तो उनमें केवल 'अच्छा' कहा और फिर लिफ्तने में मशगूल हो गया।

सुनवाई के बाद मुझे यह पता चल सका कि दरअसल हुआ क्या था। चूंकि विहार की जेलों में चाय नहीं दी जाती है, इसलिए मेरे सह-प्रतिवादियों को हजारीबाग में इस बात की इजाजत दी गयी थी कि वे यदि चाहे तो अपने खर्च से चाय बना सकते हैं, लेकिन जमशेदपुर के जेलर ने ऐसा करने के लिए भी मना कर दिया। इन कैदियों में से कईयों ने रात में अपनी कोठरी के बाहर बरामदे में लटक रहे लैम्प के ऊपर बर्तन रखकर चाय बनाने का प्रयोग किया। ड्यूटी पर तैनात वॉर्डर ने जेलर को इसकी सूचना दी और जेलर ने अगले दिन सबेरे डंडों और छड़ों से लैस वॉर्डरों और कैदियों के एक दल को निर्देश दिया कि उनको पीटें। इन नक्सलवादी कैदियों के पैरों में पहले से बेड़ियाँ पड़ी हुई थी फिर भी उनके हाथों में हथकड़ी डाली गयी और घसीटते हुए मुख्य आंगन के बीचोंबीच लाकर खड़ा कर दिया गया ताकि मार पड़ने की आवाज समूची जेल में सुनायी पड़ सके और दूसरे कैदियों के लिए यह एक मिसाल का काम करे। मुझे यह भी पता चला कि आम के पेड़ के नीचे जो लड़का पड़ा था वह मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। उसकी बांह टूट गयी थी और एक दूसरे लड़के की आंख में गम्भीर चोट आयी थी। यही वजह थी कि जेल के अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि वे अदालत में हाज़िर किये जायें।


इस मारपीट की घटना के कई दिनों बाद तक मेरे सर में भयंकर दर्द होता रहा। मुझे जमशेदपुर जेल से, मुझे बद करने आने वाले वॉर्डर से, मेरी तरफ़ बुरी दृष्टि से देखने वाले और ऑफिस में जाने पर हर समय मेरे एक-एक शब्द को ध्यान से सुनने वाले स्पेशल ग्रांच के लोगो से, जेलर से, जिसने मेरी किताबें और कागजात अपने लड़के के लिए रख ली थी तथा जो मेरे आंगतुकों द्वारा लायी गयी हर चीज़ को जो ललचायी दृष्टि से देखता था, बेहद घृणा हो गयी थी। मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों पर मैं निर्भर रहूँ इसलिए प्राइमस स्टोव को जलाने के लिए माचिस भाँगने की बजाय मैं चाय पिये और रहना ज्यादा बेहतर समझती थी और वॉर्डर को अखबार के लिए याद दिलाने की बजाय मैं अखबार पढ़े बिना ही काम चला लेने में संतुष्ट रहती थी।

जेल में तीन साल से भी अधिक समय तक रहने के बाद ३० जून, १९७३ को मैंने पहली बार अपने उन पैतृसौं सह-अभियुक्तों को देखा जो उस समय भी हजारीबाग में ही रख छोड़े गये थे जब कल्पना तथा दूसरों को कलकत्ता भेज दिया गया था। मानसून खत्म होने के बाद की गर्मी और चिपचिपाहट शुरू हो गयी थी। सबेरे छः बजे भी मेरे हाथ पर पसीने की बूँदें चिपकी रहती थी और साड़ी की चुन्टें ठीक करते समय साड़ी से ही मैं पसीना सुला लेती थी। मुकदमे की सम्भावना में मुझे कोई यकीन नहीं था फिर भी एक उत्तेजना में मैं पुरुष कैदियों के ब्वाटर्स से होती हुई वॉर्डर के पीछे-पीछे अस्थायी अदालत के कमरे की तरफ़ बढ़ रही थी, जिसे अंततः एक डार्मिटरी में बनाया गया था। यह भी हर इमारत की तरह लम्बी पिंजड़े जैसी इमारत थी जिसे फ़र्श से लेकर छत तक इस्पात की जाली लगाकर बीच से विभाजित कर दिया गया था। जाली की एक तरफ़ कुछ मेज और कुर्सियाँ रखी हुई थी और मजिस्ट्रेट के बैठने की जगह बनायी गयी थी। ऊपर विजली के पंखे चल रहे थे। जाली की दूसरी तरफ़ का हिस्सा बिलकुल खाली था और यहाँ मुझे खड़ा किया गया था। मैंने सीखचों के रास्ते देखा कि इस अहाते के उस पार स्थित ब्लॉक में बनी कोठरियों में से हमारे सह-प्रतिवादी निकलकर एक कतार में आ रहे हैं। अदालत-कक्ष के बाहर खड़े



एक आम के पेड़ के नीचे वे दो-दो की संख्या में आये और दो 'वफादार' कैदियों ने उन्हें पहनायी गयी लीहे की भारी बेड़ियों को छेनी और हथौड़े से अलग किया। सारी बेड़ियों को पेड़ की जड़ के पास एक जगह रख दिया गया ताकि अदालत से वापस आने पर इन्हे पहनाकर कोठरियों में डाल दिया जाये। जैसे-जैसे अदालत-कक्ष में कैदियों का एक-एक जोड़ा आता गया मैं इतना समय निकाल सकी कि उनके चेहरे के भावों का अध्ययन कर सकूँ। उनमें से अधिकांश की उम्र बीस वर्ष से भी ज्यादा नहीं थी। बेड़ियों से मुक्त होने का अद्भुत अवसर पाकर वे इधर-उधर टहल रहे थे। उनमें से कुछ ने मुझसे हँसकर सकेत किया। हजारी-याग में जिन लोगों के साथ मैं गुप्त रूप से सम्बन्ध बना सकी थी उन्होंने यहाँ अपना परिचय दिया और पहली बार मैं यह जान सकी कि अमुक नाम का व्यक्ति अमुक है। मैंने उस लड़के को पहचाना जिसे अपनी गिरफ्तारी के बाद मैंने पुलिस स्टेशन पर बुखार से काँपते हुए देखा था। वे सब बड़े साफ-सुथरे थे और उनका मनोबल काफी ऊँचा था। फिर भी मैं उनके अन्दर की व्यग्रता का अनुमान लगा सकती थी। सुनवाई के बाद उनके पैरों में जब फिर बेड़ियाँ डाली जा रही थी मैंने वॉर्डर से अनुरोध किया कि मुझे सरसरी तौर पर उस ब्लॉक को वह देखने दे जहाँ मेरे इन साथियों तथा अन्य नक्सलवादी कैदियों को रखा गया है। अपनी कोठरी में वापस लौटने के बाद मैंने अपनी डायरी में वह सब लिखा जिसे मैंने देखा था।

वे रोग बड़ी भयंकर स्थितियों में रह रहे हैं। उनके अहाते इतने भयावह और वीरान तथा इतने गंदे हैं जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है—सीमेंट का बना एक आँगन, पानी का एक नल और अँधेरी छोटी कोठरियों की एक कतार है जिसमें उन्हें तालों के अन्दर रखा गया है। एक-एक कोठरी में पाँच-पाँच, छः-छः कैदी हैं जिन्हें दिन में चौबीसों घंटे बेड़ियों में रखा जाता है। दिन के समय भी यहाँ अँधेरा रहता है। सीखचेदार फाटक के पास आने पर ही उन्हें कुछ पढ़ने लायक रोशनी मिल सकती है। रात के समय अपनी कोठरियों में रोशनी के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनके साथ एक पागल व्यक्ति को भी बन्द कर दिया गया है फिर भी वे हँसते हैं, हँसी-मजाक करते हैं और उन सारी चीजों को बड़े आराम से झेत्ते हैं। उनके अन्दर जीवन्तता है और उमंग है लेकिन उनमें से कुछ के चेहरे पर एक दूमरी ही कहानी लिखी हुई दिखायी देती है। उनकी दो जवान चमकती आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गये हैं, बहादुराना और लापरवाह मुस्कराहट भरे चेहरे के नीचे एक फीकापन है, चेहरे की मांसपेशियाँ खिच गयी हैं। हाथो या पैरो में बेचनी की झलक है—इन सबसे उनकी सही स्थिति का पता चलता है। शारीरिक तौर पर देखें तो इनमें से सब पर बुरा असर पड़ा है। वे सब दुबले हो गये हैं, चेहरे पर पीलापन छा गया है और किसी न किसी जानी-अनजानी बीमारी के वे शिकार हो गये हैं।



## सिपुर्दगी

सिपुर्दगी की कार्यवाही लम्बी चिचती रही। आखिरकार पुलिस ने आरोप पत्र पेश कर दिया और मेरे मामले से सम्बन्धित कागजात का एक बंडल मुझे पकड़ा दिया। इनमें मेरी गिरफ्तारी तक की घटनाओं का वर्णन किया गया था कि किस तरह मैं उन्हें जंगल में घूमती मिली, किस तरह उन्हें मेरे पास से विस्फोटक पत्र मिले—ये सारी बातें एकदम मनगढ़ंत थीं। मुझपर आरोप लगाया गया था कि मैं उस गैरकानूनी भीड़ में शामिल थी जिसने एक पुलिस थाने पर बम फेंके थे और साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि मैंने “जानबूझ कर अपने पास पिकरिक एसिड ऐसी परिस्थितियों में रखा था जिससे पर्याप्त रूप से यह संदेह होता है कि यह एसिड किसी बंधु इस्तेमाल के लिए नहीं था।” मैंने कभी पिकरिक एसिड का नाम तक नहीं सुना था पर मुझे किंचित् ही संदेह था कि मजिस्ट्रेट पुलिस की इस कहानी पर विश्वास कर लेगा। अभी तक अभियोग पत्र लगभग इस मामले में मनमानो करता रहा था और २० साल की सजा की जो चेतावनी मुझे दी गयी थी वह अभी मेरी स्मृति में थी।

इसी समय मुझे एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन मिला, जिसकी कोई आशा नहीं थी। एक नौजवान डॉक्टर ने मेरे पास चुपके से लिखा कि हालांकि वह एक सरकारी कर्मचारी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्याय के बारे में उसे पता नहीं है। उसे इस बात में काफी संदेह था कि मेरे मामले की निष्पक्ष सुनवाई हो पायेगी और उसने सुझाव दिया था कि यदि मुझे अपनी सफ़ाई पेश करने का कोई मौका मिले तो मुझे पटना या कलकत्ता के किमी अरथन्त कुशल बैरिस्टर की मदद ले लेनी चाहिए। मैंने अपने धन्यवाद के साथ उसके पत्र का जवाब दे दिया पर यह भी लिख दिया कि मेरे मुकदमे के फंसले में जितना ज्यादा समय लगने की आशंका है उसे देखते हुए तो मैं कोई लक्ष्मणी होऊँ तभी बैरिस्टर रख सकती हूँ ताकि उसकी फीस दे सकूँ। मुझे इस

बात में भी संदेह था कि कोई तेज से तेज वकील भी मेरे लिए कुछ कर सकता है। मैंने यही बेहतर समझा कि सारे मामले को अपने तरीके से चलने दूँ और यह सोचने में ज्यादा समय न लगाऊँ कि क्या नतीजा निकलने जा रहा है। कठघरे के दूसरी तरफ़ की विलम्बकारी कार्यवाहियों पर ध्यान न देते हुए मैं अदालत में अपनी पेशी का इस्तेमाल बंगला बोलने के अभ्यास में और अपने सह-प्रतिवादियों के साथ बातचीत में करती थी। इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श करते और हजारीबाग़ के तीन वर्षों के अनुभवों की तुलना करते अपने सह-अभियुक्तों से हर मुलाकात के बाद उनके प्रति मेरा सम्मान बढ़ जाता। अपने साथी कैदियों के प्रति उनका व्यवहार बहुत विचारशील था और अधिकांश कारियों के प्रति वे बहुत विनम्र थे फिर भी बेहद निर्भीक थे। वे हमेशा मेरे स्वास्थ्य और हालचाल के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे और ज़रूरत के समय अपनी मदद के लिए प्रस्तुत थे। भारत के सर्वोत्कृष्ट युवा वर्ग के अन्दर आत्म-बलिदान की भावना और लगन तथा जनता की भलाई के लिए काम करने की उनकी वास्तविक उद्वेग इच्छा को देखकर कलकत्ता आने के शुरू के दिनों में मैंने जो उरसाह महसूस किया था, उसे एक बार यहाँ फिर नये सिरे से मैंने महसूस किया।

बावजूद इस तथ्य के कि नवसलवादी होने के संदेह में हजारों लोगों को मारा जा चुका है और गिरफ्तार किया गया है और हम लोग खुद रिहा होने की किसी आशा के बिना जेल में पड़े हुए हैं, मैंने फिर यह महसूस किया कि भारत का भविष्य ऐसे ही लोगों के हाथों में है जो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार से दूर हैं, जाति और वर्ग के विद्वेषों से मुक्त हैं तथा देश की रीढ़ यानी दलित वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सक्षम हैं।

ब्रिटिश अधिकारियों का बीच-बीच में आना जारी रहा पर वे अदालती कार्यवाही को तेज कराने की दिशा में कुछ भी करने में असमर्थ थे। मेरे दोस्त और रिश्तेदार यह समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाने में देर क्यों हो रही है। मुझे जमशेदपुर ले जाये जाने पर उन्होंने आशा की थी कि जल्दी ही मेरे मुकदमे का फंसला हो जायेगा। अपने माँ-बाप के उलझन और निराशा भरे पत्रों को पाकर मैं बेचैन हो उठती थी क्योंकि उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराना असंभव था। एक दिन मवेरे मेरे वकील ने मुझे बताया कि ब्रिटिश समाचारपत्रों ने अपनी खबरों में बताया कि मुझे आजीवन कारावास हो गया है। यह सोचते हुए कि इस खबर का मेरी माँ के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा, मैंने उससे फौरन एक पत्र लिखने को कहा हालाँकि मुझे बड़ी धुँधली-सी उम्मीद थी कि यह पत्र मेरे घर तक पहुँच पायेगा और हुआ भी वही—वह पत्र इंग्लैण्ड नहीं ही पहुँच सका।

बाद में मुझे पता चला कि उच्चायोग के लोगों का खयाल है कि अपने साथी अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाए जाने का अनुरोध करके मैंने अपने ऊपर अलग मुकदमा चलाए जाने के प्रस्ताव को 'नामंजूर' किया है और इस प्रकार अपने पहले के रथ से मुकदमा गयी हूँ। मैं यह नहीं समझती कि 'स्वेच्छापूर्वक स्वदेश वापसी' और 'अलग से मुकदमा चलाये जाने' का प्रश्न किसी भी रूप में एक है। दरअसल उनका प्रस्ताव यह था कि यदि मैं इंग्लैण्ड वापस आने के लिए राजी हो जाऊँगी तो मेरे ऊपर लगाए गए आरोप वापस ले लिए जायेंगे। अलग से मुकदमा चलाए जाने के लिए मुझे जमशेदपुर ले जाने की घटना कम से कम मेरे लिए

एकदम अप्रत्याशित थी जिससे खासतौर से 'अपराध कबूल करने' की पुलिस की माँग को ध्यान में रखकर देखें तो सारी स्थिति पर एक नयी रोशनी पड़ती थी। यहाँ तक कि हज़ारोंबाग से अपने सह-प्रतिवादियों को जमशेदपुर बुलाए जाने के सिलसिले में मैंने जो अर्जी दी थी, उसका भी यह कृतई अर्थ नहीं होता था कि मैं मुकदमे से 'इन्कार' कर रही हूँ। लेकिन अधिकारियों की निगाह में इन सारी बातों से एक ही नतीजा निकलता था कि मैं हठी हूँ। दुर्भाग्यवश मेरी खातिर ब्रिटेन के मित्रों द्वारा की जा रही कोशिशों के लिए भी यह रवैया अत्यन्त असुविधाजनक साबित हुआ। मेरी मदद के लिए जो कोई विदेश कार्यालय से सम्पर्क करता उसे एक घिसा-पिटा जवाब मिल जाता कि मैंने अलग से मुकदमा चलाए जाने की बात नामंजूर कर दी है और इस प्रकार जल्दी रिहा होने की सम्भावना नष्ट कर दी है। उन्होंने कभी झूठी 'स्वीकारोक्ति' के मसले को ध्यान में नहीं रखा।

मेरी मित्र आयरिश भावसे एक बार फिर मुझसे मिलने आयी और मुझे उन्हें यह बताने का मौका मिला कि मेरे मुकदमे में देर क्यों हो रही है। इंग्लैण्ड वापस लौटने पर उन्होंने मेरे अन्य मित्रों से भी ये बातें बतलायीं और उन्होंने अंततः महसूस किया कि निकट भविष्य में मुकदमा चलाये जाने की कोई सम्भावना नज़र नहीं आती। वे भारत में राजनीतिक बंदियों के समूचे मसले के प्रति समाचारपत्रों की दिलचस्पी पैदा करने के काम में लग गयी। हालाँकि उन्हें अपने इन प्रयासों में कई अड़चनों और निराशा का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे अपना प्रयास छोड़ेंगे नहीं। वे अपनी कोशिश में लगे हैं—इस तथ्य को उनके सफल होने के बारे में मेरे अन्दर कोई आशा पैदा करने की बजाय मेरे मनोबल को ही ज्यादा बढ़ाया। भारत में भी हमारे लिए कोशिशें की जा रही थीं। अमलेन्दु के परिवार ने तो श्रीमती गांधी को भी एक पत्र लिखा था और उन्हें एक आश्वासन भरा जवाब प्राप्त हुआ था कि 'आवश्यक' कदम उठाये जायेंगे। इसके बाद इस सिलसिले में कुछ भी सुनने को नहीं मिला।

समाचारपत्रों ने हमारे मामले में फिर दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी लेकिन यह घटनाओं का कोई अनुकूल विकास नहीं था। लंदन के एक दैनिक पत्र ने एक पत्रकार का लेख प्रकाशित किया जिसने मुझसे बातचीत करने का दावा किया था लेकिन वास्तविकता यह थी कि इस पत्रकार में मेरी कभी भेंट भी नहीं हुई थी। गाज़ियन के संवाददाता वाल्टर स्वार्ज ने जमशेदपुर आने की तकलीफ उठायी लेकिन मुझसे मिलने की इजाजत उसे नहीं मिल सकी। फिर भी वह पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर सका ताकि काफी विस्तार से लिख सके। मुझे लगा कि सारे पत्रकारों में वही एक ऐसा था जो यह समझ सका कि मैं क्यों नहीं अलग से मुकदमा चलाये जाने के पक्ष में हूँ। अन्य तमाम पत्रकारों में कुछ ने तो मेरे व्यक्तिगत जीवन और मेरी वेपभूषा पर ही लम्बे-लम्बे लेख लिखने में समय लगाया। कुछ का रवैया तो खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण था। एक पत्रकार ने, जिसे मैंने अपनी तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं दी थी, खासतौर से बड़ा गन्दा लेख लिखा था जिसमें मुझे इस रूप में चित्रित किया गया था कि मैं बड़ी बेरहमी से आतंकवाद की हिंसापत करती हूँ। लेकिन इस गलतबयानी के बावजूद इस लेख से मुझे फायदा ही हुआ। उस लेख से यह जानकर कि स्थानीय जेल में मैं पड़ी हूँ, शहर का एक अमरीकी पादरी मुझसे मिलने की अनुमति प्राप्त करने के बाद मेरे पास आया। मेरे धर्म-परिवर्तन की न्यून सम्भावना को देखते हुए उसका रवैया बहुत उदारतापूर्ण था और उसने फल तथा मिठाइयों के उपहार से मुझे मुग्ध तो कर

ही दिया—सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसने विभिन्न पुस्तकालयों से मेरे लिए पुस्तकें ला दी।

धीरे-धीरे स्थितियाँ फिर सामान्य हुईं और मैं दूरगामी महिला क्रीडियों से बात-चीत करने लगी। हजारीबाग की ही तरह यहाँ भी अधिकांश 'अंडर ट्रायल' थी और उन्हें किसी मजिस्ट्रेट को देने तक की आशा नहीं थी। अक्सर हर पन्द्रह दिन पर उन्हें टुकों में भरकर स्थानीय अदालतों में ले जाया जाता था जहाँ वे औरतें दिन भर वरामदे में बैठी रहती थीं और महिला वॉर्डर इतनी निगरानी करती रहती थीं जबकि पुरुष वदियों को अदालत के लॉक्अप में डाल दिया जाता था जहाँ के भीड़ भरे दमघोट वातावरण में वे अक्सर बेहोश हो जाते थे। लेकिन इस दुर्दशा से बचने के भी उपाय थे। आमतौर से पहले पर तैनात सिपाही तीन रुपये के बदले में एक व्यक्ति को दो घंटे के लिए छोल देता था—पाँच रुपये देने पर चार घंटे के लिए उस दमघोट वातावरण से निजात मिल जाती थी। जो रिश्तेदार अपने मम्बन्धी कैदियों से मिलने आते थे उन्हें सिपाही को दो रुपये देने पड़ते थे—कुछ और पैसे देने पर उन्हें अपने कैदी तनू खाना पहुँचाने की रियायत मिल जाती थी। जिस समय की यह बात है उस समय भारत में एक अकुशल मजदूर की औसत दैनिक मजदूरी तीन से चार रुपये तक होती थी।

अपना मामला जल्दी निपटवाने के भी तरीके थे। छोटे-छोटे अपराध के मामले में सबसे अच्छा तरीका यह था कि बीस रुपये निकालकर कोर्ट के क्लर्क को दे दिये जायें ताकि मजिस्ट्रेट के सामने मामला पहुँच जाए, फिर और ज्यादा देर से बचने के लिए अपना अपराध कबूल ले। चिन्ते-पिटे तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने मामला पेश होने में और मुनवाई शुरू होने के इंतजार में जितने दिन जेल में रहना पड़ता, उससे जल्दी अपराध कबूल कर सजा काटकर जेल से बाहर आया जा सकता था। एक औरत पर एक जवान लड़की को भगाने और फिर उसे बेचने का आरोप था, लेकिन वह मामले के इंचार्ज पुलिस अफसर, अदालत के क्लर्क और स्वयं जज को दो हज़ार से भी अधिक रुपये देकर अपना मामला जल्दी निपटाने में सफल हो गयी और जुर्म से बरी हो गयी।

हीरा नाम की संघाल जनजाति की एक बेहद खूबसूरत नौजवान औरत थी, जिसे मैं बहुत पसन्द करती थी। वह बहुत शालीन, भव्य और उदार थी। कोमल और चौड़े शरीर वाली इस लम्बी-इकहरी औरत के समूचे रूप में एक अद्भुत नैसर्गिक आभा थी। वह कभी हँसती नहीं थी हालाँकि कभी-कभी एक सकोच भरी मुस्कान उसके अधरों पर फैल जाती थी। वह ऐसे धर्म-संकट में फँसी थी जिसका प्रत्यक्षत कोई समाधान नहीं था। वगैर इस इंतजार के कि गरीबी में बसर कर रहे घर वाले उसकी शादी ठीक करें, वह अपनी जाति के एक नौजवान लड़के के साथ रहने लगी। लड़के के माँ-बाप उसकी शादी किसी धनी घर में करना चाहते थे इसलिए इस घटना के पहले दिन से ही वे असंयुक्त रहने लगे और उन्होंने जान-बूझकर लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। इस बीच हीरा गर्भवती हो चुकी थी और पड़ोस की एक औरत जब-तब उस पर ताने मारा करती थी कि उसका प्रेमी जल्दी ही उसे घर से निकालकर फेंक देगा। एक दिन इसी बात पर काफी तू-तू, मैं-मैं हो गयी, हीरा ने उस बूढ़ी औरत को मार दिया और वह बुढ़िया मर गयी। इसके बाद हीरा हत्या के आरोप में जेल में डाल दी गयी। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद हीरा को एक लड़का पैदा हुआ लेकिन इस बीच हीरा के प्रेमी पति की शादी उसके माँ-बाप ने अपनी मर्जी की लड़की से कर

दो थी। गाँव की रीति के अनुसार उसे हीरा के बच्चे का पितृत्व स्वीकार करना चाहिए था लेकिन उसके परिवार के लोगों ने गाँव की पंचायत को कुछ पैसे देकर उसे इस जिम्मेदारी से मुक्त करा लिया। हीरा के भाई उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन हीरा की जमानत लेने में डरते थे क्योंकि गाँव के बड़े-बूढ़ों ने उनकी बहन को कुजात घोषित कर दिया था और जमानत लेकर के वे गाँव वालों को नाराज नहीं करना चाहते थे। यदि गाँव के इस फैसले का वे उल्लंघन करते तो उन्हें खुद भी जाति से बहिष्कृत होने की सजा भुगतनी पड़नी और ऐसा होने पर अपनी जीविका से भी हाथ धो बैठने की आशंका थी। वे बीच-बीच में उससे मिलने आते थे, और गाँव की परम्परा के दायरे में रहते हुए अपने भरसक वे पूरी मदद करते थे, पर परिवार के एक सदस्य के लिए समूचे परिवार को तबाह करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। इसलिए हीरा से उन्हें अपने को बंचित करना पड़ा था।

मेरी कोठरी में अक्सर आने वाली औरतों में एक और औरत थी जिसका नाम था गुलाबी। उसकी उम्र लगभग पचास साल थी और वह देहात की रहने वाली थी। दूसरी औरतें उसे आमतौर से 'गुलाबी बुढ़िया' कहकर सम्बोधित करती थी क्योंकि उनके पैमाने से अब उसकी उम्र काफी हो चुकी थी। मेरे जमशेदपुर पहुँचने के कुछ ही सप्ताह पूर्व उसे एक वाँडर ने मार दिया था जिससे वह जोर से गिर पड़ी थी और उसके कर्घे की हड्डी खिसक गयी थी। जेल में दर्द से छुटकारा पाने की कोई सम्भावना नहीं थी। गुलाबी के परिवार के लोग बेहद गरीब थे और वह जानती थी कि उनसे यह आशा करना बेकार है कि वे उसकी जमानत के लिए पैसे इकट्ठे कर पायेंगे। इसलिए वह अपनी ही कोशिशों पर निर्भर करती थी और अपना तेल तथा साबुन आदि बेचकर एक-एक पैसा बचाती थी ताकि घूस दे सके। दुर्भाग्यवश मामले निपटाने की कीमत जिस दर से बढ़ रही थी, उस दर से वह पैसे नहीं इकट्ठे कर पा रही थी। बाद में जब मैं जमशेदपुर से रवाना हुई, उस समय भी उसने जेल में तीन वर्ष गुजार लिये थे और एक बार भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुई थी।

अन्य तमाम क़ैदियों की तरह वह भी बिलकुल बेगुनाह थी। वह चार मजदूरों के साथ एक जमींदार के खेत में धान काट रही थी और उसे यह पता नहीं था कि इस जमीन के मालिक का उसके चचेरे भाई से झगड़ा चल रहा है और यह विवादास्पद जमीन है। नतीजा यह हुआ कि झगड़े के दूसरे पक्ष ने पुलिस की मदद ली और इन चारों मजदूरों को धान चूराने के आरोप में गिरफ्तार करा दिया। साथ में वह व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ जिसने इन्हे काम पर लगाया था। मजरे की बात यह है कि जमीन के दोनों मालिकों ने अपने झगड़े सुलझा लिये और गुलाबी को जिसने काम पर लगाया था वह तो रिहा हो गया लेकिन सारे मजदूर जेल में ही पड़े रहे। जब मैं भारत से रवाना हुई तब तक गुलाबी जेल में लगभग तीन वर्ष काट चुकी थी। उसने फटे-पुराने कपड़ों की टुकड़ों को इकट्ठा किया था और उनमें किसी तरह 'पैबन्द' लगाकर अपनी पोती के लिए जमा कर रखा था। दरअसल ये कपड़े एकदम फटे-पुराने थे। पहनने लायक कोई भी चीज जेल से बाहर ले जाने के लिए भेटिन कभी इजाजत नहीं देती।

जैसे-जैसे शरद ऋतु निकट आती गयी और धान काटने का समय पास आता गया गुलाबी बहुधा यही बताया करती कि इस मौसम में यदि वह जेल से बाहर होती तो अपने परिवार वालों के लिए कुछ पैसे कमा लेती। लेकिन यदि जिंदा

रहते जेल से रिहा हो भी गयी तो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह जायेगी कि वह खेतों में फिर काम कर सके या पास के गाँव में बेचने के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर सके। अपना एक हाथ बेकार हो जाने की वजह से वह अपनी साड़ी तक नहीं धो सकती और इस प्रकार अपने लडकों पर वह एक और बोझ ही बन जायेगी।

हजारीबाग में मैंने सबसे पहले किसी लाश को देखा था। यहाँ सितम्बर १९७३ में मैंने सबसे पहले इतने निकट से कोई बच्चा पैदा होते देखा। उस दिन सवेरे मेरी कोठरी का दरवाजा ज्यों ही खोला गया और मैं बाहर आयी तो मुझे खून से लथपथ चादर दिखायी दी। बच्चा पैदा होने के सिलसिले में मैंने अब तक जितनी कल्पनाएँ की थीं उनसे इसका कोई मेल नहीं बैठता था। क़ैदियों में से एक महिला को कुछ ही मिनट पहले एक लडकी पैदा हुई थी। अब माँ दीवार की टेक लेकर खड़ी थी, उसके कपड़े कमर के गिदें लिपटे हुए थे, शरीर पसीने में डूबा हुआ था और पैरों से होता हुआ खून बह रहा था। उसके चारों तरफ फ़र्श पर खून, गंदगी और खेड़ी फ़ैली हुई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हिन्दू लोग प्रसूति के काम को गदा काम समझते हैं और इसके लिए वे हरिजनों के एक वर्ग चमारों के घर की औरतों को नियुक्त करते हैं। क़ैदियों में इस जाति का कोई नहीं था लेकिन मेडिन के अन्दर इतनी बुद्धि थी कि वह बच्चा पैदा होने के ठीक मौके पर उस औरत की मदद कर सकी। फिर भी अब उस नवजात शिशु को छूने और सफ़ाई के काम में मदद करने में सब लोग हिचकिचा रहे थे। बीना और मैंने अपने भरसक पूरी मेहनत से सफ़ाई की हालाँकि न तो हमारे पास सफ़ाई के लिए कोई चीज थी और न कोई कपड़ा था जिसमें हम बच्चे को लपेट पाती। इस बीच पुरुष क़ैदियों द्वारा महिलाओं के लिए नाशता लाया गया और वे क़ैदी दीवार के सहारे खड़ी उस औरत पर या चारों तरफ़ बिखरे खून पर निगाह डाले बग़ैर हर रोज़ की तरह मटर के दाने और शीरे वाँटते हुए तेज़ी से बाहर निकल गये। इसके बाद डॉक्टर आया। चूँकि वह एक कट्टर ब्राह्मण था इसलिए माँ या बच्चे को छूकर वह खुद को 'अपवित्र' नहीं करना चाहता था लेकिन साप के पुरुष क़ैदी को उसने कुछ हिदायतें दी और चला गया। मुझे यकीन है कि उस बेचारे क़ैदी को अपने जीवन में पहली बार इस तरह का काम करना पड़ रहा होगा। वस्तुतः उसे दवा आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन चूँकि वह गिने-बूने शिक्षित क़ैदियों में से था, इसलिए उसे अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया था। अस्पताल के नाम पर एक छोटी-सी कोठरी थी जिसमें एसपिरिन तथा कुछ अन्य दवाइयाँ रखी हुई थीं जो गंभीर रूप से बीमार क़ैदियों को दी जाती थीं।

उस वक़्त मानमून देर से आया। आमतौर से जून में बारिश हो जाती है ताकि घान की बुआई और रोपाई का काम किया जा सके लेकिन उस साल सितम्बर में बारिश हुई और उसने पकी फ़सलों को नष्ट कर दिया। सारे दिन हम लोग अपनी कोठरी में घुपचाप बँठी रहती और बारिश का पानी छत्र से टपकता रहता; यदि हवा चलती होती तो दरवाज़े की सलाखों से पानी के झोंके बार-बार अंदर आ जाते। उन दिनों हमें हर रोज़ देर से खाना मिलता था और हम घंटों भूते-प्यासे खाने का इंतज़ार करते रहते और पेट में उठ रही हूक के अलावा दूसरी किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। बारिश की वजह से दर्जनों की संख्या में बूहे अपने बिसों से बाहर निकलकर इधर-उधर भागते और

नोजवान कैदी हँसते-चीखते हुए कीचड़ के बीच उन्हें दौड़ाते रहते। कुछ आदि-वासियों और हरिजनों में चूहे का मांस काफी स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता था और हम जो चूहे पकाड़ती थी, उन्हें प्रोटीन के लिए लालायित हमारे साथी कैदी आग पर पकाकर खा जाते थे। वे मुझे भी चलने को कहते और बताते कि चूहे शाकाहारी भोजन में आते हैं और इनके खाने से कोई नुकसान नहीं होता। एक दिन मैंने भी कुछ टुकड़े लेकर चघ लिये और इसके स्वाद में तथा मेंढक की टाँगों से बने व्यंजन में या खरगोश के मांस में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। मेंढक की टाँगों का स्वाद मैंने एक बार फ्रांस में लिया था।

बरसात के उन दिनों में मैं घंटों बीना के साथ बैठी रहती और उसकी अतीत की जिन्दगी की कहानियाँ सुनती रहती। वह मुझे बताती कि किस तरह धान बोने के मौसम में वह सवेरे से शाम तक खेतों में काम करती थी, गाँव के पोखर में नहाती थी और नहाने के बाद उसी गीली साड़ी को पहन लेती थी जिसे उसने कुछ देर पहले साफ़ किया था। इसके बाद वापस घर लौटकर दिन-भर की कमाई में मिले चावल को पकाती थी। आधा चावल उसी रात खा लिया जाता था और आधा अगले दिन सवेरे के लिए बचाकर रख लिया जाता था। जब वह बिस्तर पर जाती तो दिन-भर घुटने तक कीचड़ भरे पानी में खड़ी रहने के कारण वह थककर चूर हो गयी रहती। हाय सूजे रहते और समूचा बदन दर्द से टूटता होता। बरसात के दिनों में चूँकि बदलने के लिए कोई दूसरा कपड़ा नहीं होता था इसलिए बारिश का पानी दिन भर उसके बदन में सूखता रहता। यह किसी एक दिन की कहानी नहीं थी बल्कि रोज-बरोज और साल-दर-साल यह दुख और यातना भरी कहानी चलती रहती।

बीना से मुझे पता चला कि गिरफ्तार होने से पहले गाँव की स्थिति के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा था वह अक्षरशः सच था। गाँवों में स्थानीय जमींदारों के पास ही हमेशा इतना पैसा होता था कि वे कर्ज दे सकें। बीना के इलाके के ये जमींदार सी प्रतिशत सूद लेते थे। कभी-कभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकार की ओर से कर्ज बाँटा जाता था पर यह वितरण भी गाँव के एक मुखिया के जरिये होता जिसे लगभग निरपवाद रूप से जमींदार नामजद करता था। वह कर्ज का एक काफी बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता और साल के जिस महीने में धान सस्ता होता वह इसके बदले धान ले लेता। जमींदार के कर्ज के बोझ से जो अभागे दबे रहते थे उन्हें शायद जिन्दगी भर जमींदार के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था। जो किसान अगली फसल होने के वायदे पर कर्ज लिये रहते थे वे जब अपनी फसल काटने जाते तो जमींदार के आदिमियों को खेत पर मौजूद पाते—वे खेत से ही अपना हिस्सा वसूल ले जाते थे। बटाईदार के रूप में काम करने वाले को खुद ही हल-बैल, बीज, खाद आदि का इंतजाम करना पड़ता था और फिर भी फसल का आधा या दो-तिहाई हिस्सा जमीन के मालिक को देना पड़ता था। अपने जिन्दा रहने के लिए गाँव के लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से को जमींदारों और सुदखोरों पर निर्भर रहना पड़ता था और यह देखकर मुझे ऐसा लगता था कि गाँव पंचायतों या राज्य व केन्द्र की सरकारों के लिए होने वाले चुनाव एक औपचारिकता मात्र हैं जिनमें उन तत्त्वों का बना रहना लाजिमी तौर पर जरूरी होता है जिनके पास आर्थिक शक्ति का नागफाँस है।

१९७२ में फसल बर्बाद हो गयी थी और जिस समय हम देर से खाना मिलने



पर अधीर हो जाते थे और शिकायत करते थे, उस समय भारत में उस वर्ष बीस करोड़ लोग अकाल की कगार पर खड़े थे। गेहूँ काफी पहले से ही बाजार से 'गायब' हो गया था और केवल काला बाजार में अधिक दाम पर उपलब्ध था। चावल का दाम कुछ ही महीनों के अन्दर दुगुना हो गया था। सरकार बार-बार इस बात पर जोर देती थी कि यह अभाव वास्तविक नहीं है लेकिन इसमें उन लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही थी जो भयमरी की आशंका से ग्रस्त थे। काफी बड़े पैमाने पर हैजा, चेचक, मलेरिया और मस्तिष्क-शोध फैला हुआ था और आमतौर पर इसके शिकार वही लोग होते थे जो न उचित भोजन, न दवाई और न मच्छरदानियाँ जुटा सकते थे।

फिर भी भारतीय जनता यह सारा कष्ट चुपचाप नहीं भेल रही थी। देश एक उफनते हुए कड़ाहे की तरह था जिसका उवाल रोकने के लिए सरकार किसी जादूगर की तरह कड़ाहे को हिलाती जा रही थी पर अन्दर की आग बुझाने में वह असमर्थ थी। अनाज, पानी और ईंधन—सब चीज का संकट था। महाराष्ट्र के अनेक शहरों में खाद्यान्नों को लेकर दंगे हुए थे, बिहार के ताप-बिजली घर में हड़ताल और तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ हुई थी तथा परिवहन एवं स्थानीय सरकार के कर्मचारियों, कारखाना मजदूरों, टैंकरी द्राइवरो और डाक-कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार जमींदारों के अनाज के गोदामों पर हमले हुए थे और उनकी रक्षा के लिए आयी पुलिस पर भी प्रहार किये गए थे। अनेक स्थानों पर अनाज की दूकानें लूट ली गयी थीं। जमशेदपुर में ही दर्जनों छात्रों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे जबर्दस्ती अनाज के गोदामों में घुमकर अनाज निकालकर भूखे लोगों के बीच बाँट रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि दूकानदारों ने विरोध प्रकट करने के लिए पूरा बाजार ही बन्द कर दिया। अखबारों में लगभग रोज ही नक्सलवादी गतिविधियों की खबरें छपती थी। पूर्वी भारत के सभी राज्यों के पुलिस इंस्पेक्टर जनरलों की एक बैठक हुई जिसमें आन्दोलन के इस उभार पर विचार-विमर्श किया गया। काँसे में धादिवासी लोगो ने कुछ बड़े भूस्वामियों के अनाज और जमीन पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता के पास पुलिस के एक शिविर से हथियार छीन लिये गये। 'स्टेट्समैन' ने एक खबर प्रकाशित की कि धनवाद की कोयला खानों में नक्सलवादियों की घुसपैठ से सरकार काफ़ी चिंतित है—बताया जाता है कि हजारों की संख्या में नक्सलवादियों ने खुद को कोयला मजदूरों के बीच इस तरह मिला लिया था कि उनमें और मजदूरों में भेद कर पाना कठिन हो गया था।

सरकार के अपने खेमे में भी काफी सकट पैदा हो गया था और वह परेशानी की स्थिति में थी। उस वर्ष मई में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० ने विद्रोह कर दिया, राज्य के ११ शहरों में हथियारखानों पर कब्जा कर लिया और विद्रोह को कुचलने के लिए भेजी गयी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। लड़ाई में ३७ लोग मारे गए। पुलिस के अनेक कर्मचारी अपने हथियारों सहित भाग गये और महीनो बाद तक उनका पता नहीं लग सका। पी० ए० सी० विद्रोह का नतीजा यह हुआ कि राज्य सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार में सत्तारूढ़ काँग्रेस दल के अदरूनी झगड़े के कारण मेरी गिरफ्तारी के बाद से अब तक पाँचवीं बार सरकार बदली। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया गया। मध्यप्रदेश में भी सरकार गिरने ही वाली थी। बंगाल में काँग्रेस दल के भीतरी संघर्ष के फलस्वरूप कुछ ही

महीनों के अन्दर हत्याएं हुईं।

शरद आते-आते देश भयंकर उथल-पुथल की चोट में आ चुका था — जगह-जगह अनाज और कोयले के लिए दंगे हुए थे, हड़तालें और प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस और जनता के बीच कई बार मुठभेड़ें हो चुकी थी, औद्योगिक संस्थानों में कामकाज ठप्प पड़ गया था और कहीं सरकार में फूट पड़ रही थी तो कहीं कोई सरकार इस्तीफा दे रही थी। केन्द्र सरकार के शांति-प्रयासों, वायदों और प्रति-वादों, संसद में कभी न खत्म होने वाली बहसों का जनता की जख्मों से कहीं दूर का भी संबंध नहीं था। लेकिन उस वर्ष युगोस्लाविया और कनाडा की अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती गांधी 'अहिंसा', 'मानवता' और 'जनतंत्र' की बातें करने से बाज नहीं आयीं और शंकासुओं को इस आशवासन के साथ शांत कर दिया कि शीघ्र ही भारत में सारा कुछ सुचारु ढंग से होने लगेगा। देश के अन्दर उन्होंने एक बार फिर मजदूरों से अनुरोध किया कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए वे हड़ताल का अपना अधिकार छोड़ दें।

सितम्बर में चिली में हुए सैनिक विद्रोह के बाद भारत सरकार यह चेतावनी देने लगी कि उसके खिलाफ भी सी० आई० ए० इस तरह का हमला कर सकता है, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में चिली की सैनिक-जुंटा की भर्त्सना करने तथा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने में सम्बन्धित प्रस्ताव पर मतदान का समय आया तो भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।

मेरी दीवार के उस पार खड़े आम के पेड़ों के पीछे एक कतार में कुछ कोठरियाँ बनी थी जिनमें से एक में एक बहुत रहस्यमय कैदी रहता था। जेल के अन्य कैदी तथा कर्मचारी सभी उसका नाम बहुत फुमफुसाहट भरे स्वर में लेते थे। हर रोज लगभग ६ बजे रात में मैं उसके भाई और भाजे को खाना खाने में पहले प्रार्थना करते सुनती थी। उनका खाना शहर में स्थित उनके घर से बनकर आता था। यह रहस्यमय व्यक्ति सारा दिन जेल के ऑफिस में बैठा पान चवाता रहता था चरम पीता रहता और बड़े आदेश भरी आवाज में पास की दुकान से चाय या कॉकाकोला लाने के लिए बोलता रहता। बेडोल और भयावह दिखने वाला यह व्यक्ति किसी धर्मपरायण हिन्दू की तरह अपने ललाट पर सिंदूरी तिलक लगाए रहता था। धीरे-धीरे मुझे उसके बारे में कुछ बातों का पता चला। शहर में उसके पास काफी सम्पत्ति थी और वह एक जाना-माना व्यापारी था। ऊपरी तौर पर वह हिन्दू धर्म का पक्का समर्थक था। उन दिनों शहर में उसके पैसे से एक नया मंदिर बन रहा था। लेकिन उसके चरित्र का एक दूसरा पक्ष भी था। माफिया के ही ढंग का उसके पास गुण्डों का एक गिरोह था जो उसके आदेश पर लोगो से बदला लेने, उन्हें संतुष्ट करने या डाका डालने का काम करता था। ऐसा लगता था कि उसकी स्वीकृति और मदद से कोई भी अपराध दण्ड मिलने के भय से मुक्त होकर किया जा सकता था। उसके जेल में रहने का एकमात्र कारण यह था कि उसके एक दुश्मन ने पहले की गयी किसी हत्या का बदला लेने के लिए उसको मार डालने की धमकी दी थी और मजिस्ट्रेट उसकी जमानत देने से डर गया था। जेल के कर्मचारी उससे डरते थे—उन्हें भय था कि उसको नालुश करने की किसी भी घटना से उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हमेशा हम लोगों के ताल में बंद किये जाने के काफ़ी बाद तक भी वह खुला ही रहता और अफवाह थी कि कभी-कभी रात में वह जेल से बाहर भी जाता था। आश्चर्य की

बात थी कि काफ़ी बड़ी मंख्या में कैदी महिलाएँ उसे व्यक्तिगत रूप में जानती थीं। कुछ तो उसकी कर्जदार थीं और कुछ वस उससे डरा करती थीं। कितने स्वच्छंद ढंग से उसने घन-दौलत इकट्ठा किया था और अपने को शक्तिशाली बनाने के प्रयास में उसने कितनों का खून बहाया था—इसके किस्से काफ़ी सुनायी पड़ते। दो वर्ष बाद मुझे पता चला कि सरकार ने उसे जेल में रसद-भूति का ठेका दे दिया है।

जेल-जीवन के मूल में छिपी असुरक्षा जारी रही। १० अक्टूबर १९७२ को मैंने अपनी डायरी में लिखा :


कल आग बुझा दी गयी, आग जलाने वाली सारी चीज़ें ज्वल कर ली गयी, वॉर्ड में गश्त लगायी गयी और तलाशी ली गयी और समय काटने वाले उस सभी 'गैर-कानूनी' आमोद-प्रमोद को फिनहाल रोक दिया गया जिसके बिना जेल-जीवन वर्दाशत करना मुश्किल था। थोड़े दिनों तक सस्ती से निगरानी रखने के बाद फिर सन्नाटा हावी हो जायेगा, जेल-प्रशासन फिर आँखें मूँदकर पड़ रहेगा, एक बार फिर आग जलेगी, चाय बनने लगेगी, मटर के दाने भूने जाने लगेंगे, बासी चपातियाँ फिर गरम की जाने लगेंगी, गरम रेत में चावल को भूना जाने लगेगा और कुछ महीनों के लिए हम सभी इन सुख-सुविधाओं के बीच रहने लगेंगे। मैंने महसूस किया कि कल की घटना बदने की भावना से ही नहीं लेकिन डर के कारण भी की गयी कार्रवाई थी। एक महीने से हमारे बार-बार के अनुरोध के बावजूद हमें साबुन नहीं दिया गया था। कल लगभग सर्वसम्मति से महिलाओं ने विरोध-प्रदर्शन के रूप में भूख-हड़ताल कर दी थी। कैदियों की एकता देखकर हर बार की तरह अधिकारीगण सहम गये और इस एकता को भंग करने की उन्होंने हर कोशिश की। इसलिए उन्होंने मिट्टी की बनी भट्ठी को चूर-चूर कर दिया और अपने साथ वे लकड़ियाँ, कागज और यहाँ तक कि सूखे पत्ते भी लेते गए। उन्हें यह उम्मीद थी कि औरतें आपस में लड़ जायेंगी और इन सुविधाओं को नष्ट करने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराएँगी। मैंने कोशिश की कि वे इस घर्तता के चक्कर में न पड़ें और इसमें मुझे कुछ सफलता भी मिली। लेकिन एक चीज़ तो तय है। अब हम अपना साबुन मिल जायेगा और धीरे-धीरे हम तब तक फिर सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे जब तक वे फिर सब-कुछ बर्बाद करने नहीं आ जाते।

इस तरह की घटनाओं के बावजूद हर बार की तरह ही भारत का यह खूब-मरत शरद मेरी कल्पना-शक्ति को उत्तेजित करने लगा। मैंने एक बार फिर यह सोचना शुरू किया कि मैं चित्रकारी करूँ या कुछ लिखूँ अथवा कमीदाकारी करूँ। हवा में मधुरता थी, दिन दुर्ग्राह्य थे जो देर से सूर्योदय और जल्दी सूर्यास्त होने की वजह से और छोटे हो गए थे। दिन के ढाई बजते-बजते चारों तरफ साया आ जाता था, भूरी दीवारों की कोणीय परछाइयाँ पड़ती थी, आम की पत्तियों की परछाइयाँ पड़तीं और फाटक में बने लोहे की सत्ताखों के बिम्ब उभरने लगते।

अभी मैंने जमशेदपुर की जलवायु का आनंद लेना शुरू ही किया था कि सिपुदंगी की कार्यवाहियाँ पूरी हो गयीं। दर्जन भर में कम वार ही अदानत में पेश होना पड़ा था और इस सबमें सात महीने लगे थे। न तो किसी गवाह ने मुझे

पहचाना और न मेरे खिलाफ किसी ने ध्यान ही दिया। तो भी, मैं तथा अन्य औरतें अपने ऊपर लगाये गये सभी आरोपों के बदले में मुकदमा चाहती थी। अब एक 'सामान्य' तौर-तरीके के अनुसार सेशन जज की अदालत तक एक मामली-से मामले को पहुँचाने में चार-पाँच वर्ष लग जाते। स्वयं अभियोग पक्ष के ही एक वकील ने मुझे सलाह दी कि मैं उच्चायुक्त को अपनी स्थिति से अवगत कराऊँ। उसने बताया कि उनके पास भारत सरकार का एक पत्र भी आ जाये तो मुकदमे की कार्यवाही तेज़ी से होने लगेगी। मुझे खुद तो इसमें संदेह था फिर भी मैंने कलकत्ता में तथा अपने परिवार और दोस्तों के पास अनुरोध करते हुए लिखा कि वे जल्दी से मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालें।

कुछ दिनों बाद अगले सम्मन का इंतज़ार करने के लिए हमारा हज़ारीवाग तबादला कर दिया गया।



## संकट

जिस समय मैं हजारीबाग पहुँची रात हो चुकी थी। डामिटरी से गुजरने समय अँधेरे में मेरे स्वागत में कई आकृतियाँ उठ खड़ी हुईं और मुझे छूने, मेरा स्वागत करने के लिए सीपचों से बाहर हाथ निकल आये। एक मुस्लिम कैंदी की आवाज सुनायी दी, 'सलाम वा नेकुम, दीदी', दूररी तरफ से प्रकाश की अपंग माँ बोली, 'नमस्ते दीदी', बाल्को ने हाथ मिलाया। मेरी पुरानी नूनो और ग्याली कोठरी में मेरे लिए तीन कम्बल ढूँढ़कर बिछा दिये गये। जल्दी ही कुछ महिला पॉर्डर गरम-गरम चपातियाँ और चाय लेकर आयी। यह चाय बाल्को ने गोबर के उपलों पर तैयार की थी। उस शाम यह सोचकर कि शायद मैं ठंड में भूखी-प्यासी आऊँ, बाल्को ने कुछ उपलों को डामिटरी में छिपाकर रख लिया था। उन लोगों से कुछ दिन पहले बताया गया था कि मेरे वापस आने की सम्भावना है।

अगले दिन मझे पुराने दोस्तों से फिर से मुनाकात हुई और नये आगंतुकों से परिचय का मिलसिना चला। भण्डार-घर से जब तक मेरा राशन पहुँचता तब तक मैं तीन लोगों के साथ बारी-बारी नाश्ता कर चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अपने घर लौट आया हो। बीना से अलग होने का मुझे दुःख था, मैं यह भी जानती थी कि हजारीबाग ले जाने का मतलब मेरे मुकदमे के बारे में टाल-मटोल करना है। यह भी सही था कि कलकत्ता से मेरे मिलने वालों का यहाँ आना ज्यादा कठिन होगा और मैं एक बार फिर अपने सह-प्रतिवादियों से अलग पड़ जाऊँगी—इन सबके बावजूद अपने पुराने संगी-साथियों से एक बार फिर मिलकर और इस मिलन की खुशी का अनुभव करके इन सारी बातों पर से कुछ समय के लिए ध्यान हट गया। मैं जानती थी कि अधिकारियों द्वारा मेरे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न पैदा की जायें, यहाँ मेरी साथी कैंदी जो कुछ भी दे सकती हैं, देती रहेंगी और मैं किसी चीज की कमी नहीं महसूस करूँगी।

इन बात महीनों में यहाँ कोई खास तबदीली नहीं आयी थी सिवाय इसके

कि कुछ औरतें रिहा की जा चुकी थीं और कुछ नयी आ चुकी थी। चार वर्षों तक जेल में रहने के बाद राजकुमारी पर मकदमा चला था और हत्या के आरोप में उसे धरी कर दिया गया था, लेकिन देवी शराव बनाने के जुर्म में उसे छः महीने की सजा हो गयी थी। यह सब मेरी गैरमौजूदगी में हुआ था। जब तक वह अतिरिक्त सजा की अवधि पूरी नहीं कर लेती, उसे रिहा नहीं किया जायेगा।

जाड़े की सन्धियाँ उगने लगी थी। धरती ताज़गी से भरी थी और आसमान में एक खुलापन था। एक बार फिर मैं सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देख सकती थी और यदि मैं सीखचों पर चढ़ जाती तो सुन्दर दृश्यों, पेड़-पौधों, गांव और जेल की दीवारों के बाहर दूर तक जाती हुई सड़क में देख सकती थी। अतः मुझे चित्रकारी करने के लिए कुछ विषय मिल गये थे और साधन के रूप में जुलाई में आयरिश द्वारा लाया गया वाटर कलर मेरे पास था ही। लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों न करूँ, भोर की रोशनी को, पुरुषों के विभाग की रेत के रंग की दुमंजिली इमारत के कोने पर पड़ती हुई सूरज की पहली किरण को, पेड़ों के काले हरे रंगों को, दीवारों के अनिष्टकारी भूरे रंगों को और ईंट-जैसी लाल धरती को मैं अपनी चित्रकारी में कभी ज्यों का त्यों नहीं उतार पाती थी। जमशेदपुर के आसमान पर छापी औद्योगिक धुंध के विपरीत यहाँ का आसमान बहुत साफ था और इमारतों की बाह्य रेखाएँ इतनी स्पष्ट थी कि बाहर की दीवार में बने बाँच टावर स्पर्श की सीमा के भीतर प्रतीत होते थे। हजारीबाग चमक रहा था : कभी-कभी विस्तृत लाल धरती डबते हुए सूरज की रोशनी में नीली फिर लोहे के रंग की और कुछ देर बाद सुनहरे रंग की हो जाती थी और उन कभी न आने वाले थोड़े-से क्षणों को मैं अपनी स्मृतियों में समेट लेने के लिए तड़प उठती थी। फिर भी मैं कभी इनको कागजों पर उतार नहीं सकी।

जेल-जीवन के दौरान मुझे सौंदर्य की अधिक से अधिक जरूरत महसूस होने लगी। काफी देर तक मैं चुपचाप बैठकर गंदे के फूल के एकमात्र पौधे को, जो किसी तरह सुपरिटेन्डेंट के विध्वंस से बच गया था, एकटक देखा करती। अपनी कोठरी की दीवारों पर मैं हर तरह की तस्वीरें चिपकाती रहती। ऐसा करते समय मैं उनके कलात्मक मूल्य पर ध्यान न देकर केवल रंगों पर ध्यान देती। मेरे दोस्तों को जब यह पता चला तो उन्होंने पेंटिंग की कुछ किताबें मेरे पास भेजीं लेकिन जिस संगीत को मैंने लगातार चाहा था और जिसकी इच्छा मेरे मन में बराबर बनी थी, उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ नहीं कर पाये। कभी-कभी दिन के तीसरे पहर मेरे बगल के बाँड में कोई कैदी अपनी बाँसुरी पर बहुत मधुर और कोमल स्वर निकाला करता और मैं सुनती रहती। उसे कभी यह पता नहीं चला कि दीवार की दूसरी तरफ उसकी कोई प्रशंसिका बैठी सुन रही है।

हजारीबाग जेल के विशाल आकार ने वातावरण के तनाव को कम कर दिया था। जमशेदपुर में जिस तरह हम बगल के पुरुषों के बाँड की सारी गति-विधियों को, बेडियों की झनझनाहट और चीखों तथा मारपीट की आवाजों को सुन लेते थे, वसा यहाँ नहीं था। लेकिन मैं अधिक समय तक इस तरह का कोई भ्रम नहीं पालना चाहती थी। यदि कोई चीज दिखायी न दे और कोई आवाज सुनायी न दे तो इसका अर्थ यह नहीं कि इनका अस्तित्व ही नहीं है।

मुझे देखकर जो कैदी बहुत क्यादा खुश हुई थी वह थी मोती। यह संथाल औरत थोड़ी पागल थी और इससे मेरी पहली बार जमशेदपुर में मुलाकात हुई थी। वह काफ़ी भद्र, समझदार और मेहनती औरत थी। जब तक कोई बात उसे

तीखी नहीं लगती, वह चुपचाप बैठती रहती। उसने न जाने कैसे मुझे अपनी ब्रेटी बना लिया था और चूँकि महिला वॉर्डर हमेशा उसके मुँसे से डरती रहती थी इसलिए उसमें बातचीत के लिए वह प्रायः मुझे बुलाती हालाँकि आमतौर पर मुझे भी कोई खास सफलता नहीं मिलती। कभी-कभी ऐसा होता था कि वह दिन भर तो चुप रहती लेकिन मेरे सामने वाली कतार में बनी अपनी छोटी अँधेरी कोठरी में वद कर दिये जाने के बाद उसे अचानक कोई ऐसी बात याद आ जाती जिससे उसे दिन में चिढ़ हुई रही हो तो वह बीख-बीखकर सबको गालियाँ बकती रहती और अपने फाटक के सीखचों को ठोक-ठोककर बाहर निकलने के लिए शोर मचाती। कभी-कभी तेज स्वर में वह बोलती, "तुम लोग मुझे क्या समझती हो?—वया मैं बकरी हूँ? तुम्हें पता नहीं कि मैं आदमी हूँ—जानवरों की तरह बंद कर रखा है। मैं घर जा रही हूँ। तुम लोग आओ और मुझे बाहर निकाल दो। आओ। जल्दी आओ। चले आओ।" वह अपनी साड़ी ऊपर उठाकर कमर के पास इस तरह बाँध लेती, जैसे लड़ने की तैयारी कर रही हो।

एक दिन सबेरे लगभग तीन बजे उसने चिल्लाना शुरू किया और हमें यह जानने में थोड़ी देर लगी कि उसे दस्त आ रहे थे और उसकी कोठरी का बर्तन मल से भर गया था जिसकी बदवू ने उसे बेचैन कर रखा था। हर रोज की तरह जब सबेरे छः बजे वॉर्डर उसकी कोठरी का ताला खोलने आया तो उसके जाने का इंतजार किये बगैर वह बर्तन लेकर तेजी से बाहर निकल गयी ताकि खानी करती आये। दुर्भाग्यवश चीफ हेड वॉर्डर के सामने ही वह लड़खड़ा गयी और सारा बरामदा गंदगी से भर गया। वॉर्डर के ऊपर भी कुछ छीटे पड़े। हम अपनी हँसी दबा नहीं सके। यहाँ तक कि महिला वॉर्डर भी अपनी साड़ियों की ओट में मुँह करके हँस रही थी। चीफ वॉर्डर इतना हतप्रभ हो गया था कि कुछ बोल ही नहीं सका।

मोती को हमेशा भूख लगी रहती और वह बहुत ज्यादा घाती थी। उस साल जाड़े में टाइट-सकट वदने के साथ ही जेल के राशन में हर बार से भी ज्यादा कटौती हो गयी और कँदियों को महीनों तक आटा नहीं मिला। हमें हर रोज दो-चार मुट्ठी चावल मिल जाता था। गेहूँ के विपरीत चावल बहुत जल्दी पच जाता था और थोड़ी ही देर बाद फिर भूल लग जाती। खासतौर से जब जाड़े का मौसम हो तब भूख और तेज लगती थी। कुछ अन्य कँदियों ने किसी तरह अपने को इन स्थितियों के अनुकूल ढाल लिया था और वे अपने चावल में से थोड़ा बचा भी लेते थे ताकि बेच सकें। इससे मोती बेहद श्रेष्ठ होती थी। वह भी दूसरों की तरह पैसा बचाना चाहती थी लेकिन साथ ही हमेशा उसका पेट भी भरा रहना चाहिए था। जेल की वर्तमान स्थितियों में इन दोनों बातों का कोई मेल नहीं था। सौभाग्यवश उमकी पाचन-शक्ति बहुत अच्छी थी। हर रोज वह बगीचे में घुस कर मटर, मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज और लहसुन की पत्तियाँ तलाशती रहती। खाने वाली कोई भी चीज उसे नामंजूर नहीं थी। इन चीजों को वह अल्पमूल्य की अपनी तश्तरी में रखकर हमारे चूल्हे की बुझती आग में बनाया करती। इस अधपके और गंधयुक्त पदार्थ को वह जल्दी-जल्दी अपना बड़ा-सा मुँह छोलकर निगल जाती। उसकी हमेशा यह इच्छा होती थी कि उसके बनाये खाने को हम लोग भी चखें लेकिन कुछ ऐसा मयोग था कि हम कभी उसके व्यंजनों को उतना रस लेकर नहीं खा सकें।

नयी कँदियों में लगभग सोलह वर्षों की एक गूंगी-बहरी लड़की थी। किसी को

न तो उसका नाम पता था और न उसका अपराध । लोगों को बस इतना ही पता था कि लगभग तीस मील दूर स्थित एक कस्बे में पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और जेल भेज दिया था । १९७५ में जब मैं हजारीबाग से रवाना हुई, उस समय भी अन्य तमाम कैदियों की तरह वह जेल में ही पड़ी थी । न तो बोल पाती थी और न हम लोगी की तरह पुराने संस्मरणों और अपने अतीत के बारे में, अपने परिवार और घर के बारे में बातें कर पाती थी ।

व्यथा से पीड़ित रहती

था । कभी-कभी वह क

का भी खयाल नहीं रखती थी कि चावल अच्छी तरह पक जायें । कभी-कभी वह लगातार कई दिनों तक बगैर कुछ खाये सोयी रहती । न तो उसे, न मोती को और न मानसिक रोग से ग्रस्त किसी भी कैदी को कोई चिकित्सा सुविधा दी जाती थी । हाँ, कभी-कभी वे यदि बहुत उग्र हो जाते थे तो शान्त करने के लिए एक इजेनशन दे दिया जाता था । जेल उनके लिए शायद ही उचित स्थान रहा हो । उनकी मौजूदगी से अन्य कैदियों पर तनाव पड़ता था । वॉर्डरो को उनसे निपटने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था । निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की निगाह जब तक उन पर नहीं पड़ती थी, उन्हें कोई चिंता नहीं होती । मानसिक रूप से विकसित कोई व्यक्ति यदि जेल आता तो वह धीरे-धीरे और भी ज्यादा विकसित होता जाता । इस सिलसिले में डॉक्टर भी कोई मदद नहीं करता था—वह केवल यही अनुरोध कर सकता था कि उन्हें किसी मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया जाये लेकिन सुविधाएँ न होने की वजह से उन्हें शायद ही कभी अस्पताल भेजा जाता रहा हो । जेल के एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि हजारीबाग में पुरुषों के बॉर्ड में अस्सी से ज्यादा पागल बन्द हैं ।

‘सुरक्षा’ के तहत रखे गये कैदियों की हालत मानसिक रूप से विकसित कैदियों जैसी ही बुरी थी । १९७३ के क्रिसमस से कुछ ही दिन पहले सत्या नाम की एक लड़की महिलाओं के बॉर्ड में लायी गयी । उसकी उम्र ११ वर्ष थी और वह फटे बिथड़े कपड़े पहने थी । उसके माँ-बाप आसाम में चाय-बागान में मजदूर थे । उसके पिता अपनी कमाई के कुछ पैसे और उसे साथ लेकर उसकी बीमार दादी से मिलने बिहार के एक गाँव में जा रहे थे कि तभी किसी रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग उसके पिता को लेकर कहीं चले गये । इसके बाद उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा । कुछ दिनों बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया और ‘सुरक्षित रखने’ के लिए उसे जेल में डाल दिया । दुर्भाग्यवश मामला यही समाप्त हो गया । किसी ने न तो उसके परिवार को तलाशने की और न उसे उसके घर पहुँचाने की परवाह की । जब एक बार एक ईसाई महिला वॉर्डर ने उसकी देखभाल करने की इच्छा जाहिर की तो सहायक जेलरों और अदालत के नलकों ने सत्या को मतर्क करते हुए बताया कि ईसाई लोग गौ-मांस खाते हैं और उसकी जाति नष्ट हो जाएगी । फलस्वरूप उसे जेल में ही पलने के लिए छोड़ दिया गया ।

ठंड बढ़ने के साथ ही मैं गरम पानी से स्नान करने तथा गरम कमरे में किसी नरम मुलायम बिस्तर पर सोने के निरर्थक विचारों में तल्लीन होने लगी । लेकिन जिन्दगी की तात्कालिक समस्याओं का इतना दबाव था कि किसी तरह के दिवास्वप्न में नहीं डबा जा सकता था । आमतौर से कम से कम एक या दो कैदी हमेशा बीमार रहते थे और अधिकांश औरतों का स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहता था । कइयों को जिगर और गुर्दे की तकलीफ थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि



ठंडे पथरीले फर्श पर सोने से ही कुछ को इस तरह की तकलीफ हुई थी। स्नान की कमी तो लगभग सबको ही थी। पेट में कीड़ियाँ पढ़ने से हमेशा पकान रहती थी और मिचली आती थी। फोड़े, फुसियाँ, घाव या अपोप्टिक आहार तथा विटामिन की कमी से होने वाले रोग इतने आम थे कि लोगो ने उस पर ध्यान ही देना बंद कर दिया था। अपनी उम्र के प्रारम्भिक वर्षों से ही औरतें बुरे स्वास्थ्य की शिकार हो चुकी थी जिसका नतीजा यह था कि अपनी सारी तकलीफों को वे 'क्या करेगा?' कहते हुए तब तक टालती जाती थी जब तक वे सचमुच विस्तार न पकड़ लेती थी। महिलाओं में ही अल्पपोषण की अधिकता का एक कारण यह भी था कि अनेक परिवारो में प्रोटीनयुक्त राख पदार्थ पुरखों के लिए सुरक्षित रखा जाता था।

अपने साथ की महिला कैंदियों की तुलना में मेरा स्वास्थ्य लाजवाब था। अपने जेल जीवन के पाँच वर्षों में मुझे कुछ ही औरतें ऐसी मिलीं जो मुझसे भी लम्बी थीं जबकि खुद मेरी लम्बाई महज पाँच फुट दो इंच ही थी। कुछ ही औरतें मुझे ऐसी मिली—और बहुधा वे मध्यवर्गीय परिवारो की थीं—जिनका वजन मुझसे ज्यादा था हालाँकि मेरा वजन घटकर ११२ पौंड से थोड़ा ही अधिक रह गया था। फिर भी वे सारे दिन पानी से भरी भारी बाल्टियाँ सर पर सादे रहती थी और बगीचे के एक तरफ से दूसरी तरफ मिट्टी ढोती रहती।

जेल आने से पहले शायद ही किसी औरत ने कभी कोई डॉक्टर देखा था। अन्य कर्मचारियों की ही तरह जेल के डॉक्टर भी बस एक फ्रज-अदायगी कर रहे थे और किसी भी तरह यहाँ से निकल भागना चाहते थे। कुछ तो अपने आसपास के दुःख-दर्द से एकदम उदासीन हो गये थे—कुछ ऐसे थे जो अंधाधुंध कीड़ियाँ मारने की या दर्दनाक दवाएँ देकर अपना पिंड छुड़ा लेते। जहाँ तक कैंदियों के सामान्य स्वास्थ्य का ताल्लुक था, ये दोनों रवैये समान रूप से अप्रभावकारी थे। बहुधा ऐसा लगता था कि जेल नयी-नयी दवाओं का परीक्षण-स्थल है क्योंकि ऐसा शायद ही कभी होता था कि किसी रोग में जो दवा दी गयी हो उसे फिर उसी रोग में दिया जाये।

खाद्यान्न की स्थिति में लगातार गिरावट आती रही। खाने के कई सामानों का अभाव हो गया था हालाँकि इनमें से अधिकांश काला बाजार में मिल रहे थे। जेल के अन्दर हालत बंद से बदतर होती जा रही थी। एक बार तो यह हालत हो गयी कि सबेरे मिलने वाले मटर के दाने भी नदारद हो गये और उनकी जगह पर शीरे में तैयार किया गया दो-चार चम्मच गीला चावल मिलने लगा। यह पकवान बोरों में नीचे बचे चावल के टुकड़ो से बनाया गया था और भूसे तथा लकड़ी के टुकड़ो से भरा हुआ था। उस वर्ष हमें मिलने वाले चावल का स्वाद अजीब-सा था और लगता था जैसे यह काफी दिनों से भंडारघर में पड़ा हुआ था। हमें जो सब्जी मिलती थी उसमें कभी कीड़ो भरे बैंगन मिलते थे तो कभी गोभी की पत्तियाँ और डंठल और इन्हे हमारे बर्तनों में इस अंदा से डाला जाता था जैसे कोई बहुत अच्छी चीज हो जिससे हम अनभिज्ञ हों। दिन में दो बार जो दाल दी जाती थी उसमें घुन लगे रहते थे और न जाने कब से पडी रहने की वजह से वह कड़वी हो गयी रहती थी। कुछ दिनों बाद फिर मटर के दर्शन हुए पर वे एकदम खोखले होते थे—अन्दर का सारा माल कीड़े चाट गये रहते थे और ऊपर की केवल खाल बची रहती थी। कभी-कभी आलू मिलते थे पर वे आकार में मटर से ज्यादा बड़े नहीं होते थे और उनका रंग काला हो गया रहता था। महिलाओं

में असंतोष बढ़ता गया लेकिन ऐसा लगता था कि तंगहाली के बढ़ने के साथ-साथ उनके आपसी झगड़े कम होते जाते थे और अब चूँकि मेटिन को मिली तमाम सुविधाएँ भी वापस ले ली गयी थी और उसकी अकड़ कम हो गयी थी इसलिए अधिकारियों के मन मुताबिक काम करने में उसकी भी अब दिलचस्पी नहीं रह गयी थी ।

इन सारी स्थितियों के बावजूद जेल की आवादी का एक हिस्सा ऐसा भी था जो इस सकट में समुद्र होता जा रहा था । विभिन्न भंडारी के इंचार्ज मेटो तथा जेल ऑफिस के क्लर्कों ने चीफ हैड वॉर्डर का विश्वास प्राप्त कर लिया था और इम चीफ हैड वॉर्डर के बारे में कहा जाता था कि घूस तथा अन्य गैरकानूनी स्रोतों से उसकी आय प्रतिमाह छह से सात हजार रुपये थी । कहा जाता था कि उसने कई टैंक्सियाँ और तीस एकड़ जमीन खरीद ली थी जबकि उसकी तनख्वाह उस समय प्रतिमाह तीन सौ रुपये से कुछ ही अधिक थी—इस तनख्वाह में परिवार का खर्च भी चलाना मुश्किल था । उसका बरदहस्त पाकर मेटो की भी खूब बन आयी थी—वे कैदियों के लिए भेजे गए अनाज, कपड़े तथा अन्य चीजें घड़ल्ले से बेच देते थे और अपने मुनाफे का एक हिस्सा हर महीने उसे दे देते थे । मेरे लिए यह एक दिलचस्प वान थी कि किस तरह अंग्रेजी के शब्द 'इनकम' को किसी की नियत आय के अलावा गैरकानूनी ढंग से होने वाली आय के लिए हिन्दी में इस्तेमाल किया जाता था । मेटो की अलग कोठरियाँ थीं और कैदियों में से ही उनके लिए अलग नौकर थे; उनमें से कुछ ने कम उम्र के कैदियों को—जिनके प्रति वे आकर्षित हो गए थे—अपने साथ रख लिया था । वे काफी अच्छा खाते-पीते थे और महँगे कपड़े पहनते थे जिन्हें जेल का धोबी धोया करता था । वे अपने घरों को नियमित रूप से मनीआर्डर भेजते थे और एक के बारे में तो अफवाह थी कि उसका नया मकान बन गया है जहाँ उसके रिहा होकर पहुँचने की प्रतीक्षा हो रही है । वे जेल के सामंत थे और उनसे अन्य कैदी नफरत करते थे ।

दवाओं की सप्लाई और अस्पताल के खानों के इंचार्ज मेटो से मैं व्यक्तिगत रूप से नफरत करती थी । जब कोई कैदी गम्भीर रूप से बीमार हो जाता था तभी उसके लिए विशेष आहार या दवा आदि निश्चित की जाती थी और उन लोगों के बारे में सोचकर मुझे बहुत घृणा होती थी जो बीमार पुरुषों, औरतों और बच्चों के लिए निर्धारित दवाएँ बेचकर मुनाफा कमाते थे और दिनों-दिन चिकने और मोटे होते जा रहे थे, पर ऐसा करते समय जिनकी अन्तरात्मा कभी कचोटती नहीं थी । यह सारी घाँघली चीफ हैड वॉर्डर की स्वीकृति के बगैर नहीं हो सकती थी और जेल के उच्च अधिकारी इन सारी बातों से अवगत होने के बावजूद दखल न देना ही पसन्द करते थे । खुद जेलर के बारे में भी मशहूर था कि उसे मेटो से नियमित पैसा मिलता था और बाहर से जो भी नया सामान जेल में आता था, उसे सबसे पहले जेल कर्मचारियों की पसन्द के लिए रखा जाता था । जेल का निरीक्षण करने के लिए आने वाले स्थानीय उच्चाधिकारियों और 'निरीक्षकों' को जाते समय उपहारों से लाद दिया जाता था और इनके स्वागत के लिए सुपरिटेण्डेंट जिस फ्रिजुलखर्ची का परिचय देता था उसकी काफ़ी चर्चा होती थी । उसकी लड़की की शादी के अवसर पर सिलाई विभाग के कैदी कई दिनों तक गद्दे आदि तथा मेहमानों के आराम के लिए विविध सामान तैयार करते रहे । जेल के सभी कर्मचारी कैदियों को अपने व्यक्तिगत नौकर के रूप में इस्तेमाल करते थे । हर रोज़ सवेरे-शाम इंड के भुंड कैदी इन अधिकारियों के घरों में जाकर पानी

भरने से लेकर कपड़े धोने, पाना पमाने, घर की सफाई करने और जहरत का कोई भी काम यहाँ तक कि उनकी मालिश करने में लगे रहते।


भ्रष्टाचार की चपेट में जेल-सुपरिंटेंडेंट भी आ जाते थे। एक सुपरिंटेंडेंट ने मुझे बताया कि मंत्रियों या अन्य उच्च अधिकारियों का समय-समय पर जेल का दौरा करना उसे पसंद नहीं है। जब मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया, "वे हरदम मुझसे पैसे की माँग करते हैं। और यदि मैं उनकी माँग पूरी न करूँ तो वे मीली दूर किसी सुनसान इलाके की जेल में मेरा तबादला करा देंगे जहाँ कोई सामाजिक जीवन नहीं होगा और जहाँ रहकर मैं अपने बीबी-बच्चों से भेंट नहीं कर पाऊँगा। यदि मैं यहाँ बना रहना चाहता हूँ तो मुझे पैसे देना ही पड़ेगा।" बेशक, जेल के कर्मचारी मनपसंद स्थानों पर अपनी नियुक्तियाँ करा लेते थे। हजारीबाग-जैसे देहाती इलाकों की तुलना में जमशेदपुर और धनबाद-जैसे औद्योगिक शहरों में तबादला कराने के लिए जबरदस्त होड़ लगी रहती थी क्योंकि यहाँ कैदियों के पास ज्यादा पैसे होते थे और मुलाकातियों से भी यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने रिश्तेदार कैदियों से मिलने के लिए या उनके साथ जेल में अच्छे व्यवहार की गारंटी के लिए अधिक पैसे खर्च करेंगे।

मेटो के अलावा अन्य जिन कैदियों ने अपना राशन बेचकर पैसे इकट्ठे किये थे उन्हें हमेशा अपने पैसों से हाथ धोने का सतरा बना रहता था जबकि मेटो के साथ ऐसी बात नहीं थी। कैदियों से वॉर्डर लोग हमेशा पैसों की माँग करते रहते थे और यदि वे पैसे देने से इनकार करते थे तो कोई न कोई झूठा आरोप लगाकर जेलर से शिकायत करने की धमकी दी जाती थी। मजा से बचने के लिए आमतौर पर उन्हें पैसे देने ही पड़ते थे। कई बार मैंने कैदियों को दौड़ते हुए जाकर चीफ हैड वॉर्डर के हाथ में रुपये के नोट पकड़ाते देखा था। किसी कैदी के बारे में यदि चीफ वॉर्डर को यह महसूस होता कि उसने पर्याप्त पैसा नहीं दिया तो उससे वह कहता, "काफी दिनों से तुमने मेरी खातिर नहीं की है—मुझे लगता है कि थाजकल तुम्हारी तनहाई में रहने की तयियत हो गयी है—क्यों?" एक बार अफवाह सुनायी पड़ी कि चीफ हैड वॉर्डर का तबादला पटना जेल के लिए हो गया है और मैंने मजाक में ही मुबारकबाद देते हुए कहा कि अब तो वह प्रदेश की राजधानी में जा रहा है जहाँ उसकी मुलाकात 'बड़े-बड़े लोगों' से होगी। उसने झट जवाब दिया, "बड़े लोगों से मुझे क्या लेना है? पैसे तो मुझे छोटे लोगों से ही मिलते हैं।"

जब कभी निरीक्षण के लिए जेल-मंत्री, जेलों के महानिरीक्षक या किसी विशिष्ट व्यक्ति को आना होता तो हमें तब तक हड़बड़ी में रहना पड़ता जब तक वे चले नहीं जाते। केवल उन्ही दिनों हमारे शौचालय में कीटाणुनाशक दवाएँ आदि छिड़की जाती, नालियों पर चूने लगाये जाते ताकि वे सुन्दर लगें और उनकी दरारें न दिखायी दें, सारी चीजों को सफाई करनी पड़ती और हमारे सारे सामान कम्बलो में लपेट दिये जाते—ऐसा लगता था जैसे हमारे गंदे फटे-पुराने कपड़ों तथा अन्य सामानों को देखकर उनकी आँखों को तकलीफ होगी। जब तक वे रहते थे, हम खाना बनाने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। कैदियों को आगाह किया जाता था कि हम विशिष्ट आगंतुकों से अपनी कठिनाइयाँ न बताएँ। दण्ड मिलने के भय से आमतौर पर इन आदेशों का पालन होता हालाँकि कभी-कभी मह भी होता था कि कोई साहसी महिला सावधान की मुद्रा में कतार में खड़ी अपनी साथियों के बीच से निकलकर आगे आ जाती और खाने-कपड़ों के बारे में और

बिना मुकदमा चलाये काफ़ी दिनों से जेल में पड़ी रहने की गिनायत कर ही देती। आगंतुक कहते, "ठीक है, ठीक है, हम इस पर गौर करेंगे" और फिर इस तिल-तिले में कुछ नहीं होता। जेल के अधिकारी और कर्मचारी उस औरत के ग्रामीण उच्चारण या भनगड़ रूप को देखकर धापम में मजाक उड़ाते और उस पर टिप्पणी करते हुए आपम में अंग्रेजी में कुछ कहते। फिर अपने को बड़ा हाजिर-जवाब समझते हुए सुपरिटेण्डेंट कोई टिप्पणी करता, "हम लोग यहाँ से बाहर चले जायें इसी में खरियत है—ये बहुत खतरनाक किस्म की औरतें हैं—हत्यारिनें और न जाने क्या-क्या हैं। ये किसी दिन हमको भी मार सकती हैं।" फिर निरीक्षण के लिए आया यह काफ़िसा भला जाता था— उनके चेहरों पर महिलाओं की इस दुःसाह्य स्थिति के प्रति रोद के भी संकेत नहीं होते थे। महिलाओं को यहाँ जो कुछ झेलना पड़ता था शायद उससे भी क्यादा तकलीफ उन्हें तब होती थी जब सुपरिटेण्डेंट अपने मित्र को लेकर इतराता रहता था और महिला कैदियों के साथ इस तरह का मुनूक करता था गोया ये मनोरजन या द्विवारत की कोई वस्तु हों। इससे थलाया जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति आता था तो हमारे बगीचे के सारे फूल तोड़ लिये जाते थे ताकि उसके लिए माता बनायी जा सके। उस साल मैंने जाड़ों में फूलों की एक बगारी बनाने को सोचा लेकिन जब मैंने देखा कि सारे फूल इन विशिष्ट जनों के गले की शोभा बढ़ाने के लिए या सुपरिटेण्डेंट का घर सजाने के लिए चले जाते हैं तो मैंने यह विचार छोड़ ही दिया।

जहाँ तक हमारी स्थितियों का सम्बन्ध है अब तक शायद केवल एक बार जनवरी १९७४ में ऐमा इतफ़ाक हुआ था कि किसी उच्च अधिकारी के निरीक्षण का कोई ब्यावहारिक नतीजा निकला हो। इस अधिकारी के निरीक्षण के बाद हमारा पानी का नल ठीक हो गया था। इससे पहले कई सप्ताह पूर्व हमारे पुराने टूटे पाइपों को बदलने के लिए कुछ मिस्रों आये थे लेकिन उन्होंने बस इतना ही किया कि टोटी को खोलकर बाहर निकाल दिया, जिससे दीवार में बस एक सूराख बच रहा जिससे समय-नुसमय कभी तो पानी की एक मोटी धार गिरने लगती थी



और कभी कुछ बूँदें टपककर रह जाती थी। किसी को पता नहीं था कि नहाना शुरू करने के बाद खत्म होने तक पानी आता रहेगा या नहीं। यह एक साधारण बात हो गयी थी कि कोई शरीर, बालों या कपड़ों में साबुन पोतकर बैठा रहे और दुबारा पानी आने का इन्तजार करता रहे। यहाँ तक कि टॉटी बदल दिये जाने के बाद हमारी दिक्कतें दूर नहीं हुईं। पानी की हमारी सप्लाई का कनेक्शन बगल में पुरुषों के बॉर्ड से था और हर बार जब इधर के कंटी अपना नल खोल देते थे तो हमारी तरफ पानी आना बंद हो जाता था। किन्हीं अदृश्य हाथों द्वारा संचालित नल से पानी लेने की कोशिश के दौरान हमें अक्सर जिस निराशा का सामना करना पड़ता था इससे हम तुनक-मिजाज और झगडालू हो गयी थी। हमेशा कम से कम तीस औरतें और बच्चे इस एक नल से पानी लेते रहते थे—कोई कपडा साफ़ कर रहा होता था तो कोई नहाने के लिए पानी के इन्तजार में था, किसी को खाना बनाने या पीने के लिए पानी की जरूरत थी तो कोई चाहता था कि वह फ़र्स साफ़ करने या बगीचे में डालने के लिए एक बाल्टी पानी भर ले। वैसे तो बगल के पुरुषों के बॉर्ड में एक कुर्आ भी था, पर चूँकि पानी निकालने वाली रस्ती काफी पहले टूट चुकी थी और उसके बदले आज तक किसी रस्ती का इन्तजाम नहीं हो सका था इसलिए पुरुष कंदियों को दोष देने से कोई लाभ नहीं था। लेकिन कभी-कभी इस स्थिति से इतनी खोज होने लगती थी कि औरतें दूसरी तरफ के लोगों को भला-बुरा कहने लगती। एक दिन कुछ क़ैदी युवतियाँ दीवार की उस तरफ पत्थर और मिट्टी फेंकने लगीं और पुरुषों के बॉर्ड में तैनात वॉर्डर ने उन्हें बहुत तेज़ फटकार दिया।

मैंने महिला-वॉर्डरों से अनुरोध किया कि वे पानी की समस्या के बारे में जेलर को अवगत करायें पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। खुद उनके क्वार्टरों की हालत जेल के अन्दर की हालत से भी ज्यादा खराब थी। हर परिवार के लिए महज एक कमरा या लिमकी छत नीची थी और जिसमें एक छोटा-सा बरामदा और आँगन था। इस थोड़ी-सी जगह में ८-९ लोग रहते थे। दरअसल लेउनी मच्छर-मक्खियों और सामने बह रहे गंदे नाले से उठती बदबू से भरे अपने छोटे-से अंधेरे क्वार्टर में रहने की बजाम हमारे बॉर्ड में ही रहना पसन्द करती थी।

उस वर्ष जाड़े में एक दिन एक महिला वॉर्डर अपने साथ किसी क़ैदी को लेकर अदालत तक गयी थी और लौटने पर उसने बताया कि एक छोटी बच्ची उस ठंड में कमर के गिर्द केवल एक पतला कपड़ा लपेटे अदालत के बाहर जमीन पर लेटी भूख से छटपटा रही थी। उस वॉर्डर ने बताया कि वह समझ ही नहीं पायी कि क्या करे; वह खुद इतनी गरीब है कि दूसरे का पेट कैसे भरती और उस बच्ची को यदि एक दिन कुछ खिला भी दिया जाता तो इसका अर्थ यही था कि उसकी मौत एक दिन के लिए टल जाती—वस। इस घटना से मैं खुद को बहुत दुःखी, अपराधी और त्रोधित महसूस करने लगी। इस बीच दिल्ली की संसद में इस विषय पर बहसें चलती रहीं कि विभिन्न राज्यों में हुई मौतों भूल के कारण हुई हैं या पोषक तत्वों की कमी के कारण। हर बार जब दुर्भाग्य पड़ता है तो इसी तरह की मूर्खतापूर्ण बहस संसद में शुरू हो जाती है—ऐसा लगता है, जैसे इन दोनों कारणों से हुई मौतों में कोई बुनियादी फ़र्क है, जैसे पोषक तत्वों की कमी से हुई मौतें प्राण्य हैं क्योंकि इस तरह भूलमरी को टाला जा सका।

जनवरी १९७४ के आरम्भ में उन घटनाओं ने रूप ले ही लिया जो अवश्य-भावी थीं। गुजरात में विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदर्शन-

कारियों पर काबू पाने के लिए सेना तैनात की गयी, राज्य के ७३ नगरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की खबरें रोज आने लगीं और फरवरी का महीना शुरू होते-होते सरकारी अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया कि पुलिस की गोली से ४० लोग मारे गये हैं। बिहार में भी असंतोष बढ़ता जा रहा था। २१ जनवरी को धाम हड़ताल का आह्वान किया गया। धनबाद से तुरन्त लौटे एक वॉर्डर ने मुझे बताया कि हर जगह थोड़ी-थोड़ी दूर पर चेहरे पर आँसू गैस से बचाव के लिए नकाश लगाये पुलिस तैनात है क्योंकि वहाँ खाद्यान्नों की कमी के कारण जनता विद्रोह की कगार पर खड़ी है।

२६ जनवरी को गणराज्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति वी० वी० गिरि ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में लोगों से अनुशासन बनाये रखने की अपील की। मैं यह सोचकर हैरान थी कि उनसे किस चीज को अनुशासित रखने के लिए कहा जा रहा था—क्या अपनी भूख की टीस को? या शायद अपने चीखते बच्चों को? या उस सरकार के विरुद्ध अपने रोप को जिसने पेट भरने के लिए उन्हें खाना देने की बजाय भाषण पिलाये है? श्रीमती गांधी का यह कहना सही हो सकता है कि खाद्यान्नों की कमी नहीं है, लेकिन खाद्यान्न जनता तक पहुँच नहीं पा रहे थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बाजार में जो दाम मगि जा रहे थे, वे दे सकें और जब वे बड़े जमींदारों या व्यापारियों के गोदामों में छिपाकर रखे अनाज को लूटने जाते थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदा में दंगे जारी रहे। २१ फरवरी १९७४ को हिन्दी के एक दैनिक समाचारपत्र 'आर्षावर्त' ने स्वतंत्र भारत में स्थापित एक नया रिकॉर्ड प्रकाशित किया : केवल एक दिन में पुलिस ने ३४ स्थानों पर गोली चलायी, जिसमें कम-से-कम ५ लोग मारे गये और अनेक घायल हुए। १९७४ के बाद यह पहला अवसर था जब एक दिन के अन्दर इतने स्थानों पर गोली चलायी गयी।

जाड़े की ठंड और खुश्की जारी रही। रातों में चुपके से तैयार की गयी आग के गिर्द एक दूसरे से सटकर बैठे हम लोग बातचीत करती रहती और मैं अपनी जेल-संगिनियों के १९६६ के भीषण अकाल के संस्मरणों को सुनती। इन्हे सुनकर मैं फिर सोचने पर मजबूर हो जाती कि जीवन की दुःसह स्थितियों के बारे में मेरी कितनी कम जानकारी है। उन्होंने अकाल के बीच जिन्दगी गुजारी थी और अपने बच्चों को पाला था जब खाने की तलाश में उन्हें न जाने कितने मील तक भटकना पड़ता था, एक कटोरा खिचड़ी पाने के लिए दिन-दिन भर इंत तोडनी पड़ती थी और सड़क बनाने के लिए मिट्टी ढोनी पड़ती थी। उन्होंने अकाल के दिन देखे थे इसलिए व्यापक अकाल की फिर आशंका देखकर अपने परिवार के सदस्यों के बारे में उनका चिंतित होना आश्चर्यजनक नहीं था।

फरवरी में देख-रेख के लिए हमें एक छोटी बच्ची सौंपी गयी। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पिता एक कोयला मजदूर था जिसने छँटनी हो जाने के बाद कोयला खान के मैनेजर के ऑफिस के बाहर भूख-हड़ताल शुरू कर दी थी। अनशन पर बैठने के पाँचवें दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और चूँकि उसके अलावा और कोई नहीं था जो उसकी तीन साल की बच्ची की देख-रेख कर सके, इसलिए उसे जेल में अपने साथ अपनी लड़की को भी रखने की अनुमति दी गयी। चीफ-हैड वॉर्डर ने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़की को महिला वॉर्ड में रखा जाये। इस मजदूर की बच्ची की हालत को देखना एक रहस्योद्घाटन ही था। उसका पेट बाहर की ओर निकला था जो शायद हमेशा स्टांचयुक्त आहार

नेने के कारण था। उसके बाल एक-दूसरे से वेहद उलझे हुए थे और तेल, साबुन या पर्याप्त पानी न पाने के कारण वेहद गदे थे और उसमें जुएँ पड़ गये थे। शरीर में तमाम छाने पड़े थे। हमने उसे खाना खिलाया, उसके बाल काटे और उसे नहनाया। एक औरत उसके लिए नये कपड़े लायी। सौभाग्यवश उसके पिता के साथ काम करने वालों ने जल्दी ही उसकी जमानत ले ली लेकिन कुछ ही दिनों के उसके साथ ने हमें एक बार फिर जेल के बाहर के लोगों की यातना भरी जिन्दगी की याद दिला दी।

जिन दिनों मैं जमशेदपुर जेल में थी, एक दिन रात की ड्यूटी के समय लेउनी को नौद आ गयी। शिकायत होने पर चीफ-हैड वॉर्डर ने अपने आप ही जेलर से बान की ताकि लेउनी को सम्भावित मुअ्तली से बचाया जा सके। इसके बाद मैंने गौर किया कि कई दिनों से लेउनी बहुत उदास-उदाम रहती थी। एक दिन दोपहर बाद जब सिलाई करने के लिए हम दोनों साथ बँठी थी, मैंने लेउनी से इस उदासी को बजाय जाननी चाही। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वह कुछ बताने की बजाय रोने लगी। अपने आँसू पोंछते हुए उसने बताया कि वॉर्डर उससे बार-बार कह रहा है कि नौकरी बचाने के बदले उसने अभी तक कुछ दिया नहीं। वह खया-पैसा नहीं चाहता था, वह चाहता था कि लेउनी उमके साथ सोये। एक दिन चीफ-वॉर्डर ने उसके पति को रास्ते में रोका और कहा कि वह आज लेउनी को उसके पास भेज दे। उसके इरादों को जानकर लेउनी ने जाने से इनकार कर दिया। अब जब भी वह ड्यूटी पर आती थी या ड्यूटी से जाने लगती थी और यदि चीफ-वॉर्डर उसे रास्ते में दिख जाता था तो वह उसे धमकाता था कि यदि उमने उसका कहा नहीं किया तो वह उसे नौकरी से निकलवा देगा। उसने तय कर लिया था कि चीफ-वॉर्डर की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी लेकिन उसे पता है कि इस आदमी का जेल में कितना प्रभाव है। इसलिए वह समझ रही थी कि वह उसे सबमुच नौकरी से निकलवा सकता है। वह यही सोचकर उदास रहती थी कि यदि नौकरी चली गयी तो परिवार का काम कैसे चलेगा।

लेउनी के प्रति चीफ-हैड वॉर्डर का वही रवैया था जो तमाम अपेक्षाकृत परम्परावादी ब्राह्मण वॉर्डरों का आदिवासी महिला वॉर्डरों के प्रति था—वे इन महिला वॉर्डरों को बड़ी अयगानना की दृष्टि से देखते थे। उनकी अपनी पतिनियाँ बड़े सुरक्षित ढंग से मकानों में बंद रहती थी और वे यह मान बैठे थे कि जो औरतें अपनी रोजी-रोटी के लिए काम करती हैं, उनके पास सतीत्व-जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जबान वॉर्डर महिलाओं के प्रति उनकी अश्लील टिप्पणियों और उनके परोक्ष इशारों में अकमर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मैंने सुना था कि जैची जाति के हिन्दू पुरुष, जो कभी आदिवासी या हरिजन औरतों से विवाह करने की बात तो नहीं माच सकते थे पर इन्हें अपने मनबहलाव का साधन मानते थे और जेल में मैंने जो कुछ देखा था उसने इस धारणा की पुष्टि ही होती थी।

जेल-कर्मचारियों के बीच जाति प्रथा तरह-तरह से काम करती थी। हालाँकि एक कानून के जरिए जेल कर्मचारियों में अनुमूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को एक निश्चित संख्या की भर्ती की जाती थी, लेकिन वॉर्डरों में मे अधिकार और कर्मचारियों में लगभग सभी ब्राह्मण या राजपूत होते थे। आदिवासी और हरिजन वॉर्डरों को लगभग हमेशा ही जेल में ऐसे कामों पर लगाया जाता था जो कठिन और अव्यक्त होने थे जबकि न्यायकर्मित 'जैची जाति' के हिन्दुओं को लाजमी-तौर पर अस्नाल, मडारधर या दुग्धशाला का इंचार्ज बनाया जाता था जहाँ

बदिल्-मे-अधिक मुनाझा बनाया जा सके।

मार्च के शुरू के दिनों में उच्चायोग का एक सचिव मेरे बकील के एक पत्र की प्रतिनिधि नेकर मेरे पास आया। पत्र की मूल प्रति मेरे पास भेजी जा चुकी थी हाँकि वह मुझे मिली नहीं थी। पत्र में उतने जितना था कि मेरा मुकदमा अब शुरू होने वाला है और मुझे अन्य लोगों के साथ अपने बचाव के लिए इंतजाम करना चाहिए। लेकिन अभी मैं इस पर कोई ठोस कदम उठती कि बिहार में उन्मुख शुरू हो गए। जानून और व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस के एक-एक जवान को तैनात कर दिया गया। जैदियों को अदालत तक या दूसरी जेलों तक ले जाने के लिए पुलिस का एक भी जवान नहीं बचा। अगली सुचना तक के लिए अदालतों में पेशी का काम या तबादले का काम स्थगित कर दिया गया। दरअसल कुछ दिनों बाद अदालतों का काम-काज भी ठप पड़ गया। बिहार सचिवालय को प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा था और कर्मचारियों को वे सचिवालय भवन के बन्दर आने-जाने नहीं देते थे—फतस्वरूप सचिवालय का काम-काज भी ठप हो गया। ज़ीमती में वृद्धि, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार को विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र कर रहे थे और वे शिक्षा प्रणाली में सुधार को माँग कर रहे थे।

हमारा मुकदमा न शुरू हो सके, इसके लिए प्रारम्भ से ही कई बहाने बनाये जाते रहे, समूचे जमशेदपुर में बेचक का प्रकोप था और इससे जेल भी प्रभावित था; अधिकारियों ने वहाँ हमें रख पाने में असमर्थता अबत की थी और कहा था कि मुकदमे की वारंवाई वहाँ और की जाये; जज ने यह कहते हुए जेल में मुकदमे की वारंवाई से इनकार कर दिया कि जेल में बनाया गया कुत्तम अदालत कक्षा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए; महा-निरीक्षक ने जमशेदपुर जेल को सभी कर्मचारियों के तबादले का आदेश दिया था क्योंकि वे भी खुजली के संक्रामक रोग के शिकार थे।

बाहर आंदोलन तेज होने के साथ ही महिला वॉर्डर हमारे पास खबरें लाती कि बाजार बंद हो गये हैं, परिवहन तथा अन्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और अवकाशप्राप्त समृद्ध लोगों का कस्बा हजारीबाग पूरी तरह आंदोलन में शामिल हो गया है। लोग सौंस रोके घटनाओं को देर रहे थे और हर रोज गर्मागर्म खबरें अफवाहों के रूप में सुनायी पड़ती थी। गड़बड़ी के प्रथम संकेत मिलते ही सशस्त्र लौह टोपधारी पुलिस दस्तों को शहर भर में तैनात कर दिया गया था। हवा के किसी झोके, किसी पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट, किसी ढोल की आवाज या नारे की डबती आवाज से हम जान जाते थे कि जेल की इस निर्जीव एकरसता के बाहर क्या घटित हो रहा है। किसी गॉर्डर की सीटी की आवाज, कोई चीख या किसी तेज आवाज के फान में पड़ते ही मेरी शिराएँ तन जाती और मुझे लगता कि जिस अकथनीय घटना का मैं इंतजार कर रही थी वह आखिर घटित हो ही गयी। बताया जाता था कि घटना में भैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में जनता की माँग को देखते हुए सरकार को इस्तीफा दे देना पड़ा। ऐसा लगता था कि अब फिर कभी जीयन सामान्य नहीं हो पायेगा।

हम लोगों के पास न तो कोई खाड़ू था, न मच्छर-माँगियों को मारने का कोई साधन और न कोई कीटनाशक दवा ही थी—चढ़ा पानी का भी हमें अभाव रहता था। गर्मियों में लू से मेरी कलम भी स्वाही तक सूख जाती थी। उन गर्म रातों में मैं दरवाजे की सलाखों से सटकर सोती थी और अपने जलते शरीर से छू



कर जाती हुई हवा की ठंड महसूस करती थी। मेरी इच्छा होती कि फाटक के बाहर जाकर सो रहूँ या अपनी इस भट्ठी-जैसी जलती कोठरी को छोड़कर वही भी सो जाऊँ। कोठरी की दीवारें दिन भर सूरज की गर्मी मोघती रहती, दरवाजे की सलाखें भी इतनी गर्म रहती कि छूने की इच्छा नहीं होती और हमारा पथरीला फर्श भी जलता रहता क्योंकि दिन भर सूरज की किरणें इस पर गिरती रहती थी। मैं भोर होने से काफी पहले तक अपने को जगाये रखती थी ताकि लोगों के उठने से पहले कुछ घंटे शांत अकेले बिता सकूँ। मुझे अकेलेपन की जरूरत महसूस होती ताकि जो कुछ घटित हो रहा था उसके बारे में सोच सकूँ। अपनी कोठरी की किमी साथी कैदी को जगने से मुझे अतिक्रमण का बोध होने लगता था—ऐसा लगता था जैसे मेरी निजी नीरवता को भंग करने का उसे कोई हक नहीं था। कभी-कभी मैं अमलेन्दु के बारे में सोचती थी। मुझे उसका या अन्य किसी का जमशेदपुर से आने के बाद से कोई समाचार नहीं मिला।

पिछले छः महीनों से धारिषा नहीं हुई थी। एक दिन मैंने ब टाइम्स के कुछ अकों को देखते समय एक समाचार पढ़ा कि दो महीनों तक धारिषा न होने के बाद सफोलक को सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मैं यह सोचकर हैरान थी कि यदि ब्रिटेन की नदियाँ, कुएँ, तालाब, सोते तथा पानी के अन्य स्रोत सूख जायें—जैसा बिहार के कुछ जिलों में हुआ है—तो क्या हालत होगी।

उस वषर् मैंने सात छात्राओं के साथ ईस्टर मनाया। सरकार-विरोधी आंदोलन के दौरान हजारीबाग में गिरफ्तार महिलाओं के पहले जर्घे में वे छात्राएँ थीं। इनमें काफी जीवन्तता और जुझारूपन था लेकिन बहुत थोड़े समय तक इन्हें जेल में रहना पड़ा। वे अच्छे मध्यवर्गीय परिवार की लड़कियाँ थी और उन्हें जल्दी जमानत पर रिहा कर दिया गया। जाते समय उन्होंने वायदा किया था कि वे मुझसे जरूर मिलेंगी, पर मैं जानती थी कि उन्हें इसकी अनुमति कभी नहीं दी जायेगी।

मई के प्रारम्भ में ब्रिटिश वाणिज्य दूत—जिन्हें अब मेरे मामले की जिम्मेदारी दी गयी थी—मुझसे यह बताने आये कि वे छुट्टी पर इंग्लैण्ड जा रहे हैं और मेरे माता-पिता से मिलने की कोशिश करेंगे। मैं उनकी काफ़ी कृतज्ञ थी क्योंकि अब तक यदि कोई भी व्यक्ति छुट्टी बिताने इंग्लैण्ड गया था तो उसने मेरे ऊपर कभी यह अनुग्रह नहीं किया था। मैंने अपनी माँ के लिए दो तस्वीरें बनायी थीं, जिन्हें माँ तक पहुँचाने के लिए वह राखी हो गये। बाद में स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर ने उन तस्वीरों को 'जाँच' के लिए अपने पास रख लिया और उन्हें डाक से भेजने का वायदा किया। लेकिन वे तस्वीरें मेरी माँ तक कभी नहीं पहुँच सकीं।

वाणिज्य दूत ने इस बात की पुष्टि की कि जमशेदपुर जेल में 'जरूरत से ज्यादा भीड़ और चेपक का प्रकोप' होने की वजह से मेरे मुकदमे को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिल डिमोक और ह्यू फोस्टर् के नेतृत्व में इंग्लैण्ड में मेरे मित्रों ने एक समिति बनायी है जो मेरी रिहाई के लिए आंदोलन करेगी। पिछले कई महीनों से मुझे इतनी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली थी।



## आंदोलन

बिहार के उन भीषण गर्मी भरे दिनों में सारे समाचारपत्र एक जैसी सनसनी-खेज खबरों से भरे रहते थे। पटना के अखबारों में दंगों, हड़तालों, प्रदर्शनों, गोलीकांडों, बीमारियों, महामारी और अकाल की खबरें रोजाना रहती थी और वे इतनी आम हो गयी थीं कि हर रोज अखबार पढ़ते समय यही लगता था जैसे कल का पुराना अखबार पढ़ा जा रहा हो। मई १९७४ में रेल-मजदूरों की हड़ताल ने विपक्ष से निपटने के केन्द्र सरकार के तरीके का एक नया रूप पेश किया। हड़ताल शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व, जिस समय सरकार और यूनियन के बीच बातचीत सही अर्थों में चल रही थी, रेल मजदूरों के नेताओं को एक दिन अचानक मोर में उनके घरों पर छापा मारकर अप्रत्याशित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य लोगों के साथ कई हफ्तों तक उनसे किसी का सम्पर्क नहीं होने दिया गया। मुझे नहीं पता कि सरकार सचमुच यह समझती थी कि इस कार्रवाई से हड़ताल रुक जायेगी, लेकिन सरकार का इरादा चाहे जो भी रहा हो इस हरकत का जनता पर उलटा प्रभाव पड़ा। पूर्व निर्धारित समय पर हड़ताल शुरू हुई और बीस दिनों तक चलती रही। इस दौरान पचास हजार रेल मजदूर जेलों में डाल दिये गये, घरना देने वालों पर पुलिस ने गोलियाँ चलायी और रेल-मजदूरों की पत्नियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को पीटा गया, परेक्षान किया गया और उन्हें मकानों से निकाल बाहर किया गया। बाद में ट्रेनों को चलाने के लिए सेना की मदद ली गयी और हड़ताल को तोड़ने में सरकार को सफलता मिल गयी। हड़ताल के दौरान जो मजदूर सरकार के प्रति 'निष्ठावान' थे उन्हें पुरस्कार के रूप में बोनस का भुगतान किया गया और उनके परिवार के सदस्यों को उन लोगों के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया जो गिरफ्तार किये गये थे या पुलिस की गोली के गिकार हुए थे।

दिन-रात हजारीबाग जेल में रेल-कर्मचारियों के नारे लगाने की आवाजें

गूंजती रहती थीं। मई में शुरू से लेकर आखिर तक हड़तालियाँ, छात्रो, वकीलो, अध्यापकों तथा अन्य बुद्धिजीवियों को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीमा) और भारत रक्षा अधिनियम (डी० आई० आर०) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता रहा। जैसे-जैसे जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ती गयी खाने-पीने के सामानों की दिक्कतें भी दिन-ब-दिन बढ़ती गयी और जिन कैदियों को ढेर सारे काम करने पड़ते थे वे पहले की तुलना में ज्यादा कमजोर और थके दिखायी देने लगे। उनका कहना था कि उन्हें इतनी कठिन मेहनत करनी पड़ रही है कि हर रात उन्हें खाने, नहाने या सोने के लिए कुछ ही घंटे मिलते हैं। पटना में राज्य सरकार ने विस्फोटक स्थिति पर काबू पाने की कोशिश में अपने मंत्रिमण्डल में कुछ फेर-बदल की, लेकिन यह वैसे ही था जैसे शतरंज के खेल में कुछ मोहरों को इधर से उधर कर दिया गया हो। कहीं भी किसी तरह का बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया था।

जून शुरू होते-होते हम लोगों के साथ और दो महिलाएँ रख दी गयीं। इनमें एक प्रोफेसर थी और दूसरी किसी स्कूल की हैड मिस्ट्रेस। शुरू में तो वह प्रोफेसर महिला मुझसे बात करने में हिचकिचाती थी क्योंकि उसकी धारणा यह थी कि नक्सलवादी हिंसा का प्रचार करते हैं लेकिन बाद में वह मुझे काफ़ी पसंद करने लगी। प्रोफेसर महिला ने मुझे बताया कि वह अपने छात्रों का एक प्रतिनिधि-मण्डल लेकर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गयी थी ताकि बिहार की अत्यंत भीषण स्थिति से और व्यापारियों तथा बड़े किसानों की ज़खीरेबाज़ी के कारण अकाल के फगार पर खड़ी जनता के दुःख-दर्द से वह प्रधानमंत्री को अवगत करा सके। कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद श्रीमती गांधी उससे मिलने पर राजी हुईं। बिहार की स्थिति के बारे में इस प्रतिनिधि-मण्डल का बयान और जनता की मदद के लिए किये गये अनुरोध के जवाब में श्रीमती गांधी ने कहा कि गरीबी की यह खबरें बढ़ा-चढ़ाकर बतायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कई सभाओं में मैंने देखा है कि भारी संख्या में लोग नये-नये कपड़े पहनकर और कंधे में ट्रांजिस्टर सटकाकर घूमते हैं।

श्रीमती गांधी से इस तरह की बातें सुनने के बाद ही मेरी वह प्रोफेसर मित्र अपने छात्रों के साथ पटना लौट आयी और उसने फैसला किया कि १४ मई के विशाल प्रदर्शन में वह भाग लेगी। यह प्रदर्शन ही सही अर्थात् उस आंदोलन की शुरूआत था जो समूचे बिहार में फैल गया और सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद वर्ष के शेष महीनों में वह निरंतर तेज़ होता चला गया। उस महिला प्रोफेसर ने मुझे बताया कि किस तरह उस दिन सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने अपनी जीपें दौड़ा दी थीं और शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों

पहले मस्जिदों की देगकर उसका चेहरा अरुचि से भर जाता था। उसने अपनी चार-पाई पर कीटनाशक दवाओं को छिड़कने से मना किया था और चारपाई के सूराम्यों में छिपे छतमलों को मारने से बेहतर वह यह समझती थी कि वे रात में उसका घून चूँ। यह एक धनी परिवार की थी और उसे कभी अपने घर पर दंग तरह की

कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। शायद यही कारण था कि वह धर्म के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रख सकी थी।

सरकार-विरोधी प्रदर्शन में इन अपेक्षाकृत समृद्ध मध्यवर्गीय परिवार की महिलाओं के शामिल होने के पीछे क्या उद्देश्य था—मैंने इसका विश्लेषण करने की कोशिश की। ये औरतें अन्य कैदियों के प्रति सद्भावनापूर्ण होने के बावजूद उन्हीं पुरानी धारणाओं का शिकार थी कि शारीरिक श्रम एक अपमानजनक काम है और गरीब तथा अपढ़ लोग उनकी सेवा करने और उनके आदेशों का पालन करने के लिए बनाये गये हैं। ये औरतें अन्य औरतों की समस्याओं में शामिल होने की अपनी जिम्मेदारी नहीं सहस्र करती थी। इसी मुद्दे पर वे कल्पना या बीना से भिन्न थी। इन औरतों ने कभी यह भी नहीं सोचा कि उनके पास ज्ञान का जो भंडार है उससे वे अपने आस-पास रहने वाली औरतों को लाभान्वित करें। मैंने देखा था कि बहुधा वे भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बातें किया करती थी और इस नतीजे पर पहुँचती थी कि वे सही अर्थों में देश-भक्त हैं क्योंकि वे भारत के सम्मान पर कोई आँच आने देना नहीं चाहती और अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उसके भिद्यारी रूप से और भ्रष्टाचार से सराबोर रूप से उन्हें नफरत है। उन्होंने आंदोलनों में इसलिए हिस्सा लिया था ताकि वे स्थानीय व्यापारियों के गोदामों में शलत ढंग से जमा की गयी चीजों को बाहर निकाल सकें। उनके खयाल से यह एक बड़ी शर्मनाक बात थी कि अनाज उपलब्ध होने के बावजूद जनता मूल से मर रही थी। अपने इन कार्यों के लिए वे जेलों में पड़ी थी और उन पर आरोप लगाया था कि जनता को विद्रोह करने के लिए उन्होंने भड़काया। उस वर्ष गर्मियों में बिहार में हजारों की संख्या में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से भी ये दोनों महिलाएँ थी। तमाम आंदोलनकारियों के साथ इन्हे भी उच्च न्यायालय में अपील करने पर रिहा कर दिया गया। बाद के महीनों में उस प्रोफ़ेसर महिला को तीन बार गिरफ्तार किया गया।

अपने आपसी मतभेदों के बावजूद मुझे उसके साथ रहने में काफी मजा आया और उसके जेल-प्रवास के अनेक फ़ायदे भी थे। जेल के ऑफ़िस में वह अपने छात्रों के साथ बैठकर घंटों बातचीत किया करती थी और बातचीत का उसका यह क्रम वापस जेल के अन्दर तथा जेल कर्मचारियों के साथ भी चलता रहता। इन सारी बातों को वह अंत में मुझसे बता देती थी। मेरे लिए यह एक खास दिलचस्प बात थी कि स्पेशल ब्रांच से लोगों ने उसे मुझसे घनिष्ठता कायम न करने की और मुझे कोई बात न बताने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक खतरनाक औरत हूँ और जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उस समय मेरे पास एक पिस्तौल और रियाल्वर थी। मेरी इस स्थिति को देखते हुए वह सहायक जेलर मेरे लिए काफी महत्त्वपूर्ण हो गया था जो देखने में बहुत रूखा और दुर्भावपूर्ण लगता था लेकिन मेरी चिट्ठियाँ लाने, ले जाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसने एक दिन प्रोफ़ेसर महिला को बतलाया कि मेरे कई पत्रों की अब तक वह फाड़कर फेंक चुका है। वैसे तो मुझे यह पता था कि मेरे द्वारा लिखे गये या मेरे पास भेजे गये पत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उन पत्रों का क्या किया गया इस बारे में मुझे पहली बार कुछ निश्चित रूप से पता चला।

उन गर्मियों में बहुत दिनों से बंद पड़े पास के रिफॉर्मेटरी स्कूल को दोबारा खोला गया ताकि उसमें कैदियों को रखा जा सके और इस स्कूल को 'हजारीबाग स्पेशल जेल' नाम दिया गया। लगता था कि आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए

असंख्य लोग चले आ रहे हैं। गिरफ्तारियाँ जारी रही। आंदोलन के बारे में मैं तरह-तरह से मोचा करती थी। आंदोलनकारियों की माँगें न्यायोचित थीं फिर भी मैं यह सोचती थी कि इनमें से अधिकांश इसलिए आंदोलन में शरीक हुए हैं क्योंकि साबुन से लेकर चीनी तक हर सामान की जबदस्त कमी के कारण और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण अब खुद मध्य वर्ग तकलीफ उठा रहा है। मुझे इस बात में संदेह था कि यदि उनकी तात्कालिक माँगें पूरी कर दी गयीं तो क्या वे उस विशाल जनता के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे जो आर्थिक संकट के इतना उग्र रूप लेने के काफी पहले से भ्रष्टमरी के स्तर का जीवन बिता रही है। यहाँ तक कि जेल में भी जब वे अपनी स्थितियों में सुधार के लिए बड़े जुझारूपन के साथ आंदोलन करते थे उस समय उनके अनेक साथी अन्य कैदियों की ओर भी बदतर हालत से अपनी आँखें बंद किये रहते थे।

कैदी महिलाएँ उन्हें 'आंदोलनकारी' कहती थीं और उनके बारे में अजीबोगरीब बात सोचा करती थी। उनका कहना था कि आंदोलन वाले लोग जल्द-के-जल्द में आते रहते हैं, अच्छा खाना और कपड़े के लिए माँग करते हैं और अधिक से अधिक कुछ सप्ताह बिताकर अधिकारियों से जो कुछ भी मिल पाता है उसे लेकर चल देते हैं। अन्य कैदी प्रायः मुझसे कहा करते थे कि ये लोग कभी गरीबों के लिए कुछ कर नहीं पायेंगे। मैंने महसूस किया कि खुले तौर पर इनकी आलोचना करना गलत होगा, लेकिन साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि स्पष्ट राजनीतिक विचार-धारा के बिना स्वतःस्फूर्त ढंग से चलने वाला इस तरह का आंदोलन भारत की समस्याओं का अंतिम तौर पर कोई समाधान ढूँढ सकता है—इसमें संदेह है। फिर भी आंदोलन के दौरान इसमें भाग लेने वाले छात्रों का बड़ी तेजी से राजनीतिकरण हुआ और उनमें जुझारू चेतना विकसित हुई। उनकी सहानुभूति के कारण ही उस वर्ष गर्मियों में नक्सलवादी बंदियों के पैरों में से बेड़ियाँ अलग की गयीं। इन छात्रों ने नक्सलवादी बंदियों की भूख-हड़ताल के समर्थन में जेल-अधिकारियों से बातचीत की और नारे लगाये, लेकिन यह विजय बड़ी अल्पकालिक थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा प्रबन्ध में ढील देने के बजाय और भी ज्यादा सख्ती किया जाना अनिवार्य था और इसीलिए लगभग पन्द्रह दिनों बाद हजारीबाग से कुछ सौ मील दूर मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा जेल तोड़ने की एक कोशिश के फलस्वरूप हजारीबाग के नक्सलवादी बंदियों के पैरों में फिर बेड़ियाँ डाल दी गयीं।

जेल से बाहर समूचे राज्य में रोज ही उथल-पुथल वाली घटनाएँ होती थीं और पुलिस तथा सेना के दस्ते इन उपद्रवों से निपटने के लिए पूरी तरह जूट गये थे। नक्सलवादियों पर वे पहले की ही तरह ध्यान दे रहे थे। एक दिन हमें मिलने वाले दैनिक समाचारपत्र के मुख्य शीर्षक को देखने से नक्सलवादी आंदोलन की प्रगति की जानकारी मिली। अखबार के शीर्षक को मैंसेर ने काली स्याही से अपठनीय बनाने की कोशिश की थी लेकिन दो इंच की लम्बाई-चोड़ाई के अक्षरों को हम बड़ी आसानी से पढ़ गये : भोजपुर में नक्सलवादी सुनौती का मुक़ाबला करने में सरकार असमर्थ। इसके कुछ ही सप्ताह बाद और भी खबरें आयीं—नक्सलवादियों ने पश्चिमी बिहार में भोजपुर जिले के हरिजनों और भूमिहीन किसानों के बीच अपनी अच्छी पीठ बना ली है और अपने अच्छे हमदर्द पैदा कर लिये हैं। कहा जाता था कि आंदोलन में भाग लेने वाले छात्र नक्सलवादियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं और मिलकर काम कर रहे हैं।

६ जून को पटना में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। प्रदर्शन की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् ५ जून को वे अर्धसैनिक टुकड़ियाँ, जिन्हें स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तैनात किया गया था, शहर की मुख्य सड़कों से गुज़रीं। ऐसा लगता था कि वे जनता को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे और यह बताना चाहते थे कि वे संघर्ष के लिए तैयार हैं। पटना जाने वाली सड़कों की नाकेबंदी कर दी गयी, रेलगाड़ियों को रोक दिया गया और नावों आदि को भी रोक दिया गया। तमाम लोग इस स्थिति की पहले से कल्पना करके कई दिन पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके थे। अन्य लोग मीलों पैदल चलकर प्रदर्शन में भाग लेने पहुँचे थे। काफ़ी एहतियात बरतने के बावजूद उस दिन एक लाख लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया और राज्य सरकार के इस्तीफ़े की माँग की तथा विधान सभा भंग किये जाने की आवाज़ उठायी। जेल में हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने और लोगों के मारे जाने की खबरें आयेंगी लेकिन सब-कुछ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो गया।

दूसरी तरफ़ जुलाई में, जेल में मनाया जाने वाला मेरा पाँचवाँ जन्मदिन बड़े अशांत वातावरण में सम्पन्न हुआ। रिफॉर्मटरी जेल में दंगे हो गये थे और बंदियों ने जेल के तमाम कागज़ात जला दिये थे। वे अपनी हालत में सुधार की माँग कर रहे थे। बंदियों से निपटने के लिए बिहार मिलिटरी पुलिस को बुलाया गया था। पटना के पास फुलवारी शरीफ़ कैम्प जेल में वार्डरों और क़ैदियों के बीच हुई मुठभेड़ों में १८ व्यक्ति घायल हुए थे और भागलपुर जेल में बंदी छात्रों को वार्डरों ने पीटा था। हमारी अपनी जेल में भी इन घटनाओं की दहशत के भरे समाचार पहुँचने लगे थे। एक बार फिर हमारे कमरों की ख़बर्दस्त तलाशी ली जाने लगी। मैं नहीं समझती थी कि इस तलाशी के दौरान वे सचमुच कुछ पाने की आशा कर रहे थे बल्कि सरकार का विरोध करने के कारण लोगों को सज़ा देने के लिए वे तलाशी का कार्यक्रम चला रहे थे।

इस उथल-पुथल के बीच अब इस बात की और भी कम आशा हो गयी थी कि हमारा मुकदमा कभी शुरू होगा। जमशेदपुर से यहाँ आये एक वार्डर ने हमें बताया कि जमशेदपुर जेल में एक हज़ार से भी अधिक क़ैदी पड़े हुए हैं। जिस कोठरी में मैं रहती थी उसमें तीस बूढ़े व्यक्तियों को बंद कर दिया गया था। हमारे लिए जो अदालत-कक्ष बनाया गया था, उसमें दो सौ क़ैदियों को बंद रखा गया था।

प्रोफ़ेसर के कमरे के ठीक बगल वाली कोठरी में एक-दूसरे मीसा बंदी को रखा गया था। यह बंदी सोशलिस्ट पार्टी की एक भूतपूर्व संसद-मदस्या थी। वह एक ज़मींदार घराने की महिला थी और उसने अपने खेतों को आधुनिक कृषि यंत्रों से सज्जित कर लिया था। बकौल उसके, खेती से होने वाली आय प्रति वर्ष ५० हज़ार रुपये थी। एक दिन उसने हमारी कोठरी के सामने के बगीचे की तरफ़ हाथ फैलाते हुए कहा, “क्या तुम इसे जेल कहती हो? यह जेल नहीं है। अपनी शादी के बाद के शुरू के आठ वर्षों में मुझे अपने भ्रमण के पीछे के दो कमरों और एक छोटे-से आँगन तक ही सीमित रहना पड़ा था।” विवाह के बाद का उसका अधिकांश समय सम्पन्न वर्ग की अनेक परम्परावादी हिन्दू औरतो की तरह ही परदे में बीता था। सौभाग्य से उसके पति ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे भ्रमण से बाहर क़दम रखने की इजाज़त दे दी और बाद में उसे राजनीति में हिस्सा लेने दिया।

यह औरत एक धर्मपरायण हिन्दू महिला थी और प्रतिदिन आँगन में टहलते समय हाथ में कोई धर्म-ग्रंथ लेकर काफी समय तक पढ़ती रहती थी। मैं उसकी शांतिप्रियता की प्रशंसा करती थी लेकिन अधिकांश दूररे राजनीतिक बंदियों की तरह वह हमारे प्रति हमदर्द होते हुए भी बहुत अलगाव में रहती थी और दूसरी और तोंके साथ धुलती-मिलती नहीं थी। अपने पहनावे में वह आडम्बरो से दूर थी हालाँकि उसकी साड़ी अत्यन्त उत्तम कोटि की हैंडलूम की बनी थी। वह बहुत चोड़ा खाती थी लेकिन जो भी खाती थी वह बहुत पौष्टिक और उत्तम होता था। कुछ वर्ष पहले वह एक संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल के साथ इंग्लैण्ड की यात्रा कर चुकी थी और उसने मुझे बताया कि इंग्लैण्ड से वापस आते समय वह अपने साथ एक टेलीविजन सैट लेती आयी थी। यह सैट उसके गाँव के मकान में वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर और कहीं भी टेलीविजन की सेवा नहीं है। मुझे यह वैभव और प्रतिष्ठा का अत्यन्त मनोरंजक प्रतीक लगा।

मार्च से अगस्त के बीच मैंने न तो अपनी डायरी में एक शब्द लिखा और न अपने परिवार के लोगों के पास ही कोई खत लिखा। मेरा दिमाग इतना परेशान था कि मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जमा पाती थी। ऐसा अवसर एक ही बार आया जब मैं लिखने के लिए बेचैन हो गयी और यह उस समय हुआ जब उस वर्ष मई में भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु-विस्फोट किया। इस घटना की विडम्बना से मुझे बहुत रोप आया। भारत में लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे, देश के केवल बीस प्रतिशत हिस्सों में ही सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी, रोगों का बोलबाला था और ऐसा लगता था कि इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। विश्व के देशों में भारत सबसे ज्यादा कर्जदार की स्थिति में था, अधिकांश गाँवों में विजली की तथा अधिकांश शहरों में पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, सत्तर प्रतिशत से ज्यादा आबादी निरक्षर थी और इन स्थितियों में परमाणु-विस्फोट किया जा रहा था तथा 'उपलब्धि' का दम भरा जा रहा था। सही तौर पर उपलब्धि उसी को मानेंगे जब इस परमाणु-विस्फोट से जनता का कोई फायदा हो।

जुलाई में एक दिन एक महिला वॉर्डर ने मुझको बताया कि पुलिस ने एक नक्सलवादी क़ैदी को गिरफ्तार करके उसे खीलते हुए पानी में डाल दिया। एक क़ैदी ने सुना कि जेल-सुपरिंटेंडेंट जेल के डॉक्टर को इसलिए डाँट रहा था क्योंकि उसने बीमार नक्सलवादियों को मेंहगी दवाएँ दी थी और इस प्रकार उन्हें सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनाया था। कलकत्ता की प्रेज़ीडेंसी जेल में, जहाँ कल्पना को रखा गया था, महिला नक्सलवादियों के ऊपर अत्याचार किये जाने के बारे में अखबारों में खबर छपी थी। कलकत्ता की तीन जेलों में ४२ नक्सलवादियों ने लगभग एक महीने तक भूख-हड़ताल की और वे यह माँग करते रहे कि उनकी स्थितियों में सुधार किया जाये। मैंने महसूस किया कि १९७१ में भी इसी तरह की तनावपूर्ण स्थितियाँ थीं और अखबारों में यह पढ़कर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि अब फिर पुलिस के साथ हुई 'मुठभेड़ों' में नक्सलवादियों को मारा जा रहा है।

अगस्त के शुरू के दिनों में हमें अपनी सन्जी की क्यारी के पास की झाड़ियों में एक दिल्ली का बच्चा मिला। मैं उसे उठा लायी और अपनी कोठरी की सलाखों से

उसे बाँध दिया। मैं उसे पालने की सोच रही थी। मैं समझती थी कि यदि इसे पालतू बना लिया गया और यह हमारे साथ रहने लगी तो चूहों को मारकर खा जायेगी, जो काफी बड़ी संख्या में हर साल हमारे आलू, टमाटर, सेम और मक्का आदि खा जाते हैं। मैंने उस बच्चे को दस दिनों तक बाँध रखा और हर रात उसकी माँ उसे दूध पिलाने आती रही। हर बार अपनी माँ से मिलने पर वह बच्चा बहुत दुखी स्वर में रोता रहता। आँगन के उस पार मोती की कोठरी थी और वह बिल्ली के बच्चे की चीख पर बहुत ध्यान देती थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि यह बच्चा कोई चुड़ैल है और भेष बदलकर आया है। यह उसका खयाल तब और पुष्ट हो गया जब बच्चे की माँ यानि बड़ी बिल्ली एक रात मोती की कोठरी में घुस गयी और तश्तरी में पड़ी कुछ चपातियाँ लेकर भाग गयी। इसके अलावा हम लोग इस बच्चे पर जितना ध्यान देते थे और उसे खाने-पीने के लिए जो कुछ देते थे उससे मोती को बहुत ईर्ष्या होती थी। हर रोज उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह अक्सर मेरी कोठरी के बाहर खड़ी होकर घंटों मेरी तरफ और उस बिल्ली के बच्चे की तरफ गुस्से से घूरती रहती थी।

एक दिन सवेरे मैं अपना बर्तन मलने नल तक गयी थी और बर्तन मलकर अपनी कोठरी की तरफ लौट ही रही थी कि तभी मुझे बड़ी भयानक चीख सुनायी पड़ी। अपनी अल्पमीनियम की तश्तरी फेंककर मैं तेजी से सीढियों की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि मोती अपनी गोद में उस बच्चे को लेकर बैठी है और उसके हाथ बच्चे की गर्दन के गिर्द जमे हुए हैं—वह उसका गला घोट देना चाहती थी। मुझे देखते ही उसने फ़ौरन बच्चे को छोड़ दिया और खीसें निकालती हुई बहुत भोलेपन का नाटक करते हुए वह बोली, “मैं तो बस इसे सहला रही थी। देखो न यह कितना प्यारा है।” मैं समझ नहीं पायी कि मैं क्या कहूँ। वह बच्चा अब इतना पालतू हो गया था कि उसे मैं मार नहीं सकती थी। दूसरी तरफ यदि मैं उसे अपने पास रखती हूँ तो बहुत सम्भव है कि मोती उसे फिर मार डालने की कोशिश करे। मैंने फ़ैसला किया कि फिलहाल इस सिलसिले में मैं कुछ न सोचूँ और साथ ही यह भी आशा की कि धीरे-धीरे मोती का गुस्सा ठंडा पड़ जायेगा।

लेकिन बरसात के मौसम की गर्मी और नमी तथा बिल्ली के बच्चे से पैदा चिड़ के कारण मोती का गुस्सा और बढ़ता ही गया। अबमर ऐसा होता कि वह इकट्ठा किये गये अपने सारे सामान, जैसे चिथड़ों, हेयरपिनों, कान की बालियों, रिबनों, रस्सी के पुराने टुकड़ों, मटर के सूखे दानों, मुड़ी-तुड़ी कीलों को वह बाँध लेती और फाटक तक पहुँच जाती। वहाँ खड़ी होकर वह लोहे की सलाखों को बड़ी देर तक ठोकती रहती और बाहर जाने की माँग करती। वह कहती कि “अब मैं घर जा रही हूँ। तुम कब तक मुझे यहाँ रखना चाहते हो? मैं अपने गाँव जा रही हूँ और दरवाजा खोल दो। मैं अब चली!” वह जोर-जोर से चीखती। एक रात की बात है—वह अपना सारा सामान हर बार की तरह बाँधकर जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही चीफ हेड वॉर्डर हमारी गिनती करके बाहर निकला वह भी उसके पीछे-पीछे जाने लगी। मैंने यह सोचा कि वॉर्डर अभी उसे देख लेगा और ‘भागने’ की कोशिश के ज़ुर्म में उसे मारने लगेगा। यह खयाल आते ही मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह तो मुझसे पहले से ही नाराज थी इसलिए उसने पलटकर मेरी कलाई मरोड़ दी। दुर्भाग्यवश वॉर्डर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने मुड़कर अपनी छड़ी से मोती को मारने की कोशिश की। फ़ौरन ही मोती नीचे झुक गयी और हाथ जोड़कर गिडगिड़ाने लगी, “नही मालिक, मुझे मत





जाति है। और आप क्या जानना चाहती हैं?" एक दिन उसने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, "दीदी, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। मैं अब जेल के बगीचे में काम करने जा रहा हूँ।" उसकी आँखों में आँसू थे। मैं जानती थी कि कुछ ही मप्ताह के अन्दर उसकी रिहाई होने वाली है और जेल में प्राप्त अपनी जानकारी का लाभ उठाकर वह रिहा होने के बाद एक डिस्पेंसरी खोलना चाहता है। इसलिए मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि उसे अस्पताल का काम छोड़कर बगीचे का काम करने में क्यों रुचि हो गयी। लेकिन ड्यूटी पर तैनात वॉर्डर हमें देख रहा था और मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकी।

जेल के सारे घोटालों को जानने में मुझे क्यादा समय नहीं लगा। अगले ही दिन हमें कुछ अन्य क्राँदियों ने बताया कि अस्पताल में रमेश के किसी प्रतिद्वंद्वी ने चीफ हेड वॉर्डर को घूस दिया था कि रमेश का तबादला किमी और विभाग में कर दिया जाये क्योंकि उसकी ईमानदारी से दूमरो की 'आमदनी' मारी जाती थी। बाद में हमारे वॉर्ड में जब डॉक्टर आया तो हमने उससे कहा कि रमेश की ओर से वह जेलर से बातचीत करे लेकिन डॉक्टर ने इन्कार में अपना मर हिला दिया और कहा, "आप लोग मुझसे क्या कराना चाहती हैं? मुझे अस्पताल में उसकी ज़रूरत है। वह अच्छा काम करता है लेकिन उसका तबादला चीफ हेड वॉर्डर और स्वयं जेलर ने किया है। यदि मैं इस सिलसिले में कुछ कहता हूँ तो उन्हें मेरा भी तबादला करने का एक बहाना मिल जायेगा।" हमने कुछ दिनों तक इन सारी घटनाओं पर आधे मन से विरोध किया और अस्पताल से मिलने वाली दवाओं तथा अन्य चीजों को लेने से इन्कार कर दिया लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हम दवाएँ ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। अन्ततः हमने खुद ही अपना विरोध-प्रदर्शन बंद कर दिया। हालाँकि मैं रमेश की मदद करना चाहती थी लेकिन उसकी ओर से कुछ भी कहने से डरती थी। मुझे पता था यदि मैंने उसके प्रति क्यादा चिंता दिखायी तो अधिकारियों को संदेह हो जायेगा और शायद वे रमेश को भी नक्सलवादी करार दें। यदि ऐसा हुआ तो जेल की शेष जिन्दगी उसे बेड़ियों में गुज़ारनी पड़ जायेगी।

हमने फिर रमेश को तब तक नहीं देखा जब तक उसकी रिहाई का दिन नहीं आ गया। उस दिन सवेरे उसने अपने ऊपर खतरा मोल लिया और हम लोगों से भी विदा लेने के लिए हमारे वॉर्ड में आया। हमें यह भी पता नहीं था कि उसका पूरा नाम क्या है और उसे किस लिए सजा दी गयी है लेकिन हम उसे अपना एक बहुत प्यारा दोस्त मानती थीं। जेल के अन्दर किसी की मुस्कान, किसी के दो-चार भीठे बोल या सद्भाव-प्रदर्शन जेल के बाहर की तुलना में, जहाँ बिना किसी रोक-टोक के आप मानवीय सम्बन्ध कायम कर सकते हैं, कहीं क्यादा अर्घ्यपूर्ण होता है।

राजकुमारी की रिहाई और सोमरी के तबादले के बाद मेरी कोठरी में दुलाली और कोरमी नाम की दो नौजवान औरतें मेरे साथ रहने लगीं। दुलाली जाति की हरिजन थी और वह जमशेदपुर से कुछ ही दूरी पर तबि की एक खान में नौकरी करती थी। वहाँ उसका काम शौचालय की सफाई करना था। उसे हरथा का प्रयास करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और यह बारदात तब हुई जब उसके मकान के बाहर सड़क पर कुछ लोग लड़ रहे थे और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उसकी उम्र ३५ से क्यादा नहीं थी और वह जवान दिखती थी

मारो।" लेकिन वॉर्डर ने अपनी छोड़ी चलानी धुरू कर दी थी और वह सगातार उसे मारता जा रहा था। इसके बाद उसे धक्के देते हुए वह कोठरी के अन्दर ठेलने लगा। यह बड़ा दर्दनाक दृश्य था। मोती बार-बार गिड़गिड़ा रही थी और उसका पैर छूने के लिए झुक रही थी तथा भोग्य मार्गने के अंदाज में उससे कह रही थी कि अब मारना बंद करे लेकिन ऐसा लगता था कि वॉर्डर के सर पर भूत सवार हो गया था। आखिरकार हमने किसी तरह हस्तक्षेप किया और उसे रोका, लेकिन तब तक वह कम-से-कम बीस बेंत मोती के हाथ, पैर और पीठ पर जड़ चुका था। वह घिसटती हुई अपनी कोठरी में गयी और किसी चोट घाये कुत्ते की तरह सगा-तार चीघती और कराहती रही। उसके समूचे यदन पर चोट के निशान पड़े हुए थे और दो दिनों तक उससे चला नहीं जा रहा था। जब भी वह वॉर्डर की आवाज सुनती, अपनी कोठरी के कोने में दुबक जाती और चारों तरफ से अपने ऊपर कम्बल ढाल लेती। अकेले शौचालय जाने में भी उसे डर लगता था और जब तक कोई उसके साथ नहीं जाता वह उस तरफ भी नहीं जाती थी। यह बराबर मुझसे कहती रहती कि "बेटे, देखना मुझे अब यह फिर न मारे।" मैंने उससे वायदा किया कि ऐसा नहीं होने दूंगी।

इस गारी घटना के लिए मैंने सुद को दोषी ठहराया। न मैं बिल्ली का बच्चा पालती और न मोती को गुस्सा आता और न वॉर्डर उसे मेरी कलाई मरोड़ते हुए देखता। इसके अलावा मैं वॉर्डर को मोती पर बेंत चलाने से रोक भी नहीं सकी थी। मेरी स्थिति यह हो गयी थी कि अब मैं जब भी उस वॉर्डर की तरफ देखती तो मेरी आँखों में जबर्दस्त नफरत होती। फिर भी यह सोचना बेकार था कि उसने यह महसूस किया हो कि मोती को मारकर कुछ फलत हुआ है। उसे केवल डंडे का कानून मालूम था। उसने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कौदियों पर काबू पाने के लिए डंडे के अलावा भी कोई कानून या तरीका हो सकता है। पुरुष और महिला वॉर्डरों में से किसी को भी जेल के क़ायदे-क़ानूनों के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं थी और उन्हें सतही तौर पर थोड़ी-सी क़वायद की ट्रेनिंग के अलावा और कुछ नहीं सिखाया गया था। इतने प्रशिक्षण के बाद उन्हें जेल की नौकरियों में भर दिया गया था और उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि अपने ऊँचे अफसरों की चिंता किये बग़ैर वे जैसे भी चाहे कौदियों को शांत रखें। उनसे कभी यह नहीं पूछा जाता था कि इस काम के लिए वे कौनसे तरीके अपना रहे हैं।

लगभग उन्ही दिनों की बात है जब चीफ़ हैड वॉर्डर का बहुत प्रिय किन्तु जेल के ऑफिस में काम करने वाला एक अत्यन्त दुष्ट आदमी चौदह दिन की पैरोल पर बाहर निकला। बताया जाता है कि वह अपने साथ नौ हज़ार रुपये लेकर गया जिसे उसने ग्यारह महीनों की अवधि में बचाया था। वॉर्डर महिलाएँ प्रतिमाह दो-सौ रुपये से अधिक कमा रही थी और जेलर की तनख़्वाह एक हज़ार रुपये से भी कम थी। उस व्यक्ति द्वारा नौ-हज़ार रुपये कमाये जाने की खबर के साथ ही मुझे यह भी पता चला कि जेल के इस भ्रष्ट ढाँचे में जो मेट ठीक नहीं बैठते थे, उनकी क्या हालत होती थी। अस्पताल से खाना और दवाएँ लेकर मरीजों के पास हर शाम जो कूदी आते थे उनमें रमेश नाम का एक कूदी था जिसे महिलाएँ बहुत पसंद करती थी क्योंकि वह अन्य कौदियों के विपरीत बड़ी ईमानदारी के साथ डॉक्टर के बताये नुस्खे के अनुसार दवाएँ लाकर रोगियों तक पहुँचा देता था। उससे जबभी किसी ने उसकी जाति पूछी तो उसने यही जवाब दिया, "मेरी जाति मनुष्य

जाति है। और आप क्या जानना चाहती हैं?" एक दिन उसने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, "दीदी, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। मैं अब जेल के बगीचे में काम करने जा रहा हूँ।" उसकी आँखों में आँसू थे। मैं जानती थी कि कुछ ही सप्ताह के अन्दर उसकी रिहाई होने वाली है और जेल में प्राप्त अपनी जानकारी का लाभ उठाकर वह रिहा होने के बाद एक डिस्पेंसरी खोलना चाहता है। इसलिए मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि उसे अस्पताल का काम छोड़कर बगीचे का काम करने में क्यों रुचि हो गयी। लेकिन ड्यूटी पर तैनात वॉर्डर हमें देख रहा था और मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकी।

जेल के सारे घोटालों को जानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। अगले ही दिन हमें कुछ अन्य कैदियों ने बताया कि अस्पताल में रमेश को किसी प्रतिद्वंद्वी ने चीफ हेड वॉर्डर को घूस दिया था कि रमेश का तबादला किमी और विभाग में कर दिया जाये क्योंकि उसकी ईमानदारी से दूसरों की 'आमदनी' मारी जाती थी। बाद में हमारे वॉर्ड में जब डॉक्टर आया तो हमने उससे कहा कि रमेश की ओर से वह जेलर से बातचीत करे लेकिन डॉक्टर ने इन्कार में अपना मर हिला दिया और कहा, "आप लोग मुझे क्या कराना चाहती हैं? मुझे अस्पताल में उसकी जरूरत है। वह अच्छा काम करता है लेकिन उसका तबादला चीफ हेड वॉर्डर और स्वयं जेलर ने किया है। यदि मैं इस सिलसिले में कुछ कहता हूँ तो उन्हें मेरा भी तबादला करने का एक बहाना मिल जायेगा।" हमने कुछ दिनों तक इन सारी घटनाओं पर आधे मन से विरोध किया और अस्पताल से मिलने वाली दवाओं तथा अन्य चीजों को लेने से इन्कार कर दिया लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हम दवाएँ ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। अन्ततः हमने खुद ही अपना विरोध-प्रदर्शन बंद कर दिया। हालाँकि मैं रमेश की मदद करना चाहती थी लेकिन उसकी ओर से कुछ भी कहने से डरती थी। मुझे पता था यदि मैंने उसके प्रति ज्यादा चिंता दिखायी तो अधिकारियों को संदेह ही जायेगा और शायद वे रमेश को भी नक्सलवादी करार दें। यदि ऐसा हुआ तो जेन की शेष जिन्दगी उसे बेड़ियों में गुज़ारनी पड़ जायेगी।

हमने फिर रमेश को तब तक नहीं देखा जब तक उसकी रिहाई का दिन नहीं आ गया। उस दिन सबेरे उसने अपने ऊपर खतरा मोल लिया और हम लोगों से भी विदा लेने के लिए हमारे वॉर्ड में आया। हमें यह भी पता नहीं था कि उसका पूरा नाम क्या है और उसे किस लिए सजा दी गयी है लेकिन हम उसे अपना एक बहुत प्यारा दोस्त मानती थी। जेल के अन्दर किसी की मुस्कान, किसी के दो-चार मीठे बोल या सद्भाव-प्रदर्शन जेल के बाहर की तुलना में, जहाँ बिना किसी रोक-टोक के आप मानवीय सम्बन्ध कायम कर सकते हैं, कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण होता है।

राजकुमारी की रिहाई और सोमरो के तबादले के बाद मेरी कोठरी में दुलाली और कोरमी नाम की दो नौजवान औरतें मेरे साथ रहने लगीं। दुलाली जाति की हरिजन थी और वह जमशेदपुर से कुछ ही दूरी पर ताँबे की एक खान में नौकरी करती थी। वहाँ उसका काम शौचालय की सफाई करना था। उसे हत्या का प्रयास करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और यह वारदात तब हुई जब उसके मकान के बाहर सड़क पर कुछ लोग लड़ रहे थे और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उसकी उम्र ३५ से ज्यादा नहीं थी और वह जवान दिखती थी

लेकिन वह सात बच्चों की माँ थी। उसके सबसे बड़े लड़के की शादी हो चुकी थी। वह दुबली-पतली और बेहद मजबूत तथा अडिगल औरत थी। उसने मुझे बताया कि दुर्भाग्यवश उसके पिता की सात बेटियाँ थी जिसकी वजह से वह अपनी लड़कियों की 'अच्छी' शादी नहीं कर पाये। जो भी उन्हें मिलता गया उसी से वे अपनी लड़कियाँ ब्याहते चले गये। दुलाली की शादी जिस व्यक्ति से हुई थी उसकी उम्र काफी थी और पहले से ही उसके पास एक पत्नी थी जिसे बच्चे नहीं हो रहे थे। सौभाग्य से वह व्यक्ति अपनी दोनों पत्नियों के प्रति काफ़ी भला था। दुलाली खुद अपने-आपको किसी भी मर्द से कम नहीं समझती थी और किसी तरह की बदतमीजी को वह बर्दाश्त नहीं करती थी। चूँकि वह और उसके पति दोनों काम करते थे और खान से लगे क्वार्टरों में रहते थे इसलिए उन्हें खाने-पीने की भी तकलीफ़ कभी नहीं हुई। उसने मुझे बताया था कि उसकी बहन को एक ही स्थान पर पच्चीस वर्षों तक काम करने तथा वॉनस का हक़दार होने के बावजूद अचानक एक दिन 'अयोग्य' घोषित कर दिया गया और एक रुपया भी मुआवजा दिये वगैरह उसकी छंटनी कर दी गयी।

बचपन से ही उसने महसूस किया था कि उसे अछूत समझा जाता रहा है, इसलिए वह इस बात हर सहमत नहीं हो पा रही थी कि उसके हाथ का बनाया खाना मैं खा सकूँगी। कई हफ़्तों तक वह अँगोठी के पास जाने में भी हिचकिचाती रही। जब मैंने उससे यह कहा कि मैं कुछ पढ़ना या सिलाई करना चाहती हूँ और तुम जाकर खाना बना दो तब वह बार-बार मुझसे पूछा करती थी कि किस तरह खाना बनाऊँ। अँगोठी पर कोई भी बर्तन चढ़ाने के बाद वह हर मिनट पर पूछती कि अब क्या करूँ। एक दिन मैंने उससे कहा, "देखो दुलाली, तुम यह नाटक मत करो कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आखिर तुम अपने सातों बच्चों को कैसे पालती हो? तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूँगी।" इसके बाद वह हमेशा बहुत अच्छा खाना बनाती रही।

एक दिन हमें थोड़ा दही दिया गया। साल में कभी किसी विशेष अवसर पर एक बार हमें दही दिया जाता था और वह भी पानी से भरा रहता था। मैं किसी काम में लगी थी और मैंने दुलाली से कहा कि वह अपना हिस्सा लेने के साथ मेरा हिस्सा भी लेती आये। जब वह दही लेने गयी और उसने मेरे हिस्से की माँग की तो ड्यूटी पर तैनात वॉर्डर ने उसे झिड़क दिया, "तुम क्या समझती हो कि टाइलर किसी मेहतरानो के हाथ का छुआ दही खायेगी?" यह एक अच्छी बात थी कि वह आदमी इतना कहकर चला गया वरना मैं उसे बहुत साफ़ शब्दों में बताती कि उसकी इस टिप्पणी का क्या अर्थ है। जेल के अन्य कर्मचारियों की तरह हरिजनों के खाने को वह भले ही इतना गंदा समझता हो लेकिन उनके द्वारा दी गयी घूस को लेने में उसे हमेशा खुशी ही होती है।

दुलाली को बचपन से ही दूसरों का जूठन मिलता रहा इसलिए उसने कभी कोई चीज़ बर्बाद नहीं की। प्लेट में छोड़े गये बीज, छिलके या अन्य किसी भी चीज़ को वह साफ़ कर जाती थी। उसकी दृष्टि में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे फेंका जाये—जला हुआ खाना वासी खाना या सड़ा हुआ खाना। बस शर्त यह होनी चाहिए कि उसका असर जहरीला न हो। जब भी कोई गंदा काम करना होता, वॉर्डर महिलाएँ दुलाली को ही बुलाती। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसके अन्दर जुगुप्सा पैदा हो। दूसरी तरफ़ उसे खून से सने कपड़े साफ़ करने और शौचालय साफ़ करने तथा दूसरों की उलटियाँ हटाने में कुछ भी आपत्तिजनक

नहीं लगता था। वह इसे बड़े सहज ढंग से लेती थी। उसने मुझे बताया था कि कुछ लोगों के यहाँ से जब वह काम करके चली जाती थी तो वे अपने घर को 'शुद्ध' करने के लिए धोते थे। मजदूरी की बात यह थी कि जेल में अब तक मेरी जिनसे मुलाकात हुई थी उनमें यही औरत ऐसी थी जो बेहद साफ-सुथरी रहती थी। महज कपड़े के एक टुकड़े और ठंडे पानी से वह फर्श को रगड़-रगड़कर उसमें चमक पैदा कर देती थी। उसे सबसे अधिक गुस्सा तब आता था जब किसी वजह से उसके रोज के नहाने के कार्यक्रम में बाधा पड़ती थी।

कोरमी एकदम दूसरी तरह की औरत थी। वह बड़ई जाति की एक हिन्दू औरत थी और अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत सतर्क रहती थी। जहाँ तक मैं जान सकी, सामाजिक मर्यादा के लिहाज से उसकी बीच की श्रेणी की जाति थी। जब हम लोग साथ बैठकर खाना खाते थे तो वह कभी-कभी कह दिया करती थी, "जेल से बाहर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। हम लोग केवल ब्राह्मणों और राजपूतों के हाथ का ही बनाया खाना खाते हैं।" दुलाली एक औद्योगिक क्षत्र में रहती थी। हफ्ते में कई बार सिनेमा जाती थी और हवाई जहाजों, गगनचुम्बी इमारतों तथा तरह-तरह की मशीनों के बारे में उसे अच्छी तरह पता था, लेकिन कोरमी आज तक एक बार भी 'सिनेमा' नहीं गयी थी और न तो उसने रेलवे लाइन या बस ही देखी थी। गरीबी से मजबूर होकर उसने घर से बाहर पैर रखा था और एक स्थानीय किसान के खेत पर या सरकार की सहायता योजनाओं पर उसे आश्रित रहना पड़ा था। स्वाभाविक था कि ऐसे वातावरण में पलने के कारण वह संकीर्ण विचारों वाली हो गयी थी। लेकिन इसके बावजूद वह एक सुहृदय और विश्वसनीय महिला थी। काम करने में वह सुस्त जरूर थी लेकिन बहुत कुशल थी।

कोरमी की जिन्दगी बहुत दुःख-भरी थी। उसे पाँच बच्चे पैदा हुए लेकिन एक भी जिंदा नहीं रहा। उसकी उम्र अभी बीस वर्ष से बहुत ज्यादा नहीं हुई थी तभी उसके पति की मृत्यु हो गयी। बिहार के उस हिस्से में प्रचलित तौर-तरीकों के अनुसार उसे उसके देवर ने रख लिया और अपनी दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया। अपने देवर के साथ रहने की कोरमी की इच्छा नहीं थी लेकिन उसके सामने दूसरा कोई चारा भी नहीं था—एक स्थानीय जमींदार से उसके पति ने कर्ज के रूप में कुछ रुपये लिये थे और बिना चुकता किये ही उसकी मृत्यु हो गयी थी। जमींदार चाहता था कि अपने रूपों के बदले वह कोरमी को हासिल कर ले और किसी वैश्यालय को बेच दे। यही वजह थी कि कोरमी अपने देवर के साथ रहने के लिए राजी हो गयी। कुछ ही दिनों बाद वह फिर गर्भवती हो गयी लेकिन उसकी सौत ने ईर्ष्या के कारण उसे गर्भपात कराने के लिए उकसाया। कोरमी ने सोचा कि इस बार फिर बच्चे के मरने का दुःख डोना पड़ेगा और वह गर्भपात कराने के लिए राजी हो गयी। उसकी सौत को अपनी योजना सफल होते देख बड़ी खुशी हुई और उसने सोचा कि अब कोरमी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जायेगा। उसने स्थानीय पुलिस को सारे मामले की सूचना दे दी और कोरमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उसे कभी-कभी पेट में भयंकर पीड़ा होती थी और उसकी वजह शायद यह रही होगी कि गर्भपात कराने में सावधानी नहीं बरती गयी थी तथा गर्भपात के बाद के दिनों में जिन चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत होती है वे नहीं मिली थी। मानसिक रूप से उसके अस-मन्वित होने का कारण वे अनुभव थे जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा था। बहुधा रात में

वह जग जाती थी और मुझे बूलाकर अपनी नाड़ी देखने के लिए कहती थी। वह बताती थी कि उसका दिल बुरी तरह घडक रहा है। लगभग हर रात मैंने उसे नींद में बड़बड़ाते हुए सुना था। एक दिन उसने बड़े साफ शब्दों में मुझसे कहा कि वह जेल से बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि जब तक वह जेल के अन्दर है इस बात की तो उसे कम-से-कम गारंटी है ही कि वह गर्भवती नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर मेरी और भी हमदर्दी बढ गयी।

अन्य गुणों के अलावा उसके पास ग्रामीण जनश्रुतियों का भंडार था। वह यह मानती थी कि उसके बच्चों को कोई चुड़ैल या जाती थी और उसकी सास की मृत आत्मा ने उसके पति को चेचक से मार डाला। उसने पूरी गम्भीरता के साथ हम लोगो को बताया कि उसके 'देश' में औरतों के पेट से लोकी, कद्दू, हाथी और साँप पैदा हो चुके हैं। हालाँकि उसकी बातें सुनकर मैं और दुलाली हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाती लेकिन बाद में मैंने उसकी इस अविश्वसनीय कहानी का अर्थ निकालना चाहा और मैं इस नतीजे पर पहुँची थी कि अविषसित भ्रूण तथा बेडौल बच्चे को देखकर ही गाँव की औरतें तरह-तरह से अटकलें लगाती थी।

एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे पता चला कि जाति-प्रथा के बारे में मेरी कितनी कम जानकारी है। उस दिन सबेरे पानी के नल पर कोरमी एक औरत से झगड़ रही थी कि इस बीच दुलाली उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ी। कोरमी ने उस औरत से लड़ाई बंद करके फौरन दुलाली की ओर रुख कर लिया और सारा गुस्सा उस पर उतारने लगी। दुलाली कभी अनुचित आक्रमण को वर्दाशत नहीं करती थी और इस झगड़े का अन्त कोरमी के चेहरे पर दुलाली के चपपट से हुआ। इसका असर बड़ा नाटकीय पड़ा। हालाँकि दुलाली ने जोर से नहीं मारा था पर कोरमी जोर-जोर से रोने लगी। सारे दिन वह सुबकियाँ लेती रही। दुलाली ने मुझसे कहा कि मैं जाकर उसकी तरफ से माफ़ी माँग लूँ और कोरमी को चुप करा दूँ। मैंने इसकी कोशिश भी की लेकिन सफलता नहीं मिली। दुलाली के बताने पर ही मैं समझ पायी कि इतनी बुरी तरह रोने का कारण क्या है। दरअसल उसे जोर से चोट नहीं लगी थी—उसे तकलीफ़ इस बात की थी कि एक ऊँची जाति के हिन्दू को एक हरिजन ने मार दिया। उसके अहंकार पर यह एक जबर्दस्त तमाचा था। यह सुनकर मैं सन्न रह गयी। मैंने सोचा था कि बीच-बीच में कोरमी की चुटकियों के अलावा हम तीनों जाति-पाँति के भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं। हम एक साथ खाना बनाते थे और एक साथ रहते थे, एक-दूसरे के कपड़े पहनते थे और एक ही बर्तन तथा उन्ही कम्बलों से काम चलाते थे। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि जाति को लेकर कोरमी के दिमाग में अभी तक अहंकार की इतनी प्रबल भावना है। बाद में उसने अपनी इस अशांत मानसिक स्थिति पर काबू पा लिया लेकिन इसके लिए उसे तमाम तरह की सफाई दी गयी और उसकी खुशामद की गयी। इतना ही नहीं, दुलाली की ओर से उसके पाप के लिए बड़े साफ शब्दों में माफ़ी माँगी गयी जबकि उसने कोई 'अपराध' नहीं किया था।

महिला क़दियों में से अनेक ने इससे पहले कभी भी डबल रोटी नहीं देखी थी। जेल के बीमार क़दियों के लिए, जो मटर नहीं पचा सकते थे, रोटी दी जाती थी और यह भूरी, खट्टी तथा प्रायः अधपकी होती थी लेकिन इन सबके बावजूद वे उसे विलासता की चीज मानते थे। एक बार कोरमी के बीमार पड़ने पर डॉक्टर ने नापते के रूप में पाँच दिनों तक डबल रोटी खाने को कहा। मैंने देखा कि उस

रोटी को खाने की बजाय वह एक कपड़े के टुकड़े में लपेटकर रखती जा रही थी। मेरे कारण पूछने पर उसने बताया कि वह रोटी के इन टुकड़ों को अगली तारीख पर अपने साथ अदालत ले जायेगी और इसे अपने लडके को दे देगी। मैंने उसे याद दिलाया कि अगली तारीख आने में अभी तीन हफ्ते की देर है और तब तक यह रोटी पत्थर की तरह सख्त हो जायेगी। उसने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका लडका रोटी के इन टुकड़ों को पानी में भिगोकर खा लेगा—इससे कम-से-कम उने रोज़ जो खाने को मिलता है उससे अच्छी चीज़ ही मिल जाएगी। वह इसे एक आनंददायक चीज़ समझेगा। अगली बार जब वह अदालत गयी तो अपने साथ वह न केवल रोटी बल्कि थोड़े-थोड़े करके बचाये गये सारे पैसे भी ले गयी जिससे उसका लडका नये कपड़े खरीद सके।

हज़ारीबाग जेल में मुझसे पहले जो कैदी रह रहे थे उनमें बिरभी नाम की एक औरत थी जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी और जो देखने में काफ़ी बूढ़ी लग रही थी। वह भी राजकुमारी की ही जाति की थी। स्वभाव से वह बहुत संकोची थी और रोज़ाना के इन झगड़ों में वह नहीं पड़ती थी कि कौन पहले खाना पकायेगा या किसको साबुन का सबसे बड़ा टुकड़ा मिल गया अथवा खाना बनाने में मदद कौन करेगा आदि-आदि। इसलिए वह हमेशा कतार में सबसे पीछे खड़ी रहती थी। उस वर्ष मार्च में जेल में ही उसके पति की मृत्यु हो गयी थी। वे दोनों चार साल से अधिक समय से जेल में पड़े थे और ज़मीन के एक झगड़े के निपटारे का इंतज़ार कर रहे थे। उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक खेत में से—जिसे वे अपना कहते थे—धान की फ़सल काट ली जबकि गाँव के एक धनी किसान का कहना था कि यह उसका खेत था। अपने 'बुढ़ऊ' की मृत्यु के बाद बिरभी बहुत दयनीय और परेशानहाल हो गयी थी। मैंने देखा कि राशन में मिलने वाला अपना सारा चावल वह बचा लेती थी क्योंकि आजकल एक बार फिर आटा मिलने लगा था। वह केवल दो चपातियों पर अपना सारा दिन गुज़ार देती थी। साबुन और तेल बेचने में भी वह सबसे आगे रहती थी। उसने कभी अपने बचाये गये पैसे से न तो खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ खरीदी और न नये कपड़े बनवाये और न नयी चूड़ियाँ या नाखून पर लगाने के लिए पालिश वगैरह खरीदी जैसा कि अन्य महिलाएँ किया करती थी। मैंने सोचा कि शायद वह अपने मृत पति तथा घर पर पड़ी लडकी की चिंता में घुलती जा रही है और यह सोचकर मैंने उससे ठीक से खाने-पीने का अनुरोध किया। हर रोज़ कीमतों में वृद्धि के कारण बचत करने का कोई अर्थ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि यदि वह कुछ रुपयों के साथ जेल से बाहर निकल भी गयी तो उतने पैसे में कोई भी चीज़ नहीं खरीद पायेगी। कम-से-कम वह एक साड़ी खरीदकर अपनी लडकी के लिए बचा कर रख सकती थी। मेरा खयाल था कि बार-बार मेरे द्वारा तंग किए जाने से उसने अंतिम तौर पर फ़ैसला किया कि वह अपने इस कमसुर्चीलिपन का कारण बतायेगी।

उसने बताया कि जेल छोड़ने के बाद उसके ऊपर ढेर मारे राखें आ पड़ेंगे। अपने पति की मृत्यु के बाद धार्मिक अनुष्ठानों के न हो पाने से उसे इन अनुष्ठानों पर पैसा खर्च करना होगा। उसे एक यक़रे की बलि देनी होगी। स्थानीय ब्राह्मणों को खिलाना होगा और उन्हें दान-दक्षिणा देनी पड़ेगी। इसके अलावा गाँव के मुखिया को और पंचायत को पैसे देने होंगे तथा समूचे गाँव को एक दावत देनी होगी जिससे जेल आने के कारण उसकी नष्ट हो गयी जाति को पवित्र बना दिया



वह जग जाती थी और मुझे बुलाकर अपनी नाडी देखने के लिए कहती थी। बताती थी कि उसका दिल बुरी तरह धडक रहा है। लगभग हर रात मैं नींद में बड़बड़ाते हुए सुना था। एक दिन उमने बड़े साफ शब्दों में मुझसे कहा वह जेल में बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि जब तक वह जेल के अन्दर बात की तो उसे कम-से-कम गारंटी है ही कि वह गर्भवती नहीं होगी।

वातें सुनकर मेरी और भी हमदर्दी बढ गयी। अन्य गुणों के अलावा उसके पास ग्रामीण जनश्रुतियों का भंडार था। मानती थी कि उसके बच्चों को कोई चुड़ैल सा जाती थी और उनकी मृत आत्मा ने उसके पति को चेचक से मार डाला। उसने पूरी गम्भीरता हम लोगों को बताया कि उसके 'देश' में औरतों के पेट से लीकी, कद्दू, सॉप पैदा हो चुके हैं। हालाँकि उसकी बातें सुनकर मैं और दुलाली लोट-पोट हो जाती लेकिन बाद में मैंने उसकी इस अविश्वसनीय कहाँ निकालना चाहा और मैं इस नतीजे पर पहुँची थी कि अविकसित बेटौल बच्चे को देखकर ही गाँव की औरतें तरह-तरह से अटकलें लगाएँ।

एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे पता चला कि जाति मे मेरी कितनी कम जानकारी है। उस दिन सबेरे पानी के नल औरत से झगड रही थी कि इस बीच दुलाली उसे शांत करने के कोरमी ने उस औरत से लड़ाई बढ करके फौरन दुलाली की ओर और सारा गुस्सा उस पर उतारने लगी। दुलाली कभी अव्यपष्ट नहीं करती थी और इस झगडे का अन्त कोरमी के यत्न से हुआ। इसका असर बडा नाटकीय पडा। हालाँकि नहीं मारा था पर कोरमी जोर-जोर से रोने लगी। सारे (दुलाली ने मुझसे कहा कि मैं जाकर उसकी तरफ) कोरमी को चुप करा दूँ। मैंने इसकी कोशिश भी की लेकिन दुलाली के बताने पर ही मैं समझ पायी कि इतनी बुराई है। दरअसल उसे जोर से चोट नहीं लगी थी—उसे एक ऊँची जाति के हिन्दू को एक हरिजन ने मार दिया। एक जबर्दस्त तमाचा था। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। बीच में कोरमी की चुटकियों के अलावा हम तीनों ऊपर उठ चुके हैं। हम एक साथ छाना बनाते हैं। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि जाति को लेकर अहंकार की इतनी प्रबल भावना है। बाद में दुलाली स्थिति पर काबू पा लिया लेकिन इसके लिए उसे और उसकी खुशामद की गयी। इतना ही नहीं, मैंने बड़े साफ शब्दों में माफी माँगी गयी जबकि वह था।

महिला कँदियों में से अनेक ने इससे पहले ही। जेल के बीमार कँदियों के लिए, जो मटर न थी और यह भूरी, लट्टी तथा प्रायः अधपकी होती वे उन्हें विलासिता की चीज मानते थे। एक बार को ने नारते के रूप में पाँच दिनों तक डबल रोटी खाने



## धर्तिगना

मेरी दृष्टि से उस बार की यात्रा काफी आनंददायक रही। पुलिस दस्ते के इंचार्ज उस नौजवान अफसर ने जीप में मुझे अपने बगल में अगली सीट पर बैठने दिया। तेज रफतार से भाग रही जीप के कारण बरसाती शाम की ठंडी हवा मेरे फेफड़ों तक पहुँच रही थी और मुझे बेहद सुकून मिल रहा था। इसके विपरीत मेरे सह-प्रतिवादियों को इस बार और बाद में हर बार एक जेल से दूसरी जेल तक की यात्रा बड़ी कष्टदायक होती थी। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर ले जाया जाता था और दो-दो व्यक्तियों का जोड़ा बनाकर उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाती थीं फिर कमर में रस्सी डालकर चार लोगों को एक साथ बाँधा जाता था। ऐसी हालत में उन्हें किसी तरह ठँस-ठँसकर ऐसी जगह भरा जाता था जो इनकी आधी संख्या के लिए बने थे। उनके सारे सामान उनके ऊपर फेंक दिये जाते थे। जिन लोगों को यात्रा से घबराहट होती थी उनके लिए तो यह और भी कष्टप्रद अनुभव होता था।

बीना मेरे आने का इंतजार कर रही थी लेकिन मेरे पहुँचने तक रात हो चुकी थी और मैं सलाखों के इस पार से ही उसका अभिवादन कर सकी। उसकी कोठरी में चालीस औरतें तथा दर्जन भर बच्चे थे। दूसरे दिन सबेरे वह मेरे लिए सँजोकर रम्बे अपने उपहार लायी—उसे लगभग १५ दिन पूर्व स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर दो मिठाइयाँ मिली थी जिसे उसने बचा रखा था। अब वह 'मेटिन' हो गयी थी और पहले से ज्यादा दुबली तथा गम्भीर दिख रही थी। उसने मेरा हाथ याम लिया और अन्य कैदियों को मुझे दिखाने ले चली। मैंने शीर किया कि उन दिनों की अपेक्षा अब काफी सहज वातावरण था, जब मेटिन के रूप में यहाँ वह कुटनी थी। दस महीने बीत गये थे लेकिन गुलाबी बुढ़िया अभी भी वही थी। हीरा का छोटा बच्चा अब एक साल से कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था लेकिन वह दुबला-पतला ही था। कुछ ही दिन पहले वह खसरा से भरते-भरते बचा था।

जाये और जाति में शामिल कर लिया जाये। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह कुजात मान ली जायेगी, किसी के घर में वह प्रवेश नहीं कर सकेगी और न ही अपने घर किसी को बुला सकेगी। कुएँ से दूसरे लोग पानी लाकर उसकी दहलीज पर रख देंगे। इस अपमान से बचने के लिए वह आधा पेट छाकर पैसे बचा रही थी ताकि आवश्यक अनुष्ठानों और प्रायश्चित्त पर पर्याप्त धन खर्च कर सके।

अन्य कैंदियों की भी कहानी बिरसी-जैसी ही थी। ऐसा लगता था कि लग-भग सारी औरतें कुछ पैसे बचा रही थी ताकि अपने गाँव वापस लौटने पर वे खोयी हुई सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकें और इस काम में जो पैसा लगे उसे खर्च कर सकें। कैंदियों को समाज में फिर से स्थापित करने की पुरानी समस्या का यह एक नया कोण था।

अगस्त के प्रारम्भ में मुझे जेल के दफ्तर में ले जाया गया ताकि मैं अपने सह-प्रतिवादियों में से तीन से मिल सकूँ जिन्हें जमशेदपुर भेजा जा रहा था। इन तीनों लोगों को उन सात मुकदमों में से पहले मुकदमे के सिलसिले में भेजा जा रहा था जो हमारे ऊपर चलाये जाने वाले थे। हम सबके विरुद्ध संयुक्त मामले के अतिरिक्त हमारे विभिन्न गुटों और अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप लगाये गये थे। उन्होंने हमारे बचाव का इंतजाम करने का वायदा किया। सुपरिटेण्डेंट ने आश्वासन दिया कि मुझे जल्दी ही जमशेदपुर भेजा जायेगा।

अगस्त १९७४ के अंतिम इतवार को मेरा एक बार फिर 'मुकदमे के लिए' हजारीबाग से जमशेदपुर तबादला कर दिया गया।



## घर्तिगना

मेरी दृष्टि से उस बार की यात्रा काफी आनंददायक रही। पुलिस दस्ते के इंचार्ज उस नौजवान अफसर ने जीप में मुझे अपने बगल में अगली सीट पर बैठने दिया। तेज़ रफ़्तार से भाग रही जीप के कारण बरसाती शाम की ठंडी हवा मेरे फेफड़ों तक पहुँच रही थी और मुझे बेहद सुकून मिल रहा था। इसके विपरीत मेरे सह-प्रतिवादियों की इस बार और बाद में हर बार एक जेल से दूसरी जेल तक की यात्रा बड़ी कष्टदायक होती थी। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर ले जाया जाता था और दो-दो व्यक्तियों का जोड़ा बनाकर उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाती थी फिर कमर में रस्सी डालकर चार लोगों को एक साथ बाँधा जाता था। ऐसी हालत में उन्हें किसी तरह ठूस-ठूसकर ऐसी जगह भरा जाता था जो इनकी आधी संख्या के लिए बने थे। उनके सारे सामान उनके ऊपर फेंक दिये जाते थे। जिन लोगों को यात्रा से घबराहट होती थी उनके लिए तो यह और भी कष्टप्रद अनुभव होता था।

बीना मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी लेकिन मेरे पहुँचने तक रात हो चुकी थी और मैं सलाखों के इस पार से ही उसका अभिवादन कर सकी। उसकी कोठरी में चालीस औरतें तथा दर्ज़न भर बच्चे थे। दूसरे दिन सबेरे वह मेरे लिए सँजोकर रखे अपने उपहार लायी—उसे लगभग १५ दिन पूर्व स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर दो मिठाइयाँ मिली थी जिसे उसने बचा रखा था। अब वह 'मेटिन' हो गयी थी और पहले से ज़्यादा दुबली तथा गम्भीर दिख रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और अन्य क़ैदियों को मुझे दिखाने ले चली। मैंने गौर किया कि उन दिनों की अपेक्षा अब काफी सहज वातावरण था, जब मेटिन के रूप में यहाँ वह कुतनी थी। दस महीने बीत गये थे लेकिन गुलाबी बुढ़िया अभी भी वहीँ थी। हीरा का छोटा बच्चा अब एक साल से कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था लेकिन वह दुबला-पतला ही था। कुछ ही दिन पहले वह खसरा से मरते-मरते बचा था।

जाये और जाति में शामिल कर लिया जाये। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह कुजात मान ली जायेगी, किसी के घर में वह प्रवेश नहीं कर सकेगी और न ही अपने घर किसी को बुला सकेगी। कुएँ से दूसरे लोग पानी लाकर उसकी दहलीज पर रख देंगे। इस अपमान से बचने के लिए वह आधा पेट खाकर पैसे बचा रही थी ताकि आवश्यक अनुष्ठानों और प्रायश्चित्त पर पर्याप्त धन खर्च कर सके। अन्य कैदियों की भी कहानी बिरसी-जैसी ही थी। ऐसा लगता था कि लगभग सारी औरतें कुछ पैसे बचा रही थी ताकि अपने गाँव वापस लौटने पर वे छोटी हुई सामाजिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सकें और इस काम में जो पैसा लगे उसे खर्च कर सकें। कैदियों को समाज में फिर से स्थापित करने की पुरानी समस्या का यह एक नया कोण था।

अगस्त के प्रारम्भ में मुझे जेल के दफ्तर में ले जाया गया ताकि मैं अपने सह-प्रतिवादियों में से तीन से मिल सकूँ जिन्हें जमशेदपुर भेजा जा रहा था। इन तीनों लोगों को उन सात मुकदमों में से पहले मुकदमे के सिलसिले में भेजा जा रहा था जो हमारे ऊपर चलाये जाने वाले थे। हम सबके विरुद्ध संयुक्त मामले के अतिरिक्त हमारे विभिन्न गुटों और अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप लगाये गये थे। उन्होंने हमारे बचाव का इंतजाम करने का वायदा किया। सुपरिंटेंडेंट ने आश्वासन दिया कि मुझे जल्दी ही जमशेदपुर भेजा जायेगा। अगस्त १९७४ के अंतिम इतवार को मेरा एक बार फिर 'मुकदमे के लिए' हजारीबाग से जमशेदपुर तबादला कर दिया गया।



## धर्तिगना

मेरी दृष्टि से उस बार की यात्रा काफी आनंददायक रही। पुलिस दस्ते के इंचार्ज उस नौजवान अफसर ने जीप में मुझे अपने बगल में अगली सीट पर बैठने दिया। तेज रफतार से भाग रही जीप के कारण बरसाती शाम की ठंडी हवा मेरे फेफड़ों तक पहुँच रही थी और मुझे बेहद सुकून मिल रहा था। इसके विपरीत मेरे सह-प्रतिवादियों की इस बार और बाद में हर बार एक जेल से दूसरी जेल तक की यात्रा बड़ी कष्टदायक होती थी। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर ले जाया जाता था और दो-दो व्यक्तियों का जोड़ा बनाकर उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाती थीं फिर कमर में रस्सी डालकर चार लोगों को एक साथ बाँधा जाता था। ऐसी हालत में उन्हें किसी तरह ठूस-ठूसकर ऐसी जगह भरा जाता था जो इनकी आधी सख्या के लिए बने थे। उनके सारे सामान उनके ऊपर फेंक दिये जाते थे। जिन लोगों को यात्रा से घबराहट होती थी उनके लिए तो यह और भी कष्टप्रद अनुभव होता था।

बीना मेरे आने का इंतजार कर रही थी लेकिन मेरे पहुँचने तक रात हो चुकी थी और मैं सलाखों के इस पार से ही उसका अभिवादन कर सकी। उसकी कोठरी में चालीस औरतें तथा दर्जन भर बच्चे थे। दूसरे दिन सबेरे वह मेरे लिए सँजोकर रने अपने उपहार लायी—उसे लगभग १५ दिन पूर्व स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर दो मिठाइयाँ मिली थी जिसे उसने बचा रखा था। अब वह 'मेटिन' हो गयी थी और पहले से ज्यादा दुबली तथा गम्भीर दिख रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और अन्य कैदियों को मुझे दिखाने ले चली। मैंने गौर किया कि उन दिनों की अपेक्षा अब काफी सहज वातावरण था, जब मेटिन के रूप में यहाँ वह कुटनी थी। दस महीने बीत गये थे लेकिन गुलाबी बुढ़िया अभी भी वही थी। हीरा का छोटा बच्चा अब एक साल से कुछ ज्यादा बड़ा हो गया था लेकिन वह दुबला-पतला ही था। कुछ ही दिन पहले वह छसरा से मरते-मरते बचा था।

मुकदमे की कार्यवाही २८ अगस्त को शुरू होने वाली थी। उस दिन मैंने अदालत जाने की तैयारी की। चूँकि जज ने अभियोग पत्र के इस अनुरोध को नामंजूर कर दिया था कि मुकदमे की कार्यवाही जेल के अन्दर ही की जाये, इसलिए मैं आशा कर रही थी कि मुझे स्थानीय अदालत में ले जाया जायेगा। दस बजने के कुछ ही देर बाद मुझे जेल कार्यालय में बुलाया गया। वहाँ उप-उच्चायोग का एक सचिव मुझसे मिलने आया था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मुझे यह नहीं बताया गया कि अदालत में मेरी पेशी ३ अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गयी है। मेरे तथा मेरे अनेक सह-प्रतिवादियों के विरुद्ध दर्ज किये गये पाँच मामलों को हमारे वकील के अनुरोध पर मिलाकर एक कर दिया गया था। हमारा वकील सारी कार्यवाही को तेजी से पूरा करने पर जोर दे रहा था और उसका कहना था कि इन सारे मामलों में गवाह, तारीखें और आरोप एक ही हैं। इसलिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सुनवाई की तारीख को मुलतवी कर दिया गया था ताकि सम्मिलित रूप से मुकदमा चलाने की तैयारी के लिए समय मिल सके।

मैं इन विलम्बों और झूठी अफवाहों की अभ्यस्त हो गयी थी लेकिन इस बार मुझे सचमुच ऐसा लगने लगा था कि अब मुकदमा शुरू होने जा रहा है और अब इसे और अधिक मुलतवी किये जाने से मुझे गुस्सा भी आया और निराशा भी हुई। अचानक मुझे ३ अक्टूबर तक का पाँच सप्ताह का अंतराल बेहद लम्बा लगने लगा। अभी और भी मुसीबत आनी थी। समूचे बिहार में लगातार उपद्रवों के कारण मिलिटरी पुलिस भी उपलब्ध नहीं थी जो आमतौर से उन जेलों के चारों ओर घेरा डालकर पड़ी रहती थी जिनमें नक्सलवादी बंदियों को रखा जाता था और इसलिए यह फँसला किया गया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें वापस हजारीबाग भेज दिया जाये। पुलिस की गाडी के अन्दर फँक देने के लिए मैं फिर दोनों छाकी थैलों में अपनी किताबें पैक करूँ और रास्ते भर हिचकोले खाते हुए हजारीबाग तक जाऊँ—यह विचार ही मुझे असहनीय लगा। मैंने तय कर लिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। जिस दिन सबेरे हम लोगों को हजारीबाग के लिए रवाना होना था, मैंने महिला वॉर्डर से झूठ बोला और कहा कि मुझे बेहद दस्त आ रहे हैं और पेट में दर्द हो रहा है जिम्से मैं उठने में भी असमर्थ हूँ। डॉक्टर के पास मुझे बीमार प्रमाणित करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था—मेरे सारे सह-प्रतिवादियों को हजारीबाग भेज दिया गया पर मुझे जमशेदपुर में ही रहने दिया गया। मुझे इस बात की खुशी हुई कि चीना के साथ अब और अधिक देर तक समय गुजारने का अवसर मिल गया जो मेरी गैर-मौजूदगी में अपने अध्ययन में इतनी प्रगति कर चुकी थी कि अब वह बिना रुके पढ़ सकती थी।

कुछ दिनों बाद मेरे एक हमदर्द वॉर्डर ने बताया कि हमारे मुकदमे के लिए पटना से एक विशेष सरकारी वकील को भेजा गया है क्योंकि उसे लोगों को 'सजा दिलाने में' काफी शोहरत मिल चुकी है। वह पटना में सरकारी अधिकारियों को इस बात के लिए सहमत करने में एक महीने की इस अतिरिक्त अवधि का इस्तेमाल कर रहा था कि हमारे मुकदमे की कार्यवाही जेल के अन्दर ही की जाये। यह मानकर कि उसका अनुरोध मंजूर हो जायेगा हमारे पुराने अदालत-कक्ष में फिर से बिजली के पंखे लगाए जा रहे थे। वह सारे मामलों को एक साथ मिला देने के जज के फ्रंसले को भी उलटने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता

था कि जहाँ तक अलग-अलग मुकदमे चलाये जाने सम्भव हों, चलाये जायें। इस काम में जितना भी अधिक समय लगेगा, उसे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। वॉर्डर ने मुझे भविष्य में और भी पड़मंतों के लिए तैयार रहने को कहा। विशेष सरकारी वकील जज से बेहद चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसने मुफ्त सफ़र की सुविधा के एक प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। प्रस्ताव के साथ यह शर्त जुड़ी थी कि इस सुविधा के एवज में उसे जेल में अदालत लगानी पड़ेगी। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि विशेष सरकारी वकील ने अनेक स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों से वायदा किया था कि यदि वह हमें सज़ा दिला सका तो उन्हें दावत देगा।

अन्य शक्तियाँ भी फ़ाफ़ी सक्रिय थी। इस मुकदमे पर ध्यान आकर्षित करने की मेरे मित्रों की कौशिशों के फलस्वरूप समाचारपत्रों की हममें दिलचस्पी बढ़ गयी थी और अदालती सुनवाई की रिपोर्टिंग के लिए अनेक संवाददाता जमशेदपुर पहुँच गये थे। इसके अलावा उस वर्ष सितम्बर में अमनेस्टी इंटरनेशनल ने पश्चिम बंगाल की जेलों में राजनीतिक बंदियों की हालत के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और बताया था कि अकेले पश्चिम बंगाल की जेलों में १५ से २० हजार राजनीतिक बंदी पड़े हैं। हालाँकि भारत सरकार ने सारे आरोपों का खंडन किया लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पहली बार भारत के राजनीतिक बंदियों की दुर्दशा की ओर अन्तर्राष्ट्रीय जनमत का ध्यान आकृष्ट किया था।

३ अक्टूबर को भी वही हुआ जो २८ अगस्त को हुआ था। मैं एक बार फिर अदालत जाने की तैयारी कर रही थी कि उसी ब्रिटिश अधिकारी ने आकर मुझे सूचित किया कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने हमारे साथ अदालत तक जाने के लिए पुलिस का रक्षा दस्ता भेजने में असमर्थता जाहिर की है। पुलिस की सारी उपलब्ध शक्ति को बिहार में तीन दिन की आम हड़ताल के आह्वान से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए तैनात कर दिया गया है। विशेष सरकारी वकील ने लम्बी अवधि तक के लिए सुनवाई का काम स्थगित करने की माँग की थी और कहा था कि जब तक स्थिति फिर से 'सामान्य' नहीं हो जाती इसे मुलतवी रखा जाये। जज का कहना था कि बिहार की चाहे जैसी भी स्थिति हो लेकिन चूँकि जमशेदपुर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है इसलिए उसने आदेश दिया कि हमें किसी भी हालत में सोमवार ७ अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाये।

अगले सोमवार को हमें पुलिस की गाड़ी में अदालत तक ले जाया गया। गाड़ी में २२ आदमियों के बैठने की जगह थी लेकिन उसमें हम ३६ लोग तथा लगभग एक दर्जन सशस्त्र पुलिस के जवान बैठे थे। अदालत में पेश किये जाने के इंतज़ार में हम दिन के दस बजे से लेकर ढाई बजे तक बैठे रहे। गाड़ी में बेहद गर्मी थी और हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। दोपहर के करीब हमारा वकील आया और उसने बताया कि विशेष सरकारी वकील ने एक और याचिका पेश की है। इस बार उसने जिला जज से अपील की थी कि हमारा मुकदमा किसी दूसरी अदालत में भेजा जाये। उसने मौजूदा जज पर 'नक्सलवादियों को संतुष्ट रखने' का आरोप लगाते हुए उसमें अपना अविश्वास व्यक्त किया था। अपने इस आरोप का उसने आधार भी प्रस्तुत किया था। उसका कहना था कि इस जज ने एक किशोर बच्चे के लड़के की माँ को अदालत में अपने लड़के से बात करने और उसे खाना देने की इजाज़त दी; उसने मुकदमे की कार्यवाही जेल के अन्दर करने से इनकार किया; उसने उन दो क़ैदियों को क़ानूनी सहायता दी जो वकील नहीं नियुक्त कर पाए



ये; और उसने निजी तौर पर अपने कक्ष में ब्रिटिश उच्चायोग के एक अधिकारी से भेंट की। मुकदमे को तब तक के लिए मुलतवी कर दिया गया जब तक याचिका पर चाइवासा में जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो जाती। उस दिन की अदालत में पेशी पाँच मिनट की एक औपचारिकता मात्र थी।

इस आरोप में निहित संकेत ने कि ब्रिटिश राजनयिक ने किसी अनुचित उद्देश्य के लिए गुप्त रूप से जज से भेंट की, स्वाभाविक तौर पर विदेश कार्यालय को अशांत कर दिया। कलकत्ता से उच्चायोग का सचिव महज यह पता लगाने के लिए गया था कि मुकदमे की कार्यवाही में कितना समय लगेगा और इस बातचीत के दौरान सरकारी वकील का सहायक लगातार मौजूद था। मैं समझती हूँ कि अभियोग-पक्ष की ओर से उठाये गए इस अंतिम कदम से ही विदेश कार्यालय ने मेरे लिए अपने प्रयास काफी तेज कर दिये।

हमारे मामले से सम्बद्ध जज ने जिला जज के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक वक्तव्य तैयार किया जिसमें उसने इस आरोप का खण्डन किया था कि वह नक्सलवादियों के संतुष्ट करने का रवैया अपना रहा है और उसने कहा कि उसकी दिलचस्पी महज इसमें है कि कानून के मुताबिक जल्दी और निष्पक्ष ढंग से मुकदमे की कार्यवाही सम्पन्न हो। उसका कहना था कि उसकी इस कोशिश में हर कदम पर सरकारी वकील की ओर से कोई-न-कोई अड़चन डाली जा रही है। उसने आगे कहा था कि इस मुकदमे के दौरान किसी भी जज को देर करने की इसी नीति को अपनाना पड़ेगा क्योंकि विशेष सरकारी वकील का मुख्य उद्देश्य मुकदमे को अधिक समय तक खींचना है ताकि वह फ्रीस के रूप में पयादा-से-पयादा पैसा कमा सके। किसी जज के द्वारा राज्य के आधिकारिक प्रतिनिधि के विरुद्ध लगाया गया यह असाधारण आरोप था।

सुनवाई की तारीख एक बार फिर मुलतवी की गयी। इस बार यह दुर्गा-भूजा की छुट्टियों के बाद यानी २७ नवम्बर निश्चित की गयी और मुझे ऐसा लगा कि तब तक के लिए मुझे हजारीबाग लौट जाना पड़ेगा। उस दिन उपस्थित उच्चायोग के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया कि वे केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि बिना देर किये अब जल्दी-से-जल्दी मुकदमे की कार्यवाही पूरी की जाये। लेकिन जेल के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि इन बातों पर आशा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभियोग-पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी स्थानांतरण याचिका स्वीकार होनी ही है; विशेष सरकारी वकील तथा उसके सभी सहायक भूमिहार ब्राह्मण हैं और जिला जज भी उसी जाति का है। वह निश्चय ही उन्ही की बात पर ध्यान देगा।

उसी रात, अर्धरात्रि होने के कुछ ही देर बाद हैड वॉर्डर ने मुझसे हजारीबाग जाने के लिए फौरन तैयार हो जाने को कहा। मुझे बहुत गुस्ता आया। अपने अनुकूल खीड़ों के मामले में तो वे जरूरत से पयादा कुर्तिले थे लेकिन जब भी हमारे मुकदमे की बात आती, तो देर करने को उन्हें कोई-न-कोई बहाना मिल जाता। पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और मुझे ठीक से खाने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। लैम्प की धुंधली रोशनी में मैं अपनी पुस्तकें और कपड़े भी टटोल नहीं पा रही थी। मुझे आज रात हजारीबाग नहीं जाना है। उन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। ऑफिस के कर्मचारी और वॉर्डर एक के बाद एक करके आते रहे और मुझसे अनुरोध करते रहे कि मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। मैं उनकी ओर ध्यान दिये बिना लेटी रही और सोने का नाटक करती रही।

आखिरकार उन्होंने मुझे अकेले छोड़ दिया और मेरे सह-अभियुक्तों को वापस उनकी कोठरियों में भेज दिया। हम अगले दिन सवेरे हजारीबाग पहुँचे।

हमारी रवानगी का काम इतनी जल्दी हुआ था कि हम लोग अपने वकील से सलाह-मशविरा कर ही नहीं पाये। अबतूबर के अन्त में वह हजारीबाग आया और पहली बार मुझे उसके तथा कुछ सह-अभियुक्तों के साथ लम्बी और बेरोकटोक बातचीत करने की इजाजत दी गयी जो स्पेशल ब्रांच के लोगों की गैर-मौजूदगी में हुई। यह अद्भुत अवसर हमें उनकी सदाशयता के कारण नहीं प्राप्त हुआ था— दरअसल जेल कार्यालय मौसा-बंदियों से भरा हुआ था। इन बंदियों में कर्पूरी ठाकुर भी थे जो पहले मेरी गिरफ्तारी के समय विहार के मुख्यमंत्री थे। अब वे पुराने कैदियों के साथ आ मिले थे। वॉर्डर लोग हर तरह के राजनीतिक बंदियों को खुश रखते थे—उनका ऐसा करना ठीक भी था क्योंकि कुछ पता नहीं था कि भाग्य का फेर कब किसको सत्ता में ला दे।

वकील हमारे मामले में सरकार द्वारा खर्च की गयी राशि की छानबीन कर रहा था। यह राशि लगभग ३० हजार रुपये थी और इसमें हमें जेल में रखे जाने का खर्च नहीं जोड़ा गया था। उसने यह भी पता लगाया कि अभियोग-पक्ष के तीन वकीलों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद की मुख्य भूमिका रही। इन सबके रिश्तेदार सरकारी सेवा में प्रभावशाली पदों पर थे। स्थानांतरण के लिए दी गयी याचिका पर अभी भी सुनवाई होनी बाकी थी लेकिन उसने प्राप्त सूचनाओं और हमारी ओर से की गयी कोशिशों के आधार पर आश्वासन दिया कि चीजें अब हमारे अनुकूल शुरू होने जा रही हैं।

मार्च में आंदोलन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के हाथ में आ गया था। वे पुराने गांधीवादी और घोर कम्युनिस्ट विरोधी थे हालाँकि किसी जमाने में वे सोशलिस्ट पार्टी में रह चुके थे। जैसे-जैसे आंदोलन तेज़ होता गया नेतृत्व अधिकाधिक दक्षिणपंथी दलों के हाथ में जाने लगा। इन दलों का सारा ध्यान विधानसभा भंग कराने और संसद के नये चुनाव कराने की माँग पर टिका था जिसके बारे में मुझे पक्का यकीन था कि इससे एक दूसरी भ्रष्ट सरकार के सत्तारूढ़ होने के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हालाँकि आबादी के कुछ हिस्से का इसे अभी भी ज़बर्दस्त समर्थन प्राप्त था फिर भी मैं महसूस करती थी कि आंदोलन अब क्षीण हो चुका था। प्रत्यक्षतः कोई ऐसी दीर्घकालीन रणनीति नहीं थी जो लोगों की स्थितियों में वास्तविक तबदीली ला सकती। दोनो पक्ष बिना किसी स्पष्ट योजना के रोज-ब-रोज के संघर्षों और प्रतिसंघर्षों में लगे थे। 'संपूर्ण क्रांति' और 'वर्गविहीन जनतंत्र' की जो धारणा जयप्रकाश नारायण ने पेश की थी, वह स्वयं उन्हें भी अमूर्त और अव्यवहार्य लग रही थी।

जयप्रकाश नारायण की महिला समर्थकों की भीड़ से महिला वॉर्ड भर गया था। दिन के तीसरे पहर वे अमशीनीकृत ग्रामीण जीवन की प्रशंसा में गीत गाती और नाचती और समझती कि अमशीनीकरण से ही भारत की समस्याओं का हल निकल आयेगा। मध्य वर्ग की जिन अन्य कैदियों में मैंने एक दिखावे की प्रवृत्ति देखी थी, वैसे इनमें से किसी में मुझे देखने को नहीं मिली, वे अपने स्वभाव में बड़ी सहज थीं और काम करने की इच्छुक थीं। कुछ ने जान-बूझकर दूसरी जाति में विवाह करके परम्पराओं को तोड़ा था। इन सबके बावजूद, मेरी धारणा यह थी कि वे एक ऐसे सम्प्रदाय की तरह थीं जिनमें कुछ अर्थ में नये विचारों के प्रति

ग्रहणशीलता तो थी पर जो आबादी के उस विशाल हिस्से को अंगीकार करने में असमर्थ थीं, जो सबसे ज्यादा पीड़ित था।

आंदोलन के कैदियों में एक-दो अपवाद भी थे। इनमें से एक महिला को हम लोग दादी कहती थीं। वह ब्राह्मण जाति की एक बूढ़ी किसान महिला थी जिसके सारे दांत टूट चुके थे। उसकी गरीबी से यह साबित हो जाता था कि जाति के साथ वर्ग को कड़ाई से जोड़ने में मैं गलती करती थी। हालाँकि आमतौर पर अन्याय और गरीबी के सबसे ज्यादा शिकार हरिजन तथा आदिवासी थे पर सभी जातियों में गरीब लोग थे। दादी का व्यवहार बड़ा दोस्ताना था और वह बड़ी उदार थी। उसने और उसके एकमात्र लड़के ने स्थानीय जमींदार के आदेश पर आंदोलन में भाग लिया था और उस जमींदार ने अपने कुछ निजी कारणों से उनसे ऐसा करने को कहा था। उनके ऊपर जमींदार का कर्ज था और उनके सामने उसके आदेशों का पालन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें आम हड़ताल के दौरान रेलवे लाइन पर घरना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

वह एक विधवा औरत थी और उसके परिवार के पास कोई जमीन नहीं थी। उसका लड़का रेलवे लाइन पर काम करके प्रतिमाह १०५ रुपये कमा लेता था। उस समय चावल का भाव लगभग चार रुपये प्रति किलो था और उसकी इस आय से उसका तथा पत्नी, बहन और माँ का पेट भरना मुश्किल था। इसके अलावा उसे जमींदार का वह कर्ज भी चुकाना पड़ता था जिसे उसने अपनी बहन की शादी के समय लिया था। ब्राह्मण घर की औरतों का सेतों में काम करना उचित नहीं समझा जाता था हालाँकि वे कभी-कभी गाँव के धनी परिवारों के घर का काम-काज कर लेती थी और उनका खाना पका देती थी। बहुधा दादी भूखी रह जाती।

वह कहती, "मैं हंस-झोलकर दिन बिता देती हूँ और भूख को भुला देती हूँ। यदि मुझे बहुत भूख लगती है तो पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर पी लेती हूँ और भूख की टीस शांत पड़ जाती है। रात में हमें एक आदमी की खुराक के लिए चपातियाँ, थोड़ी दाल या सब्जी मिलती है। हम चार चपातियाँ बनाती हैं। उसमें से मेरा लड़का दो ले लेता है और एक-एक चपाती लड़कियों को मिल जाती है। मेरा कोई अलग हिस्सा नहीं लगता और मैं सबकी चपातियों में से थोड़ा-थोड़ा खा लेती हूँ।" अपने इस अस्तित्व को बनाये रखने के लिए उसका लड़का हफ्ते में सात दिन और साल में ५२ हफ्ते जीतोड़ मेहनत कर रहा था। आंदोलन में गिरफ्तार अन्य लोगों की तुलना में दादी को ज्यादा दिन तक जेल में रहना पड़ा। अन्त में जमींदार ने ही उसकी जमानत का इंतजाम किया। जमींदार से लिया गया कर्ज बढ़ता चला गया और उनके सिर पर कर्ज का एक और बोझ चढ़ गया।

नवम्बर में मुझे एक आश्चर्यमिश्रित प्रसन्नता हुई जब वे वाणिज्य दूत अपनी छुट्टियाँ बिताकर और अपने वायदे के अनुसार मेरे माँ-बाप से मिलकर ब्रिटेन से वापस आ गये। उन्होंने मुझे कुछ उपहार भेजे थे जिसमें उन्हें मेरे पास तक पहुँचा दिया। उपहार में मिठाइयाँ, चॉकलेट, बिस्कुट, मक्खन और सबसे आनन्ददायक उपहार एक अंडरविपर था जिसे मेरी माँ ने इस अनुमान के साथ भेजा था कि मुझे इसकी बहुत जरूरत होगी और उनका अनुमान सही भी था। मिठाइयाँ और बिस्कुट जल्दी ही खत्म हो गये। उनको चारों तरफ बाँटने के बाद मैं अपना हिस्सा लेकर खाने बैठ गयी। मेरी ही तरह कुछ और औरतें थीं और वे अपने हिस्से में प्राप्ति थोड़ी भी अतिरिक्त मात्रा को अपने पेट का ध्यान रखे बिना चाब से खाती

जाती थी। कुछ ऐसी भी थीं जो अपने हिस्से की अच्छी चीजों को तब तक छिपा कर रखे रहती थी जब तक वह खाने के अयोग्य नहीं हो जाती। दोनों में से किसी भी स्थिति का पाचन क्रिया पर अच्छा असर नहीं पड़ता था। हमेशा छुट्टियों या किसी समारोह के बाद—जिसमें हमें आमतौर से मिलने वाले भोजन से अच्छा भोजन मिलता था—औरतें बीमार पड़ जाती थी या पेटिश की शिकार हो जाती थीं।

उस महीने के अंत में मुझे फिर जमशेदपुर ले जाया गया लेकिन स्थानांतरण की याचिका पर अभी भी सुनवाई नहीं हुई थी इसलिए मेरा मुकदमा इस बार भी १ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगन की अवधि काफी लम्बी होने के कारण मुझे आशा थी कि मुझे फ़ौरन हज़ारीबाग वापस भेज दिया जायेगा और सचमुच ही अगले दिन सबेरे वॉर्डर ने मुझसे तैयार हो जाने को कहा। मैं अपना सामान और अपनी किताबें बांधकर सारा दिन बंठी रही पर कुछ नहीं हुआ। अगला दिन भी ऐसा ही रहा। तीसरे दिन मुझे पता चला कि क्या मामला है। शहर की सारी पुलिस-गाड़ियाँ बेकार पड़ी थी। यह कोई नयी बात नहीं थी। एक दिन अदालत के बाहर पुलिस गाड़ी खराब हो गयी और हमे सेना की एक लॉरी में लदकर आना पड़ा था। जब मैंने एक ड्राइवर से पूछा कि पुलिस की गाड़ियाँ इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाती हैं तो उसने बताया कि जमशेदपुर में कोई भी मैकेनिक उन्हें ठीक नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। लगभग हर बार जमशेदपुर से हज़ारीबाग जाते समय हमारी गाड़ियों में कोई-न-कोई खराबी आ जाती और काफी देर तक हम उसके ठीक होने के इंतज़ार में सड़क पर रुके रहते।

आखिरकार उस बार हम लोग क्रिसमस से ठीक पहले हज़ारीबाग वापस पहुँचे। दो दिनों बाद मेरे पास एक बार फिर वह ब्रिटिश वाणिज्य दूत आया। पटना में उससे पुलिस महानिरीक्षक ने बताया था कि मुझे क्रिसमस तक जमशेदपुर रखा जायेगा, इसलिए वह जमशेदपुर गया जहाँ उसे पता चला कि कुछ ही दिनों पहले मुझे हज़ारीबाग भेज दिया गया था। चूँकि उसके पास कार थी और समय था इसलिए वह हज़ारीबाग तक चला आया। अमलेन्दु के परिवार के सदस्य तथा मेरे सह-प्रतिवादियों के मुलाकाती हमेशा इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। उस साल न जाने कितनी बार परिवार के सदस्य मुझसे भेंट करने के लिए आये और उन्हें पता चला कि मैं उस जेल में नहीं थी, जहाँ उन्होंने मेरे होने का अनुमान लगाया था। हज़ारीबाग और जमशेदपुर के बीच की दूरी को देखते हुए बिना मुझसे मिल ही उन्हें लौट जाना पड़ता था। इग्लैण्ड के मेरे मित्रों और परिवार के सदस्यों के लिए तो यह और भी कष्टकर स्थिति थी। एक जेल से दूसरी जेल में तबादला किये जाने से हम लोगों के बीच जो सीमित पत्राचार था वह भी भंग हो गया था और उन्हें शायद ही कभी पता चल पाता था कि किस समय मैं कहाँ हूँ।

३ जनवरी १९७५ को ऑफिस का एक बलक हमें यह बताने आया कि उत्तर बिहार के समस्तीपुर में केन्द्रीय रेलमंत्री एल० एन० मिश्र की हत्या कर दी गयी है। इस समाचार से उन कैदियों को भी कोई दुःख नहीं हुआ जो मिश्र को जानते थे। रेल-कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान जबदस्त दमन के लिए मिश्र ही जिम्मेदार थे और उन्हीं के निर्देश पर हज़ारों कर्मचारियों को अपनी नौकरी और अपने मकान से हाथ धोना पड़ा था। इस हत्या का हमारे अनिश्चित अस्तित्व पर

भी दुष्प्रभाव पड़ा। अखबारों में कहा गया था कि जिस समय मिथ्या की हत्या हुई, रेलवे स्टेशन पर सादा वर्दी में ७०० पुलिस वाले तैनात थे। अब पुलिस की ओर खासतौर से छुफिया विभाग की अक्षमता पर जबदस्त प्रहार किये जा रहे थे। इसीलिए जब अचानक एक दिन स्पेशल ब्रांच के लोगों को जल तोड़ने के एक और पड़यंत्र का 'पता चला' तो ऐसा लगा कि वे महज अपनी सक्षमता साबित करने के लिए यह सारा नाटक कर रहे हैं। एक बार फिर हथियारों और गोला-बारूदों की तलाशी ली गयी। तलाशी में कुछ भी नहीं मिला लेकिन उनका 'नौकरी बचाओ' अभियान सफल रहा। 'मूचनाएँ' भेजने के जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था उसे उन्होंने पूरा कर दिखाया था।

१९७५ के शुरू के दिनों में हमसे एक भिखमंगे की देखरेख के लिए कहा गया जो कुछ कैदियों को चंदवाड़ा कैम्प जेल के फाटक पर मिला था— वह भीख माँगने का वर्तन लेकर घल में घिसट रहा था और खड़ा हो पाने में असमर्थ था। इन कैदियों ने सुपरिंटेंडेंट से अनुरोध किया कि उसे जेल में ही भर्ती कर लिया जाये और सचमुच ऐसा करके उसे भूख से मरने से बचा लिया गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह बड़ी मुश्किल से किसी तरह गिरते-पड़ते चलने लगा था। हालाँकि उसका बेहद फूला हुआ पेट उसका संतुलन बिगाड़ देता था। जैसे ही उसने नियमित रूप से भोजन करना शुरू किया कि उसका पेट इस सीमा तक बाहर निकल आया। उसके बड़े पेट के अलावा, सर भी असाधारण रूप से बड़ा था और हड्डियाँ कमजोर तथा हल्की थी। उसके दाँतो पर पीले रंग की एक पपड़ी पडी थी। दूध के दो दाँतो को देखने से पता चलता था कि उसकी उम्र छः या सात वर्ष रही होगी। लेकिन वह बातचीत करने में असमर्थ था। बोलने की जब भी वह कोशिश करता तो बस एक घुरघुराहट निकलकर रह जाती—इसकी वजह शायद यही थी कि उससे कभी किसी ने इतनी बातचीत ही नहीं की जिससे वह बोलना सीख पाता। दूसरी तरफ हम उससे जो कुछ भी कहते थे, वह समझ जाता था। चूँकि नियमित भोजन करने की उसकी कभी आदत नहीं रही इसीलिए खाने वाली चीजों को देखते ही वह अपने हाथ फैला देता था भले ही उसका पेट क्यों न भरा हो। उसके खयाल से भोजन एक ऐसी चीज थी जो जब, जहाँ कहीं और चाहे जितनी मात्रा में मिले, ग्रहण किया जा सकता है। अपोपण, सोबर की गड़बड़ी और पेट की कीड़ियों के लिए डॉक्टर दवाएँ देते और वह बड़े चाव से उन्हें खा जाता—वह उसे भी भोज्यपदार्थ समझता था।

अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहने के कारण वह हठी, जिद्दी और कभी-कभी अनाज्ञाकारी हो गया था लेकिन अक्सर वह हमारी गोद में चढ़ जाता और हमें पकड़कर भूल जाता तथा चाहता रहता कि हम उसे प्यार करें—जैसे आज तक वह सचमुच कभी नहीं पा सका था। उसे गोद में चिपकाते समय मेरी आँसुओं से आँसू निकल पड़ते। धीरे-धीरे हमने उसे मुँह धोना, दाँत साफ़ करना (इसमें उसे बहुत तकलीफ़ होती थी और यह इसका विरोध करता था) सिखा दिया था और यह भी सिखा दिया गया था कि टट्टी करके आने के बाद वह हमें बता दे ताकि हम उसे धो दें। मेरे उलाहने के बावजूद अन्य औरतें उसे धतिगना अर्थात् लातघी पेट कहा करती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वे निर्दय थीं। बल्कि यह उनकी उस माफगोई का सबूत था जिससे वे लोगों को उनके किसी खास गुण से सम्बोधित करती थी और ऐसा करते समय उनका रवैया आलोचना भरा या व्यंग्यपूर्ण नहीं रहता था। वे हमेशा प्रकाश की माँ की 'लंगड़ी' और मोती को

‘पगली’ कहकर सम्बोधित करती थी क्योंकि वे वैसी ही थीं। मैंने घतिगना को अपना ‘मंती’ बना दिया क्योंकि बड़े विरोधाभास के साथ उसके बाहर निकले पेट से मुझे सरकारी अफसरों की बाहर निकली तोंद याद आ जाती थी। उसका भविष्य अनिश्चित था लेकिन अनेक कैदियों ने रिहा हो जाने के बाद उसे अपने घर ले जाने की इच्छा जाहिर की थी। अनिवार्य रूप से वह किसी के मकान में नौकर हो जायेगा लेकिन कम-से-कम वह भूख से तो नहीं मरेगा।

अदालत में अगली तारीख पर पेशी के लिए जमशेदपुर जाते समय मैंने रास्ते में एक दुर्घटना देखी। हमारी गाड़ियों के पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने हमारे आगे-आगे जा रहे एक साइकिल सवार को धक्का दे दिया और बिना रुके वह आगे बढ़ गयी। हमारे साथ चल रहे पुलिस दस्ते के इंजिन नौजवान अफसर को थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने कर्तव्य का बोध हो आया और उसने हमारे ड्राइवर को आदेश दिया कि आगे से रास्ता रोककर भागती हुई कार पर काबू पाए। हमारी जीप उस कार के आगे जाकर रुकी और सकुचाते हुए पर अफसराना ढंग से वह अफसर जीप से उतरकर कार की तरफ बढ़ा। कार में धूप के काले चश्मे लगाये चार लम्बे-चौड़े, खतरनाक और समृद्ध दिख रहे व्यक्ति निकले और धमकी देने के अंदाज में अफसर की तरफ बढ़े और अफसर के कुछ कहने से पहले ही उन्होंने सूचना दी कि वह साइकिल-सवार अपने आप ही गिर

... बड़ाने लगा, “हाँ-  
... हुत पी रखी थी।  
... पुलिस वाले भी  
... हाँ-हाँ... वह गिरा  
पड़ा था, मैंने देखा... शराबी...” उस साइकिल-सवार को खून बहती हालत में सड़क पर ही भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया था—चाहे वह मर जाये या जिन्दा रहे, उठ जाये या किसी दूसरी गाड़ी से कुचला जाये। वह एक गरीब था इसलिए इन बातों से कोई मतलब नहीं था। कार में बैठे लोग समृद्ध और शायद शक्तिशाली थे और सम्भवतः इसीलिए उन्हें साइकिल-सवार को धक्का देने और भाग खड़े होने की सजा नहीं मिल सकती थी। आखिरकार किसी गरीब, घायल या उपेक्षित व्यक्ति के लिए समय लगाने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण काम लोगों के पास रहते हैं...

उस बार हालाँकि जज को बदलने की विशेष सरकारी वकील की कोशिश आश्चर्य-जनक ढंग से विफल हो गयी, फिर भी मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हो रही थी क्योंकि सारे मामलों को मिलाकर एक करने के बारे में जो याचिका पेश की गयी थी उस पर पटना उच्च न्यायालय में अभी तक सुनवाई नहीं हो पायी थी। हमने अपने वकील तथा बिहार कानूनी सहायता समिति (बिहार लीगल एड कमिटी) के सदस्यों से विचार-विमर्श के लिए जमशेदपुर में दस दिनों तक रुकने की इजाजत ले ली थी। इस समिति के लोग हमारी सहायता के लिए राजी हो गए थे। यदि उनकी सहायता हमें नहीं मिलती तो हमारे लिए मुकदमे की इस जटिल और दीर्घकालिक कार्रवाई के खर्च के लिए पैसा जुटा पाना बेहद कठिन हो जाता। मुझे हमेशा एक ही भय बना रहता था कि यदि हमारा मुकदमा बहुत लम्बा खिचता रहा और उसमें जल्द से ज्यादा समय देना पड़ा तो हमारे वकील उदय मिश्र के हाथ से अन्य मुकदमे निकल जा सकते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दस दिन पूरा हो जाने पर हर बार की ही तरह फिर इस बार हज़ारीबाग वापस जान के लिए गाडी की दिक्कत पैदा हो गयी। फलस्वरूप राज्य परिवहन की एक बस की व्यवस्था की गयी। मैं ऑफिस से निकलकर बस में बैठने जा ही रही थी कि मैंने एक बूढ़ी बंगाली औरत को रोते देखा। वह मेरे एक सह-अभियुक्ति की माँ थी। वह कलकत्ता से यहाँ तक का लम्बा सफ़र करने के बाद अपने लड़के से मिलने आयी थी। सवेरे से वह मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी पर उसे मिलने नहीं दिया गया—बस में जब वह बैठने जा रहा था उस समय केवल दो-चार शब्द कहने की इजाजत दी गयी। वह महिला अपने लड़के के पैरों में बेड़ियाँ देखकर रो रही थी। बस की खिड़की में से झाँकते हुए लड़के ने माँ को अपने पास बुलाया और कहा, “माँ, तुम्हारे हाथ में भी तो चूड़ियाँ हैं, फिर मेरे पैरों में अगर बेड़ी है तो तुम क्यों दुःखित हो रही हो ?” उसने यह कहकर अपनी माँ को खुश करना चाहा था और उसके इस अन्दाज से मैं काफ़ी प्रभावित थी। अदालत में पेशी के दौरान मेरे मामले से सम्बद्ध युवकों के चेहरों पर खुशी और सजगता की जो झलक दिखायी देती थी उससे वहाँ मौजूद उच्चायोग के अधिकारी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। वे जिस तरह अपनी कठिनाइयों को झेल रहे थे, उससे मैं उनके प्रति बेहद सम्मान की भावना से भर उठती।

उस बार की यात्रा अविस्मरणीय थी। मैं गाडी की अगली सीट पर बँठी थी और वहाँ से मुझे छोटानागपुर के गाँवों की बड़ी साफ़ झलक दिखायी पड़ रही थी। पहाड़ियाँ और दूर तक फैले क्षितिज के बीच दूर जाती सड़क को देखकर अचानक अतीत के आज़ाद जीवन की यादें ताज़ा हो जाती लेकिन जल्दी ही मैं बाहर की तमाम चीज़ों को उस सीमित समय में अपनी चेतना में स्थापित करने में लग जाती। हम धूप और आकाश के बीच पड़े उन सेतों से गुज़र रहे थे जिनकी फसलें काटी जा चुकी थी और जो अगली बुआई के लिए वसन्त की फुहारों का इन्तज़ार कर रहे थे। फरवरी का महीना था और मौसम में अभी तपिश और धूल बनी हुई थी। हम उन नदियों को पार कर रहे थे जिनमें गर्मी शुरू होने से पहले ही इतना कम पानी बच रहा था कि रेत के सागर में कुछ बूंदों का आभास ही रहा था। आकाश रंगहीन हो रहा था और सूरज किसी चुम्बकीय नेत्र की तरह लग रहा था। बच्चे छोटे-छोटे पोखरो में मछलियाँ मार रहे थे और सेतों तथा जंगलों में खेलने के लिए सरकण्डे तोड़ रहे थे। मैं उनके दुःख-दर्द के बारे में, मिट्टी की दीवारों और फस से बनी छतों में छिपे अध्यवसाय के बारे में तथा उस छोटी-सी अँधेरी जगह के बारे में सोच रही थी जो उन परिवारों के रहने की जगह थी जिनके जीवन का अर्थ जिन्दा रहने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। कभी-कभी हम ईंट के बने मकानों के अहाते के पास से गुज़रते और उन समृद्ध घरों की लटकियाँ और बहूएँ अपने को पदों में कर लेती। टुकों और राइफलों से भरे तथा बिजली की रोशनी में दिख रहे घरों पर जब मेरी निगाह गयी तब मुझे पता चला कि भारत भी २०वीं सदी के युग में है। कभी-कभी हम भीड़भाड़ और गंदगी से भरे नगरों से गुज़रते जो एक साथ ही मध्यकालीन और आधुनिक लगते थे। सड़क के किनारे बर्कशाँपो, कारखानों और गैराजों की एक लम्बी क़तार होती। अंततः हम हज़ारीबाग की पहाड़ियों तक आ पहुँचे जहाँ घाटो, कोयलाखान और जंगल का एक विस्तार था। मेरी इच्छा हुई कि उन पेड़ों को जाकर छू लूँ और एक क्षण के लिए मैं यह भूल ही गयी कि राइफलों के जंगल ने मुझे इनसे अलग कर रखा है।

ताला बंद होने के समय से पहले ही हम पहुँच गये और मेरी वॉर्ड की औरतों तथा बच्चों ने मेरा इस तरह स्वागत किया जैसे मैं ग्यारह दिनों बाद नहीं, बल्कि ग्यारह वर्षों बाद आ रही होऊँ। इस स्वागत के बीच एक दुखद समाचार भी सुनने को मिला : मेरी बिल्ली पुरुषों के वार्ड में बने एक कुएँ में गिरकर मर गयी थी। यह पहला अवसर था जब जमशेदपुर जाते समय मैं उसे हज़ारीबाग छोड़ गयी थी।

हमारे शौचालयों को साफ करने के लिए कुछ दिनों से एक दूसरा कैदी रखा गया था। वह मुझे बेहद साहसी लगता था। उसने मुझे एक दिन बताया कि वह तथा अन्य सफ़ाई कर्मचारी प्रतिदिन चार आना कमाते हैं जो ऑफिस में जमा होता जाता है और जेल से रिहा होते समय मिलता है। एक दिन पहले उसके एक साथी का किसी दूसरी जेल को तबादला हुआ था और जेलर ने उसे उसकी कमाई देने से इनकार कर दिया था—जेलर का कहना था कि उसके कागज़ात ठीक नहीं हैं। जब उस व्यक्ति ने विरोध किया और कहा कि “क्या मैंने नौ महीने फालतू काम किया है,” तो जेलर ने जवाब दिया, “जाओ, तुम्हें जो करना हो कर लेना।” और उन पैसे को सम्भवतः अपनी जेब में डाल लिया जो उस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से कमाये थे और जिससे वह उम्मीद करता था कि मुकदमे के खर्च में मदद मिलेगी।

हमारे वॉर्ड के इस सफ़ाई कर्मचारी की भी वही हालत हुई जो व्यवस्था के खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले अन्य कैदियों की हुई थी। एक दिन वह अदालत गया और नक्सलवादी कैदियों सहित कुछ अन्य कैदियों के साथ उसने जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कानूनी व्यवस्था के खिलाफ़ नारे लगाये। अगले दिन सबेरे शौचालय की सफ़ाई के लिए एक दूसरा कैदी आया। जब हमने पूछा कि पहले वाला व्यक्ति कहाँ है तो उसने जवाब दिया, “उसने बदतमीजी की थी।” बार-बार पूछने पर उसने बताया कि पहले वाले भंगी ने एक कैदी के कुछ पैसे चुरा लिये थे इसलिए उसे अब कैद-तनहाई में रख दिया गया है। मुझे लगभग पूरा विश्वास था कि जेल कर्मचारियों के खिलाफ़ अदालत में नारे लगाने के लिए दंड देने के वास्ते उसे एक झूठी कहानी गूँथकर फँसाया गया था।

उन दिनों सुपरिटेण्डेंट अकसर अनुपस्थित रहता। उसका नौकरी से रिटायर होने का समय आ गया था और चूँकि वह इस मुताफे वाली जगह को छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए अपनी सेवा-अवधि को और एक वर्ष के लिए बढ़ाने के वास्ते बड़े अफसरों को राजी करने में लग गया। जो लोग इस पद पर पहुँचने के लिए अपनी पदोन्नति के इन्तज़ार में थे, वे सुपरिटेण्डेंट की इन कोशिशों का विरोध कर रहे थे। कई महीनों तक यह फ़ैसला नहीं हो सका कि सुपरिटेण्डेंट की सेवा अवधि को बढ़ाया जाये या नहीं और नतीजा यह हुआ कि उस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गयी। एक बार तो ऐसी हालत हो गयी कि बिहार के उस क्षेत्र में स्थित चारों केन्द्रीय जेलों में से किसी भी जेल में कोई सुपरिटेण्डेंट नहीं था। इन पदों के लिए संघर्ष का हमेशा एक ही रूप होता था : सभी आवेदक अपनी जेबें नोटों से भरकर पटना पहुँचते थे और वहाँ उचित व्यक्ति को अधिक से अधिक धूस देने को होड़ लग जाती थी। इस बात को जेल-कर्मचारियों ने बहुत साफ़ शब्दों में मुझसे बताया था। यह बताने के पीछे उनका इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं था बल्कि उन्होंने मज़ाक उड़ाने के अन्दाज़ में ये सारी बातें बता दी थी। उनके



लिए यह सब बहुत सहज था। भले ही वे इसे पसन्द न करते रहे हों लेकिन उनको इसका पालन करना ही पड़ता था।

वाल्को के स्थान पर बूढ़ी आदिवासी मेटिन गुरुवाडी के आने से नियमों में काफी ढील मिल गयी थी और मुझे उन पुरुष क्रांदियों से बात करने का अवसर मिल जाता था जो हमारे वॉर्ड में आते थे। जब मैं हजारीवाग आयी थी मेरा राशन हरी लाया करता था लेकिन मुझे उसके बारे में सिवाय इम तथ्य के और कोई जानकारी नहीं थी कि वह बीस वर्ष की सजा अब लगभग पूरी कर चुका है। एक दिन मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। शुरू में तो वह संकोच करता रहा लेकिन उसके बाद अपने बारे में उसने इतना कुछ बताया कि जिसमें लगा कि वह बहुत दिनों से किसी से यह सारी बातें बताना चाहता था। वह एक मध्यवर्गीय किसान था। उसके परिवार के पास पर्याप्त खेत थे जिससे साल भर का खर्च चल जाता था और थोड़ा अनाज बच भी जाता था। एक बार की बात है कि उस वर्ष उस इलाके के एक बड़े जमींदार ने अपने किराये के आदमियों के जरिये उसकी फसल को जान-बूझकर बर्बाद करा दिया। दरअसल वह जमींदार इसकी उपजाऊ जमीन को बन्धक रखना चाहता था। एक दिन शाम को जैसे ही हरी खेतों से होकर अपने घर पहुँचा उसने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और परिवार का पेट भरने के लिए कई दिनों से उपवास कर रही उसकी बूढ़ी माँ भूख के कारण मर चुकी है। उसने फौरन ही फैमला कर लिया कि वह इस सारी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मार डालेगा। उसने महसूस किया कि घर का बड़ा लड़का होने के नाते अपने परिवार के दुश्मनों से बदला लेना उसका कर्तव्य है। उसने जमींदार की हत्या कर दी और खुद पुलिस के सामने आत्म-समर्पण कर दिया।

हरी ने मुझे बताया कि अपने इस कृत्य का उसे कभी अफसोस नहीं रहा। दुश्मन का सफाया कर दिये जाने से उसके भाई अब चैन के माय पेंती कर रहे होंगे। लेकिन अब जैसे-जैसे उसकी रिहाई का समय नज़दीक आ रहा था वह अशांत और सोचता था कि गाँव वापस जाने पर कैसा लगेगा। मैं समझ रही थी कि वह सोचता रहा होगा कि हो सकता है कि हत्या के बदले में उसे भी मार डाला जाये। देहात में लोगों की याददाश्त बड़ी अच्छी होती है और सीखचों के अन्दर वर्षों तक रह लेने से भी इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि गाँव का न्याय संतुष्ट हो चुका है।

अगली बार की यात्रा में मैं केवल तीन दिन ही जमशेदपुर में रही और यह भी पहले की तरह व्यर्थ साबित हुई। उच्च न्यायालय में पेश की गयी याचिका पर फैसला हो चुका था लेकिन सारे दस्तावेज अभी जमशेदपुर नहीं पहुँचे थे इसलिए मुकदमे की कार्यवाही में देर थी। सारे मामले को तेज़ करने के लिए हमारे वकील ने अभियोग पक्ष के साथ एक समझौता कर लिया था। उसने बताया कि मुकदमे की कार्यवाही एकदम शुरू न होने से बेहतर यह है कि अलग-अलग मुकदमे चलाये जायें और चूंकि उच्च न्यायालय के सामने पहले से ही इतनी ख्यादा याचिकाएँ पड़ी हुई हैं कि फिर याचिका पेश करके देर करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि कितने मुकदमे उन्होंने दर्ज किए थे। मैं चाहती थी कि वे जल्दी शुरू हों ताकि मुझे किसी एक स्थान पर रखा जा सके।

एक बार फिर मुकदमे की तारीख निर्धारित हुई और इस बार यह २५ अप्रैल थी।



## आखिरी बार तबादला

उस वर्ष बार-बार देर होने के बावजूद मुझे कम-से-कम यह आभास होने लगा था कि मुक़दमे के सिलसिले में कुछ हो रहा था। हालांकि मैंने शुरू से ही इन चीजों से लापरवाह दिखने का अभिनय किया था और अपने काम में इस तरह लगी रहती थी गोया सारी जिन्दगी मुझे जेल में ही बितानी हो, फिर भी मेरे अन्दर कहीं कोई आशा पल रही थी। हाँ, मेरे अन्दर यह साहस नहीं था कि मैं स्वीकार करूँ कि मैं कुछ आशा कर रही थी। अदालत में एक पेशी से दूसरी पेशी के बीच का जो समय मिलता था उसमें मैं अपने अध्ययन का कार्यक्रम चलाते रहने की कोशिश करती थी और इससे मुझे अपने मुक़दमे तथा अपने चारों ओर की अनिश्चितताओं से कुछ देर के लिए छुटकारा मिल जाता था। मेरे सह-प्रतिवादी बहुधा मुझसे तरह-तरह के सवाल किया करते थे—वे कभी ब्रिटेन के बारे में, कभी आयरलैण्ड की समस्या के बारे में और लेबर सरकार या ब्रिटेन के जीवन-स्तर के बारे में पूछा करते थे। चीजों को जानने की उनकी चाह से भी मुझे यह प्रेरणा मिलती थी कि मैं लगातार किसी-न-किसी मानसिक चेष्टा में जुड़ी रहूँ।

जेल में तथा बाहर घामिक त्यौहारों का एक कभी न खत्म होने वाला सिल-सिला जारी था। मेरे दैनिक क्रिया-कलापों की एकरसता इन समारोहों से टूटती थी और यह मुझे अच्छा लगता था। उस वर्ष कुछ युवतियों ने सुझाव दिया कि हिन्दू धर्म के अन्त में वसन्त में पढ़ने वाले होली समारोह के समय हम हर रोज़ की तरह छोटे-छोटे गुटों में खाना बनाने और खाने की बजाय एक दावत का आयोजन करें और वॉर्डर से अनुरोध करें कि वह हमारे लिए एक बड़ी अँगीठी और कुछ बर्तनों का इन्तजाम कर दे जिससे हम एक साथ खाना तैयार कर सकें। कुछ ही क़दी ऐसे थे जो इस आयोजन में भाग लेना नहीं चाहते थे। जेल से बाहर उनके बच्चे थे और वे यह उचित नहीं समझते थे कि वे तो आनन्द मनायें और उनके बच्चों को शायद पर्याप्त खाना भी न मिल सके।

समारोह के लिए एक तिथि निश्चित किये जाने के बाद हम दृग बात से निश्चित होना चाहती थी कि उम तिथि से पहले कैंदियों के बीच कोई झगडा न हो वरना हो सकता है कि झगड़े के कारण कोई कैंदी हमारे समारोह में शामिल होने से इंकार कर दे। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही कठिन था। सबरे से शाम तक हर रोज धूल भरी सू चलती थी जिसे हमारा मिजाज भी मौसम के ही अनुपात में गर्म हो जाता था। हमारे अहाते में फूलों वाले दो पीछे थे जिन्हें मुपरिटेंडेंट ने अपने किमी गदाशयता वाले हाथ में उन पेटों के स्थान पर लगवा दिया था जिन्हें पहले काटकर गिरा दिया गया था। मैं इनके लाल रंग के बड़े-बड़े फूलों को बहुत पसन्द करती थी। इनके फूल अप्रैल में खिलते थे। लेकिन दूसरी ओरतें मेरी इस पसन्द पर बिलकुल गुन नहीं थी। वे इसे झगड़ेला फूल (झगड़ा करने वाला फूल) कहती थी और वे इस बात पर जोर देती थी कि जब तक इस पेड़ में फूल लगे रहेंगे तब तक जो कोई भी इन फूलों को देगेगा, उसकी आपन में कभी पट न सकेगी। मेरा अनुमान था कि लू के दिनों में लोगों का स्वभाव वैसे ही चिड़चिड़ा हो जाता है और चूंकि ये फूल लू के दिनों में खिलते हैं, इसलिए लोगों के गर्म मिजाज के साथ फूल के बुरे गुणों को जोड़ दिया गया था।

लू के कारण काफी बड़ी मात्रा में 'धूल और रेत' हमारी चुली सलाखों के रास्ते अन्दर आ जाती थी और सारी कोठरी पत्तियों और झाड़-झंछाड़ के टुकड़ों से भर जाती थी। हर रोज दोपहर में लगभग दो बजे आधी-त्रैसी हवा चलती थी। कुछ मिनटों के लिए समूची कोठरी में रेत भर जाती और हमारी आँखों, कानों, गले और नाक में धूम जाती। जब आधी रुकती तो हमारी कोठरी—जिसे हम हर रोज साफ करती थी—ऐसी लगती थी, जैसे किसी बहुत बड़े सूफान ने इस पर हमला किया हो। ऐसे ही दिनों में मैं दुलाली के गुणों की बहुत प्रशंसा करती थी। हर रोज शाम को वह बड़े धोरज के साथ कई बाल्टी पानी लाती, सारे कम्बलों, कपड़ों और पुस्तकों को अच्छी तरह झाड़ देती थी और समूची कोठरी को तब तक पानी से रगड़-रगड़कर साफ करती जब तक धूल का नामोनिशान भी नहीं खरम हो जाता। यदि दुलाली हमारे साथ नहीं होती तो मेरे अन्दर न तो इतनी ताकत थी और न नल के पास खड़े होकर एक-एक बूँद पानी से बाल्टी के भर जाने का इंतजार करने का धैर्य था। धूल से मैं बुरी तरह थक जाती थी और स्वभाव में बेहद चिड़चिड़ापन आ जाता था जिसके कारण मैं ठीक ढंग से कुछ भी नहीं सोच पाती थी। दूसरी तरफ दुलाली पर इन चीजों का कोई असर नहीं दिखायी पड़ता था। वह बेहद फूर्तली थी और हर तरह के मौसम में कठिन काम करने की उसकी आदत थी इसलिए उसने कभी मेरी तरह सरदर्द की शिकायत नहीं की।

जमशेदपुर में शुरू में उन पादरी महोदय द्वारा मेरे प्रति दिलचस्पी लिये जाने के बाद मेरे पास समय-मसय पर कई दूसरे पादरी और नन आने लगी जो यहाँ के विभिन्न मिशन स्कूलों और कॉलेजों से सम्बद्ध थी। मैं उनके उपहारों तथा उनके द्वारा अपने 'साहस' की तारीफ सुनकर बहुत उलझन में पड़ जाती, यह सोचकर कि मैं उनको किसी तरह का बहुत कम संतोष दे पाती हूँ। हालाँकि हमारी और उनकी दुनिया के बीच बहुत फर्क था और मैं उनके काम को भारत की समस्याओं के संदर्भ में संगत नहीं मानती थी फिर भी मैं उनकी निष्ठा का सम्मान करती थी। जहाँ तक मैं समझ सकी थी, उनके स्कूलों के जरिये

अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का एक अभिजात वर्ग तैयार किया जा रहा था और इन स्कूलों में पढ़ने वाले लोग वर्षों तक इन संस्थाओं से जुड़े रहने के फलस्वरूप देश की बाकी आबादी से पूरी तरह कट जाते थे। इसके अलावा व्यापक भ्रष्टाचार में शामिल हुए बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना अमम्भव था। एक पादरी ने मुझे यह बताया कि अपने स्कूल के लिए छात्र सामानों की नियमित सप्लाई की गारंटी के लिए उन्हें स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लडकों को छात्र के रूप में अपने यहाँ भर्ती करना पड़ता है।

एक दिन वेहद गर्मी पड़ रही थी और मुझे दो ननों से मिलने के लिए जेल के ऑफिस में बुलाया गया—इनमें एक स्विम थी और दूसरी आस्ट्रियन। उनके निर्विकार और चमकते चेहरे तथा शान्तिपूर्ण मुद्राओं से साफ लगता था कि वे अपने इर्द-गिर्द की घटनाओं से पूरी तरह उदासीन थीं। कुछ विशिष्ट भूतपूर्व कैदियों की तस्वीरों के नीचे वे बैठी हुई थीं और सुपरिंटेंडेंट की पत्नी की ओर से पेग की गयी कॉफी की चुस्की लेते हुए तथा केक खाते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं हज़ारीबाग की धून भरी गर्म मडक से तथा धूप से झुलसे खेतों से कुछ हज़ारों मील की दूरी पर खड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं टहलती हुई खिड़की तक पहुँच जाऊँ तो मुझे पहाड़ों की हरियाली और बर्फ से ढँकी चोटियाँ दीव्य जायेंगी। वे भारत में विताये गये अपने साठ वर्षों के लंबे समय से पूरी तरह अप्रभावित लग रही थीं। एनपाइन के फूलों और स्विट्ज़रलैंड के सैरगाहों से सम्बन्धित पुस्तकों को देखकर मेरी यह धारणा और पुष्ट हुई—ये पुस्तकें वे मेरे लिए लायी थीं। हालाँकि मैं वास्तविकता से उनके कटे रहने की बजाय उनके लालसारहित आनंद के बारे में सोचती रही, फिर भी मुझे मिलने की उनकी उदारता की सराहना किये बिना भी न रह सकी।

उस दिन दोपहर बाद ऑफिस से वापस लौटते समय मुझे रास्ते में एक कैदी मिली जिसने अभी कुछ ही दिन पहले हमारे बॉर्ड में प्रवेश किया था। वह जाति की घोबिन थी और चूँकि वह हमेशा हमारे ऊपर घिर रहे दुर्भाग्य की भविष्यवाणी किया करती थी इसलिए उसे अन्य महिलाएँ ज्यादा पसन्द नहीं करती थीं। उगने मुझे अत्यन्त रहस्यमय ढंग से अपनी ओर आने का इशारा किया। मैं समझ नहीं पायी कि मामला क्या है और नेजी में उम कोने की तरफ बढ़ी जहाँ वह कुछ अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई थी। मुझे बैठने का इशारा करते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, “दीदी क्या तुम जानती हो कि गर्भपात कैसे किया जाता है?” मैं सकते में आ गयी। हालाँकि कई अजीबोगरीब अनुरोध मेरे सामने आ चुके थे, यह पहला अवसर था जब मुझे इस तरह का काम करने को कहा गया। उन्हें यह बताते हुए कि इन मामलों में मुझे थोड़ा भी अनुभव नहीं है, मैंने जानना चाहा कि किसको गर्भपात कराना है। उसने अलमोनी की तरफ इशारा किया। वह एक दुबली-पतली और बीमार-सी दिखने वाली औरत थी और उसके हाव-भाव तथा उदास चेहरे को देखकर मुझे काफी पहले ही शक हो गया था कि वह गर्भवती है। अलमोनी का पति एक धनी किसान को लूटने की कथित कोशिश में लड़ाई के दौरान मारा गया था। उस घटना के बाद उसे और उसकी सहेली राधामोनी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उस घोबिन ने अलमोनी को यह समझा दिया था कि जब वह जेल से रिहा होकर जायेगी तो गाँव में कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि यह बच्चा उसके मृत पति का है। वे समझेंगे कि जेल में ही वह गर्भवती हुई

है और उसे गाँव से बाहर निकाल देंगे। यह आम धारणा थी कि जेल एक ऐसी खतरनाक जगह है, जहाँ औरतें अपने सतीत्व की रक्षा नहीं कर सकतीं और हालाँकि मेरे सामने कभी ऐसी कोई घटना नहीं आयी जिससे इस धारणा की पुष्टि हो सके। फिर भी अलमोनी को उम घोबिन ने बड़ी आसानी से अपनी बातों की चपेट में ले लिया। इसके अलावा वह भी नहीं चाहती थी कि बच्चा पैदा हो। वह समझ नहीं पाती थी कि पति के मर जाने के बाद वह इस बच्चे का पालन-पोषण कैसे कर पायेगी जबकि पहले से ही उसके दो बच्चे घर पर पड़े हुए हैं। उसने तय किया कि इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है और वह है गर्भपात। मैंने उसे मलाह दी कि वह यह विचार छोड़ दे क्योंकि इस तरह के कामों के लिए जेल में भुविघाएँ नहीं उपलब्ध हैं। लेकिन ऐसा लगता था कि उसने बच्चा न पैदा होने के लिए अपने को दिमागी तौर पर पूरी तरह तैयार कर लिया था। उसने खाना-पीना बन्द कर दिया और यह आशा करने लगी कि शायद कमजोरी की वजह से अपने आप ही गर्भपात हो जाये।

हमारा बहुप्रतीक्षित होली-समारोह महिला कंदियों के बीच एक नया सम्बन्ध कायम करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। निर्धारित तिथि से पहले पड़ने वाले इतवार के दिन हमने उपवास किया और अपने सारे साधनों को एक जगह जुटाया। हमारे पास आटा, शीरा, आलू, सरसों का तेल और मिर्च का भण्डार इकट्ठा हो गया। सवेरे का वक्त हमने पूड़ी और आलू की सब्जी बनाने में गुजारा, तेल में खूब अच्छी तरह तलकर कुछ चिल्ले बनाये और नीम के पेड़ के नीचे एक बड़े घेरे में बैठकर हम लोगों ने साथ-साथ भोजन किया। हालाँकि महीनों से हम लोग जो खाते आ रहे थे, उससे बहुत अच्छा खाना आज मिल रहा था फिर भी मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि पहली बार हमने पूरी एकता के साथ कोई कार्यक्रम तैयार किया और उसे कार्यान्वित भी कर दिया। उस समय एकता का जो वातावरण बना, तरह-तरह की जातियों और किस्मों के लोगों का जो संगम हुआ, तमाम आपसी विद्वेषों और अवरोधों पर जो विजय मिली, वह भले ही थोड़ी ही देर के लिए क्यों न रही हो मेरे जेल-जीवन के अनुभव का एक अद्भुत अनुभव था।

२८ अप्रैल को हमें जमशेदपुर नहीं ले जाया जा सका। इसका कारण यह था कि हजारीबाग में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो गये थे और पुलिस के सभी उपलब्ध दस्तों को इन दंगों को शांत करने के लिए लगा दिया गया था। मज्जे की बात यह थी कि जेल के अन्दर हिन्दू और मुसलमानों के बीच गजब की एकता थी। जहाँ तक दंगों की बात है अप्रैल का महीना हमेशा बुरा साबित हुआ था। होली के कुछ ही दिनों बाद मुसलमानों का एक त्यौहार हिन्दुओं के त्यौहारों के साथ-साथ पड़ता और आमतौर से कुछ कट्टरपंथी इस इंतजार में रहते थे कि इन धार्मिक सम्प्रदायों के दोनों गुटों के बीच गड़बड़ी पैदा कर दी जाये। काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई थीं और हमारे बाँडों के एक तरफ़ के बाँडों में हिन्दुओं को तथा दूसरी तरफ़ के बाँडों में मुसलमानों को रक दिया गया था और दोनों अपने-अपने नारे लगाते थे। उस समय इस बात का कोई संकेत भी नहीं दिया गया कि हमारा मुकदमा कितने दिनों तक स्थगित रहेगा। मुझे यह मोचकर आराम मिलता था कि इस घूप और सू में मुझे सफ़र नहीं करना पड़ेगा।

हालाँकि जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन अब शांत हो गया था फिर भी

हड़ताली स्कूल-अध्यापकों और कारखाना-मजदूरों से जेलें भरने लगी। एक दिन लगभग १७ वर्ष की एक लड़की को कुछ लोग ढोकर ले जा रहे थे—उसके मिर, कांधे, पीठ और पैर में गोलियों के घाव थे। उसने एक मिशन स्कूल से मैट्रिक किया था और उसके परिवार के लोग अब उसे अधिक नहीं पढा सकते थे इसलिए एक कोयला खान में उसे नौकरी करनी पड़ी थी। हालांकि कोयला खान की वास्तविक सतह पर काम करने के लिए काफ़ी पहले से औरतों पर प्रतिबंध था फिर भी वे अपने मरों पर खान से कोयले से भरे टोकरे ढोकर टुकों तक पहुँचाती थीं। मैं यह सोचकर हैरान हो गयी कि वह दुबली-पतली लड़की, जो देखने में एक बच्चे-जैसी लगती है, किम तरह अपने सर पर कोयले से भरी टोकरी ढोती रही होगी। उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आयी होगी। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे चोट लगी।

उसने बताया कि उसके खान मजदूरों ने 'आधिकारिक' यूनियन से असंतुष्ट होकर एक दूसरा संघ बना लिया था और मजदूरी में वृद्धि के लिए तथा जीवन-यापन की स्थितियों में सुधार के लिए उन्होंने एक-दो बार हड़तालें की थी। व्वाटर के नाम पर उनके पास लोहे की लहरदार चद्दरों की धाजन वाला एक कमरा था और पानी-सप्लाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। वह दिन भर में केवल चार रुपये कमाती थी और उस समय चावल की क्लिमत प्रति किलोग्राम तीन रुपये से भी अधिक थी। एक रात कांग्रेस समर्थित 'आधिकारिक' यूनियन के कुछ नेता अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर वहाँ पहुँचे और मजदूरों को उनकी झोंपड़ियों से बाहर बुला लिया। फिर दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई और झगड़े को निपटाने के लिए पुलिस पहुँची। पुलिस ने गोली चलायी और सात व्यक्ति घायल हुए—ये सभी मजदूरों की अपनी यूनियन के सदस्य थे। वे तथा यूनियन के कुछ अन्य सदस्य दंगा भडकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिये गए।

अब तक मैं अपने मुकदमे के मिलसिले में लगातार हो रही देर की अभ्यस्त हो चुकी थी। फिर भी मैं अक्सर यह सोचा करती कि मेरे माता-पिता को कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं अनुमान लगा सकती थी कि वे हर जयी तारीख की खबर पाकर इस आशा में रहते होंगे कि मेरा मुकदमा सचमुच अब शुरू होने जा रहा है। वे कैसे उन एक-सौ एक सम्भावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी वजह से मेरा मुकदमा बार-बार मुलतवी किया जा रहा था, दूसरी तरफ़ उनके पत्नों में हमेशा मेरे बारे में चिन्ता रहती थी। उन्हें भय था कि बार-बार मुकदमे के स्थगित किये जाने से उत्पन्न तनाव को मैं शायद बर्दाश्त न कर पाऊँ। इतने वर्षों तक जेल में रहने के बाद मेरे परिवार के सदस्यों और मेरे मित्रों ने मुझ छोड़ा नहीं था—इस तथ्य का जेल के कर्मचारियों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता था। इससे वे यह सोचते थे कि मैं जरूर कोई महत्त्वपूर्ण महिला हूँ। स्पेशल ब्राच के एक अधिकारी ने एक बार उच्चायोग के अधिकारी से जानना चाहा कि क्या मैं किसी बहुत बड़े घराने से सम्बन्ध रखती हूँ। उनका अनुमान यह था कि यदि ऐसा नहीं है तो लोग मेरे बारे में इतने चिंतित क्यों हैं।

एक दिन मैंने ब टाइम्स में पढा कि हैलडेन सोसाइटी ऑव लाइवर्स ने श्रीमती गांधी के पास विरोध प्रकट करते हुए लिखा है कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाने में इतनी देर क्यों की जा रही है। इसके कुछ ही दिनों बाद चीफ-हेड थॉर्डर ने मुझे बताया कि बी० बी० सी० वर्ल्ड सविस ने मेरी गिरफ्तारी के बारे में समाचार दिया था। मैं जानती थी कि देर-सवेर मेरे मित्रों और परिवार के सदस्यों द्वारा किये गये प्रयत्नों का असर पड़ेगा और मेरा मुकदमा जल्दी ही शुरू

होगा। फिर भी इसके नतीजे के बारे में मुझे बराबर संदेह रहा। मैंने सोचा कि इतने दिनों तक मुझे गिरफ्तार रखने का औचित्य साबित करने के लिए शायद अधिकारीगण मुझे अपराधी साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीस साल की सजा को घमकी एक ही बार नहीं बल्कि कई बार दी गयी थी।

१० मई १९७५ को चीफ-हेड वॉर्डर ने मुझे बताया कि अगले दिन सबेरे आठ बजे मुझे जमशेदपुर जाना है और मैं तैयार हो जाऊँ। दूसरे दिन लगभग दस बजे तक मैं इंतजार करती रही। अपने फटे-पुराने खाकी रंग के धूलों तथा पुस्तकों और कपड़ों से भरे कार्ड बोर्ड के बक्सों से घिरी मैं अपने कम्बल पर लेटी हुई थी कि तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, "मौसी, अलमोनी का बच्चा गिर रहा है।" जेल में थोड़ी भी गोपनीयता नहीं थी—यहाँ तक कि बच्चे भी जानते थे कि किसको मासिक घमं हो रहा है, कौन गर्भवती है और अब वे सभी अलमोनी का गर्भपात देख रहे थे। मैं दौड़ती हुई डामिटरी तक गयी जहाँ अलमोनी एक कोने में पड़ी कराह रही थी। उसके पैर मुड़े हुए थे और एक-दूसरे से दूर फैले हुए थे। एडियाँ फर्श पर तेजी से गड़ी हुई थी और एक औरत उसके पेट पर मालिश कर रही थी तथा दूसरी उसके कंधों को मल रही थी जिससे पेट में से भ्रूण किसी तरह बाहर आ जायें। उसका रंग एकदम पीला पड़ गया था, शरीर पसीने से तर-ब-तर था और वह दर्द से चीख रही थी। मैं उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पायी। मुझसे यह सब देखा नहीं जा रहा था। मैं बार-बार दूर जाती थी और फिर वापस लौट आती थी। न तो मुझसे उसे छोड़ते बनता था और न उस दृश्य को देखकर मैं चक्कर और उबकाई से अपने को बचा ही पाती थी। मैंने उसके गीले बालों को पीछे बाँधना चाहा लेकिन एक दूसरी औरत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि इससे बच्चा उसके गर्भ में बँधा रह जायेगा और गर्भपात में और भी ज्यादा देर होगी। लगभग एक घंटे बाद तीन महीने का भ्रूण दिखायी दिया और उसे डामिटरी के एक कोने में फेंक दिया गया जहाँ वह तब तक पड़ा रहा जब तक उसे बाहर फेंकने के लिए मेहतरानी को बुला नहीं लिया गया। अलमोनी के शरीर में तेल की मालिश की गयी और कम्बलों से ढककर उसे आराम करने के लिए तथा इस सारी दुर्दशा के आतंक से छूटकर सामान्य स्थिति में आने के लिए छोड़ दिया गया। जब तक डॉक्टर पहुँचा सारा काम हो चुका था।

उस दिन दोपहर बाद तीन बजे हम सभी डामिटरी में थीं। तेज हवा के झोंके दरवाजे की टूटी खिड़कियों से टकरा रहे थे और सलाखों पर सटक रहे फटे-पुराने बोरो से होकर रेत के झोंके अन्दर भरते जा रहे थे। डामिटरी में चारों तरफ रेत भर गयी थी। प्रकाश की माँ दर्जों के अंदाज में बँठी हुई थी—उसका अपंग पैर उस गंदी रजाई पर बड़े बेलुके ढंग से फैला हुआ था जिसे वह इधर-उधर से जूटायें गये कम्बल के टुकड़ों और गाँठ लगे धागों की मदद से सिल रही थी। उसके बगल में अपनी छाती नंगी धोले बिरसी पालयी मारकर बँठी थी और अपने फटे-पुराने ब्लाउज में से जूएँ निकाल रही थी। थोड़ा नीचे दुलाली और कौरमी मीपी हुई थीं—उनके चेहरों पर रेत जमी पड़ी थी और उनके पैरों तथा जेल से मिली मोटे कपड़े की साड़ी पर असंख्य मक्खियाँ भिनभिना रही थी तथा सफेद साड़ी पर काले रंग की धितियाँ छोड़ती जा रही थीं। डामिटरी के मध्य में बुधनी अपने कूल्हों का टेक लगाकर बँठी थी और उसके सामने कोयले की अँगोठी थी जिसे उसने तेल के एक पुराने टिन में बनाया था। वह हवा से उसे बचा रही थी ताकि

शाम के लिए उस पर कुछ चपातियाँ बना ले। उसके माथे पर और गर्दन पर से पसीना बह रहा था जिससे उसके नीले ब्लाउज का रंग गाढ़ा नीला हो रहा था। कुछ बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे जो उन्होंने मिट्टी से बनाकर घूम में सुखा लिये थे—उन्होंने छोटे-छोटे बतन, गुड़िया और जानवर बनाये थे। बूढ़ी गुरुवाड़ी यानी मेटिन अपनी चादर के अन्दर खरटि ले रही थी जबकि ड्यूटी पर तैनात वॉर्डर लकड़ी के तख्त पर लेटकर रोज की तरह मालिश का मजा ले रही थी। बुधनी की सास बशीरन 'दादी' खाँसी का एक ताजा दौरा पढ़ने के बाद हाँफ रही थी। उम्र और मेहनत के कारण उसका शरीर सूख गया था और चेहरा कमजोर लग रहा था। सावित्री भी आराम कर रही थी, वह बहुत चिंतित और घबरायी हुई थी—आज लगातार तीसरे दिन उसके मुँह से खून के थक्के गिरे थे। मेरी बगल में एक नौजवान क़ैदी शांति बैठी थी। क़ैदियों में एक 'वफादार' से उसकी दोस्ती हो गयी थी और वह भंडार-घर से शांति के लिए कपड़े और धागे ला देता। शांति अपने उसी दोस्त क़ैदी के लिए स्कार्फ़ सिल रही थी। सत्या उसकी क़सीदाकारी को देख रही थी—वह १२ वर्ष की थी और बहुत ऊब तथा अकेलापन महसूस करती थी। मैं शांति द्वारा बनाये लिहाफ़ पर पसर गयी। सत्या ने मेरे सर के नीचे एक तकिया लगा दिया था और मैं लेटे-लेटे आयरलैंड के बारे में एक पैम्फलेट पढ़ रही थी जो किसी तरह सेंसर वालों की रुकावट को तोड़कर मेरे पास तक पहुँच गया था—बाहर की दुनिया से कटी मैं इस मामूली-सी खुराक में निमग्न थी। प्रकाश मेरे पाँव के पास बैठकर तेल लेकर मालिश कर रहा था और बड़ों की नकल उतारते हुए मेरे पैर की उँगलियों को चटखा रहा था। मेरी बायीं ओर अलमोनी बेचैन हालत में पड़ी थी और कराह रही थी। धकान और तेल से उसके बाल गीले तथा उलझे हुए थे। राधामोनी उसकी हथेलियों और कलाई को धीरे-धीरे मल रही थी ताकि उसके पतले और ठंडे शरीर को कुछ गर्मी मिल सके—उसका शरीर ठंडा पड़ गया था जबकि हम सब गर्मी और सूखेपन से परेशान थी। नीचे बिछे उसके पतले कम्बलों से बदबू आ रही थी। समूची डामिटरी का माहौल धूल से भारी हो रहा था और चारों तरफ सरसों तथा नारियल के तेल, पसीना, पेशाब और खाना पकाने की गंध भरी हुई थी।

हम लोग उस दिन असाधारण रूप से शांत थे। शायद अलमोनी के दर्द को देखकर उदास थे। यहाँ तक कि बच्चे भी न तो दौड़ रहे थे और न उस समय छुशी में चीख रहे थे, जब लगता था कि हवा उनको लेकर उड़ जायेगी। उन गर्म दुपहरियों में हमारे अन्दर स्वतंत्रता का अजीब बोध होता। हम जानती थी कि इस तपती हुई दुपहरी में किसी वॉर्डर की इधर आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी और हम सारी मर्यादा को ताक पर रखकर घूटनों तक साड़ी को उठाये आराम से लेटी रहती थी। लगभग ४ बजे क़ैदी नवपूवतियाँ अपने बालों में कंधों करना शुरू करती और तरह-तरह से अपने बाल बनाती, माँगों में सिद्र भरती, आँखों में काजल लगाती और साड़ी को हाथ से मल-मलकर ठीक करती फिर दिन का मुख्य कार्यक्रम शुरू होता जब घुँघलके से कुछ पहले शाम की दाल और सब्जी तथा मरीजों के लिए दवा की कुछ टिकियाँ लेकर पुरुष क़ैदी हमारे अहाते में प्रवेश करते।

अचानक फाटक के बाहर की घंटी जोर-जोर से बजने लगी। महिला वॉर्डर अपनी नंगी छातियों को छिपाने की कोशिश में साड़ी को अपने चारों तरफ लपेटती हुई और सर पर आँचल रखती हुई तेजी से उठ बैठी। उसके प्रिय मनुआ ने बूढ़ी



गुरुवाडी को झिझोड़ते हुए जगाया। उनीदी हालत में ही भेंटिन नगे पाँव जलते हुए रेत को पार करती हुई फाटक तक यह देखने दौड़ पड़ी कि कौनसे जरूरी सदेश ने हमारी शांति में खलल डाल दिया।

“मेरी टाइलर को जमशेदपुर जाना है।”

“क्या, अभी?”

“हाँ, फौरन, उसे कहो जल्दी तैयार हो जाये।”

गुरुवाडी दौड़ी-दौड़ी मुझसे बताने आयी। मैं किकतंभ्यविमूढ हो गयी। दोपहर में जो वॉर्डर ड्यूटी पर आयी थी, उसने तो मुझसे बताया था कि हमारे साथ जमशेदपुर तक जाने के लिए कोई पुलिस दस्ता ही उपलब्ध नहीं है। अब मुझे पन्द्रह मिनट के अन्दर ही तैयार हो जाना था। मेरे सामान को फिर जल्दी-जल्दी बाँधा गया। शांति ने मेरे बालों में कंधी कर दी और दुलाली तथा कोरमी ने खाकी रंग के मेरे थैलों को रस्सी में बाँध दिया। बुधनी अपने शाम के खाने के लिए बनायी चपातियाँ लेकर दौड़ी-दौड़ी आयी। चपातियों को अल्यूमीनियम की एक प्लेट में रखते हुए उसने मेरे सामने बढ़ा दिया।

“दीदी, तुम इसे खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी।”

“फिर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा।”

“नहीं दीदी, मेरे पास अभी और है। तुम इसे जरूर खा लो—बड़ा लम्बा सफर है।”

मनुआ घोड़ी-सी चीनी तलाशने लगी जिसे उसने गाढ़े समय के लिए बचाकर कहीं रख छोड़ा था। उसने घड़े से ठंडा पानी निकालकर एक बर्तन में डाला और चीनी घोलने लगी, फिर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली—

“दीदी यह शरबत पी लो। बहुत गर्मी है और जीप में तुम्हें प्यास लग जायेगी।”

बच्चे मुझे घेरकर खड़े हो गए थे— वे मेरी साडी को छू रहे थे और सहला रहे थे और अपनी चिपचिपी छोटी उँगलियों से मेरा हाथ दबा रहे थे।

“मौसी, तुम कब वापस आओगी?”

“बस, बहुत जल्दी। तुम देखते नहीं वे हरदम मुझे ले जाते हैं और वापस लाते हैं। मुझे पक्का पता है कि मेरा मुकदमा अभी नहीं शुरू होगा और मैं फिर तुम लोगों के पास वापस जा जाऊँगी।”

लेकिन यह मेरी अंतिम मुलाकात थी। आज मैं उनसे हमेशा के लिए विदा ले रही थी।

किसी तरह भंडार-घर में हरी को पता चल गया था कि मैं जा रही हूँ। वॉर्डर से कुछ पूछने के बहाने वह फाटक तक आया और तेजी से पंटी बजाने लगा। डामिटरी के भीतर से भी हम लकड़ी के टुकड़ों से बने फाटक के पार उसका धूल भरा चेहरा पहचान गयी। सभी जानती थी कि वह मुझे विदा देने आया था। मैं अकेले फाटक तक गयी।

“दीदी, मैंने सुना है तुम जा रही हो?”

“हाँ, मैं फिर जा रही हूँ। जाने की दरअसल कोई तुक नहीं है लेकिन मैं सोचनी हूँ कि मुझे चले ही जाना चाहिए। मैं इस भीषण गर्मी में खुली जीप में मर जाऊँगी। ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी मुझे मार डालना चाहती है। लेकिन हमारे अंदर हर तरह की मुसीबतें बरदाश्त करने की धमता होनी चाहिए—क्यों? बंशक, मैं जाने से इनकार कर सकती थी। यह एक और फालतू

यात्रा है।”

“नहीं दीदी, तुम्हें जाना ही चाहिए—कम से कम दूसरों के लिए ही सही। यदि तुम नहीं जाओगी तो मुकदमे में और भी देर हो सकती है। दूसरों की भलाई के लिए कुरबानी तो देनी ही पड़ती है।”

बेशक, वह इसे जानता था तभी तो वह जेल में पड़ा था।

उम दिन मैंने हरी, दुलाली, कोरमी और अपनी सारी प्रिय सहेलियों तथा बच्चों से विदा ली—मुझे पक्का यकीन था कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। मैं नहीं जानती थी कि दो महीने के अन्दर ही मैं इंग्लैण्ड पहुँच जाऊँगी और वे महज कुछ विचारों, यादों और मेरे सोते-जागते स्वप्नों के रूप में ही मेरे साथ रह पायेंगे।



## लंदन का टिकट

बीना और मैं एक-दूसरे को आश्चर्य में डाल देने वाली योजनाएँ बनाती रहती थी। मैं खासतौर से उससे मिलने की आस लगाये थी। मैंने अपने हिस्से का राशन बेच-कर उसके लिए एक गज कपडा ले लिया था और ब्लाउज तैयार कर दिया था। लेकिन ने बगीचे से तोड़कर मुझे कुछ मिर्चें, लहसुन और घनियाँ की पत्तियाँ दे दी थी ताकि मैं उसे बीना तक पहुँचा दूँ। बीना कभी चावल के साथ परोसे जाने वाली दाल और सब्जी नहीं खाती थी। उसे थोड़ा-सा नमक और एक-दो मिर्चें या थोड़ी-सी चटनी की जरूरत पड़ती थी और उसी से वह अपना काम चला लेती थी।

मेरे न रहने पर उसने मिट्टी का एक खूबसूरत झूहा बना लिया था। मेरी कोठरी के पीछे वाले अहाते में कभी कोयले की राख फेंकी जाती थी और बीना ने वहाँ की मिट्टी खोद-खोदकर कोयले के ढेर सारे छोटे टुकड़े इकट्ठे कर लिये थे। उन टुकड़ों को मिट्टी में गूँधकर उसने कई गोलियाँ बना ली थी और उन्हें घूप में सुखा लिया था जिससे वे बहुत अच्छे ईंधन का काम करने लगे थे। लकड़ी और टीन के पुराने टुकड़ों से उसने रसोईघर में काम आने वाली कुछ जरूरी चीजें, मसलन एक छननी, नूडल बनाने के लिए एक बोर्ड और चम्मच आदि तैयार कर ली थी। उसने रोजाना सुबह मिलने वाली मटर में हमेशा पाये जाने वाले गेहूँ और जौ के दाने भी जमा कर लिये थे। महिला वॉर्ड में रखी चक्की पर उन्हें पीस-कर अब वह सेर-दो सेर आटा तैयार कर सकती थी। इस चक्की पर औरतें जेल-कर्मचारियों के लिए आटा और मसाला पीसा करती थी। बीना की यह सारी तैयारियाँ मेरे लिए थी। वह कुछ देहाती व्यंजन बनाना चाहती थी ताकि रोज मिलने वाले जेल के खाने से किसी दिन छुट्टी मिले। उसकी साधन-सम्पन्नता से मैं हमेशा हैरान हो जाती थी। यदि कभी किसी चीज की मैं माँग करती तो वह फौरन कोई जवाब नहीं देती। कभी-कभी तो वह

कई-कई दिन तक उस विषय पर कोई बात भी नहीं करती और फिर अचानक मेरे सामने वह चीज लाकर रख देती जिसकी मुझे जरूरत थी। इस प्रकार धीरे-धीरे हमने कीलों और छूंटियों का इन्तजाम कर लिया ताकि चूहों से बचाव के लिए हम अपना सामान इन पर टांग सकें। अपने छोटे-से बगीचे में चिड़ियों को डराने के लिए भी हमने एक उपाय ढूँढ निकाला और इसी तरह ढेर सारे सामान हमने इकट्ठा कर लिए। मेरी कोठरी के ऊपर एक कोटर में गौरियों ने घोंसले बनाये थे जिनमें से प्रायः कुछ तिनके और घागे के छोटे-छोटे टुकड़े गिरते रहते थे। बीना इन सबको एक जगह इकट्ठा कर रही थी और एक दिन उसने इन्हीं सामानों से तैयार की गयी खूबसूरत और मजबूत अलगनी मुझे दी ताकि मैं अपने कपड़े सुखा सकूँ। हम लोग इतने नज़दीक रहती थी फिर भी मैं कभी यह जान ही न सकी कि बीना को यह सारी चीजें कहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं था। दरअसल वह हमेशा चौकन्नी रहती थी और ऐसी किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देती थी जिसका कोई इस्तेमाल किया जा सकता है। बचपन से ही उसे अपनी योग्यता और निपुणता पर निर्भर रहने का अभ्यास हो चुका था और इसीलिए ये सारी बातें उसके लिए बड़ी स्वाभाविक थी।

१५ मई बृहस्पतिवार का दिन भी आ गया। अदालत जाने के खयाल से ही मुझे दहशत होने लगी और मैं सोचने लगी कि हर बार की तरह पुलिस की दम-घोंट गाड़ी में बैठकर एक लम्बे इन्तजार में समय गुजारना पड़ेगा। यह मई का महीना था और मौसम में गर्मी तथा नमी अपनी चरम सीमा पर थी। हमने बार-बार विरोध किया था कि अदालत में जाने से पहले इन्तजार करने के लिए हमें पीने के पानी तथा शौचालय आदि की सुविधाओं से युक्त हवादार कमरा दिया जाए। हमारे इस विरोध पर जज ने ध्यान दिया था पर उसने जो आदेश जारी किये थे उन पर पुलिस ने कभी अमल नहीं किया और हमें पहले ही की तरह उसी भीड़ भरी गाड़ी में बैठकर इन्तजार करना पड़ रहा था। मेरे साथ हमेशा एक महिला वॉर्डर को सम्बद्ध कर दिया जाता था और उसे हिदायत दी जाती थी कि वह मुझे एक मिनट के लिए भी छोड़कर न जाये। हम दोनों ड्राइवर की सीट की बगल में एक-दूसरे से सटकर बैठी रहती, हमारी साड़ियाँ हमारे गीले बदन से चिपकी होतीं और पर्याप्त हवा न होने तथा सामने के शीशे पर सूरज की तेज़ किरणों के पड़ने से हमारे सिर में भयंकर दर्द होने लगता। हम न तो अपने पैर फँला सकती थीं और न पीने के लिए पानी पा सकती थीं। प्यास लगने पर गाड़ी के आसपास टहलते पुलिस के जवानों से बार-बार अनुरोध करना पड़ता और उन्हें समझाना पड़ता लेकिन जो लोग गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में थे उनकी और भी बुरी हालत थी।

अदालत में हमारी पेशी के समय तीन विभिन्न पुलिस दलों के संतरी हमारी निगरानी के लिए तैनात रहते। इनमें काली टोपी वाले सशस्त्र रक्षा दल, हरी टोपी वाले मिलिटरी पुलिस और लाल टोपी वाले नियमित पुलिस के जवान हुआ करते थे। पेशी की इस सारी कार्यवाही से हमें जितनी ऊब होती थी उतनी ही ऊब इन्हें भी होती थी लेकिन ये लोग कम-से-कम पेड़ों के नीचे खुली हवा में खड़े होकर या अपनी राइफलों पर आगे की तरफ झुककर और एक-दूसरे के साथ बिना किसी सिलसिले की बातचीत करके अपना समय तो बिता सकते थे। कभी-कभी वे उन दर्शकों को भगाने के लिए चीख पड़ते जो उत्सुकतावश हमारी गाड़ी के करीब आ जाते थे। जेल कर्मचारियों की ही तरह वे अपनी सिलवट पड़ी वदियों को सँवारने

के लिए रंग-बिरंगे रुमालों और स्कार्फों को गले के गिदं बाँधे रहते। कुछ की कमर पर बेल्ट होती और कुछ अपनी कमीजों को पेट के बाहर निकालकर आराम से टहलते होते। इनमें से सबकी दाढ़ी के बाल बढ़े होते थे और सिर के बाल बिखरे होते थे।

उस दिन एक बड़ी उत्साहजनक घटना हुई। जज ने आदेश दिया था कि हमें अब जमशेदपुर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि सारे गवाहों को बुलाया जा रहा है और मुकदमे के शुरू होने में अब कोई देर नहीं है। मैं यह सोचकर खुश हो गयी कि आखिरकार कहीं रहने के लिए मुझे स्थायी तौर पर आदेश मिला। अब मैं अपनी किताबें और जरूरी कागजात छाँट सकूँगी, खुद के पढ़ने का तथा बीना की पढ़ाई में मदद पहुँचाने का कार्यक्रम तैयार कर सकूँगी। अदालत से वापस आने पर हम अपनी कोठरी को अधिक-से-अधिक आकर्षक बनाने में जुट गये। बीना ने किसी तरह एक वॉर्डर से कोठरी की सफेदी के लिए सामान इकट्ठा कर लिया था और अगले दिन सवेरे ही हमने अपनी कोठरी के बाहरी और भीतरी हिस्से की पुताई की। मेरे मामले से सम्बद्ध वाणिज्य दूत ने कृपा करके मेरे लिए प्लास्टिक के विविध प्रकार के कुछ थैले ला दिये थे ताकि मैं अपनी पुस्तकें और कपड़े उनमें सुरक्षित रख सकूँ। हालाँकि उन थैलों पर 'मदर केयर' और 'सेल फ्रिजेज' जैसे अमंगल शब्द छपे थे फिर भी सफेद दीवारों पर उनका टेंगा होना बहुत सुन्दर लग रहा था। मुझे इस बात पर खुद आश्चर्य हो रहा था कि मेरे अन्दर मुकदमा शुरू होने की सम्भावना से ज्यादा दिलचस्पी कमरे को और आसपास के वातावरण को दो दिनों बाद दोपहर का खाना खाने के कुछ ही देर पश्चात् मुझे ऑफिस में बुलाया गया। बहुधा इस समय अधिकांश लोग आराम करते रहते थे और किसी के आराम में खलल नहीं डाला जाता था। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए मैंने अपनी साड़ी खोलकर टाँग दी थी और ऑफिस का बुलावा सुनते ही मैं जल्दी से उसका चेहरा देखकर ही मैं समझ गयी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने टेली-फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फलकत्ता से उप-उच्चवायु ने अभी-अभी फोन पर यह खबर दी है कि बृहस्पतिवार १५ मई को मेरी माँ की मृत्यु हो गयी। हालाँकि यह खबर मेरे लिए एक बेहद गम्भीर सदमे की तरह थी फिर भी अपने इन पाँच वर्षों के जेल-जीवन में मैं शायद लगातार इस तरह की खबर का अपने अवचेतन में इन्तजार कर रही थी। मेरी माँ काफ़ी दिनों से हृदय रोग से ग्रस्त थी और मुझे बहुधा हैरानी होती थी कि यह सारा तनाव वह कैसे झेल रही होंगी। आखिर वह क्षण आ ही गया जिसकी मुझे आशंका थी। मैं वापस सीधी अपनी कोठरी में गयी — मैं नहीं चाहती थी कि जेल के अधिकारियों के सामने मेरी आँवों से आँसू निकलें।

फाटक के अन्दर पहुँचते ही मैंने देखा कि बीना मेरी ओर चली आ रही है और उसके चेहरे पर एक कौतूहल था कि मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया गया था। मैंने उससे सारी बातें बतानी चाही लेकिन अब मुझसे अपने आँसू रोके नहीं गये। एक-दो दिन पहले ही मुझे अपनी माँ का पत्र मिला था जिसमें उसने मेरे लिए चिन्ता जाहिर की थी, अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था और मुझे उसने डाढ़स दिया था कि मैं न तो घबराऊँ और न निराश हों। अब वह दुनिया से जा चुकी है। बीना ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और धीरे-धीरे पानी के

नल की तरफ बढ़ी। नल के नीचे कांक्रीट के बने षट्कोर पर उसने मुझे बंठा दिया और लगातार एक के बाद एक मग पानी मेरे तपते सिर पर वह डालती रही। काफ़ी देर तक वह खामोश रही फिर बड़े शान्त स्वर में उसने मुझे दिलासा दिया और मुझे बहादुरी से काम लेने तथा उन लाखों-करोड़ों लोगों के बारे में सोचने को कहा जो हमसे भी ज़्यादा तकलीफें रोज़ उठा रहे हैं। मैं अकेली नहीं थी और मुझे यह याद रखना चाहिए कि जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं उनके लिए न तो गर्मी है और न सर्दी, उनका कोई व्यक्तिगत सुख या दुःख नहीं है। उनके लिए कोई चीज़ कठिन या आसान नहीं है। हर परिस्थिति को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना होगा।

इस प्रारम्भिक सदमे के बाद मैं एक पागलपन की धारा में बह गयी और उन सारे लोगों से नफ़रत करने लगी जिन्होंने मेरे निर्दोष और इस मामले से पूरी तरह असम्बद्ध माँ-बाप को इतना दुःख और यातना दी है। मैं बहुत निराश और असहाय महसूस करने लगी। मैं अपने पिता के बारे में सोचती रही जिनके सिर पर माँ की मौत और मेरी गिरफ़्तारी—दोनों का बोझ आ पड़ा है। लेकिन मैं उन्हें एक तार भी नहीं भेज सकती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह मैं उनसे और अपनी बहन से महज़ एक घंटे के लिए मिल पाती ताकि उन्हें थोड़ा-बहुत दिलासा दे पाती। मैं जानती थी कि वे यह सोचकर बहुत चिंतित होंगे कि माँ की मृत्यु का समाचार पाकर मुझे कैसा लगा होगा। मैंने उन्हें जो पत्र लिखा वह हर बार की तरह स्थानीय पुलिस ऑफ़िस में पन्द्रह दिन तक पड़ा रहा। सबसे बुरी बात तो यह हुई कि मुझे वाणिज्य दूत से मिलने की इजाज़त नहीं दी गयी जबकि वह खुद ही यहाँ आया था। ऐसा पहली बार हुआ था। मैं यह जानने के लिए बहुत व्यग्र थी कि मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई और मैं चाहती थी कि वाणिज्य दूत के जरिये अपने पिता के पास एक सदेश भेजूं लेकिन मुझे इसके लिए इन्तज़ार करना पड़ा। ऐसा लगता था कि मेरी ज़िन्दगी को नियंत्रित करने वाले नौकरशाहों के अन्दर कोई भी घटना मानवीयता नहीं उत्पन्न कर सकती है। सौभाग्य से मेरे पास बीना तथा अन्य औरतें थी जिनसे मैं अपने मन की बात कह पाती।

हज़ारीबाग और जमशेदपुर—इन दोनों जगहों में कीड़े-मकोड़ों से हमेशा हमारे सामने समस्याएँ पैदा होती रहीं। मैंने गौर किया कि मेरी बिल्ली के मर जाने के बाद चूहों की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। रात में कभी-कभी मैं महमूस करती कि मेरे नंगे शरीर पर से कोई चूहा गुज़र रहा है और मेरी नींद खुल जाती। एक बार मुझे लगा कि कोई चूहा मेरी एड़ी को कुतर रहा है। अगली रात एक टीन गिरने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गयी। चार चूहे किसी तरह शीरे की मेरी टीन में घुस गये थे और शीरे से तरबतर हो गये थे। अपने दाँती से उन्होंने जिस चीज़ को पकड़ लिया उसे बर्बाद करके छोड़ा। न जाने कितनी बार मुझे विशाल-काय चूहों के बारे में भयानक सपने दिखायी दिये। जब भी मैंने अधिकारियों से चूहेदानी की माँग की, वे इस तरह हँस पड़े जैसे मैं थोड़ी पागल हो गयी हूँ। अगली बार जून के मध्य में जब ब्रिटिश वाणिज्य दूत मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे अनुरोध किया कि वह मेरे अपने पैसे से बाज़ार से एक चूहेदानी ला दे। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने शायद पहले कभी किसी कैदी से इतनी आश्चर्यजनक चीज़ की माँग नहीं सुनी थी। फिर भी उसने यह माँग पूरी कर दी। एक सप्ताह के अन्दर मैंने मोटे-मोटे १७ चूहों को पकड़ा और इनके अलावा भी

अभी ढेर सारे बच रहे थे ।

लगभग इन्ही दिनों जेल को नया रूप देने के लिए कुछ निर्माण कार्य शुरू हुए । हमारी कोठरियों में बिजली के बल्ब लगा दिये गये । म्युपरिंटेंडेंट को अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व था । उसकी समझ में यह बात नहीं आ सकी कि इससे कैदियों की हालत में कोई सुधार नहीं होने जा रहा है । कुछ ही दिन पहले जेलर ने जेल मंत्री के नाम लिखे गये पत्र में बताया था कि वह बड़े और बीमार कैदियों को बाहर बरामदे में मोने की इजाजत दे रहा है ताकि वॉर्ड के दमघोंट वातावरण से वे बच सकें । अब बल्ब लगने से हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गयी । इन बल्बों को जलाने और बुझाने के लिए एक सेन्दूल स्विच थी और इसे सारी रात जलते छोड़ दिया जाता था । हमारी आँखों पर बल्ब की तेज रोशनी पड़ती रहती जिससे गर्मी भरी रातें और भी ज्यादा गर्म लगतीं । ताला बंद होने के बाद अँधेरे में हमें जो शांति मिलती थी उससे अब हम वंचित हो गये थे ।

हमारा मुकदमा अब २३ जून को शुरू होने वाला था । इससे कुछ ही दिन पहले समाचारपत्रों में भोजपुर जिले के एक गाँव हृदियाबाद के बारे में एक लम्बी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह जमींदारों और उनके आदमियों के एक गुट ने नक्सलवादियों को आश्रय देने के कथित आरोप में गाँव के हरिजनों से बदला लेने के लिए समूचे गाँव को ही जला दिया । १४ साल के एक लड़के को इन जमींदारों ने टुकड़े-टुकड़े करके काट दिया क्योंकि वे इस लड़के के पिता को—जो एक नक्सलवादी था—नहीं पकड़ सके थे । हरिजनों पर हमला करने वाले जमींदारों में से एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया हालाँकि उनमें से अनेक के नाम अखबारों में प्रकाशित हुए थे ।

मुकदमे की शुरुआत ने सारा मजा किरकिरा कर दिया । इतने दिनों से जिस महान घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वह इतने मद्दे और उबाऊ तरीके से आयी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी । बड़े अनाटकीय ढंग से मुकदमे की कार्यवाही चली और शुरू से ही यह स्पष्ट हो गया था कि फैसले तक पहुँचने में बहुत लम्बा समय लगेगा । एक-एक गवाह के सामने आने पर जज ने बड़ी मेहनत के साथ बिना शार्टहेण्ड की मदद लिये उसके बयानों को दर्ज किया । अभियोग-पत्र ने लगभग एक सौ गवाहों की सूची पेश की थी जिनमें से एक या दो को छोड़कर शेष सभी पुलिस के लोग थे । इन सारे गवाहों को अलग-अलग मुकदमों में बुलाया जाना था ।

अदालत का समूचा दृश्य मुझे ऐसा लग रहा था जैसे काफ़का के उपन्यासों में वर्णित कोई दृश्य हो : अदालत के पिछले हिस्से में मैं खड़ी थी और कुछ भी नहीं सुन पा रही थी कि काले रंग का चोगा पहनकर जज की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति और काले गाउनों तथा कलफ़ लगे सफ़ेद कालरों से सज्जित पवित्र-जैसी मुद्रा में लड़े वकीलों के बीच क्या बातचीत हो रही थी । मेरी इस शिकायत पर कि कुछ भी सुनायी नहीं पड़ रहा है, अभियोग-पत्र ने आरोप लगाया कि मैं जान-बूझकर बाधा डाल रही हूँ और मुकदमे की कार्यवाही में देर कराना चाहती हूँ । विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं था, कठपरे के सामने चल रही बातचीत अब भी फ़ार्नों तक नहीं पहुँच रही थी और मेरे सह-प्रतिवादियों में से कुछ ही ऐसे थे जो इस अवसर के लिए बिछाये गये कारपेट पर जहाँ तक सम्भव हो सकता था आगे बैठकर सारी बातें सुनने की कोशिश में अपने कान लगाये हुए थे ।

मैं दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गयी और समूची कार्यवाही को इस तरह

देखने लगी जैसे कोई बाहर से देख रहा हो जबकि उस समय प्रेत-जैसी आकृतियाँ मेरे भाग्य का फैसला कर रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाजें एक धीमी गुंज की तरह तैर रही थी। जिन सह-अभियुक्तों ने अब तक उनकी बातचीत सुनने की कोशिश छोड़ दी थी, वे अब शरारती स्कूली बच्चों की तरह मे हँसकर रहे थे। कोई मटर के दाने चबा रहा था तो कोई सामने बैठे लडके को छेड़ रहा था, कोई जम्हाइयाँ ले रहा था तो कोई अखबार में डूबा हुआ था। एक लडका अपने बगल के साथी की जेब से रूमाल निकालकर छिपा रहा था। यह विश्वास करना भी मुश्किल था कि जिन्दगी और मौत जैसे मामलों पर फैसला लिया जा रहा है। अगर अदालत के चारों तरफ हथियारबन्द संतरी नहीं होते और मेरी नाक से एक गज के फासले पर मंगीन नहीं दिखायी देती तो सचमुच हम उसी वातावरण में पड़े रहते जैसे स्कूल के दिनों में अपनी कक्षा में बैठे हो। अब तक मैं हूर जगह हथियारों से लैस पुलिस को देखने की इतनी अभ्यस्त हो गयी थी कि अब मैं उनकी मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं देती थी। लेकिन हूर रोज जैसे ही सुनवाई समाप्त होती और अभी अदालत छोड़कर जज महोदय गये भी नहीं होते कि तभी संतरियों का भुंड रस्सियों और हथकड़ियों के साथ हमें घेर लेता ताकि बाँधकर वापस जेल ले जा सके।

भारत के एक दूसरे हिस्से में हाल की इन अदातती कार्रवाइयों के बड़े दूरगामी नतीजे निकल रहे थे। हमारा मुकदमा शुरू होने से कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाते के लिए दोषी ठहराया था। श्रीमती गांधी के खिलाफ जिस दिन फैसला आया उसी दिन गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार की भी खबरें आयीं और सरकार के लिए यह एक बहुत जबरदस्त आघात था। विपक्षी दलों ने श्रीमती गांधी से इस्तीफ़े की माँग की। लेकिन इस माँग के पानन की बात तो दूर रही, २६ जून १९७५ को श्रीमती गांधी ने देश में आपात-स्थिति की घोषणा कर दी और विपक्षी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की व्यापक गिरफ्तारी शुरू कर दी। २६ जून की रात में, जिस समय यह समाचार मुझे तक पहुँचा भी नहीं था, जेल के बाहर भारी गाड़ियों की आवाजें सुनायी दीं। जैसा कि मैं आशा करती थी, मुझे लगा कि शायद अमलेन्दु, कल्पना तथा अन्य लोगों को कलकत्ता से वापस लाया गया है। दूसरे दिन सबेरे मुझे पता चला कि दरअसल रात में ट्रकों में लादकर सरकार के नये विरोधियों को लाया गया था। उम दिन आखिरी बार समाचारपत्रों ने गिरफ्तारियों का विवरण प्रकाशित किया। मॉसशिप कानूनों को लागू करने के बाद इन अखबारों में केवल मंत्रियों के भाषण और प्रधानमंत्री की खुशामद से भरे समाचार ही स्थान पाते।

कुछ ही दिनों बाद नक्सलवादियों के वॉर्ड में भोर में अचानक तलाशी का काम शुरू हुआ। उस दिन सबेरे मुझे कहा गया कि मैं अपने साथ अदालत में कलम या समाचारपत्र लेकर न जाऊँ। मैंने कहा कि पुलिस की गाड़ी में बैठकर मैं समय बिताने के लिए वर्ग पहेलियाँ भरती रहती हूँ और इसलिए कलम और अखबार मेरे लिए जरूरी है। अंततः जेलर मेरी बात मान गया। हालाँकि यह घटनाएँ नि संदेह रूप से आपात-स्थिति का परिणाम थीं फिर भी हमे यही लगा कि उस मनमाने और घाँवली भरे तरीके को और तेज कर दिया गया है जिसके हम काफी पहले से अभ्यस्त हो चुके हैं। देश में प्रतिपक्ष से निपटने के लिए श्रीमती गांधी द्वारा आपात-स्थिति की घोषणा करना इस बात का संकेत था कि



उनकी सरकार कितनी कमजोर हो गयी थी। सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब सोवियत संघ ने—जिससे दुनिया की पीड़ित जनता को तुशहाली के लिए काम करने की अपेक्षा की जाती है—पहले के अनेक अवसरों की तरह इस बार भी भारत सरकार की कार्रवाई को पूरा-पूरा समर्थन दिया।

१९७३ में जब मुझे पहली बार जमशेदपुर लाया गया था, उसी समय से मैंने बार-बार अधिकारियों से शिकायत की थी कि मेरी कोठरी की छत टपक रही थी। यदि थोड़ी भी बारिश हो जाती तो पानी छत के रास्ते कोठरी में धुसने लगता। मेरी इस शिकायत को दर्ज कर लिया गया था और सार्वजनिक कल्याण विभाग के छोटे-बड़े अफसरों ने कम-से-कम एक दर्जन बार आकर निरीक्षण किया और इस बात की जांच की कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता था। आखिरकार हमने खुद ही गोबर, तारकोल और सीमेंट मिलाकर अपनी छत की मरम्मत की। अब तीन मजदूर और एक मिस्त्री मरम्मत के लिए प्रकट हुए हैं। दुर्भाग्यवश, मैं यह नहीं कह सकती कि श्रीमती गांधी की आपात-स्थिति से प्रभावित होकर छत की मरम्मत का काम इतनी तेजी से शुरू हो गया क्योंकि इस काम के लिए जो तारीख नियत की गयी थी उसे बीते पहले ही कई सप्ताह हो चुके हैं। वॉर्डर ने मजदूरों में दो औरतों के होने पर आपत्ति की लेकिन मिस्त्री का कहना था कि काम के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है—रेत और सीमेंट ढोने का काम कोई मर्द नहीं करेगा। मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इन दोनों औरतों की आय पुरुषों की तुलना में कम थी जबकि इनसे कठिन-से-कठिन काम लिया जाता था।

मुकदमा शुरू होने के एक सप्ताह बाद हमारे साथ के एक अभियुक्त को टाइटफाइड हो गया। कुछ दिनों के लिए मुकदमे की कार्यवाही रोक देनी पड़ी और इस बात का इतजार किया जाने लगा कि वह अपनी शीर-मौजूदगी में सुनवायी जारी रखने की सहमति पर हस्ताक्षर करने योग्य हो जाये। एक दूसरे लडके ने दो दिनों के पॅरोल के लिए अर्जी दी ताकि लीवर कैंसर से मर रहे अपने बूढ़े पिता को देखने के लिए वह जा सके। उसपती अर्जी नामंजूर कर दी गयी। एक या दो दिन बाद उसे एक तार मिला जिसमें बताया गया था कि उसके पिता की मृत्यु हो गयी।

गुरुवार ४ जुलाई, १९७५ को जैसे ही मैंने अदालत में प्रवेश किया मेरे वकील ने इशारे से मुझे बुलाया। उसने मुझसे फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा कि मेरे विरुद्ध जो मुकदमा है उसे वापस ले लिया जायेगा। मैंने पूछा, "कौन-सा मुकदमा?" मैं यह मोच रही थी कि शायद अभियोग-पक्ष ने पिकरिड एसिड वाले आरोप पर कोई कार्यवाही न करने का फ़ैसला किया हो क्योंकि पहले की तारीख पर इस आरोप के सिलसिले में कुछ बहस हो गयी थी। मेरे वकील मिश्रा महोदय ने यह कहकर मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि सारे मुकदमे वापस ले लिए जायेंगे। अभियोग-पक्ष मेरे विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों को वापस लेने के सिलसिले में एक याचिका तैयार कर रहा था। घटनाक्रमों के इस नये विकास के कारण अगले दिन तक के लिए सुनवाई का काम स्थगित कर दिया गया।

दूसरे दिन उक्त याचिका बाकायदा पेश की गयी। अभियोग-पक्ष ने 'अर्न्त-चित्त्य के आधार पर' मुकदमा वापस लेने का फ़ैसला किया था। दिल्ली से इस अवसर के लिए खास तौर से आये वकील द्वारा तैयार किये गए मसविदे की अजीबोगरीब भाषा पर मैंने तब तक ध्यान भी नहीं दिया जब तक उच्चायोग के

सचिव ने मेरा ध्यान उधर आकृष्ट नहीं किया। इस शब्दावली में फ़ौरन ही संशोधन कर लिया गया। अब मुझे 'ओचित्य के आधार पर' छोड़ा जा रहा था क्योंकि मुझे और अधिक दिनों तक जेल में रखना राष्ट्रमण्डल के दो सदस्य देशों भारत और ब्रिटेन के अच्छे सम्बन्धों के लिए हानिकारक था। जज ने टिप्पणी की कि यह आधार बहुत कमजोर है लेकिन साक्ष्य के दौरान अब तक उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखायी दिया, जिससे वह इस याचिका पर आपत्ति करते। उन्होंने मुझे गवाह के कठघरे में बुलाया और कहा, "तुम्हें सारे आरोपों से बरी किया जाता है। जाओ और खुश रहो।"

"जब तक इतने सारे लोग बिना मुकदमा चलाये जेल में पड़े रहेगे तब तक यह कैसे सम्भव होगा कि कोई खुश रहे।" मैंने कहा। और मेरी तरफ देखकर जज महोदय मुसकरा पड़े। शायद उन्होंने मेरी बात समझ ली थी।

मुझे बर्खास्त देने के लिए वकीलों, अभियुक्तों और अखबारों के संवाददाताओं की भीड़ इकट्ठी हो गयी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पत्रकारों ने जानना चाहा कि मेरी तात्कालिक योजनाएँ क्या हैं। "अभी तक ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है।" मैंने कहा। वे कुछ समझ नहीं पाये लेकिन मैं जानती थी कि इतने वर्षों तक हिरासत में रखने के बाद भी भारत सरकार, मुझे खास तौर से देश के इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर, बिना शर्त रिहा नहीं करेगी। मेरा सोचना सही था। मैं हर बार की तरह एक अन्य अभियुक्त के साथ जेल वापस पहुँची। फाटक पर पहुँचने पर मुझे पुलिस की गाड़ी से उतरने से रोक दिया गया। मेरे बगल में बँठी महिला वॉर्डर चुपचाप रो रही थी। उसे खास तौर से मेरी निगरानी के लिए नियुक्त किया गया था और वह जानती थी कि उसकी नौकरी अब खत्म हो चुकी है—अब उसे अपने चारों बच्चों का पालन-पोषण करने तथा उनकी शिक्षा के लिए किसी और काम की तलाश करनी पड़ेगी। उसकी जबर्दस्त आर्थिक असुरक्षा तथा भविष्य के बारे में उसके भय ने मेरी रिहाई के सुखद अवसर को दुःखांत कर दिया। दरअसल तीन वर्षों तक नौकरी करने के बाद उसे स्थायी कर्मचारी का पद मिल जाना चाहिए था लेकिन तीन वर्ष की अवधि से दो दिन पहले उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती थी और उसे फिर से नियुक्त किया जाता था। इन दो दिनों की सेवा में अंतराल माना जाता था। इस तरीके का इस्तेमाल करके हर तीन साल पर एक व्यक्ति को स्थायी बनाने से रोका जा सकता था। इसका अर्थ यह होता था कि सम्बद्ध कर्मचारी को क्षण भर के नोटिस पर नौकरी से निकाला जा सकता था और बदले में कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता।

जैसे ही अन्य कैदी जेल के अन्दर पहुँच गये अचानक टोपी लगाये और भारी बूट पहने एक पुलिस अफ़सर सामने आया और उसने मुझे देश से निर्वासित किये जाने का सरकारी आदेश दिया। मुझे निर्देश दिया गया था कि सात दिनों के अन्दर मैं भारत से चली जाऊँ। इस आदेश पर १७ जून की तारीख थी और भारत सरकार के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर थे। मुझे वापस जेल में जाने का आदेश दिया गया। सिद्धांत रूप में मैं अब 'स्वतंत्र' थी लेकिन पुलिस ने सारी आवश्यक तैयारियाँ कर ली थीं। मेरी गिरफ्तारी के लिए दूसरा वारंट जारी किया जा चुका था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मैं बँध दस्तावेजों के बिना सफर कर रही थी। पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरा पासपोर्ट जब्त कर

लिया था और वह अभी भी उसी के अधिकार में था।

स्थानीय पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से मिलने के बाद ब्रिटिश वाणिज्य दूत मेरे पास आया। अगले दिन के लिए विमान से इंग्लैंड जाने का टिकट मेरे लिए सुरक्षित करा दिया गया था। दूसरे दिन सबेरे मुझे भोर में ही कलकत्ता के लिए रवाना हो जाना था। वाणिज्य दूत कलकत्ता तक मेरा साथ देने के लिए आया था।

अपनी कोठरी में वापस आकर मैंने बीना से बातचीत करने की कोशिश की जबकि अन्य तमाम औरतें हमें चारों ओर से घेरकर बैठ गयीं। मैं उससे कह रही थी कि उसे अपनी पढाई जारी रखनी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए और चाहे मैं कितनी भी दूर क्यों न रहूँ मैं उसे कभी नहीं भूलूँगी। मैंने उससे कहा कि मैं खत लिखूँगी और कौन जाने भविष्य में हम फिर कभी मिल ही जायें।

उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं यह सोचकर चिंतित थी कि यदि मेरे नोटों और डायरियों को जल कर लिया गया तो मैं क्या करूँगी। मैं अपने दिमाग पर जोर देने लगी कि इन्हें किस तरह देश से बाहर ले जाऊँ। ये इतनी मोटी थीं कि इन्हें छिपाया नहीं जा सकता था। अंततः मेरे दिमाग में एक योजना आयी। मैंने बड़ी सावधानी के साथ समूची डायरी में 'भारतीय' शब्द को काटकर 'ब्रिटिश' शब्द लिखा ताकि जहाँ-जहाँ सरकार पर गम्भीर टिप्पणी की थी उसे देखते समय कोई भी पाठक यह समझे कि मैंने यह टिप्पणी ब्रिटिश सरकार के लिए की है। जहाँ-जहाँ मैंने श्रीमती गांधी का नाम लिखा था उसे काटकर 'मिसेज़ बेंचर' या 'द क्वीन' लिखा और हर पुस्तक के भीतर कवर पर धार्मिक पुस्तकों का शीर्षक लिख दिया। मैंने सोचा कि यदि स्पेशल ब्रांच के लोग कड़ा रख अस्तित्वार करने का फ़ैसला करेंगे तो मेरी यह चाल काम कर जायेगी।

अगले दिन सबेरे चार बजे के लगभग महिला वॉर्डर ने मुझे बुलाया। अंधेरा अभी फैला हुआ था और मैं अभी तक नहा भी नहीं सकी थी कि तभी वह मेरे पास आयी और उसने मुझे जल्दी से तैयार हो जाने को कहा—कोई मुझसे मिलना चाहता था। एक दिन पहले एक मित्र वॉर्डर ने मुझसे वायदा किया था कि वह चुपके से मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से करायेगा। मेरे सामने मेरे मामले से सम्बद्ध एक साथी खड़ा था जिसकी आँखें अभी भी नींद से अघमुंदी थीं और जिसे स्पेशल ब्रांच के आदमियों के झूट्टी से आने से पहले ही जगाकर मेरे पास पहुँचा दिया गया था। मैं चाहती थी कि अपने अन्य साथियों से मैं आखिरी बार सब बता दूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ के अधिकारी उनसे कभी नहीं बतायेगे। मैं उन्हें सारी बातें साफ-साफ बताना चाहती थी। उस व्यक्ति से जब मैंने यह बताया कि मुझे यहाँ से निर्वासित किया जा रहा है तो वह मेरी तरफ देखकर मुसकरा पड़ा और धीरे से बोला, "हम लोगों को मत भूलना।" फिर वह मुड़ पड़ा और थोड़ी दूर जाकर मेरी तरफ देखते हुए उसने मुट्ठी उठाकर अभिवादन किया और कहा, "हम फिर मिलेंगे, निश्चय ही, हम फिर मिलेंगे।"

कुछ ही मिनट के अन्दर मुझे बीना, हीरा, गुलाबी बुद्धिया तथा दूसरों से विदा लेनी पड़ी। बच्चे भागे बढ़ आये ताकि मैं उन्हें घूम लूँ। हीरा का लड़का राज 'दीदी, दीदी' की रट लगाये हुए था। वॉर्डर ने मुझसे जल्दी करने को कहा। मैं बीना से दस इतना ही कह सकी, "घबराना मत, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना।" हम दोनों लगातार रो रही थीं।

उस दिन मुझे विदा देने के लिए सुपरिस्टेण्डेंट और जेलर जल्दी उठ गये थे। उन्होंने पास की दुकान से मेरे लिए चाय मँगायी। पुलिस का रक्षक दस्ता पहले ही पहुँच गया था और ब्रिटिश वाणिज्य दूत मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जेल के बाहर खड़े ट्रक में हम लोग साध-साध बैठे। न तो किमी ने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की और न कोई पूछताछ ही की। रेलवे स्टेशन पर बिहार के गृह-मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुलिस सुपरिस्टेण्डेंट के साथ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वे लोग हमें लेकर एमप्रेंस ट्रेन में लगे फ्रस्ट क्लास एयर कंडीशंड डिब्बे की तरफ बढ़े। जल्दी ही हमारी ट्रेन बंगाल के गाँव से होती हुई अपनी तेज़ रफ़्तार से कलकत्ता की तरफ दौड़ रही थी। खेतों में लगभग एक फुट ऊँची घान की फसल पड़ी थी। केले के पेड़ और बांस के झुरमुट, सालाब, मिट्टी के बने मकान और गाँव के दृश्य तथा कभी-कभी कोई छोटा सा स्टेशन इस तरह गुज़र रहा था जैसे किसी फ़िल्म का दृश्य हो। मैं सोच रही थी कि मैंने इस देश को कितना प्यार दिया है। हम काँफ़ी पीते रहे और बातचीत करते रहे। मेरे साथ तैनात की गयी महिला पुलिस में से एक के पास एक छोटी बच्ची थी जो दुबली-पतली और कमज़ोर दिख रही थी। उसने बड़े कौतूहल के साथ मेरी ओर देखा और वह यह समझ नहीं पा रही थी कि किसी 'मेम साहब' के साथ हथियारबंद पुलिस संतरी क्यों तैनात किये गये हैं।

हावड़ा स्टेशन पर मुझे कलकत्ता पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। वाणिज्य दूत ने मुझसे हवाई अड्डे पर मिलने का वायदा किया। सादा वर्दी में तैनात तीन पुलिस अधिकारियों के साथ मुझे कलकत्ता के भीड़ भरे रास्तों से एक कार में ले जाया गया। अमलेन्दु और कल्पना मुझसे कुछ ही मीलों की दूरी पर थे। क्या उन्हें पता होगा कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ? मैंने ब्रिटिश अधिकारी से अनुरोध किया था कि रवाना होने से पहले अमलेन्दु तथा उसके परिवार से मिलने की मुझे अनुमति दी जाये लेकिन उसकी पक्की धारणा थी कि मुझे इस काम की अनुमति नहीं मिलेगी। मैंने पुलिस से कहा कि मेरी घड़ी और पैसे वापस कर दिये जायें जिन्हें मेरी गिरफ्तारी के समय अमलेन्दु के घर से जब्त किया गया था। उन्होंने केवल मेरा पासपोर्ट लौटाया और कहा कि अन्य चीजों के बारे में मुझे उन्हें 'पहले ही' बताना चाहिए था। वे इस तरह कह रहे थे जैसे उन्होंने मुझे पहले से कोई चेतावनी दी थी कि अचानक ही मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा।

हवाई अड्डे पर मुझे बड़ी भद्रता के साथ अत्यंत विशिष्ट जनों के लिए बने एयर कंडीशंड वी० आर्द० पी० कक्ष में ले जाया गया। मुझे यहाँ आराम करना था। मेरा विमान लगभग आधी रात में यहाँ से रवाना होने वाला था और अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। पुलिस अधिकारी यह कहते हुए चला गया कि मैं अब कौदी नहीं हूँ बल्कि सरकार की अतिथि हूँ— एक ऐसी अतिथि, जिसे चारों तरफ से घेरकर रखा गया हो। उन्होंने दरवाज़े की बाहर में बंद कर रखा था। कुछ मिनट के बाद दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। वह अधिकारी फिर वापस आ गया था। उसने जानना चाहा कि यदि उनमें से दो लोग मेरे साथ उस कमरे में बैठ रहे तो मुझे कौदुँ आपत्ति होगी। मैंने इस पर एतराज प्रकट किया। उनकी मौजूदगी में न तो मैं लेट सकूँगी और न सो पाऊँगी। फिर वे चले गये। दस मिनट बाद हवाई अड्डे पर तैनात एक पुलिस महिला मेरे पास आयी। उसकी उम्र बीस वर्ष से ब्यादा नहीं थी। उसके चेहरे पर घबराहट और मुस्कान दोनों थी और मेरे कक्ष में पड़े सौफ़े पर वह बैठ गयी। मैं अलसापी-सी पड़ी रही लेकिन

वातानुकूलित कक्ष की ठंड से अभ्यस्त न होने के कारण सिहरन के बीच जगी रही। एक बेटर मेरे लिए मुर्गे और आइसक्रीम लेकर आया था। वे बार-बार मुझसे और खाने का अनुरोध करते रहे। मैं जो भी चाहती पा सकती थी। सादी वर्दी में एक व्यक्ति बीच-बीच में मेरे सामने आ जाता और बड़े दोस्ताना सहजे में बातचीत करता। क्या मैं उसके रिश्तेदारों से इंग्लैंड में सम्पर्क कर सकूंगी? क्या मैं लंदन में मिस्टर दास को जानती हूँ?

बाद में दिन में उप-उच्चायुक्त स्वयं ही मुझसे मिलने आये। वह बहुत खुश-मिजाज और सौम्य थे लेकिन बार-बार एक ही बात पर जोर देते थे, मैं भारत वापस लौटने के बारे में फिर कभी न सोचूँ। क्या मैं ऐसा सोचती थी? उच्चायुक्त को आशा थी कि मैं ऐसा नहीं सोच रही होऊँगी। पाँच वर्षों की अवधि एक लम्बी अवधि थी। कई उच्च पुलिस अधिकारी इस बीच आये। एक ने मुझे सलाह दी कि भारत वापस आने के लिए मैं एक-दो साल इंतजार करूँ तब तक अमलेन्दु भी रिहा हो जायेगा।

बाद में उस शाम रायटर के स्थानीय संवाददाता तथा एक अन्य पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हवाई अड्डे पहुँचे। मैं इसके लिए विलकुल ही उत्सुक नहीं थी लेकिन उन लोगों ने शायद सादी वर्दी वाले व्यक्ति के साथ कोई ऐसा 'इंतजाम' कर लिया था कि वह कुछ मिनट के लिए उनसे मिलने की खातिर मुझसे अनुरोध करने लगा। वे दोनों लारेल और हार्डी की तरह दिख रहे थे। फिर उन्होंने सवाल पूछने शुरू किये। क्या पाँच वर्षों तक जेल में रहने के बाद मैंने अपनी राजनीतिक विचारधारा बदल दी है? नहीं। क्या मैं अभी भी हिंसात्मक क्रांति का समर्थन नहीं करती हूँ? मैंने कहा कि वे अपने शब्द मेरे मुँह में न डालें। इस इंटरव्यू से कुछ खास खुश हुए बगैर वे चले गये। मैं यह कभी नहीं जान सकी कि वे इन सारे क्रियाकलापों की गोपनीयता को कैसे भेदकर दमदम हवाई अड्डे पर मेरी मौजूदगी के बारे में जान सके।

वाणिज्य दूत अपने साथ एक सूटकेस लेकर वापस पहुँचा। मेरे सारे सामान अभी भी उन खाकी थैलों में थे। उसने सहृदयतावश मेरी बहन के बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ ला दी थी और माथ में एक जोड़े जूते तथा टेनिस शॉक्स भी मंगा लिये थे। मुझे लगा कि इंग्लैंड की जलवायु के लिए मेरी मैंडिलें शायद ही उपयुक्त हों। हालाँकि यह जुलाई का महीना था फिर भी इन सैंडिलो से काम नहीं चलता। मैंने अपनी साडी बदल ली और मेरे पास जो एकमात्र यूरोपीय पोशाक थी—खुद का बनाना हुआ कुर्ता और एक पुरानी पैंट—पहन ली। वाणिज्य दूत की पत्नी

और उनकी पता चले कि मैं जा रही हूँ और वह मुझे विश्वास देने आ जायें। मैंने फिर भोजन किया लेकिन इस बार केवल सब्जी से काम चलाया। श्व मैं और माँम नहीं खा सकती थी।

आखिरकार रात के पीने बारह बज गये। वे मुझे बी० आई० पी० कक्ष के बाहर निरतने वाले रास्ते से ले गये। बिहार के सयुक्त गृह सचिव वहाँ फिर मौजूद थे और उनके साथ वे तमाम लोग थे जो दिन के समय मुझसे मिलने आये थे। वे एक कतार में खड़े थे और बड़ी भद्रता के साथ मुसकराते हुए मुझसे हाथ मिला रहे थे और मेरे लिए शुभकामनाएँ व्यक्त कर रहे थे। सादी वर्दी वाले

अधिकारियों में से दो लोग मेरे साथ विमान तक पहुँचे और वे वहाँ तब तक खड़े रहे जब तक मैं सुरक्षित ढंग से, अपने हाथ में टिकट और पासपोर्ट दबाये सीढ़ियों से होती हुई, विमान के अन्दर नहीं पहुँच गयी।

यह ब्रिटिश एयरवेज का विमान था। यहाँ मुझे भद्रता का एक और संकेत मिला। एक परिचारक मेरे कान के पास फुसफुसाहट भरे स्वर में बोल रहा था— क्या मैं जहाज में ब्रांडी लेना पसन्द करूँगी? नहीं, बिलकुल नहीं। मैंने वर्षों से अलकोहल को छुआ तक नहीं और मैं नहीं समझती कि मैं उसे पी सकूँगी। रात के साढ़े बारह बज चुके हैं। वे अब भुने हुए मूँगें और चौकीगोभी (ब्रसेल्स स्प्राउट्स) खाने के लिए दे रहे थे। इन चीजों के बारे में सोचकर ही मुझे उबकाई आने लगी। क्या अन्य यात्री मेरे बारे में जानते हैं? क्या वे सब मेरी ओर देख रहे हैं? नहीं। १४ घंटे की यात्रा बेहद उबाऊ थी। मेरी बगल की सीट पर बैठा बंगाली डॉक्टर अपने बीमार पिता को इलाज के लिए इंग्लैण्ड ले जा रहा था। उसने मुझसे मेरी भारत-यात्रा के बारे में पूछना शुरू किया। मैं भारत में कितने दिनों तक रही? कहाँ रही? क्या कर रही थी? मैंने कहा कि यदि मैं उससे सारी बातें सही-सही बता दूँ तो वह हैरान हो जायेगा। क्या मैं मिस टाइलर हूँ? उसने यहाँ तक अनुमान लगा लिया। अखबारों में उसने मेरे बारे में पढ़ रखा था।

परिचारिकाएँ लगातार हमें संतरे का रस, यूरोपीय उपाहार, कॉफ़ी आदि देती रही। मैं इन सारी चीजों का आधा हिस्सा भी नहीं खा सकी। मेरे साथ के यात्री लगातार इन चीजों को चबाते जा रहे थे। इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता था। एक परिचारिका ने करमुक्त पेय और सिगरेट आदि बेचना शुरू किया। मेरे पास वाणिज्य दूत के दिए पाँच पौण्ड थे। मैं इनसे कुछ खरीद सकती थी। मैं इसमें से कुछ पैसे हीप्रो हवाई अड्डे से अपने घर तक के किराये के लिए बचा सकती थी। सम्भव है कि मुझे लेने कोई हवाई अड्डे पर न आया हो तब इन पैसें की जरूरत पड़ेगी। घबराहट में मैंने दो सी सिगरेटों और आधी बोतल व्हिस्की की माँग की। पाँच वर्षों से भी अधिक समय से मैंने सीधे कोई खरीदारी नहीं की थी।

अमलेन्दु क्या कर रहा था? क्या उसे यह सब पता होगा? क्या लंदन के लोग जान रहे होंगे कि मैं आ रही हूँ?

हीप्रो हवाई अड्डा। परिचारिका ने मुझसे तब तक जहाज में रुकने का अनुरोध किया जब तक अन्य यात्री न चले जायें। दस मिनट बाद मैं अपने पिता के सामने थी और वे मुझे जोर से दबाये मुबकियाँ ले रहे थे। मेरी बहन की गोद में दो साल की बच्ची थी जिसे मैं पहली बार देख रही थी। हम लोग पासपोर्ट जाँच करने वाले कक्ष की ओर बढ़े। अखबारों के फोटोग्राफरों ने हमें चारों ओर से घेर लिया था और उनके कंमरे हमारी तस्वीरें लेने में जुटे थे। मैं केवल यही सोच पाती थी कि वे कितनी फ़िल्में बर्बाद कर रहे हैं। वे तरह-तरह से तस्वीरें लेना चाहते थे। 'प्लीज, मुस्कराइये। बच्चे का हाथ पकड़ लें। ज़रा अपने पिता से लिपट जाइये। अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखिये।' आदि-आदि।

सबको यह देखकर हैरानी हुई कि मेरा पासपोर्ट अभी भी ठीक-ठाक था। क्या मुझे टीके लगाये गये? हाँ, कई बार लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था। एक और टीका लगा। इसके बाद नीचे एक कमरे में हम लोग गये जहाँ

संवाददाता-सम्मेलन की तैयारी थी। चारों तरफ बत्तियाँ जल रही थी। मेरी दोस्त जिल अपनी चार-वर्षीय बच्ची के साथ जिमके बारे में मैंने उसके पत्रों में पढ़ा था, और वह मुझसे लिपट गयी थी। मेरी चचेरी बहन और उसके पति मौजूद थे। किसी ने मेरे गले के गिदं एक माइक्रोफोन लटका दिया था और फिर सवालों का सिलमिला शुरू हो गया। मेरे पिता ने मुझे बुलाकर कहा कि विदेश विभाग के एक अधिकारी ने सलाह दी है कि मैं मंशेप में ही अपनी बातें कहूँ।

अन्त में हम रवाना हुए। मेरे पिता मुझे अपनी कार की तरफ लेकर बढ़े। शीघ्र ही हम कानूनल जाने वाली सड़क पर बढ़ रहे थे। सेव, केने और पनीर— जो भी मैं चाहूँ यहाँ उपलब्ध थे। लेकिन छिडकी के रास्ते इंग्लैण्ड के उन हरे मैतों को देखते समय, जिनके बारे में मैं अक्सर याद किया करती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे यह पीलेपन और उदासी से भरे हों।

अपनी रिहाई के आठ महीने बाद आज जब मैं यह लिखने बंठी हूँ, उस समय भी यह मुकदमा खिचता जा रहा है जो २३ जून १९७५ को शुरू हुआ था और जिममें मेरे बाद के सह-प्रतिवादियों को भाग लेना पड़ा। अमलेन्दु कल्पना, बीना और हजारों तथाकथित नक्सलवादियों को आज भी जेलों में बन्द रखा गया है और उनकी हालत निरपवाद रूप से मुझसे बुरी है। कुछ को पिछले सात वर्षों से बिना मुकदमा चलाये बन्द रखा गया है। २६ जून १९७५ को आपात-स्थिति की घोषणा के बाद हजारों की सख्या में अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नजरबंद रखा गया है। जेल में जिन गरीब किसानों और मजदूरों के साथ मैंने अपना समय बिताया, उस तरह के असंख्य मजदूर-किसान आज भी अनिश्चित काल के लिए जेलों में पड़े हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि उनका मामला हल हो। बच्चे जेलों में बड़े हो रहे हैं।

अमलेन्दु का अपराध, कल्पना का अपराध, उन सब लोगों का अपराध है जो भारत की उन असह्य स्थितियों को देखकर अविचलित और खामोश नहीं रह सकते जिनमें भीख का बर्तन लेकर कोई बच्चा धूल में रेंगता रहा हो, जहाँ किसी गरीब लड़की को किसी अमीर की रेंगरेलियों के लिए बेचा जा रहा हो, जहाँ किसी बूढ़ी औरत को अपने गाँव के गणमान्य लोगों की सामाजिक स्वीकृति खरीदने के लिए आधा पेट खाकर जिन्दगी गुजारनी पड़ रही हो, जहाँ असंख्य लोग मात्र उपेक्षा के कारण मौत के शिकार हो जाते हों, जहाँ एक तरफ तो मुनाफे के लिए अनाज की जखीरेबाजी हो रही हो और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हो, जहाँ मेहनतकशों की मेहनत का फल लुटेरे और सूदखोर हड़प कर जाते हों जहाँ ईमानदार आदमी कपट उठा रहा हो और दुष्ट निरन्तर समृद्ध हो रहा हो, जहाँ नियमतः अन्याय और अपवाद के रूप में न्याय मिलता हो और जहाँ लाखों लोग अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्ति खर्च करके अपने को किसी तरह बस जिन्दा रख पाने में समर्थ हो रहे हों। यह उन लोगों का अपराध है जो यह महसूस करते हैं कि इस व्यवस्था में आमूल परिवर्तन जरूरी है ताकि भारतीय जनता की कुशलता, रचनात्मकता, निपुणता और अध्यवसाय को पूरा विस्तार दिया जा सके ताकि वे एक नये ढंग के भारत का, सही अर्थों में आजाद और एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें।

वर्तमान सरकार या किसी भी दूसरी सरकार द्वारा वर्तमान अन्याय और अमानवीयता के खिलाफ सक्रिय रहने वाली या आवाज़ उठाने वाली को चुप

कराने के लिए अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना, नागरिक अधिकारों से वंचित कर देना, डराना, घमकाना और तरह-तरह की मंत्रणा देना या इस तरह का कोई भी नकारात्मक कदम उठाना भारत की समस्याओं के समाधान में कभी मददगार नहीं साबित होगा। जब तक कोई सरकार समूची जनता के प्रति तिरस्कार का रवैया अख्तियार करती रहेगी, जब तक वह दमन और इस तरह की निर्दयता के सहारे शासन करती रहेगी, जिसमें उसे ऐसी बहसों में समय लगाना पड़े कि अमुक व्यक्ति भुखमरी से मरा है या अपोषण से और इन दोनों के बीच उसे फर्क करना पड़े, तब तक भारत की मंत्रणा जारी रहेगी।







